लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation
4-8-92
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 3 अगस्त, 1970/12 श्रावण, 1892 (शक)

No. 6, Monday, August 3, 1970/Sravana 12, 1892 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
151. आसाम के लिये दूसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में प्रधान मंत्री का आश्वासन	Prime Minister's Assurance re : Second Refinery for Assam	..	1—6
153. विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मासिक मूल्य सूचकांक	Monthly Price Index of various Consumer Goods	..	6—10
154. पंजाब में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण	Loan for boosting Farm Production in Punjab	..	10—12
155. स्वास्थ्य मंत्रियों तथा मेडिकल कालेजों के अध्यक्षों का सम्मेलन	Conference of Health Ministers and Heads of Medical Colleges	..	12—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
156. विदेशी कारों की तस्करी	Smuggling of Foreign Cars	..	18
157. मेसर्स मैकेंजीज ग्रुप आफ कम्पनीज लिमिटेड के निदेशकों से आय-कर की वसूली	Realisation of Income tax from Directors of M/s Mackenzies Group of Companies Ltd.	..	18—19
158. चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Medical Facilities in Delhi during Fourth Plan	..	19—20
159. लूप का त्याग	Discard of 'Loop'	..	20—21
160. तटीय तेल शोधक कारखानों के उत्पादन में कमी	Cut in Production of Coastal Refineries	..	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

161. चम्बल की खादरों को खेती योग्य बनाने के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank's Aid for reclaiming Chambal Ravines ..	21—22
162. ग्रान्ड होटल शिमला	Grand Hotel, Simla ..	22—23
163. दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में और अधिक सुविधायें प्रदान किये जाने के लिए आभ्यावेदन	Representation for providing more Amenities in J. J. Colonies of Delhi ..	23—25
164. तेल शोधक कारखानों के लिए उत्पादन का ढ़ांचा	Production Pattern for refineries ..	25
165. राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Finance Ministers' Conference ..	25—26
166. नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को स्थान का दिया जाना	Allotment of Accommodation to Nehru University, New Delhi ..	26—27
167. राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों के बारे में अध्ययन दल की रिपोर्ट	Report of Study Team on Famine-hit Areas in Rajasthan	27
168. प्रशासनिक सुधार आयोग की सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभाग से सम्बन्धित सिफारिशें	Administrative Reforms Commission's Recommendations on Customs and Excise Department ..	27
169. हृद्रोध (हार्ट ब्लाक) में उपयोगी पाये गये गतिकारकों (पेस मेकर्स) का निर्माण	Manufacture of Pace Makers Found Efficacious in Heart Block Cases ..	28
170. तस्करी का माल पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods ..	29
171. अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष से भारत को दिये गये ऋण का भुगतान	Clearance of Loans given by the International Monetary Fund to India ..	30
172. कपाडिया ब्रदर्स द्वारा धन-कर की विवरणियां फाइल करना	Filing of Wealth Tax Returns by Kapadia Bros. ..	30—31
173. पश्चिम बंगाल को ऋण	Loan to West Bengal	31—32
174. विश्व बाजार में मंदी	Recession in World Market ..	32
175. सिल्वर रिफाइनरी कलकत्ते के कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Employees of Silver Refinery, Calcutta	32—33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
176. महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच	Enquiring into the Irregularities by the Maharashtra Housing Board	33
177. औषध उद्योग को करों में छूट देकर औषधियों के मूल्यों को कम करना	Reduction in Drug Prices by giving Relief in Taxes to the Industry ..	34
178. रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Public Servants as Governors of Reserve Bank ..	34—35
179. भारतीय तेल निगम को तेल के बैरलों और बिटुमन ड्रमों की सप्लाई	Supply of Oil Barrels and Bitumen Drums to I. O. C.	35
180. फारस की खाड़ी से भारत के हिस्से का रुस्तम अशोधित तेल (रुस्तम क्रूड) अन्य साझीदारों को उपहार के रूप में दिया जाना	Gifting Away of India's share of Rostam Crude from Persian Gulf to other Partners ..	35—36
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1001. श्री लंका में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए भारत का प्रस्ताव	Offer by India for setting up fertilizer Plant in Ceylon ..	36
1002. कुओं के खोदने तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल शाखा द्वारा विनियोजित राशि	Amount invested by Bhopal Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells ..	36—37
1003. कुएं खोदने और लघु उद्योगों के विकास के लिए भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर शाखा द्वारा विनियोजित राशि	Amount invested by Indore Branch of the State Bank of India for development of Small Scale Industries and Digging of Wells ..	37—38
1004. विभिन्न राज्यों में खोदे गये तेल के कुएं	Wells Dug in various States ..	38
1005. मधुमेह से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities for Poor Suffering from Diabetes ..	39
1006. बैंकों द्वारा अग्रिमों पर ऋण नियंत्रण में ढील	Relaxation of Credit Control on Advances by Banks ..	39—40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1007. वनस्पति के लिये बिनौले के तेल का प्रयोग	Use of Cotton Seed Oil for Vanaspati ..	40
1008. डाक्टरों तथा परिवार नियोजन एजेन्टों द्वारा धोखा किया जाना	Cheating by Doctors and Family Planning Agents ..	41
1009. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभागीय अधिकारियों को यात्रा भत्ता	Travelling Allowance to Sectional Officers in C. P. W. D. ..	41—42
1010. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफिसरों के रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र	"No Objection Certificate" to Sectional Officers in C. P. W. D. for Registration with Employment Exchange ..	42
1011. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers in C. P. W. D. ..	43
1012. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्रशासकों के स्थान पर प्रौद्योगविज्ञों की नियुक्ति करना	Replacement of Administrator by Technocrats in C. P. W. D. and Department of Works, Housing and Urban Development ..	43—44
1013. महाराष्ट्र में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Maharashtra ..	44
1014. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल इन्जीनियरों की भर्ती का बन्द किया जाना	Stoppage of Recruitment of Civil Engineers Through UPSC ..	44
1015. केन्द्रीय बिक्री कर का अपवंचन	Evasion of Central Sales Tax in Delhi ..	45
1016. रूस के पास भुगतान शेष के रूप में रुपयों की जमा राशि	Rupee Balance held by U. S. S. R. ..	45—46
1017. बेलाडिला में लौह अयस्क के निक्षेप के अनुमान	Estimates of Iron Ore Reserve at Bailadilla ..	46
1018. दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में कोयले की निकासी	Coal Output at Durgapur Projects Limited ..	47
1019. दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स के संधारण अधीक्षक के विरुद्ध आरोप	Charges Against Maintenance Superintendent of Durgapur Projects ..	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1020. पोलैण्ड के सलाहकारों के परामर्श से विशाखापतनम में जिंक स्मैल्टर के परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Project Report of Zinc smelter at Visakhapatnam in consultation with Polish Consultants ..	48
1021. जीवन बीमा निगम द्वारा विदेशी औद्योगिक कम्पनियों का वित्त पोषण	Financing of Foreign Industrial Concerns by L. I. C. ..	48—49
1022. आयकर तथा धनकर के कुल आय से बढ़ जाने का निहितार्थ	Implication of Income tax and Wealth Tax exceeding Total Income ..	49
1023. कोरोमण्डल उर्वरक लिमिटेड द्वारा उठाई गई हानि	Loss Suffered by Coromandal Fertilizers Limited ..	49—50
1024. बैंकों द्वारा भारतीय निर्यातकों को विशिष्ट प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करना	Provision of Specialised Services to Indian Exporters by Banks ..	50
1025. सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance for Government Employees ..	50—51
1026. विश्व बैंक कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors by Punjab Government Under World Bank Agricultural Credit Scheme ..	51—52
1027. 1970-71 में ट्रैक्टरों के आयात के लिये आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance to Andhra Pradhesh for Import of Tractors during 1970-71 ..	52
1028. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार के एकक की स्थापना	Setting up of Central Unit to Prevent Food Adulteration ..	52—53
1029. भारत और मारिशस के बीच यात्रा पर प्रतिबन्धों में ढील देना	Liberalisation of Indo-Mauritius Travel Restrictions ..	53—54
1030. कलकत्ता के लिये मेट्रोपोलिटन बोर्ड की स्थापना	Setting up of Metropolitan Board for Calcutta ..	54
1031. एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिये स्थानों की कमी	Dearth of Seats for M. B. B. S. Course ..	54—55
1032. श्रीमती अरुणा आसफ अली की सम्पत्ति के सम्बन्ध में जांच	Enquiry about Property Held by Smt. Aruna Asaf Ali ..	55

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1033. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत के रिजर्व बैंक के कार्य संचालन के बारे में की गई सिफारिशें	Suggestions made by Administrative Reforms Commission Regarding Working of Reserve Bank of India ..	55—56
1034. नगरीय सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के अन्तरिम प्रस्ताव	Interim Proposals to place Restriction on Urban Property ..	56
1035. डीजल में मिट्टी के तेल का मिलाया जाना	Adulteration of Kerosene Oil with Diesel Oil ..	56
1036. विदेशी तेल कम्पनियों की तेल शोधक क्षमता का विस्तार	Expansion of Refining Capacity of Foreign oil Companies ..	57
1037. विदेशों में काम कर रही भारतीय बैंकों को शाखाएं	Branches of Indian Banks Operating Abroad ..	57—58
1038. ईरान और कुवेत से आयातित तरल अमोनिया का तुलनात्मक मूल्य	Comparative Price of Liquid Ammonia Imported from Iran and Kuwait	58
1039. सिंदरी और भारतीय उर्वरक निगम के अन्य एककों के कर्मचारियों द्वारा उर्वरक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का अस्वीकार किया जाना	Rejection of Fertilizer Wage Board Recommendations by Workers of Sindri and other Units of Fertilizer Corporation of India ..	58—59
1040. मद्रास पत्तन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रत्नों का पकड़ा जाना	Seizure of Jewels by the Customs Authorities at Madras Port ..	59—60
1041. नगरीय सम्पत्ति का अर्जन	Acquisition of Urban Property ..	60
1042. सरकारी क्षेत्र उपक्रमों का कार्य	Performance of Public Sector undertakings ..	60—61
1043. पश्चिमी जर्मनी से सहायता	Aid from West Germany ..	61
1044. लघु उद्योग क्षेत्र पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रभाव का अध्ययन	Study of Impact of Drugs (Prices Control) Order of small Sector of Industry ..	61—62
1045. मैसूर राज्य के कुदेर मुख क्षेत्र में कच्चे लोहे के भण्डार पाया जाना	Establishment of Iron Ore Reserve in Kudremukh Region on Mysore State ..	62—63
1046. बैंकों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Supply of Credit by Banks ..	63—64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1047. गर्भ निरोध के नए साधन	New Contraceptives ..	64—66
1048. दिल्ली में चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा स्थानों की कमी	Shortage of Medical Seats for Medical Students in Delhi	66
1049. वायु दूषण नियंत्रण पर विधेयक	Bill on Air Pollution Control ..	67—68
1050. जीवन बीमा निगम द्वारा पशु बीमा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Cattle Insurance Scheme by Life Insurance Corpn.	68
1051. उर्वरक ऋण गारंटी निगम स्थापित करना	Setting up of Fertilizer Credit Guarantee Corporation ..	68
1052. आवास मंत्रियों का जयपुर में सम्मेलन	Conference of Housing Ministers at Jaipur ..	69—70
1053. उचित दर की दुकानों के माध्यम से दवाइयों की बिक्री करने के सम्बन्ध में सुझाव	Suggestion for sale of Medicines Through Fair Price Shops ..	70
1055. भारत में तेल के संसाधनों का पता लगाने के लिये एक सलाहकार फर्म को आमंत्रित करने का प्रस्ताव	Proposal to Invite a Firm of Consultants to Assess Oil Resources in India ..	70—71
1056. दक्षिण गुजरात के गैस क्षेत्रों से गैस उत्पादन करने और उसका प्रयोग करने के लिये योजना	Plan for Production and Utilisation of Gas from Gas Fields of South Gujarat ..	71
1057. दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रोगी शय्याओं की औसत संख्या	Number of Beds in Government Hospitals in Delhi ..	72—73
1058. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा के भूतपूर्व मैनेजर को हटाये जाने/त्यागपत्र देने का कथित समाचार	Reported News of Removal/Resignation of Former Manager of London branch of Central Bank of India ..	73
1059. सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का डाकघरों के माध्यम से भुगतान	Disbursement of Pension to Government Employees through Post Offices ..	73—74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1060. प्रति जीवाणु परियोजना ऋषिकेश के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भष्टाचार के तथाकथित आरोप	Alleged Corruption Charges Against High Officials of Antibiotics Projects, Rishikesh ..	74
1061. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	Lady Hardings Medical College, New Delhi ..	75
1063. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार	Expansion of Medical Services in the Union Territory of Delhi ..	75
1064. नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र से सहायक उद्योगों वर्कशापों तथा छापेखानों का स्थानान्तरण	Shifting of Ancillary Industries Workshops and Printing Presses from Connaught Place Area, New Delhi ..	76
1065. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंखा, रोड दिल्ली पर निम्न आय वर्ग के लिये बनाये गये मकान	Houses constructed for Low Income Group by D.D.A. on Pankha Road, Delhi ..	77
1066. दिल्ली में भूमिगत जलाशयों का निर्माण	Construction of Underground Reservoirs in Delhi ..	77—78
1067. मालवीय नगर नई दिल्ली में गन्दे पानी की सप्लाई	Supply of Muddy, water to Malaviya Nagar, New Delhi ..	78—79
1068. भारतीय माल की नेपाल को तस्करी	Smuggling of Indian Goods into Nepal ..	79
1069. आसनसोल के निकट स्थित सल्टोरा कोयला खान का बन्द किया जाना	Closure of Saltora Colliery near Asansol ..	80
1070. दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks of Delhi to different Categories of Persons ..	80—82
1071. भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों के लिये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का सर्वेक्षण	Survey of Mirzapur District of U.P. for National Resources by Geological Survey of India ..	82
1072. स्वामी श्रद्धानन्द तथा गुरु तेग बहादुर के स्मारक	Memorial for Swami Shardhanand and Guru Teg Bhadur ..	82—83
1073. सरकारी उपक्रमों द्वारा अतिथि गृहों तथा मनोरंजन पर व्यय	Expenditure on Guest Houses and Entertainment by Public Undertakings ..	83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

1074. जीवन बीमा निगम द्वारा एकत्रित प्रीमियम की राशि	Amount of Premium collected by L.I.C. ..	84
1075. केरल के कोजीकोड जिले में लौह अयस्क निक्षेपों के संबंध में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Iron Ore deposits in Kozhikode, Distt. Kerala ..	84
1076. सम्भरकों की एक जाली फर्म द्वारा खेतरी कापर प्रोजेक्ट को धोखा देना	Cheating of Khetri Copper Project by a Bogus Firm of Suppliers ..	85
1077. औषधि उद्योग में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग	Full Utilisation of Potential capacity of Public & Private Sectors in Drug Industry ..	85—86
1078. रिक्शावालों, स्कूटर वालों और छोटे कारीगरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता	Financial Assistance Received by Rickshaw-walas, Scooterwalas and Small Artisans from Nationalised Banks ..	86—87
1079. जम्मू तथा काश्मीर की सहायता	Aid to Jammu & Kashmir ..	88
1080. अभावग्रस्त क्षेत्रों की राहत के लिये मध्य प्रदेश को ऋण	Loan to Madhya Pradesh for giving Relief to Scarcity hit areas ..	89
1081. तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Recovery of Smuggled Goods ..	89
1082. चोरी छिपे लाई गई रेशम तथा विलास सामग्री का पकड़ा जाना	Recovery of Smuggled Silk and Luxury Goods ..	89—90
1083. सुअर के बालों की तस्करी	Smuggling of Pig Hair ..	90
1086. गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में श्रमिक को गोली से मार डालना	Worker shot dead in Fertilizer Factory, Gorakhpur ..	90
1087. परिवार नियोजन अभियान में ढील	Decline in the Family Planning Campaign ..	91
1088. नई दिल्ली में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निवास क्षेत्र के लिये नई योजना बनाना तथा उसका विकास करना	Layout and Development of V.I.P. area in New Delhi ..	91—92
1089. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिये एशिया फाउन्डेशन द्वारा धन की व्यवस्था	Funds Provided by Asia Foundation to Indian Institute of Public Administration ..	92

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1114.	त्रिपुरा की जनसंख्या और अस्पतालों में पलंगों का अनुपात	Proportion of Hospital beds to population in Tripura ..	109—110
1115.	भारतीय अर्थ-व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank's Report on Indian Economy ..	111
1116.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अन्तरिम बोर्डों के निदेशकों को नामांकित किया जाना	Nomination of Directors of Interim Boards for Nationalised Banks ..	111—112
1117.	महाराष्ट्र में पनवेल के आरगैनिक कैमीकल्स परियोजना को पूरा करने में धीमी प्रगति	Slow Progress in completion of Organic Chemicals Project at Panvel in Maharashtra	112
1118.	कोयाली तेलशोधक कारखाने में कृत्रिम रबर का निर्माण करने की अनुमति	Permission to Manufacture Synthetic Rubber at Koyali Refinery ..	112—113
1119.	भारत पर विदेशी ऋण की बकाया राशि	Outstanding amount of India's Foreign debt ..	113—114
1120.	सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के पांच टाइप के क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Five Types of Quarters to Government Employees and Officers ..	114—115
1121.	पेट्रोल के लिए उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण	Survey of Uttar Pradesh for petrol ..	116
1122.	भूतपूर्व तथा वर्तमान केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा अधिकृत मकान	Houses owned by former and present Union Ministers ..	116
1123.	हैदराबाद स्थित रिजर्व बैंक आफ इंडिया की शाखा के कर्मचारियों द्वारा मैनेजर की मारपीट	Mishandling of Manager by Employees of R. B. I. Branch of Hyderabad ..	116—117
1124.	उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को बैंकों द्वारा ऋण देने के नये लक्ष्य निश्चित करने के सम्बन्ध में निर्णय	Decision to fix new Targets for Grant of Credit by Banks to Industrialists and Traders ..	117
1125.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of L. I. C. Employees ..	117—118
1126.	हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा तेल कम्पनियों को बैरलों की सप्लाई	Supply of Barrels to Oil Companies by Hind Galvanising and Engineering Co. ..	118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1128. राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि निकलवाना	Overdrafts by States ..	118—119
1129. विदेशों में राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक	Indian Banks Nationalised in Foreign Countries ..	119—120
1130. परिवार नियोजन संचार तथा कार्य अनुसंधान कार्यक्रम	Family Planning Communication and Action research Programme ..	120
1131. बम्बई और मद्रास में इंडियन ओवरसीज बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by staff of Indian overseas Bank in Bombay and Madras ..	120—121
1132. भारत में श्रमिक वर्ग की आय के बारे में पूर्वी जर्मनी के अर्थ-शास्त्रियों का कथित वक्तव्य	Reported Statement of East German Economists regarding income of working people in India ..	121
1133. ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks opened in Rural Areas. ..	121
1134. आस्ट्रिया के साथ ऋण संबंधी करार	Loan Agreement with Austria ..	122
1135. हरिजन बस्ती, नई दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों की विषम परिस्थिति	Deteriorating Conditions of J. J. Dwellers in Harijan Basti, New Delhi ..	123
1136. इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली दवाईयों के बारे में समाचार	News items regarding medicine manufactured by IDPL ..	123
1137. जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा और सामान्य बीमे के अतिरिक्त कार्य को बन्द किया जाना	Closure of business other than Life Insurance and General Insurance by L. I. C. ..	123
1138. एल० एस० डी० तथा अन्य हानिकर दवाइयों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	Restriction on use of L.S.D. and other harmful drugs	124
1139. लाटरी के इनाम के परिणामस्वरूप राशि पर आय कर	Income Tax on amount received as a result of Lottery Prize ..	124—125
1140. बम्बई में नारंग बन्धुओं की सम्पत्ति	Wealth possessed by Narang Brothers, Bombay ..	125

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.		
1141. कर्मचारियों के गृह निर्माण के लिए देना बैंक की रिजर्व निधि	Dena Bank's Reserve Fund for Employees' Housing ..	125—126
1142. गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में जनता का जमा किया गया धन	Public Deposits held by Companies in private sector ..	126
1143. श्री आर० के० सोनी द्वारा आय-कर तथा धन-कर की अदायगी	Payment of Income tax and Wealth tax by Shri R. K. Soni ..	126—127
1144. मीठापुर तथा गोवा उर्वरक परियोजना के मामलों को एकाधिकार आयोग के पास भेजना	Reference of cases of Mithapur and Goa Fertilizer Projects to Monopoly Commission	127
1145. जनरल अस्पताल, मनीपुर में कान, नाक, गला (ई एन टी) विशेषज्ञ तथा विकलांग विद्या (अर्थोपीडेक्स) के सर्जन की नियुक्ति	Appointment of ENT Specialist and Orthopaedics Surgeon in General Hospital, Manipur ..	127—128
1146. मनीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग से छटनी किए गये कर्मचारी	Retrenched workmen from the Manipnr P.W.D. ..	128
1147. मनीपुर के लिए एम० बी० बी० एस० की सीटें	M.B.B.S. seats for Manipur ..	128—129
1148. मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारी कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of work charged Employees of Manipur P.W.D. ..	130
1149. मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारी कर्मचारियों के लिये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता	Enhanced D. A. for Workcharged staff of Manipur P.W.D. ..	130—131
1150. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ तथा उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा अन्तरिम सहायता की मांग	Demand for Interim Relief by AIRF and NRWU ..	131
1151. बिहार में कृषि कार्यों के लिये कृषकों को दिया गया ऋण	Loans advanced to Farmers for Agricultural purposes in Bihar :	131

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1152. अमझोर के गन्धक खानों के श्रमिकों पर कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करना	Application to Coal Wage Board Award to Workers of Sulphur Mines at Amjhore ..	131—132
1153. भारतीय खान कर्मचारी संघ द्वारा अनुमोदित मांग-पत्र	Charter of Demands adapted by Indian Mine Workers Federation ..	132
1154. झुग्गी झोंपड़ी के स्वामित्व पर मतभेद	Controversy on Wonership of the Jhuggi Jhonpri ..	132—133
1155. ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	Oriental Fire and General Insurance Company Ltd. ..	133
1156. झग्गी झोंपड़ी बस्तियों के निवासियों द्वारा प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के सामने धरना	'Dharna' by Jhuggi Jhonpri dwellers before Prime Minister's House ..	133—134
1157. आय कर सम्बन्धी लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन	P.A.C. Report on Income tax ..	134—135
1158. दिल्ली वृहत् योजना	Delhi Master Plan ..	135
1159. मजूरी बोर्ड में वृद्धि के सम्बन्ध में इण्डियन बैंक एसोसिएशन और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ में बातचीत	Negotiations between Indian Banks Association and All India Bank Employees Association Re: Wage Increase ..	135—137
1160. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Grant of increased Wages by State Bank of India to its Employees ..	137—138
1161. औषधियों के मूल्यों में कमी का जनसाधारण पर प्रभाव	Impact of reduction in prices of Drugs on Common man ..	138
1162. विटामिन, खनिज प्रोटीन वाली ताकत की दवाइयों के मूल्य वृद्धि पर रोक	Check on price rise of tonics containing Vitamins, Minerals, proteins ..	138—139
1163. हैजे से हुई मौतें	Deaths due to Cholera	139—140
1164. तारा सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Tara Cooperative Housing Society, Delhi ..	141
1165. मैसूर राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Mysore ..	141—142

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1166. शेख अब्दुल्ला द्वारा आय-कर और धन-कर के विवरण दायर करना	Filing of Income tax and wealth tax Returns by Sheikh Abdullah ..	142
1167. प्लास्टिक की ट्यूबों तथा चादरों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Plastic Tubes and Sheets ..	142
1168. बहु - मंजिली आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट द्वारा योगदान	Contribution by LIC and Unit Trust for canstruction of Multi-storeyed Residential buildings ..	142—143
1169. कोलार सोना खनन उपक्रम का खान तथा धातु विभाग में हस्तांतरण	Transfer of Kolar Gold Mining Undertaking to Department of Mines and Metals ..	143
1170. वेतन आयोग की नियुक्ति के बाद मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices following the appointment of Pay Commission ..	143
1171. करों की वसूली के लिये अलग मंत्रालय	Separate Ministry for collection of Taxes ..	144
1172. पेट्रोल पम्पों के लिये एजेंसियां देने में कथित भेदभाव	Alleged discrimination in grant of Agencies for Petrol pumps ..	144
1173. पेन्शनधारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness allowance to pensioners ..	144—146
1174. शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों की कमी	Inadequacy of Customs Officers at Santa Cruz Air port ..	146
1175. आवास सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएं	Schemes introduced by L. I. C. of India to solve housing problems ..	146—147
1176. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए स्थान	Office accommodation for Central Government ..	147—148
1177. देश में मेडिकल कालेज	Medical Colleges in the Country ..	148—150
1178. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा तैयार की गई नई औषधियां	New Medicines prepared by Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. ..	150—151
1179. पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के सभी उपक्रमों द्वारा उत्पादित/निर्मित वस्तुओं का निर्यात	Export of Items produced/manufactured by all the Undertakings of the Ministry of petroleum and Chemicals and Mines and Metals ..	151

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्य U. S. Q. Nos.			

1180. संसद् सदस्यों को मकान बनाने के लिए प्लाटों का आवंटन	Allotment of Housing Plots to M.Ps.	..	152
1181. जीवन बीमा निगम की निधि को कल्याणकारी योजनाओं में लगाना	Investment of LIC Funds for Welfare Schemes	..	152
1182. कम लागत के मकान बनाने सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश	Recommendations of Expert Committee on Low Cost Housing Programmes	..	153
1183. बन्दर शाहपुर स्थान पर स्थापित होने वाली अमोनिया परियोजना प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के बारे में भारत तथा इरान के बीच मतभेद	Difference between India and Iran over proposed Joint venture of Ammonia Project to be set up at Bandar Shahpur	..	153—154
1184. जीवन बीमा निगम के एजेंटों के लिये उपदान योजना	Gratuity Scheme for Agents of Life Insurance Corporation.	..	154
1185. आनन्द बाजार पत्रिका लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income Tax by Ananda Bazar Patrika Ltd., Calcutta	..	154—155
1186. ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में विस्फोट तथा उसके फलस्वरूप उत्पादन में हुई हानि	Explosion in Trombay fertilizer plant and resultant loss in production	..	155—156
1187. आसाम के चाय बागानों तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच कथित संदेहपूर्ण आदान-प्रदान	Alleged Suspicious Dealings between Tea Estates of Assam and O. & N. G. C.	..	156
1188. दिल्ली के क्षय रोग अस्पतालों में रोगी-बिस्तर	Beds in T. B. Hospital in Delhi	..	157—158
1189. सामाजिक तथा निवारक औषध परीक्षा के स्तर को कम करना	Downgrading of examination of social and preventive medicine	..	158—159
1190. भारत के रिजर्व बैंक की ऋण गारंटी योजना	Credit guarantee scheme of Reserve Bank	..	159
1191. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेलाडिला में पेलेटाइजेशन सन्यन्त्र की स्थापना	Setting up of palletisation plant at Bailadilla by NMDC	..	159—160

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1192. पश्चिम बंगाल के आयकर अधिकारियों को प्राप्त हुई करापवंचन की शिकायतें	Complaints of tax evasion received by Income tax officers of West Bengal ..	160
1193. मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये अधिवास प्रमाण-पत्र पेश करना	Production of domicile certificates for admission to the Medical Colleges ..	160—161
1194. सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन	Selection of IAS Officers for posting in Public Sector Undertakings	162
1195. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में गार्डों को चौकीदारों (वाचमैन) के पद पर स्थायी करना	Confirmation of Guards as watchman in C. P. W. D. ..	163
1196. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पहरेदार और चौकीदारों को समयोपरि भत्ता देना	Grant of overtime allowance to Guards and Watchmen of C. P. W. D. ..	163
1197. उत्तर तथा दक्षिण एवेन्यू फ्लैट, नई दिल्ली के उपभवनों से बजरी तथा कंकर हटाना	Removal of gravel and pebbles from Annexes of Flates in North and South Avenues, New Delhi ..	163—164
1198. औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश को लागू करने के बारे में औषध निर्माताओं से विचार-विमर्श का ब्योरा	Discussion held with Drug manufacturers regarding implementation of Drugs (Prices Control) Order ..	164
1199. बरहानपुर स्थित स्टेट बैंक की एक शाखा द्वारा विद्युत् चालित करघा स्वामियों को ऋण दिया जाना	Loan to power loom owners by branch of State Bank of Burhanpur ..	164—165
1200. उत्तर प्रदेश में संरक्षित जल सप्लाई योजना पर धन लगाने में केन्द्र का अंशदान	Central share in Financing of protected water supply scheme in U. P.	165
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for adjournment ..	166
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to the Matter of Urgent Public Importance—	
ब्रिटेन की सरकार का दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्र की बिक्री पुनः आरम्भ करने का निर्णय	British Government's decision to resume arms sale to South Africa ..	167—173

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	168—169
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	169—173
संसदीय सौध के शिलान्यास समारोह के बारे में	Re. Foundation Stone Laying Ceremony of Sansadia Soudha ..	173
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	173—175
सदस्य की गिरफ्तारी तथा जमानत पर रिहाई	Arrest and release on bail of the Member ..	175
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	175
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill ..	176
(1) प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Select Committee	176
(2) साक्ष्य	(ii) Evidence	176
उड़ीसा में नये इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में याचिका	Petition Re. Setting up of a new steel plant in Orissa ..	176
भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Indo GDR Relations ..	176—177
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	176—177
अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	Advocates (Second Amendment) Bill—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Select Committee ..	177
यू० के० में भारतीय कुश्ती टीम के साथ दुर्व्यवहार के बारे में	Re. Ill treatment of Indian Wrestling Team to U. K. ..	178
संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक	Contract labour (Regulation and Abolition) Bill ..	178—192
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee ..	178
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	178—179
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin ..	179—181

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav		181
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	..	181—182
श्री एस कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	..	182—183
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	..	183—184
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Benerjee	..	184—185
श्री एस० डी० पाटिल	Shri S. D. Patil	..	185—186
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	..	186—187
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	..	187—188
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	..	188
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	..	188—190
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	..	190—191
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	..	191—192
श्री डी० संजीवैया	Shri D. Sanjivayya	..	192—193

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 3 अगस्त, 1970 / 12 श्रावण, 1892 (शक)
Monday, August 3, 1970/Sravana 12, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम के लिए दूसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में प्रधान मंत्री का आश्वासन

+
*151. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री जनार्दनन : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार आसाम में एक अन्य तेलशोधक कारखाने की स्थापना, अथवा वर्तमान तेलशोधक कारखाने की तेलशोधक क्षमता को 10 लाख टन से कुछ अधिक बढ़ा देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन समिति नियुक्त कर दी गई थी ; यदि हां, तो इस अध्ययन समिति के सदस्य कौन-कौन थे ;

(ख) क्या इस अध्ययन समिति ने तत्सम्बन्धी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय आसाम राज्य की सरकार से विचार-विमर्श किया था ; यदि नहीं, तो क्यों ;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) सरकार प्रधान मंत्री की उक्त घोषणा को किस निर्धारित समय तक क्रियान्वित करने जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (घ). एक विवरण-पत्र-सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) जी हां ; अध्ययन दल के निम्नलिखित सदस्य थे :

(1)	चेयरमैन, भारतीय तेल निगम	चेयरमैन
(2)	निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान	सदस्य
(3)	सलाहकार (पै० कै०) पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग	,,
(4)	मुख्य परियोजना अधिकारी पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग	,,
(5)	सदस्य (उत्पादन), तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	,,
(6)	प्रबन्ध निदेशक, (रिफाइनरीज तथा पाइपलाइन्ज प्रभाग), भारतीय तेल निगम	,,
(7)	प्रबन्ध निदेशक, (मार्किटिंग प्रभाग) भारतीय तेल निगम	,,
(8)	प्रबन्ध निदेशक, आयल इंडिया लिमिटेड	,,
(9)	सलाहकार भारतीय तेल निगम का रिफाइनरीज तथा पाइपलाइन्ज़ प्रभाग	,,
(10)	इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन का प्रतिनिधि	,,
(11)	संयुक्त सचिव (पेट्रोलियम)	,,
(12)	संयुक्त सचिव (कैमिकल्स)	,,

(ख) रिफाइनरी क्षमता तथा पैट्रोकेमिकल उद्योग समूह के विस्तार पर अध्ययन, संभाव्य अध्ययनों का स्वरूप है। उन रूप रेखाओं, जिन पर अध्ययन किये जा रहे थे, के बारे में 7 अप्रैल, 1970 को आसाम सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी और आसाम सरकार को सूचित किया गया था कि रिपोर्टें तैयार होते ही उनके साथ और परामर्श किये जायेंगे। रिपोर्ट पर 8-10 जुलाई, 1970 को आसाम सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की है, एक अतिरिक्त शोधन क्षमता से सम्बन्धित है और दूसरी पेट्रोकेमिकल उद्योग समूह से। इन रिपोर्टों में कार्यक्रम की रूपरेखा पूर्णतया प्रधान मंत्री के बयान के अनुरूप है। समिति के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(1) मौजूदा गोहाटी शोधनशाला के विस्तार से अतिरिक्त शोधन क्षमता का उत्पन्न किया जाना अधिकतम लाभप्रद और सर्वथा सम्भाव्य है,

(2) सम्बद्ध पैट्रोकैमिकल उद्योग समूह की स्थापना भी समीप में ही की जाये।

(3) आयल इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन क्षमता को केवल गोहाटी तक बढ़ा कर तेल क्षेत्र से शोधनशाला तक कच्चा तेल ले जाया जाये।

(4) अतिरिक्त मिलियन मीटरीटन शोधन क्षमता से लगभग 0.8 मिलियन

मीटरी टन उत्पाद फालतू हो जायेंगे जिनके परिवहन के लिये गोहाटी सिलीगुरी उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता में विस्तार किया जाये ।

(5) वर्तमान कीमतों पर द्वितीयक प्रोसेसिंग सुविधाओं की लागत शामिल करते हुए, कुल लागत 92 करोड़ रुपये से 94 करोड़ रुपये के लगभग होगी ।

(घ) रिपोर्टों की जांच हो जाने और निर्णय लिये जाने पर योजनाओं की कार्यान्विति की जायेगी ।

श्री धीरेश्वर कलिता : विवरण बहुत ही छोटा है मगर इसमें बहुत सी चीजें दी गई हैं । इसमें कहा गया है कि असम सरकार से अप्रैल और जुलाई में दो बार विचार-विमर्श हुआ था । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार से अध्ययन समिति की उपपत्तियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था और यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : जहां तक अध्ययन समिति की उपपत्तियों का संबंध है, उन पर 8 और 10 जुलाई के बीच असम से आये प्रतिनिधि मण्डल के साथ पूर्णरूप से चर्चा हुई थी । प्रतिनिधि मण्डल की प्रतिक्रिया यह थी कि वे अध्ययन समिति के प्रतिवेदन पर निकाले गये निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं था ।

श्री धीरेश्वर कलिता : असम सरकार से विचार-विमर्श किया गया था और देखा की वह उससे संतुष्ट नहीं थी । मेरे विचार से अध्ययन समिति की उपपत्तियों को भी असम सरकार को दिखाया गया था । असम सरकार की मांग क्या है ? क्या उसकी मांग खासकर यह है कि इस सदन में 5 दिसम्बर को प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा को कार्यान्वित किया जाये ? दूसरी बात यह है कि मुख्य प्रश्न के खण्ड (घ) के उत्तर में कहा गया है कि रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेते समय असम सरकार के मत को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

श्री दा० रा० चह्वाण : अध्ययन समिति के रिपोर्ट पर हुई चर्चा और परामर्शों के विभिन्न चरणों में असम सरकार का सहयोग लिया जाता है । जैसा मैंने पहले कहा निष्कर्षों पर आसाम सरकार के साथ चर्चा की गई थी । और असम सरकार उनसे संतुष्ट नहीं हुई ; निर्णय लेने के पूर्व भी हम असम सरकार से निरन्तर रूप से विचार-विमर्श करते रहेंगे ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैंने यह पूछा कि अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व असम सरकार से परामर्श किया जायेगा या नहीं ।

श्री दा० रा० चह्वाण : जी हां, उनसे परामर्श किया जायगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने जब गोहाटी का दौरा किया, तो उन्होंने वहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम में उपलब्ध कच्चे माल की मात्रा

से यह सिद्ध होता है कि वहां सरकारी क्षेत्र में एक से अधिक तेलशोधक कारखाने स्थापित किया जाना आवश्यक है, और यदि हां, तो जब प्रधान मंत्री ने सदन में 5 दिसम्बर को जो वक्तव्य दिया था, क्या वह विशेषज्ञों के प्रतिवेदनों पर आधारित नहीं था··

श्री पीलु मोडी : यह संभव है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सदन में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनु-सरण में गठित किये गये अध्ययन दल ने उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के ढंग के बारे में नहीं बताया है और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में हमें आवश्यक जानकारी देंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : पहले मैंने सदन में बताया था कि असम और गुजरात में पाये गये तेल भंडारों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन देने के लिए हमने एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अमरीकी फर्म को नियुक्त किया है । हमने कहा था कि असम और गुजरात में तेल की उपलब्धि के बारे में हमने उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद ही हम भविष्य की योजनायें निर्धारित कर सकेंगे ।

जहां तक प्रधान मंत्री के आश्वासन का सम्बन्ध है उन्होंने कहा था कि असम में अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता को, या तो वर्तमान कारखाने के विस्तार द्वारा या नया कारखाना स्थापित करके और डी० एम० टी० के लिये पेट्रोरसायन उद्योग समूह स्थापित करके बढ़ाया जा सकता है । यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आश्वासन के आधार पर आधारित है ।

यह पूछा गया है कि क्या वर्तमान तेलशोधक कारखाने का विस्तार करना मितव्ययी होगा अथवा नया कारखाना स्थापित करना । समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वर्तमान तेल-शोधक कारखाने का विस्तार करना आर्थिक दृष्टि से अलाभकर नहीं होगा । इस प्रतिवेदन पर असम सरकार से विचार-विमर्श किया गया था । मगर उसकी राय यह है कि नया कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए । इस बात पर मतभेद है ।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में क्या राय है ।

श्री त्रिगुण सेन : मैंने कहा कि सरकार ने एक परामर्शदात्री फर्म को नियुक्त किया है जो तेल की उपलब्धि का पता लगाने जा रही है ।

श्री हेम बरुआ : गोहाटी के तेलशोधक कारखानों के संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

डा० त्रिगुण सेन : जब फर्म का प्रतिवेदन प्राप्त होगा, तो हम निश्चित रूप से बता सकेंगे कि असम में कितना तेल उपलब्ध होगा । चूंकि हम त्रिपुरा और अन्य क्षेत्रों में तेल की खुदाई का कार्य करने जा रहे हैं, आशा है कि पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध होगा और हम एक तेल शोधक कारखाना स्थापित कर सकेंगे । यही मेरा अनुमान है ।

श्री लीलाधर कटकी : जब हमने असम में सरकारी क्षेत्र में एक दूसरे तेलशोधक कारखाने की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया, हमें बताया गया था कि असम में उपलब्ध कच्चा तेल उस किस्म का है । अन्तिम रूप से परिष्कृत उत्पादों के निर्माण वाले पेट्रोरसायन उद्योग समूह

के लिये इसे एक नये ढंग के कारखाना की आवश्यकता है। असम की जनता द्वारा यह आशा करना उचित ही था कि उन्हें नये प्रकार के दूसरे तेलशोधक कारखाने और पेट्रोरसायन उद्योग समूह प्राप्त होंगे। खण्ड (ग) के मद (4) से पता लगता है कि गोहाटी के तेलशोधक कारखाने की क्षमता के विकास से केवल परम्परागत उत्पाद ही प्राप्त होने वाले हैं, जिनका अतिरिक्त अंश गोहाटी सिलीगुड़ी उत्पाद पाइप लाइन को विकसित करके सिलीगुड़ी में ले जाया जाएगा। मैं इस संबंध में असली एवं अन्तिम स्थिति के बारे में निश्चितरूप से स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या असम में सरकारी क्षेत्र में नये ढंग के दूसरे तेलशोधक कारखाने और पैट्रो केमिकल्स उद्योग समूह की स्थापना की जा रही है या गोहाटी के तेलशोधक कारखाने का रूढ़िगत विकास किये जाने का विचार है जिसके अतिरिक्त उत्पादों को उत्पाद की पाइपलाइन का विकास करके सिलीगुड़ी ले जाया जाएगा ?

डा० त्रिगुण सेन : जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री ने 5 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा में घोषणा की थी।

सरकार ने निर्णय किया है कि चौथी योजना काल में असम की वर्तमान तेलशोधक क्षमता को, या तो वर्तमान कारखाने को विकसित करके या दूसरे कारखानों की स्थापना करके, इनमें जो भी आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक है, 10 लाख टन से अधिक तक बढ़ा दिया जाए। वर्तमान कारखाने से और इसमें प्रस्तावित विकास किये जाने के बाद उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एक समेकित पोलीएस्तर फैबर पैट्रो केमिकल्स उद्योग समूह की स्थापना की जाए, विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन इस घोषणा पर आधारित है।

श्री वेदव्रत बरुआ : उत्तर के खण्ड (ग) के संबंध में क्या समिति ने अतिरिक्त तेलशोधक क्षमता के बारे में भी अध्ययन किया और यदि हां, तो वह क्षमता सही में कितनी है। दूसरे, क्या पैट्रोरसायन उद्योग समूह के आकार और उसकी लागत का भी निर्धारण किया गया ? तीसरे, क्या आयल इण्डिया पाइप लाइन का विस्तार किया जायगा जबकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की क्षमता का निर्धारण नहीं किया गया है, तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन अगर केवल 3/4 टन है, तो क्या उसे आयल इण्डिया के साथ जोड़ दिया जाएगा ? एक अतिरिक्त पाइप लाइन क्यों न बनाया जाए ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार असम की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नियतरूप से यह कहेगी कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य का कार्यान्वयन किया जायगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या असम सरकार ने विकास योजना की रूपरेखा तैयार कर भेज दी है और क्या उस पर विचार किया जा रहा है ?

डा० त्रिगुण सेन : असम के तेलशोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता 7.05 लाख टन है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुसार इसको 17.5 लाख टन तक बढ़ाने का विचार है। विकास एवं पैट्रोरसायन उद्योग समूह की लागत अनुमानतः 92 से 96 करोड़ रुपए है। चूंकि गोहाटी तक तेल आयल इण्डिया पाइप द्वारा ले जाया जाता है, उसे अतिरिक्त 10 लाख टन तेल ले जाने के लिए विकसित किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हम दूसरी एक पाइपलाइन लगाना नहीं चाहते। पाइपलाइन वहीं है। दस लाख अतिरिक्त टन कच्चे तेल को ले आने के लिए इसका विकास किया जाएगा।

श्री पीलु मोडी : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उससे मुझे अब तक स्पष्टरूप से मालूम नहीं हुआ कि विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन को प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुरूप बनाया था या प्रधानमंत्री ने समिति के निष्कर्षों के आधार पर वक्तव्य दिया था।

डा० त्रिगुण सेन : विशेषज्ञों की समिति ने कहा था कि असम में करीब 10 लाख टन कच्चा तेल उपलब्ध होगा और उसका परिष्करण या तो वर्तमान कारखाने का विस्तार कर के या नया कारखाना स्थापित करके किया जाना चाहिए और यह कि 10 लाख टन का उपयोग पैट्रो-रसायन उद्योग समूह में किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति ने इसको भी अध्ययन किया कि वर्तमान कारखाने को विकसित करना लाभकर होगा या नया स्थापित करना। उन्होंने सिफारिश की है कि वर्तमान तेलशोधक कारखाने को विकसित करना ही लाभकर होगा।

विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मासिक मूल्य-सूचकांक

*153. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन् :**
श्री नारायणन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, 1969 से 30 अप्रैल, 1970 तक विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मासिक मूल्य सूचकांक क्या थे;

(ख) क्या यह सच है कि मई, 1970 में मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई थी और जिसका विश्लेषण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या जून और जुलाई 1970 में भी मूल्यों में अधिक वृद्धि जारी रही;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया; और

(ङ) मूल्यों में और वृद्धि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3816/70]**

श्री नि० रं० लास्कर : बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सरकार का असफल रहना हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। प्रश्न के उत्तर में दिए गए विवरण में अनेक सुझाव दिए गए हैं, परन्तु क्या सरकार समझती है कि इन उपायों के करने से कीमतों को रोका जा सकता है ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : माननीय सदस्य के मतानुसार मूल्यों का प्रश्न वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विशेषकर सरकार के लिए चिंता का विषय है। दिए गए विवरण में हमने मूल्यों के रुख का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही सरकार ने कार्यवाही की जो भी दिशा अपनाने का विचार किया है और जो दिशा पहले से अपनाई है, यहां उन सबका संकेत दिया है। यह आशा है कि ये उपाय प्रभावपूर्ण रहेंगे।

श्री नि० रं० लास्कर : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है कि हाल के महीनों में कीमतों पर दबाव मुख्यतः वाणिज्यिक फसलों, विशेषकर तिलहन और कपास के उत्पादन में

कमी के कारण हुआ है। दूसरी ओर धान का उत्पादन बढ़ा है फिर चावल के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : यह एक उचित प्रश्न है। हम यह जानते हैं कि एक ओर तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु दूसरी ओर दुर्भाग्य से मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। इस अन्तर्विरोध का स्पष्टीकरण करना चाहिए। मैं इस कारण को समझने का स्वयं प्रयास कर रहा था। इसके स्पष्ट रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक तो दालों से भिन्न अनाज के उत्पादन में कमी होना। दूसरे, चावल का फालतू उत्पादन बाजार में नहीं पहुंच रहा है। इसके कारणों का पता लगाना ही चाहिए। मूल्यों में होने वाली वृद्धि का यही कारण प्रतीत होता है।

Shri Atal Behari Vajpayee : Sir, at the time of presenting the General Budget, the Prime Minister in the capacity of Finance Minister had given an assurance that the prices were neither ruling high nor would they be allowed to rise in future. But from the statement placed on the Table of the House by the Hon. Finance Minister it is manifest that prices are still showing a rising trend which has made the living of the fixed income group people rather difficult. May I know what effective steps are being taken to hold the price line ? Has he applied his mind to this matter since took charge of the Ministry of Finance ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के पश्चात् मैंने इस प्रश्न पर सर्वप्रथम ध्यान दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। जो कार्यवाही हम कर रहे हैं उनका हमने संकेत दे दिया है क्योंकि मूल्यों के बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि किसी एक-आध कार्य को करने से मूल्य नियंत्रण में आ जायेंगे। कीमतों में वृद्धि के अनेक कारण हैं। अतः हमें कई दिशाओं में कार्यवाही करनी होती है उदाहरण के रूप में, चावल की उपलब्धता के मामले में दो मुख्य कारण हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम तो आवश्यक सप्लाई का होना और दूसरे संसाधनों को इस रूप से उभारना जिससे कीमतों में वृद्धि न आने पाये। इन दो मुख्य बातों पर कार्यवाही की गई है और इन दो दिशाओं में प्रत्येक आवश्यक कदक उठाये हैं। इतने पर भी मैं जानता हूं कि कीमतें बढ़ रही हैं। हम बड़ी सावधानी से स्थिति को ध्यान में रख रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : दिल्ली राज्य की सीमा के बाहर चावल 76 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है जबकि सरकार के हिसाब में 110 रुपये प्रति क्विंटल अथवा इससे भी अधिक पर बिकता है। वर्ष 1966-67 में गम्भीर अकाल की अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिहार में मोटे चावल का मूल्य 62 रुपये प्रति मन था। जब उपलब्धता में कोई कमी नहीं आई है तो क्या यह सरकार का कुप्रबन्ध नहीं है जिससे कि बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त कीमतों में इतनी वृद्धि हुई है, कम से कम चावल के मामले में तो 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य को इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि हम खाद्यान्नों के मूल्य का पूर्ण विश्लेषण करें तो चावल से भिन्न अन्य खाद्य वस्तुओं के मूल्य में कमी हो रही है—**(अन्तर्बाधाएं)** उदाहरणतया ज्वार को ही लें। माननीय सदस्य विवरण में अनुबन्ध 2 को देखें जिसमें हमने गतवर्ष और इस वर्ष के तुलनात्मक उतार-चढ़ाव की प्रतिशतताएं दी हैं··· **(अन्तर्बाधाएं)** सामान्य मूल्य सूचकांक बढ़ता जा रहा है। जिस बात का मैंने दावा किया वह तो बिल्कुल भिन्न है।

अधिक अच्छा होगा कि समस्या को अपने मूल रूप में समझा जाये। यदि इसी प्रकार दोष दिया जाता रहा तो सरकार अवश्य ही उन्हें अपने हाथ में ले लेगी। परन्तु सर्वप्रथम तो हमको शक्तियों और स्थिति को उनके वास्तविक स्वरूप में ही समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने यह अवश्य ही कहा है कि मूल्यों का सामान्य सूचकांक बढ़ रहा है। परन्तु कहीं तो उसके कारणों का पता लगाना ही पड़ेगा। एक बात तो यह है कि तिलहन और कपास जैसी कुछ औद्योगिक कच्ची वस्तुओं की कमी के कारण ही कीमतों पर दबाव पड़ा है। यही एक वास्तविक मुख्य कारण है जिससे मूल्यों के स्तर पर दबाव पड़ रहा है।

Shri Prem Chand Verma : It will be observed from Annexure I that prices of salt have risen by 25 percent in nine months and that of Mill made cloth and Handloom cloth by about 8 percent. A part from that oil prices have also risen by 15 percent. Keeping in view the fact that there is no major difference in the production of cloth and salt, may I know whether it is not a fact that people are indulging in hoarding and black-marketing? What steps Government propose to take to stop hoarding ? Secondly, has the industrial production not suffered a setback by the strikes taking place all over the country? Who is responsible for these strikes ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सच है कि देश के कुछ भागों में श्रम सम्बन्धी परिस्थितियों से औद्योगिक उत्पादन कुछ सीमा तक प्रभावित हुआ है।

Shri Rabi Ray : The Hon. Minister himself admits that the price index has risen. He has given only the whole sale price index. Will the Hon. Minister also give the retail price index ?

Secondly, what is the cost prices and the sale prices of sugar, kerosene oil, salt etc. and what is the co-relation between the two set of prices? What steps Government propose to take to extinguish the excessive margin of profit ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो आंकड़े मेरे पास अब उपलब्ध हैं उनमें ब्यौरेवार सूचना नहीं है।

Shri Rabi Ray : When will these be made available. The Hon. Minister should be asked to give the statistics of the retail prices also.

Shri Y. B. Chavan : He may table the question.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मूल्यों में वृद्धि और स्फीति की स्थिति से सरकारी कर्मचारी औद्योगिक श्रमिक, और विशेषकर सफेद कालर वाले श्रमिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि उत्पादन शुल्क में प्रति वर्ष वृद्धि होने से मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यह भी कारणों में से एक है। दूसरा कारण यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रथम तो कागज, वनस्पति तथा अन्य ऐसी वस्तुएं जिनकी कमी है, जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरे, इस बात को देखने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि उत्पादन शुल्क में प्रतिवर्ष अन्धाधुन्ध वृद्धि न हो सके, जिससे अर्थ-व्यवस्था में संवेग लाने वाली स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कुछ माननीय सदस्यों से मुझे इस प्रश्न की आशा थी। परन्तु विश्लेषण करने के पश्चात इस बात का पता लगा है उत्पादन शुल्क आदि का भार अथवा प्रभाव विचारणीय नहीं है। मेरे पास बजट पूर्व तक के इन मदों में कुछ तैयार वस्तुओं का सामान्य

सूचकांक है । यदि इन आंकड़ों की तुलना की जाये तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि 28 फरवरी 1970 को सूचकांक 173.7 था जबकि 7 मार्च 1970 को 175.7 था, अर्थात् लगभग 1.2 प्रतिशत का अन्तर था । मैं इसे इतना विचारने योग्य नहीं समझता ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मूल्यों की गणना करने के लिये वर्ष 1961-62 को आधार वर्ष माना गया है । मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं और इनके कम होने की कोई आशा नहीं है । इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार का वर्ष 1970-71 को नया आधार वर्ष निश्चित करने का कोई विचार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसका एक कारण यह है कि हमें उन मूल्यों को ध्यान में रखना होगा जो हम उत्पादकों को दे रहे हैं ; कृषि उत्पादन के मामले में अन्ततोगत्वा उन मूल्यों का प्रभाव प्रड़ता है जो हम उत्पादकों को दे रहे हैं । हमारी नीति उत्पादकों को दिये जा रहे मूल्यों को कम करने की नहीं है ।

श्री रंगा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस आशय की ओर दिलाया गया है कि उपभोक्ता सूचकांक और जीवन यापन के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद गत 4 अथवा 5 महीनों में धान, गन्ना, गुड़ और तम्बाकू के मूल्य अत्यन्त तेजी से घटे हैं ? क्या सरकार ने कृषकों के हितों की सुरक्षा करने के बारे में कभी कुछ किया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने उन उपायों का संकेत कर दिया है जो हमने अनेक दिशाओं—चावल की खरीद, वित्त-नीतियां, धनसप्लाई सम्बन्ध नीति आदि–में उठाये हैं । यदि माननीय सदस्य विवरण को देखेंगे तो उन्हें संतोष हो जायेगा ।

Shri Yajna Dutta Sharma : Sir, the Hon. Minister just now tried to relate the rise in prices to the availability of commodities and to other economic factors but has he some other factors having a bearing on the prices. Government had recently reduced the prices of certain drugs to give some relief to the people. Is he aware of the fact that the prices of sulpher drugs have registered a rise of more than 50 percent and major drugs manufacturing companies have pooled their stocks ? What steps Government are taking to arrest such a trend ?

अध्यक्ष महोदय : नियम समिति में एक प्रश्न उठाया गया था कि यदि 5 सदस्य मिलकर एक प्रश्न करें तो क्या प्रश्न करने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं । समिति के सदस्यों का यह मत था कि जब हम एक दिन में 3 या 4 प्रश्न से अधिक नहीं ले सकते तो यह अच्छा होगा कि तीन से अधिक अनुपूरकों की अनुमति न दी जाए और वह भी उस स्थिति में यदि 5 सदस्य मिलकर कोई प्रश्न करें । इसका पालन करना आप पर ही निर्भर करता है । जब ऐसे प्रश्नों पर 2 या तीन अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति मिल जाती है तो अन्य सदस्यों को खड़े होने का कष्ट नहीं करना चाहिए ।

Shri Atal Behari Vajpayee : If the Hon. Home Minister think proper he can get reply from the Health Minister.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि वे वास्तव में मेरे अन्य सहयोगी से उत्तर चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वे अलग से उनसे ही प्रश्न करें । जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है मेरे पास ब्यौरेवार सूचना नहीं है ।

Shri Kunwar Lal Gupta : Sir, you may kindly ask the Hon. Minister to give a statement here. Drugs/medicines are not available in the market of Delhi. At least 50 persons have

complained to us regarding non-availability of drugs/medicines. Only those medicines are available whose prices were increased. (**Interruption**). They have allowed producers to earn profits amounting to crores of rupees and that is why people say that all this has been done after taking political donations etc. (**Interruptions**).

Shri S. M. Joshi : May I know whether the advance of loans by the Nationalised Banks to persons who desire undue benefit from them resulting in inflationary pressures is one of the factors contributing to the rise in prices? How far it is correct ? Whether deficit financing which has exceeded Governments expectations is also one of the factors contributing to price spiral ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने ठीक बात ही कही है। परन्तु मैं उनका ध्यान रिजर्व बैंक के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इस स्थिति को स्वीकार किया गया है और जनवरी से इसके लिए अनेक कदम उठाएं गये हैं। जब दिसम्बर में मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हुई तब ही रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाएं थे। उन्होंने ब्याज बढ़ा दिया है और ऐसे पदार्थों के लिए दिये जाने वाले ऋणों की सीमा घटा, जिनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव अधिक होता है।

पंजाब में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ऋण

\+

*154. **डा० सुशीला नैयर** : **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** :
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री मयावन** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिये 270 लाख डालर का ऋण मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) भारत सरकार ने 24 जून, 1970 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, पंजाब की एक कृषि ऋण प्रायोजना के लिए, जिसके अन्तर्गत 8000 ट्रैक्टर और कृषि संबंधी अन्य मशीनें प्राप्त की जानी हैं, 2.75 करोड़ अमरीकी डालरों (20.63 करोड़ रुपये) के एक ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये।

(ख) ऋणों का परिशोधन 50 वर्षों में करना पड़ता है जिनमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता लेकिन इन पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत के बराबर सेवा-प्रभार देना पड़ता है।

डा० सुशीला नैयर : क्या इस ऋण का उपयोग सूखे क्षेत्रों में कृषि के लिये किया जायगा अथवा किन्हीं अन्य विशेष योजनाओं के लिये भी उसका उपयोग होगा ? सरकार इस ऋण को पंजाब को किन शर्तों पर देगी। क्या ऋण राज्य सरकार को अथवा किसानों को व्यक्तिगत रूप से दिये जायंगे। उनके उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : पंजाब सरकार ने एक कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना की है। उन्होंने कुछ योजनाएं तैयार की हैं जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) के साथ करार किया गया है। स्वभावत: ऋण भारत सरकार को मिलेगा और पंजाब सरकार के माध्यम से उक्त निगम को मिलेगा। योजनाओं पर और ऋण की वापसी के ढंग पर विस्तार से विचार कर लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये गये ऋण पर साधारणत: चौथी योजना की परियोजनाओं तक सीमित हैं। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं।

डा० सुशीला नैयर : क्या अन्य राज्यों को भी इस प्रकार के ऋण दिये जाने की सम्भावना है ? इस करार के अन्तर्गत प्राप्त ऋण से खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अन्य राज्यों के भी अपने अपने कार्यक्रम हैं। हम अन्य राज्यों के लिये भी कुछ योजनाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र की कुछ योजनाएं हैं। यथासमय उन पर विचार किया जायगा। पंजाब में जहां कृषि का कुछ अधिक विकास हुआ है, वहां स्वाभाविक रूप से यन्त्रीकरण से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की आशा की जाती है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether it is a fact that in the matter of advancing loans for Agricultural purposes to the states like Punjab, the Prime Minister, while acting as Finance Minister, had directed the Managers of nationalized banks to grant loans only to the supporters of Indicate congress ? Is it a fact that by using such pressure large part of the loans were given to the supporters of Indicate congress and only ten per cent of the loans were given to others ?

श्री स० कुण्डू : क्या ऋण उन्हीं राज्यों को दिये जाते हैं जो कुछ योजनाओं के साथ केन्द्र के पास पहुंचते हैं, अथवा ऐसे ऋणों के अन्य प्रकार से उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई नीति है ? देश में दो प्रकार के राज्य होने के क्या कारण हैं ? कुछ पिछड़े राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देश की प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय से कम है। पंजाब की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देश की प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय से अधिक है। क्या केन्द्रीय सरकार की कोई इस प्रकार की नीति है जिसके अधीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त होने वाले ऋणों को राज्यों के आधार पर वितरित न किया जाये अपितु केन्द्रीय सरकार को यह भी देखना चाहिए कि उन ऋणों का कुछ भाग पिछड़े राज्यों को दिया जाये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह अत्यन्त संगत प्रश्न है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बारे में हम किसी राज्य की प्रगति भाग को ही ध्यान में नहीं रखते। जैसा कि हम अन्य राज्यों की योजनाओं पर भी विचार कर रहें हैं। इस योजना के अन्तर्गत केवल कृषि मशीनें ही आयात नहीं की जाती हैं। कई मामलों में ऐसी योजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा जिनमें भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाना और भूमि का विकास करना भी सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ मध्य-प्रदेश सरकार की चम्बल क्षेत्र के विकास की एक परियोजना है। मध्य-प्रदेश भी एक प्रकार का पिछड़ा राज्य है। इस प्रकार सभी राज्यों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है।

श्री स० कुण्डू : सरकार की नीति क्या है ? क्या जो परियोजनाएं राज्य सरकारों से आती हैं, उन्हीं को आप समर्थन देते हैं अथवा कोई इस प्रकार की नीति भी है कि कुछ राज्यों में उपयुक्त परियोजनाएं चालू की जाएं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम दोनों बातें करते हैं। कुछ राज्य पहल करते हैं उन्हें हम ऐसा करने से रोक नहीं सकते। कुछ राज्यों के साथ मामला हम स्वयं उठाते हैं।

श्री सोनावने : मुझे प्रसन्नता है कि पंजाब को 2.75 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त ऋण का कुछ महत्वपूर्ण भाग पिछड़े वर्ग के किसानों को भी दिया जायेगा अथवा पूर्णरूप से इसे धनी किसानों को ही दिया जाएगा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह प्रश्न कृषि के लिये आधुनिक मशीनों के दिये जाने का है। यह प्रगतिशील किसानों को दिया जाएगा। मैं नहीं जानता कि वे धनी हैं अथवा नहीं।

स्वास्थ्य मंत्रियों तथा मेडिकल कालेजों के अध्यक्षों का सम्मेलन

+
*155. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :
श्री हेमराज :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान चिकित्सा शिक्षा के संपूर्ण ढांचे पर पुनर्विचार करने के लिये हाल में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल कालेजों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में हुये विचार-विमर्श का ब्योरा क्या है और उसमें क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में किये गये विचार-विमर्श का ब्योरेवार सार-वृत्त और निष्कर्ष का विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा। देखिए संख्या एल० टी०-3817/70]**

श्री चेंगलराया नायडू : विवरण से पता चलता है कि सम्मेलन ने ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिये स्थानों की व्यवस्था करने में रुचि नहीं ली है। सदा से ही नगरों के लोग जो नगरीय जीवन के आदि हैं, डाक्टर बनते हैं और परिणाम यह होता है कि जब ऐसे लोगों को गांवों में काम करने को कहा जाता है तो वे इंकार कर देते हैं। क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखेगी ? सम्मेलन में निर्णय लिया गया है कि पांच प्रतिशत स्थान उन विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने का वचन देंगे। श्रीमान जी, 85% लोग ग्रामों में रहते हैं। उनके लिये 5% स्थानों के आरक्षण का क्या महत्व है ? जबकि 15% जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों के लिये 95% स्थान रखे गये हैं। यह अन्याय है। क्या सरकार कम से कम 50% स्थान उन लोगों के लिये सुरक्षित रखेगी जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने का वचन देते हैं।

श्री ब० सू० मूर्ति : दाखलों के मामलों में ग्रामीण अथवा शहरी पृष्ठ भूमि के आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। दाखले प्राप्त अंकों तथा गुण-दोष के आधार पर दिये जाते हैं। इसलिये हमने यह कदम उठाया है कि आवश्यक अंकों तथा गुणों के साथ-साथ हम पांच प्रतिशत स्थान ऐसे लोगों के लिये सुरक्षित रखें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने को उद्यत हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : मुझे मंत्री महोदय की गुणों के सम्बन्ध में कही बात समझ में नहीं आती। क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त अंक नहीं मिलते, क्या आप समझते हैं कि मंत्री अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक गुणवान हैं? यदि आप 50% स्थानों के आरक्षण की बात स्वीकार नहीं करते तो समाजवाद की आपकी सभी बातें नारा मात्र हैं।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : प्रश्न यहां अथवा वहां की अधिक बुद्धिमत्ता का नहीं है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अधिक अंक प्राप्त करते हैं। यदि दाखलों के आंकड़ों का अध्ययन किया जाये तो हम पाते हैं कि अधिकतर प्रथम आने वाले छात्र गांव के ही होते हैं। परन्तु बात यह है कि वे नौकरी के लिये गांवों में वापस नहीं जाना चाहते।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें लोगों ने गांवों में नौकरी करने से इन्कार किया हो?

श्री के० के० शाह : मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। यदि आप दाखलों के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि पहले अनुसूचित जातियों के छात्र एक निश्चित प्रतिशतता से अधिक अंक नहीं प्राप्त करते थे, अब वे अन्य छात्रों का मुकाबला कर रहे हैं। कभी-कभी हमें उन्हें बचे हुये स्थान देने होते हैं।

श्री हेम राज : विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के 50% औषधालय बिना डाक्टरों के चल रहे हैं जबकि सरकार ने निश्चय किया है कि 5% स्थान ऐसे छात्रों के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे जो गांवों में सेवा करने का वचन देते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने ऐसे ब्लाक हैं जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है और उन केन्द्रों में डाक्टरों की व्यवस्था करने में कितने वर्ष लगेंगे जबकि 60 से 65% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को चिकित्सीय कालिजों में दाखला नहीं दिया गया है?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह सच है कि कालेजों से पढ़कर आने वाले छात्र नगरीय क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं। एक अनुमान के अनुसार 68% डाक्टर नगरों और नगरीय क्षेत्रों में हैं। 32 प्रतिशत डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। आरम्भ में 5 प्रतिशत स्थानों की ही व्यवस्था की गई है। बाद में आवश्यकता पड़ने पर यह प्रतिशतता बढ़ाई जा सकती है और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कई अन्य सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, इस समय मैं बिना डाक्टरों के चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सोनावने : सरकार स्थानों की प्रतिशतता क्यों नहीं बढ़ाती ? अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को समझना बहुत कठिन है।

श्री हेमराज : छात्रों ने 60 से 65 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किए हैं फिर भी उनको मेडिकल कालिजों में दाखिला नहीं दिया गया। इसका क्या कारण है? हमें बताया गया है कि सरकार मेडिकल कालिजों में सीटें बढ़ाएगी।

श्री के० के० शाह : यह सच है कि कुछ राज्यों में आवेश्यकता से अधिक डाक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान ने छात्रों की प्रवेश संख्या को छ: सौ से घटा कर पांच सौ कर दी है। उसका कहना है कि उसके पास पहले ही डाक्टरों की अधिकता है और उसे अतिरिक्त डाक्टरों की आवश्यकता नहीं है। मैं 100 छात्रों के मामले पर राजस्थान सरकार से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि अतिरिक्त 100 छात्रों पर होने वाले व्यय को केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और वह शेष भारत से छात्रों को राजस्थान में भेजेगी यह स्थिति है।

Shri Prakash Vir Shastri: Mr. Speaker, Sir, may I know whether it has come to the notice of the hon. Minister that there is a large number of students seeking admission in Medical Colleges and that there is a medical college in Mysore which takes a bribe of Rs. 25 thousand to Rs. one lakh from a student desiring admission in that college and there are certain MPs who have direct connections with that medical college, if so, whether the fact of large number of students seeking admission in Medical Colleges accounts for the acceptance of graft?

Secondly, what is the reaction of the hon. Minister to Shri Vijay Kumar Malhotra's request to the Central Government to start a evening shift as is being done in other colleges with a view to meeting the shortage of doctors?

Shri K. K. Shah: As regards the first question I would not say that these medical colleges take graft. But it is true that there is one medical college which takes capitation fee. I have been informed that in addition to capitation fee they receive donations. I am looking into that. You will be glad to know that we have taken a decision at a conference to go into the economics of the college charging capitation fee and if possible to give them grants to help them make up the entire deficits and to take all their seats for allotment by the Centre. So far as the expenditure involved on the implementation of this recommendations is concerned, I shall be in a position to say anything only after I have discussed the matter with the Finance, Ministry. Off hand I cannot say something definite.

Another thing which I want to tell is this that recommendation for increasing the number of seats or if possible to commission the second shift in Maulana Azad Medical College has been made by us and similar recommendation has also been made by them. But unfortunately, it is learnt, although no official intimation has been received, that Medical Academy has rejected the recommendation. However, we are making efforts that Academy should revise its decision.

Shri B. P. Mandal: May I know whether at the conference of Health Ministers and Heads of the medical colleges the problem of shortage of seats in medical colleges and inadequacy of medical facilities in several populous states in comparison to large number of seats and more facilities in sparsely populated states was also discussed or not?

Shri K. K. Shah: Planning Commission has taken a decision that a medical college may be sanctioned for every 50 lakhs of people. But this is different in the case of union territories because they are having small population. For example Delhi is a union territory having less population but still one college has been provided. You will appreciate why we are treating Delhi on a different footing.

Shri Kanwar Lal Gupta: Delhi has more literates. You are giving step motherly treatment to Delhi.

Shri K. K. Shah: I would like to tell the Hon. Member that at present 95 per cent colleges have established on the basis of one each for fifty lakh people. At least here you will

have to agree with me. Now in the case of new medical colleges to be opened in future due consideration will be given to this aspect that whenever there is some kind of difference on the population basis, that will be rectified.

श्री लोबो प्रभु : इस प्रश्न में कई आवश्यक सिफारिशें की गई हैं। मैं उन्हीं तीन सिफारिशों के बारे में बोलूंगा जो जनता के हित में है। पहला सुझाव अनुज्ञा प्राप्त पाठ्यक्रम के बारे में है। अनुज्ञा प्राप्त पाठ्यक्रम को पुनः चालू करने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिससे हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डाक्टर उपलब्ध हो सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को शुरू करने में व्यय भी कम आएगा और यह पाठ्यक्रम थोड़ी अवधि के लिए होता है।

मेरा दूसरा प्रश्न प्रति छात्र फीस से सम्बन्धित हैं। मेरे माननीय मित्र ने मैसूर के एक कालेज का हवाला दिया जो 1 लाख रुपये तक की धन राशि प्रति छात्र फीस के रूप में लेता है...

एक माननीय सदस्य : एक लाख नहीं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सिर्फ प्रतिछात्र फीस ही नहीं, चन्दा और रिश्वत वगैरा ली जाती है।

श्री लोबो प्रभु : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। परन्तु मेरे विचार में दो महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला यह कि प्रवेश योग्यतानुसार दिया जाना चाहिए और दूसरा प्रति छात्र फीस विवरण-पत्र में दी जानी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन सुझावों को व्यवहारिक रूप देगी ? परन्तु इस विषय में एक तीसरा सुझाव और भी है। वह यह कि सरकार इन कालेजों को अपने हाथों में ले ले। देश में कालेजों की कमी है। सरकार कालेजों को अपने हाथ में लेना चाहती है। इस कार्य पर व्यय करने की अपेक्षा क्या नया कालेज खोलना अपेक्षाकृत अच्छा नहीं होगा ? मेडिकल शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए नए संस्थान खोलने चाहिए।

मेरा अन्तिम प्रश्न बिलकुल सरल है। मेरे माननीय मित्र ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डाक्टरों की सीटों के आरक्षण की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए डाक्टरों को उत्साहित करने सम्बन्धी अच्छे सुझाव दिए गए हैं। क्या माननीय मंत्री इन सुझावों को बिना किसी विलम्ब के क्रियान्वित किए जाने के लिए कार्य करेंगे ?

श्री के० के० शाह : जहां तक अनुज्ञा प्राप्त पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, इस पर न केवल इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई है बल्कि बाद में भी चर्चा की गई है। आपको स्मरण होगा कि अनुज्ञा प्राप्त पाठ्यक्रम पहले चल रहा था और उसे बन्द कर दिया गया था क्योंकि सेवाओं के कारण भी श्रेणियों में वरिष्ठता तथा अन्य चीजों में काफी अन्तर आ गया और सैकड़ों कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। समाकलित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी···

श्री लोबो प्रभु : इंजीनियरों की भी तो दो श्रेणियां हैं।

श्री के० के० शाह : जब उन्होंने एम० बी० बी० एस० बनना चाहा हमें गुजरात में डेढ़ वर्ष का पाठयक्रम शुरू करना पड़ा और उन्हें अन्तरंग डाक्टर बनने की अनुमति देनी पड़ी। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यह कहा कि उनके यहां डाक्टरों की अधिकता हो गई है। मैंने राजस्थान का उदाहरण पहले दिया था। इसी प्रकार एक या दो राज्यों में भी इसी बात की सम्भावना है।

जब कुछ राज्यों के मेडिकल कालेज प्रवेश देने की स्थिति में हों, उस समय अनुज्ञा प्राप्त पाठ्यक्रम शुरू करना कठिन हो जाएगा। भारत में भारतीय औषधियों होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के लिए परिषद् बनी हैं और जो डाक्टर इन पद्धतियों में काम कर रहे हैं, वे उपलब्ध होंगे..

श्री लोबो प्रभु : उनकी कोई मांग नहीं है।

श्री के० के० शाह : चार वर्षों में हमारे सामने यह कठिनाई आएगी कि प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को डाक्टर कैसे बनाया जाए ? अतः हमने सोचा है कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया जाए कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रवृत्त हो सकें। सम्मेलन में भी ऐसी ही सिफारिश की गई है। चलते-फिरते हस्पातलों में भी गत वर्ष के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के और वहां के केम्पों में ठहरने के योग्य हो सकेंगे ताकि छात्र होने के नाते उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसके अलावा वे अन्तरंग डाक्टर भी बन सकें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि विभिन्न राज्य भी इसकी पुष्टि करेंगे और मुझे आशा है कि वे इन सिफारिशों को मान लेंगे, हालांकि यह निश्चितरूप से नहीं कहा गया है कि 6 महीनों के लिए वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं शोचनीय हैं। सम्मेलन ने साथ ही साथ यह भी सिफारिश की है कि 5 प्रतिशत सीटें उन छात्रों के लिए आरक्षित रखी जांए जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्र के 85 प्रतिशत भाग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जो छात्र गांवों में जाने को तैयार है उनके लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाऐंगी ?

श्री के० के० शाह : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया संयुक्त योजना पर ध्यान दें। (1) जो छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये मान जाये उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए। (2) 5 प्रतिशत सीटें अभी आरक्षित की जांए। (3) जो 6 डाक्टर दूर के दुर्गम ग्रामीण प्रदेश में जांए उन्हें 150 रु० अतिरिक्त भत्ता दिया जाए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह कूटनीति है। माननीय मंत्री यह क्यों नहीं कहते कि 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएंगी ?

श्री म० ला० सोंधी : मंत्री महोदय ने दिल्ली का खूबसूरत नक्शा पेश किया है। क्या यह सत्य नहीं है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले काफी छात्रों को दिल्ली में और दूसरे राज्यों में भी प्रवेश नहीं मिलता है जबकि दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों को दिल्ली में प्रवेश मिल जाता है ? दूसरे, दन्त चिकित्सा जैसे विशिष्ट पहलुओं की दिल्ली में उपेक्षा की जाती है। अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान का विचार दन्त विज्ञान का एक कालेज बनाने का था परन्तु योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई।

श्री के० के० शाह : मैं आंकड़े बताता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि श्री सोंधी और श्री गुप्त मेरी बात से सहमत होंगे। मेरे पास एक वक्तव्य है जिससे पता चलता है कि जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से दिल्ली में अस्पतालों अथवा प्रवेश की स्थिति काफी बेहतर है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यह सच है कि 64 या 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को

प्रवेश नहीं मिला। मेरे विचार में लगभग 67.7 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश मिल गया था।

जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, पूना में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिला। अतः सौभाग्यवश, पूना ने सीटें बढ़ाने की बात स्वीकार कर ली है। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी सीटें बढ़ाने के लिये राजी हो जाये। इस प्रकार से स्थिति में थोड़ा सुधार होगा।

श्री शशि रंजन : माननीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 5 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात की है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सम्बद्ध बात के लिये सरकार यह समझती है कि 5 प्रतिशत सीटें बढ़ाने से काम चल जाएगा। ग्रामीण मकानों के लिए भी सरकार ने 5 प्रतिशत के आंकड़े दिए हैं। क्या सरकार ने केवल मेडिकल कालिजों में छात्रों के प्रवेश पर चर्चा की ? दूसरी बड़ी कठिनाई यह है कि जो छात्र कालेजों में पढ़ रहे हैं उन्हें उचित प्रोफेसरों के अभाव में पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल रही। कालेजों के ऐसे कई विभाग हैं जहां 5 वर्षों से अपेक्षित प्रोफेसरों के बिना चल रहे हैं। गुटबाजी के कारण किसी को भी नियुक्त नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, रांची मेडिकल कालेज के बाल चिकित्सा विभाग में गत पांच वर्षों से कोई प्रोफेसर नहीं है। गुटबाजी के कारण किसी को भी नियुक्त नहीं किया जाता। क्या इस विषय पर आपका ध्यान गया है ?

श्री के० के० शाह : यह सही बात है। डाक्टरों एवं विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी दिल्ली छोड़ने की प्रवृत्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। शिमला तक में मुझे 29 प्रोफेसर नहीं मिले। पंजाब ने इसको अलग करने की धमकी दी है। सौभाग्यवश, चंडीगढ़ ने कुछ डाक्टरों को भेजने के लिये हामी भरी है।

जब भी किसी प्रोफेसर का स्थानान्तरण होना होता है, स्थानान्तरण रोकने के लिये मुझ पर सब ओर से जोर डाला जाता है। मैं इस प्रवृत्ति को दबाने के लिये माननीय संसद सदस्यों की सहायता की अपेक्षा करता हूं।

Shri Randhir Singh : What is the percentage of nominations from rural areas in respect of seats in Maulana Azad Medical College and other Medical Colleges in Delhi and other States. It is possible that at present you may not be in a position to give exact figures but at least you can give rough figures regarding percentage. It is not fair that you should take only such candidates who are prepared to serve in rural areas. If such is a condition, all will be willing to go. But what will be the percentage of the students who belong to rural areas or whose parents are living in rural areas. You say that Naxalites are growing. But they are fighting for their rights. In regard to rural people I am also a Naxalite. May I know whether you will reserve 70 to 75 percent seats for students who belong to rural areas and if not the reasons thereof ?

श्री के० के० शाह : मुझे सभी 95 कालेजों से आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए हैं। समग्र रूप से जिस न्यास से मेरा सम्बन्ध है, उसके अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि सारे मेधावी छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के ही होते हैं और मेधावी छात्रों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश मिल जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी कारों की तस्करी

*156. **श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री मनुभाई पटेल :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री राम गोपाल शालवाले :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व अधिकारियों ने भारत में मूल्यवान विदेशी कारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है तथा विभिन्न राज्यों से अनेक कारें बरामद हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये गिरोह के बारे में ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तो उनकी संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय-शुल्क अधिकारियों की सहायता से 9-6-70 और 1-7-70 के बीच कई स्थानों में 8 कारें पूरी तरह ठीक और एक कार विघटित हालत में पकड़ी। मोटर कारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय पास (ट्रिपटिक) प्रणाली के अंतर्गत कई विदेशी पर्यटकों द्वारा इन कारों का भारत में आयात किया गया बताया गया था। परन्तु उक्त प्रणाली की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर इन कारों का भारत से पुनः निर्यात नहीं किया गया, बल्कि आयात व्यापार नियंत्रण के प्रतिबन्धों का उल्लंघन करके इनको, शुल्क अदा किए बिना ही रजिस्ट्री के जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में बेच दिया गया। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

Realisation of Income Tax from Directors of M/s. Mackenzies Group of Companies Ltd.

*157. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax due from the Directors of Messers Mackenzies Ltd., group of Companies and the Mackenzies Ltd., during the last 3 years ;

(b) the amount of Income-tax realised from this group of companies and its Directors during the same period ;

(c) whether it is a fact that huge amounts of Income-tax arrears are outstanding against the company and its Directors ; and

(d) if so, the details thereof and the steps proposed to be taken by Government to recover the arrears of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The requisite information regarding M/s. Mackenzies Ltd., and its Directors is given

in the Statement laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT—3818/70].** As regards group of companies there is no definite basis for describing certain companies as belonging to a particular group apart from the Report of the Monopolies Enquiry Commission. In the absence of any reference to this group in the said Report, it is not possible to ascertain the various constituent companies belonging to this group. If, however, the Hon'ble Members desire to have information in respect of any particular company/companies, the same will be duly furnished.

चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

*158. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की योजनाओं के लिये 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई विस्तृत योजनाएं बनाई हैं जिन पर यह राशि खर्च की जायेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष में दिल्ली में कितने आयुर्वेदिक और कितने एलोपैथिक औषधालय (डिस्पैंसरियां) खोले जायेंगे ;

(घ) क्या 1970 में अस्पताल भी खोले जाने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष में तिब्बिया कालेज के सुधार पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 7 करोड़ की धनराशि तथा इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारियों के ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग)	एलौपैथिक औषधालय	16
	स्वदेशी-चिकित्सा पद्धति	4
	होम्योपैथिक औषधालय	1
	जोड़ ...	21

(घ) दिल्ली प्रशासन का 1970 के दौरान पश्चिम दिल्ली में तिहाड़ के समीप एक अस्पताल खोलने का विचार है जिसमें शुरू में 54 पलंग होंगे और जिसका कि चौथी योजना के

उत्तरवर्ती वर्षों में विस्तार किया जायगा । इस अस्पताल के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है ।

1970 के दौरान दिल्ली नगर निगम का भी एक लाख रुपये की अनुमानित लागत वाला एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का विचार है ।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में तिब्बिया कालेज के पुनर्गठन पर 2 लाख रु० व्यय करने का विचार है ।

विवरण

संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली के लिये चौथी योजना का परिव्यय

एजेंसी (रुपये लाखों में)

कार्यक्रम		दिल्ली प्रशासन	दिल्ली नगर निगम	नई दिल्ली नगरपालिका	योग
चिकित्सा-शिक्षा	...	80.00	—	—	80.00
अस्पताल तथा औषधालय	...	248.66	93.00	2.00	343.66
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	...	—	7.00	4.67	11.67
स्वदेशी चिकित्सा पद्धति	...	48.00	14.00	0.83	62.83
अन्य	...	153.34	39.00	9.50	201.84
जोड़	...	530.00	153.00	17.00	700.00

लूप का त्याग

*159. **श्री शिव नारायण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 जुलाई, 1970 के टाइम्स आफ इंडिया में सामयिक शीर्षकों के अन्तर्गत 'दि लूप' शीर्षक से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि जो महिलायें लूप का प्रयोग करती हैं उनमें से 70 प्रतिशत 4 वर्ष के अन्दर ही उसे निकलवा लेती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि लूप के परिणामस्वरूप रक्त श्राव आदि जैसे कष्टदायक प्रभावों के कारण अनेक महिलायें लूप का प्रयोग करने में संकोच करती हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि लूप का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या में धीरे-धीरे कमी होती जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां। रक्त श्राव जैसे गौण प्रभावों के परिणामस्वरूप लूप कार्यक्रम में कुछ बाधा पड़ी है। केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जून, 1970 में आयोजित लूप गोष्ठी में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार 30 मि०मी० और 25.7 मि०मी० के नाप के लूपों का प्रयोग करने वाली महिलाओं में से क्रमशः 37 प्रतिशत और 31 प्रतिशत महिलाएं चार वर्ष के बाद भी लूप का प्रयोग कर रहीं थीं।

तटीय तेल शोधक कारखानों के उत्पादन में कमी

*160. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री भगवान दास :**
श्री प० गोपालन : **श्री रवि राय :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने भारत में तटीय तेल शोधक कारखानों से कहा है कि वे अपने उत्पादन में 15 प्रतिशत की कमी करें;

(ख) यदि हां, तो इन तेल शोधक कारखानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उक्त कटौती कराने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). बरौनी शोधनशाला के परिचालनों में पर्याप्त सुधार, तटीय शोधनशालाओं में मध्य आसुतों के उत्पादों में सुधार तथा मिट्टी के तेल के सिवाय समस्त मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों को संतोषजनक सप्लाई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सारे तटीय तेलशोधन कारखानों (अर्थात् बम्बई में बर्माशैल और एस्सो, विशाखापत्तनम में काल टैक्स और कोचीन तथा मद्रास में सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाओं) को कहा गया था कि वे इस वर्ष कच्चे तेल के आयात का इस प्रकार से समायोजन करे कि अप्रैल के आयात के आधार पर आयात में 10 प्रतिशत की कटौतो, मई और जून के आयात के आधार पर 15 प्रतिशत की कटौती और जुलाई के आयात के आधार पर 20 प्रतिशत की कटौती हो। उस सीमा तक जितना कि इन शोधनशालाओं से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात गठित किया जाय कच्चे तेल में की गई कटौतियों को पूरा करने की अनुमति दी गई है।

चम्बल की खादरों को खेती योग्य बनाने के लिये विश्व बैंक की सहायता

*161. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चम्बल की खादरों को खेती योग्य बनाने के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से कितनी सहायता की आशा है ; और

(घ) हाल ही में भारत आए विश्व बैंक के दो सदस्यों वाले दल द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप जिन अन्य परियोजनाओं के लिये सहायता देने का फैसला किया गया है उनके नाम-क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क). चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में, प्रारम्भ की जाने वाली प्रायोजनाओं के बारे में, भारत सरकार के साथ अन्वेषणात्मक विचार-विमर्श करने के लिये विश्व बैंक का एक मिशन अप्रैल, 1970 में भारत आया था। विचार-विमर्श के दौरान जिन प्रायोजनाओं का उल्लेख किया गया था उनमें चम्बल की खादरों को कृषि योग्य बनाने की भी एक प्रायोजना थी और मिशन ने चम्बल के क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था। किन्तु बातचीत में जिन प्रायोजनाओं का उल्लेख किया गया था उनमें से किसी भी प्रायोजना के बारे में प्रायोजना रिपोर्टों के रूप में अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव विश्व बैंक के पास विचारार्थ नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) विश्व बैंक मिशन के साथ हुई बातचीत अन्वेषणात्मक थी और उसमें कृषि तथा सिंचाई को बहुत सी प्रायोजनाओं का उल्लेख किया गया था। आशा की जाती है कि विश्व बैंक उन प्रायोजनाओं का अध्ययन करने के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षण मिशन भेजेगा जिन्हें वह उस प्रकार की सहायता के योग्य समझता है जिस प्रकार की सहायता विश्व बैंक / अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ दिया करता है। उसके बाद ही यह कहना सम्भव होगा कि उनकी सहायता के लिये किन प्रायोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

ग्रान्ड होटल, शिमला

*162. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रान्ड होटल, शिमला का एक भाग बालजी नाम की फर्म को पट्टे पर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टा देने की क्या तिथि है तथा इसकी शर्तें क्या हैं और क्या ऐसी बातचीत द्वारा किया गया था अथवा इसके लिए टेंडर मंगाये गये थे ;

(ग) वर्तमान पट्टा कब समाप्त हो गया था और यदि सम्पदा निदेशालय इसको चलाने में असमर्थ है तो क्या होटल के इस भाग को किराये पर देने के लिये कोई टेंडर मांगे गये हैं अथवा मांगने का विचार है ;

(घ) क्या सरकारी कार्य पर गए अधिकारियों और संसदीय समितियों को ग्रान्ड होटल

में स्थान देने से इन्कार किया जाता है, और क्या यह फर्म गर्मियों के मौसम में बड़ा लाभ कमा रही है तथा वे बिना रसीद दिये जनता से बहुत ऊंचे मूल्य ले रहे हैं ; और

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह होटल उन्हें किराये पर देने को कहा था और यदि हां, तो इस अनुरोध को न मानने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). ग्रान्ड होटल का एक भाग टेंडरों के आधार पर 15 अप्रैल, 1965 से तीन वर्ष की अवधि के लिये श्री सी० बालजी को पट्टे पर दिया गया था। उनका 49,812.00 रुपये प्रति वर्ष का टेंडर अधिकतम था और स्वीकार किया गया।

(ग) श्री बालजी का पट्टा 14 अप्रैल, 1968 को समाप्त हो गया ; श्री बालजी को पट्टे पर दिये गये ग्रान्ड होटल के भाग को आगे पट्टे पर देने के लिये टेंडर आमन्त्रित किये गये थे। श्री बालजी ने टेंडर नहीं दिया। श्री बालजी को परिसर खाली करने को कहा गया। परन्तु क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, उसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही आरंभ की गई थी। उसने बेदखली के आदेशों के विरुद्ध डिस्ट्रक्ट जज, शिमला के पास अपील की है और मामला लम्बित है।

(घ) सरकार के नियंत्रणाधीन ग्रान्ड होटल के भाग में किसी संसदीय समिति को वास देने से इन्कार नहीं किया गया। सरकारी अधिकारियों को सरकार के नियंत्रणाधीन भाग में वास "पहले आया, पहले पाया" के आधार पर आवंटित किया जाता है। सरकार ने श्री बालजी द्वारा ली गई दरों को देखा है और उन्हें बहुत ऊंचा नहीं समझती। सरकार के पास इस आरोप पर कोई सूचना नहीं है कि श्री बालजी रसीद जारी नहीं करते।

(ङ) हिमाचल सरकार ने श्री बालजी द्वारा दखल में लिये गये ग्रान्ड होटल के भाग को उन्हें पट्टे पर देने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है। उनके अनुरोध को मान लिया गया और उन्हें सूचित किया गया कि श्री बालजी के बेदखल होते ही दखल दे दिया जायेगा।

दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में और अधिक सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये अभ्यावेदन

*163. **श्री सूरज भान** : **श्री ओंकार सिंह** :
श्री जि० ब० सिंह : **श्री कंवर लाल गुप्त** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनकी ओर से सरकार को दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में और अधिक सुविधायें प्रदान किये जाने तथा वहां के लोगों को और अधिक अधिकार व अन्य सुविधायें दिये जाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन की ओर से भी इस बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) उन लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक झुग्गी वाले को लगभग 50 गज का अपेक्षाकृत बड़ा प्लाट नहीं देती है चाहे वह कितने समय से दिल्ली में रह रहा हो तथा उस पर झोंपड़ी बनाने के लिये प्रत्येक को लगभग 2,000 रुपये का ऋण नहीं देती है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उन झुग्गी वालों को उन्हीं स्थानों पर अपनी झुग्गी बनाने की अनुमति देने का है विशेष रूप से गुलाबी बाग, मलकागंज तथा अमेरपुरी में जहां कि ये लोग इस समय रह रहे हैं ; और

(ङ) झुग्गी वालों के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस विषय में समय-समय पर कई व्यक्ति तथा संगठन सरकार को लिखते रहे हैं । इन व्यक्तियों तथा संगठनों में से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री बलराज मधोक
2. श्री कंवरलाल गुप्त
3. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी

दिल्ली प्रशासन ने भी सरकार को लिखा है ।

(ख) मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं :—

(i) प्लाटों पर स्वामित्व अधिकार देना; और

(ii) झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों के समूहों में और अधिक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था ।

किराया-खरीद आधार पर 30 वर्ष पर नवीकरण किये जा सकने वाले पट्टों पर प्लाट देने का प्रश्न विचाराधीन है । झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से, सरकार ने नियमित झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में, ऊपरी लागत 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति प्लाट कर दी है । कैम्पों वाले स्थानों के लिये ऊपरी लागत बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है । इन बस्तियों में पेय-जल की सप्लाई, सामुदायिक शौचालय, सम्पर्क मार्ग, खुली नालियां और सड़कों पर बिजली उपलब्ध की जाती है । पार्क बनाये जा चुके हैं और बनाये जा रहे हैं । विद्यालय और औषधालयों की व्यवस्था की जा रही है । सामुदायिक केन्द्रों का भी निर्माण किया जा रहा है । झुग्गी झोंपड़ियों के समूहों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना स्थानीय निकायों का कार्य है । इन मामलों में 50 वर्ग गज के प्लाट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ योजना के अन्तर्गत, प्लाट तथा 25 वर्ग गज के केम्प स्थान किराया आधार पर उपलब्ध किये जाते हैं । ऐसे प्लाटों पर पक्के टेनेमेंटों के निर्माण की अनुमति तभी होगी जब अन्ततः इन प्लाटों को आवंटियों को पट्टे पर दिये जाने का निर्णय किया जायेगा । मकानों के निर्माणों के लिये ऋण की सहायता, निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत, देय है, जो ऐसे लोगों के लिये है जिनकी वार्षिक आय 7,200 रुपये से नहीं बढ़ती । यह योजना दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशासित होती है ।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार, जुलाई 1960 से पूर्व के अनधिवासियों को अपेक्षाकृत केन्द्रीय क्षेत्रों में नियमित झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में प्लाट उपलब्ध किये जाते हैं और जुलाई, 1960 के बाद के अनधिवासियों को नगर की परिधि पर केम्पिंग स्थान उपलब्ध किये जाते हैं। इस नीति में किसी परिवर्तन का विचार नहीं है। यह भी बता दिया जाए कि झुग्गी और झोंपड़ियों को वर्तमान स्थानों से केवल तभी हटाया जाता है, जब अवरोक्त की ऐसे उद्देश्य के लिये आवश्यकता होती है जिसके लिये वे उद्दिष्ट हैं। यदि भूमि उपयोग में इसकी अनुमति है तो उन्हें उसी स्थान पर बहुमंजिले भवनों में बसाने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(ङ) भारत सरकार।

तेल-शोधक कारखानों के लिये उत्पादन का ढांचा

*164. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री जी० वेंकट स्वामी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादों की उपलब्धता में सन्तुलन लाने के लिये प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने के लिये उत्पादन ढांचा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नवीन ढांचे की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) शोधनशाला-वार उत्पादन पेटर्न पर तेल कम्पनियों के साथ दीर्घकाल और लघु काल आधार पर इस समय बातचीत हो रही है। उदाहरण के तौर पर 1971 के लिये उत्पादन पेटर्न पर इस समय विचार-विमर्श हो रहा है और शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा। इस मंत्रालय और तेल कम्पनियों के बीच होने वाली मासिक प्रदाय आयोजन बैठकों में, मांग में उतार-चढ़ाव, सन्यन्त्रों और परिचालनों आदि की समस्याओं के फलस्वरूप परिवर्तनों पर बातचीत की जायेगी तथा इन्हें अधिकृत किया जायेगा।

राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

*165. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों का अगला सम्मेलन सितम्बर, 1970 में लन्दन में होगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भारत का किन-किन विषयों को उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या भारत के ब्रिटेन के साथ व्यापार के प्रश्न पर भी विचार किया जायगा और यदि हां, तो इस मामले में क्या रुख अपनाया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रमण्डल के वित्त मंत्रियों का अगला सम्मेलन 17 और 18 सितम्बर, 1970 को साइप्रस में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) आमतौर पर सम्मेलन में उन प्रश्नों पर विचार किया जाता है जिन पर विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की वार्षिक बैठकों में विचार-विमर्श होने की सम्भावना होती है तथा जो राष्ट्रमण्डल के विकास के बारे में होते हैं। अभी यह बताने का समय नहीं हुआ है, किन-किन मामलों पर चर्चा होगी और उन मामलों में भारत क्या-क्या मुद्दे पेश करेगा।

(ग) सम्मेलन में चूंकि विशुद्ध द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं किया जाता, इसलिये इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच व्यापार सम्बन्धी मामले उठाये जायेंगे या नहीं और यदि उठाये जायेंगे तो किस रूप में। किन्तु भारत ऐसे किसी भी मामले पर विचार-विमर्श में भाग लेते समय स्वाभाविक रूप से अपने हितों को ध्यान में रखेगा।

Allotment of Accommodation to Nehru University, New Delhi

*166. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the total accommodation allotted to the Administrative Office of Nehru University, New Delhi in Vigyan Bhavan Annexe;

(b) whether the accommodation has been allotted on lease-hold basis or on rental basis; and

(c) if given on lease-hold basis, the terms thereof and if on rental basis, the annual rent and the amount received by Government as rent since the allotment of the accommodation?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) 15,399 sq. ft.

(b) on leave and licence basis at a fee of Rs. 100/- per hundred sq. ft. per month plus service charges.

(c) The licence has been granted, inter alia, on the following terms and conditions:

(i) The licence is purely of a temporary nature and the Government reserve the right to revoke it at any time by giving one month's notice in writing to the licensee of their intention to do so. The licence fee shall be payable in advance before the 5th day of the month.

(ii) The licensee shall not carry out any additions or alterations to the building or electric or sanitary installation in the said premises without first obtaining the approval in writing of the Central P. W. D. authorities concerned.

(iii) The licensee shall make good any damage caused to the said premises fair wear and tear being excepted.

(iv) The licensee shall use the premises for the specified purpose of running an administrative office of the University and for no other purpose. The licensee shall not permit the said premises or any part thereof being used by any other person for any purposes whatsoever without the previous consent in writing of the Government.

(v) The licensee shall, on the revocation or termination of the licence, hand over vacant possession of the premises to the Government in as good a condition as they were on the date of commencement of the licence.

The University have so far taken possession of 5262 sq. ft. of accommodation and they have paid the entire licence fee for this area up to 31st July 1970. The total amount recovered on that account is Rs. 72,135.57 Paisa.

राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों के बारे में अध्ययन दल की रिपोर्ट

*167. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री हिम्मतसिंह का :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री भोला नाथ मास्टर :** **श्री रामकिशन गुप्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाले केन्द्रीय सरकार के अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या वित्तीय सहायता के बारे में राज्य सरकार के ज्ञापन पर भी विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3819/70]**

प्रशासनिक सुधार आयोग की सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क विभाग से सम्बन्धित सिफारिशें

*168. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग नें यह सिफारिश की है कि सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क दोनों विभागों के लिये स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण बनाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते ।

हृद्रोध (हार्ट ब्लाक) में उपयोगी पाये गये गतिकारकों (पेस मेकर्स) का निर्माण

*169. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन गतिकारकों को देश में ही बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो कि हृद्रोण (हार्ट ब्लाक) के मामलों में बहुत उपयोगी पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय गति कारक विदेशों से आयात किये जाते हैं और यदि हां, तो किन-किन देशों से, प्रत्येक की कितनी लागत होती है और गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा देशवार कितने गतिकारक आयात किये गये ;

(घ) क्या सरकार इन गतिकारकों को राज सहायता देकर कम लागत पर रोगियों को उपलब्ध करने के बारे में विचार कर रही है और यदि हां, तो कितनी राज सहायता दी जायेगी ; और

(ङ) क्या सरकार ऐसी वस्तुओं के आयात पर आयात शुल्क समाप्त करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). निजी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्युत-चिकित्सा उपस्कर, जिनमें गतिकारक भी सम्मिलित हैं, बनाने का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ग) जी हां। 'गतिकारकों' का आयात आजकल अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तथा कुछ पूर्वी यूरोपियन देशों से किया जाता है। प्रत्येक गतिकारक की लागत 2,000 रु० से 3,000 रु० तक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा देशवार आयात किये गये गतिकारकों की संख्या सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस मद को संशोधित इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन में अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) गतिकारकों के सामान्य आयात पर आयात शुल्क समाप्त करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उपहार स्वरूप दिये गये गतिकारकों पर आयात शुल्क की छूट पहले ही दे दी गई है।

तस्करों का माल पकड़ा जाना

*170. डा० राम सुभग सिंह :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी रोकने के अभियान के फलस्वरूप भारत की समुद्री तथा अन्य सीमाओं पर तस्करी की गतिविधियां कुछ कम हुई हैं ;

(ख) सीमाशुल्क तथा अन्य अधिकारियों ने वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में गत जून तक कितने मूल्य का अवैध सोना तथा अन्य वस्तुएं पकड़ी और उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) भारत से भारतीय माल के चोरी-छिपे बाहर ले जाने के अवैध व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस प्रश्न का स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक उत्तर देने के लिये निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है । यदि तस्करी विरोधी अभियान का मापदण्ड, तस्करी के माल की पकड़ी गई मात्रा को माना जाय तो माल पकड़ने के मामलों की संख्या में और पकड़े गये माल के मूल्य में हुई पर्याप्त वृद्धि, सरकार द्वारा किये गये तस्करी-विरोधी उपायों की प्रभावशालिता का द्योतक है ।

(ख) उल्लिखित अवधि में पकड़े गये निषिद्ध सोने तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है :

	1969-70 (रुपये लाखों में)	**1970-71** (जून तक) (रुपये लाखों में)
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर सोने का मूल्य	490	168
पकड़ी गई अन्य निषिद्ध वस्तुओं का बाजार मूल्य	1878	469

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	भारतीय	**विदेशी**
1969-70	2074	81
1970-71 (मई तक)	366	16

(ग) निवारक जांच में आवश्यकतानुसार दृढ़ता लाने के लिये, भारतीय मूल की वस्तुओं के तस्कर-निर्यात के सम्बन्ध में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

भारत में चोरी छिपे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चांदी लोकप्रिय वस्तु है । सीमा-शुल्क अधिनियम में जनवरी, 1969 में जो संशोधन किया गया था, उसमें समुद्रतटीय क्षेत्रों में चांदी लाने ले जाने पर नियंत्रण की व्यवस्था है । इस व्यवस्था से वांछित प्रभाव पड़ा है क्योंकि तस्करी की मात्रा में काफी कमी हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से भारत को दिये गये ऋण का भुगतान

*171. **श्री मु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व एक बिलियन से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टि से क्या भारत का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समस्त ऋणों का भुगतान कर देने का इरादा है ;

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिये गये ऋणों को भारत पर कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां। इस समय भारत के पास 1 अरब डालर से अधिक की विदेशी मुद्रा राशि है।

(ख) और (ग). भारत, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को ऋणों का परिशोधन भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार करता रहा है। इस समय भारत पर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ली गयी कुल 13.5 करोड़ डालर की रकम बकाया है।

कापड़िया ब्रदर्स द्वारा धन-कर की विवरणियां फाइल करना

*172. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापड़िया ब्रदर्स ने अपनी धन-कर की विवरणियों को फाइल कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो धन-कर की विवरणियों के फाइल करने में विलम्ब के लिये उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनुमान है कि यह प्रश्न बम्बई के पांच कापड़िया भाइयों के सम्बन्ध में है। उनके द्वारा दाखिल की गयी धन-कर विवरणियों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

(1) श्री लालजी छगनलाल कापड़िया—कोई धन-कर विवरणी दाखिल नहीं की गयी।

(2) श्री मोहनलाल छगनलाल कापड़िया—कोई धन-कर विवरणी दाखिल नहीं की गयी।

(3) श्री नीमजी भाई छगनलाल कापड़िया—केवल कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिये धन-कर विवरणी दाखिल की गयी।

(4) श्री मगनलाल छगनलाल कापड़िया—कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 तक की धन-कर विवरणियां दाखिल की गयी हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 की विवरणी दाखिल करने के लिये 31-10-1970 तक का समय दिया गया है।

(5) श्री पोपटलाल छगनलाल कापड़िया—उसने केवल कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिये अपनी धन-कर विवरणी दाखिल की है। कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 की विवरणी दाखिल करने के लिये 31-10-1970 तक का समय दिया गया है।

(ख) धन-कर अधिकारी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या उपर्युक्त भाइयों के पास कर लगने योग्य धन था, जिसके लिये किन्हीं वर्षों के लिए कार्यवाही करना जरूरी है। यदि विलम्ब का उचित कारण नहीं बताया जाय तो विवरणियां विलम्ब से दाखिल करने पर, धन-कर अधिनियम में दण्ड लगाने की व्यवस्था है। इन मामलों में विलम्ब का उचित कारण है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय करना धन-कर अधिकारी का काम है जो अपने न्यायिक विवेक के अनुसार निर्णय देगा। धन-कर विवरणियां दाखिल करने में विलम्ब हुआ होगा तो धन-कर अधिकारी सामान्य कार्यवाही के दौरान अपेक्षित कार्यवाही करेगा। इस मामले में उक्त अधिकारी के विवेकानुसार निर्णय में सरकार दखल नहीं दे सकती।

पश्चिम बंगाल को ऋण

*173. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस राज्य में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली, कृषि, मछलीपालन आदि सम्बन्धी विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता/अनुदान/ऋण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता/अनुदान/ऋण की कितनी राशि की मांग की गयी है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता/अनुदान/ऋण दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि दी गयी है और उसका मद-वार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने, अभी हाल में, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है :

	(करोड़ रुपयों में)
(i) लघु सिंचाई-कार्य (कांक्षावती सिंचाई प्रायोजना)	2.00
(ii) बाढ़ निरोधक-कार्य	3.00
(iii) लघु सिंचाई कार्यक्रम	6.40

सभी विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को, राज्य की पंचवर्षीय आयोजना और वार्षिक आयोजनाओं में निर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार क्रियान्वित किया जाना है जिनके लिये केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार समग्ररूप से सहायता दे रही है। पश्चिम बंगाल की चालू वर्ष की वार्षिक आयोजना के लिए 40.7 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गयी है। चूंकि, राज्य की 1970-71 की आयोजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की रकम पहले ही से नियत कर दी गयी है इसलिये प्रश्न में उल्लिखित कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

राज्य सरकार ने उर्वरकों के विपणन के लिये 3.78 करोड़ रुपये के अल्पावधिक ऋण के

लिये भी अनुरोध किया है । केन्द्रीय कृषि विभाग ने इस प्रयोजन के लिये 74.25 लाख रुपये की रकम मंजूर की है। यह रकम, वर्तमान कार्यविध के अनुसार, इस प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार को देय राशि की द्योतक है ।

विश्व बाजार में मंदी

*174. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम चरण :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बाजार और विशेषकर अमरीकी बाजार मंदी के चंगुल में है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं । सबसे हाल की उपलब्ध रिपोर्टों और सूचना से इस प्रकार का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ते के कर्मचारियों को स्थायी करना

*175. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ता को काम करते हुए यद्यपि लगभग दस वर्ष हो गये हैं तथापि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है और कर्मचारियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त शोधनशाला कब से काम कर रही है ;

(ग) क्या मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाली यह शोधनशाला भारत सरकार द्वारा पालन किये जाने वाले स्थायीकरण के नियमों से भिन्न नियमों का पालन करती है और यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों को इतनी लम्बी अवधि तक स्थायी न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त कर्मचारियों को कब तक स्थायी किया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) . चांदी साफ करने का यह कारखाना एक अस्थायी संगठन है जिसकी स्थापना, चार धातुओं के मिश्रण से बने उन सिक्कों से, जो चलन से वापस ले लिये गये हैं, चांदी निकालने के विशिष्ठ और सीमित प्रयोजन के लिए की गयी थी । इसे 1960 में चालू किया गया था । उन 20 कर्मचारियों को छोड़ कर, जो अन्य संगठनों के कर्मचारी हैं और जिनकी इस कारखाने में बदली की गयी है, इस कारखाने

के बाकी सारे कर्मचारी (जिनकी संख्या 485 है) स्थायी नहीं हैं। अस्थायी संगठनों पर लागू होने वाले आदेशों के अनुसार, किसी ऐसे संगठन में, जिसके बारे में पता हो कि उसका अस्तित्व एक सीमित अवधि के लिये है, कोई स्थायी पद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस बात की आशा पर कि इस समय जिन कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उन पर अमल किया जायगा और उनसे, इस कारखाने के मौजूदा कर्मचारियों में से काफी कर्मचारियों को, उनके फ़ालतू हो जाने पर, खपाये जाने का अवसर प्राप्त होगा, सरकार नियमों में ढील देकर, कुछ स्थायी पदों का निर्माण करने और कर्मचारियों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

*176. **श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने, अत्यधिक कुप्रबन्ध तथा अनियमितताओं के कारण, हाउसिंग बोर्ड का काम चलाने के लिये हाउसिंग बोर्ड के स्थान पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान तथा ऋणों के रूप में काफी बड़ी राशि दिये जाने के कारण, क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से इन अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट मांगेगी ; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही की सम्भावना न होने के कारण क्या सरकार बोर्ड को हुई अत्यधिक हानि की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगर विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि महाराष्ट्र आवास बोर्ड के सभी सदस्यों (सिवाय पदेन सदस्य के) और बोर्ड के अध्यक्ष ने सितम्बर, 1969 में त्यागपत्र दिया था। परिणामतः, राज्य सरकार ने इसका पुनर्गठन होने तक, बोर्ड के सभी कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिये एक सर्वशक्ति-सम्पन्न प्रशासक की नियुक्ति की थी। राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। जांच के पूरा होने तक, यह कहना सम्भव नहीं है, कि इसमें कोई घोर अव्यवस्था और अनियमितता हुई है।

(ख) मामले पर यथा समयविचार किया जाएगा, परन्तु इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि सारा मामला, पूर्णरूपेण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र आवास बोर्ड को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं की है। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है जोकि भारत सरकार को, ऋणों के पुनः भुगतान के लिये पूरे तौर पर उत्तरदायी हैं, चाहे उन द्वारा अथवा उनकी निष्पादित एजेंसियों द्वारा कोई भी हानि क्यों न हुई हो।

(ग) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता।

औषध उद्योग को करों में कुछ छूट देकर औषधियों के मूल्यों को कम करना

*177. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7.5 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 3 से 5 प्रतिशत बिक्री कर, 10 प्रतिशत राज्य आबकारी तथा कच्चे माल और पैकिंग करने की सामग्री पर लगे करों से ही औषधियों की 20 प्रतिशत लागत बन जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी करों का भुगतान पहले ही कर दिया जाता है और न बिकने वाली तथा उन औषधियों पर, जिनके प्रयोग की अवधि समाप्त हो गई होती है, दिये गये करों की वापसी नहीं की जाती ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन्हीं करों के कारण औषधियों के वर्तमान मूल्य इतने अधिक हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन करों में कुछ छूट देने का है तथा यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) संदर्भित कर भिन्न भिन्न प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न दरों पर लगाये जाते हैं और उनमें कई छूटे तथा अपवाद भी होते हैं। अतः कुल प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) इन करों में से केवल कुछ का भुगतान पहले किया जाता है और न बिकने वाली तथा उन औषधियों पर, जिनके प्रयोग की अवधि समाप्त हो गई होती है, दिये गये करों की वापसी नहीं की जाती।

(ग) जी नहीं। एक औषधी के मूल्य की कुछ प्रतिशतता ही करों के भार के कारण होती है।

(घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जिन्हें शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, कर लगाये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार का स्थानीय प्राधिकारियों और राज्य सरकारों के करों के क्षेत्र में कोई नियन्त्रण नहीं है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति

*178. **श्री लखन लाल कपूर :**

श्री हुचे गौडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिजर्व बैंक के गवर्नरों के रूप में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय कर लिया था ;

(ख) क्या श्री एल० के० झा० को अन्तिम पदाधिकारी घोषित किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो श्री बी० एन० अदारकर तथा इसके बाद श्री एस० जगन्नाथन को नियुक्त किए जाने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). राज्य सभा में बैंक विधि (संशोधन) विधेयक, 1968 पर हुई बहस का उत्तर देते हुए सरकार ने यह कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों के पद पर अधिकतर सिविल अधिकारियों की नियुक्ति करने की प्रथा तब बदल दी जायगी, जब उस समय काम कर रहे पदधारी का कार्यकाल समाप्त हो जायया। बाद में सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को वित्तीय एवं आर्थिक मामलों का विस्तृत ज्ञान और अनुभव होना चाहिए तथा चयन के क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना समुचित नहीं होगा।

(ग) श्री बी० एन० आडाकार और श्री एस० जगन्नाथन को रिजर्व बैंक के गवर्नर इस लिए नियुक्त किया गया था कि वे दोनों उपर्युक्त शर्तें पूरी करते थे।

भारतीय तेल निगम को तेल के बैरलों और बिटुमन ड्रमों की सप्लाई

*179. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 11 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने उन निर्माताओं को जिन्होंने बिटुमन ड्रम तथा तेल बैरल सप्लाई करने के लिए मद्रास में अपने कारखाने स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी, लिख कर यह सूचित कर दिया है कि वे उनको अपेक्षित सुविधाएं नहीं दे सकेंगे ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माताओं को असमंजस में रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय तेल निगम को अपने कारखाने स्थापित करने के लिए औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय से कब मंजूरी मिली थी ; और

(घ) भारतीय तेल निगम के मद्रास स्थित तेल बैरल तथा बिटुमन बनाने वाले कारखानों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). टेण्डर कण्डीशनंस की धारा 21 में बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय तेल निगम मद्रास में एक सन्यन्त्र की स्थापना में किसी प्रकार भी किसी पार्टी की सहायता नहीं करेगा। इसको दृष्टि में रखते हुए, किसी टेण्डर कर्त्ता को और सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) 14.11.1969

(घ) सन्यन्त्र के अब कब तक चालू होने की आशा है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है और यह सूचना सभा-पटल पर रखी जाएगी।

फारस की खाड़ी से भारत के हिस्से का रुस्तम अशोधित तेल (रुस्तम क्रूड) अन्य साझीदारी को उपहार के रूप में दिया जाना

*180. **श्री हेम बरुआ** :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राहक न मिलने के कारण भारत को रुस्तम अशोधित तेल

को मुफ्त उपहार देने पर विवश होना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उपहार के रूप में कितना अशोधित तेल दिया गया था और इस अकार्यकुशलता के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या इसको उपहार के रूप में देने से पूर्व उसकी बिक्री की सम्भावना का पता नहीं लगाया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीलंका में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत का प्रस्ताव

1001. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका में एक विशाल उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में भारतीय प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिये सहमत हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Amount Invested by Bhopal Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

1002. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8375 on the 4th May, 1970 and state :

(a) whether the requisite information regarding the amount invested by the Bhopal Branch of State Bank of India for development of small scale industries and digging of wells has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which it is likely to be collected and laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in the attached Statement.

(c) Does not arise.

Statement

Re : part (a) of Unstarred Question No. 8375 answered on 4th May, 1970.

Statement showing the limits sanctioned and outstandings of the Bhopal Branch of the State Bank of India as on 31st July, 1969 and 31st March, 1970 (I) for the development of small-scale industries and (II) in respect of agricultural advances.

(Rs. in lakhs)

	31st July, 1969		31st March, 1970	
	Limits	Outstandings	Limits	Outstandings
1. Advances to Small-scale Industries	7.83	4.35	14.47	8.45
2. Agricultural Advances	—	—	1.31	0.25

Separate figures for advances for digging wells, purchasing pumps and tempos are not available.

Part (b) of Unstarred Question referred to above

(I) Working capital advances in respect of small-scale industries are repayable on demand whereas term loans are repayable over a period not exceeding 7 to 10 years in monthly/quarterly/half-yearly/yearly instalments. The rate of interest for working capital advances ranges between 8 per cent. and $8\frac{3}{4}$ per cent. whereas the current rate of interest for term loans is 9 per cent.

(II) Loans for digging of wells are generally granted for periods ranging between 5 and 7 years and for installation of pumpsets between 3 and 5 years repayable in quarterly, half-yealy or annual instalments; interest is charged at 9 per cent or $\frac{1}{2}$ per cent more than the rate charged by cooperatives locally for similar advances, whichever is higher.

Part (c) of Unstarred Question referred to above

No amount has been earmarked for investment by the branch for the financial year 1970-71. However, the State Bank of India will make every endeavour to provide credit assistance to the extent necessary to small-scale industries and agriculture subject to the availability of resources.

Amount invested by Indore Branch of the State Bank of India for development of Small Scale Industries and Digging of Wells

1003. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8374 on the 4th May, 1970 and state :

(a) whether the requisite information in regard to parts (a), (b) and (c) of the question regarding amount invested by the Indore Branch of State Bank of India for development of Small-Scale Industries and digging of wells, has since been received by Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in the attached Statement.

(c) Does not arise.

Statement

Re. part (a) of Unstarred Question No. 8374 answered on the 4th May, 1970

Statement showing the limits sanctioned and outstandings of the Indore Branch of the State Bank of India as on 31st July, 1969 and 31st March, 1970 (I) for the development of small-scale industries and (II) in respect of agricultural advances :

	(Rs. in lakhs)			
	31st July, 1969		31st March, 1970	
	Limits	Outstandings	Limits	Outstandings
1. Advances to Small-scale Industries	112.29	74.78	126.28	75.27
2. Agricultural Advances	3.95	1.50	6.57	6.13

Separate figures for advances for digging wells, purchasing pumps and tempos are not available.

Re. part (b) of Unstarred Question referred to above

(I) Working capital advances in respect of small-scale industries are repayable on demand whereas term loans are repayable over a period not exceeding 7 to 10 years in monthly/quarterly/half-yearly/yearly instalments. The rate of interest for working capital advances ranges between 8 per cent and 8¾ per cent whereas the cuurrent rate of interest for term loans is 9 per cent.

(II) Loans for digging of well are generally granted for periods ranging between 5 and 7 years and for installation of pumpsets between 3 and 5 years repayable in quarterly, half-yearly or annual instalments ; interest is charged at 9 per cent or ½ per cent more than the rate charged by cooperatives locally for similar advances, which ever is higher.

Re. part (c) of Unstarred Question referred to above

No amount has been earmarked for investment by the branch for the financial year 1970-71. However, the State Bank of India will make every endeavour to provide credit assistance to the extent necessary to small scale industries and agriculture subject to the availability of resources.

विभिन्न राज्यों में खोदे गये तेल के कुएं

1004. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में तेल के कुएं कितने खोदे गये और 30 जून, 1970 तक वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) प्रत्येक राज्य में हर वर्ष प्रत्येक कुएं की कितने प्रतिशत खुदाई निष्फल सिद्ध हुई और सरकार को कितना घाटा हुआ ; और

(ग) तेल प्राप्त करने के लिये पिछले तीन वर्षों में बंगाल की खाड़ी और ईरान की खाड़ी में प्रति वर्ष सरकार ने कितनी राशि व्यय की और 30 जून, 1970 तक प्रति वर्ष कितनी कीमत का उत्पादन हमें प्राप्त हुआ ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी ।

मधुमेह से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों के लिये चिकित्सा सुविधाएं

1005. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इर्विन अस्पताल, दिल्ली के अन्तःस्रावी (एन्डोक्राइन) क्लिनिक में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के अनेक नवयुवक मधुमेह रोग से पीड़ित हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे रोगी मंहगा इलाज कराने में सामान्यतः असमर्थ हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में और अनुसन्धान करने के लिए ज्यादा सहायता, अधिक कर्मचारी और क्लिनिक के लिए अधिक उपकरण देने के लिये सरकार को सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्धन परिवारों के नवयुवकों में मधुमेह की इस नई किस्म का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लगभग 1 प्रतिशत ग्रामीण जनता मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तथा एक वर्ष में मधुमेह के 300 युवा रोगी ग्रामीण क्षेत्रों से इर्विन अस्पताल में आते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा अग्रिमों पर ऋण नियंत्रण में ढील

1006. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने किसानों और वनस्पति घी सहित अन्य वनस्पति तेलों के बदले में बैंकों द्वारा अग्रिमों पर नियंत्रण में ढील दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये देश के वनस्पति कारखानों की न्यूनतम ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 8 जून, 1970 से पहले प्रत्येक बैंक द्वारा, जनवरी-फरवरी 1970 से शुरू होने वाली प्रत्येक दो महीनों की अवधि में, तेलहन और वनस्पति तेलों के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों की अधिकतम राशि 1967 के इसी अवधि में दिए गए ऋणों के 70 प्रतिशत के बराबर होती थी। 8 जून, 1970 को रिजर्व बैंक ने, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि अखाद्य तेलों पर से, जिनमें अलसी और रेंडी के तेल शामिल नहीं हैं, अधिकतम सीमा सम्बन्धी नियन्त्रण हटा लिया गया है। 3 जुलाई, 1970 से अलसी और रेंडी को छोड़कर अखाद्य तिलहनों के लिए भी ऋण संबंधी छूट लागू कर दी गयी थी।

(ख) और (ग). 8 जून, 1970 को रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श दिया कि वनस्पति-तेलों (वनस्पति घी सहित) की एवज में वनस्पति घी निर्माताओं और पंजीकृत तेल मिलों को दिये जाने वाले ऋण की अदायगी को ऊपरी सीमा नियंत्रण से मुक्त रखा जाय। लेकिन बैंकों को यह निदेश दिये गये कि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक कारखाने के 6 सप्ताह की (अक्टूबर, 1969 से मार्च, 1970 की अवधि में औसत साप्ताहिक खपत के आधार पर) और दक्षिण तथा पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक कारखाने की सप्ताह की खपत के बराबर वनस्पति तेलों के भण्डार की एवज में वनस्पति घी निर्माताओं को दिये जाने वाले ऋणों पर न्यूनतम 40% (पहले के 60% की तुलना में) वसूल किया जाये। चार से लेकर छः सप्ताहों की खपत से अधिक के ऋण पर न्यूनतम 60% वसूल किया जायेगा।

वनस्पति के लिये बिनौले के तेल का प्रयोग

1007. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति के उत्पादन में बिनौले के तेल का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन तेल-उत्पादकों के नाम क्या हैं, जो इसका उपयोग कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वैज्ञानिकों और अनुसंधान कर्त्ताओं के अनुसार बिनौले के तेल में प्रारम्भिक स्थिति में "गौसोपोल" नामक एक विषैला तत्व होता है जिसे पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वनस्पति के उत्पादन में बिनौले के तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कड़े उपाय करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) जी हां।

(ख) उपलब्धता और अन्य बातों पर निर्भर रहते हुए वनस्पति के सभी निर्माता न्यूनाधिक मात्रा में इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वनस्पति निर्माताओं की एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3820/70]**

(ग) बिनौले में गौसोपोल नामक एक रासायनिक यौगिक होता है जिसे कि कुपोषक तत्व समझा जाता है। चूहों पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि उक्त गौसोपोल परीक्षणाधीन पशुओं की शरीर-वृद्धि में मन्दता पैदा कर सकता है। तेल पेरते समय गौसोपोल का अधिकतम अंश खली में रहता है और तेल में उसका एक नगण्य अंश ही उतरता है। वनस्पति तैयार करते समय तेल को शोधित करने के लिये अपनाई जाने वाली विधा के दौरान गौसोपोल का अधिकांश निकाल लिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और यूनिसेफ के प्रोटीन एडवाइजरी ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि लोगों द्वारा तीन पीढ़ियों से भी अधिक समय तक बिनौले के तेल का आम इस्तेमाल किया गया और उन पर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक्टरों तथा परिवार नियोजन एजेंटों द्वारा धोखा किया जाना

1008. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धर्मपुरी जिले के बारगुर ग्राम के जिन दो परिवार नियोजन एजेंटों को मई, 1970 में तथाकथित धोखाधड़ी के लिये गिरफ्तार किया था, उनके क्या नाम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में केवल 600 आपरेशनों के लिये ही दवाइयों का भण्डार था, जबकि डाक्टर ने जुलाई और अगस्त, 1966 के बीच 50 दिनों में 6326 नसबन्दी के आपरेशन किये थे ;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो वहां से और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) डाक्टरों तथा परिवार नियोजन एजेंटों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभागीय अधिकारियों को यात्रा भत्ता

1009. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई भी नौजवान, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक इंजीनियर अथवा सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर छोटी मोटी खरीदारी के लिये बाजार नहीं गया और किसी ने भी पिछले दो वर्षों में स्वीकृत दूरी को पुस्तिका में दर्ज नहीं किया ;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अनुभागीय अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन अनिवार्यता उप-प्रभागीय कार्यालय / प्रभागीय कार्यालय अथवा अन्य स्थानों पर कार्य करना पड़ता है और उसके बाद के दिन किन्हीं अन्य स्थानों पर कार्य करना पड़ता है, परन्तु उन्हें उनके दावों के बावजूद भी कोई निश्चित यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाता ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी नहीं। वे छोटी-मोटी चीजों की खरीद के लिये आवश्यकता पड़ने पर ही जाते हैं। प्रमापों के दर्ज करने के सम्बन्ध में, जबकि नियमों के अनुसार, सहायक इंजीनियर/सहायक कार्यपालक इंजीनियर के लिए, जब तक कि टेंडर स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा करना अपेक्षित न हो, प्रमापों को दर्ज करना अनिवार्य नहीं है और वह स्वयं किसी विशेष कार्य मद के प्रमाप दर्ज करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) सूचना को देना सम्भव नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के स्वयं बाजार जाने के रिकार्ड के रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) सैक्शनल आफीसरों को सरकारी कार्य के सम्बन्ध में उप-प्रभागीय/प्रभागीय कार्यालयों/अन्य स्थानों पर जाना आवश्यक हो सकता है किन्तु सवारी/यात्रा भत्ते की अदायगी निम्नलिखित नियमों के अनुसार होती है :-

(i) यदि सैक्शनल आफीसर की यात्रा अपने ड्यूटी स्थान से उप-प्रभागीय/प्रभागीय कार्यालयों तक, 8 किलोमीटर से कम है, तो वह सवारी, जैसे बस या स्कूटर प्रभार पर किए गए वास्तविक व्यय का दावा कर सकता है।

(ii) यदि वह 8 किलोमीटर से अधिक है तो यात्रा के समान, आधे दिन के भत्ते का दावा कर सकता है।

(iii) तथापि, यदि, उसके पास एक मोटर साइकिल या स्कूटर है, तो पहले तीन माह के लिये सरकारी कार्य पर की गई यात्रा के आंकड़ों के प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर वह सवारी भत्ते का दावा कर सकता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफिसरों के रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने के लिये 'अनापत्ति' प्रमाण-पत्र

1010. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 18 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9957 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यक्तिगत आवेदकों को उस तथ्य की जानकारी नहीं दी गई है कि रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने के लिए 'अनापत्ति' प्रमाण-पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'अनापत्ति' प्रमाण-पत्र लेने की परम्परा अपनायी गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पक्षपात पूर्ण कार्य करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) शेष तीन आवेदकों को 'अनापत्ति' प्रमाण-पत्र जारी न करने के क्या कारण थे जब कि अन्य सात आवेदकों को ऐसे प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों का स्थानान्तरण

1011. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 8 दिसम्बर, 1969 और 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3022 और 8479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधीक्षक अभियन्ताओं के साथ, इस आधार पर कि वे प्रशासकीय पदों पर नियुक्त हैं, स्थानान्तरणों के मामले में अन्य अधिकारियों की अपेक्षा भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और इस बात का कोई समुचित ध्यान नहीं रखा जाता कि उन्हें मुख्यतः कठिन क्षेत्रों में कार्य न करना पड़े और न उनके लिये कोई कार्य-काल ही निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के लिये अधीक्षक इंजीनियरों और समन्वय-परिमण्डल के कर्मचारियों का एक निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानान्तरण नहीं किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक इंजीनियर का पद एक तकनीकी पर्यवेक्षक और प्रशासनिक पद समझा जाता है, अतः इस पद के लिये कोई कार्यकाल निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है । तथापि, इस बात के सुनिश्चय करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि कोई अधिकारी दुर्गम क्षेत्र में अनुचित लम्बी अवधि तक कार्य न करता रहे ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) में संकेतिक संदर्शनों को ध्यान में रखते हुए, समन्वय मण्डलों (सर्कलों) के इन्चार्ज अधीक्षक इंजीनियरों का स्थानान्तरण किया जाता है ।

जहां तक समन्वय मंडलों (सर्कलों) में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सम्बंधित अधीक्षक इंजीनियरों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्रशासकों के स्थान पर प्रौद्योगविज्ञों की नियुक्ति करना

1012. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्रशासकों के स्थान पर प्रौद्योगविज्ञों को नियुक्त करने के बारे में 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विचाराधीन प्रश्न के बारे में कौन-कौन अधिकारी निर्णय करेंगे ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने में कितना समय लगने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

(ख) किस समय तक निर्णय लिया जायगा यह बताना सम्भव नहीं है ।

महाराष्ट्र में परिवार नियोजन केन्द्र

1013. **श्री देव राव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 और 1969 में महाराष्ट्र राज्य में कितने परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर कुल कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1968-69 और 1969-70 वर्षों में महाराष्ट्र सरकार ने क्रमश: 26 तथा चार परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की मंजूरी दी थी ।

(ख) इन केन्द्रों पर 1968-69 और 1969-70 में कुल खर्च करीब 2.42 लाख रुपये हुआ था तथा इसका विस्तृत ब्योरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल इन्जीनियरों की भर्ती का बन्द किया जाना

1014. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 11 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी-दो के पदों के लिए सीधी भर्ती बन्द कर दिये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग से यह कहा गया है कि वह अपने 1970 की परीक्षाओं के आधार पर केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी-दो के लिए कर्मचारियों की भर्ती करें ; और

(ग) यदि हां, तो उससे कितने इंजीनियरों की भर्ती करने के लिये कहा गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) मामला संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचाराधीन है । अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). अभी कोई मांग नहीं भेजी गई है । किन्तु संघ लोक सेवा आयोग ने 1970 की परीक्षा के नोटिस में, श्रेणी II की सिविल इंजीनियर सेवा को, उन सेवाओं में एक सेवा के रूप में सम्मिलित कर लिया है जिनके लिये भर्ती परीक्षा के आधार पर की जाएगी और यह कहा है कि रिक्तियों की संख्या बाद में घोषित की जाएगी ।

केन्द्रीय बिक्री कर का अपवंचन

1015. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिकारियों ने भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली और फरीदाबाद, केन्द्रीय बिक्री कर के अपवंचन के मामलों का पता लगाने और पंलग की चद्दरें, तकिये के खोल जैसे सिले हुए कपड़े तथा कुछ अन्य प्रकार के अधसिले कपड़े, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित एक अन्य 'गुप्तजी' कर्म के प्रदर्शन कक्ष में बिना बिक्री-कर दस्तावेजों के कैसे पहुंचे यह पता लगाने के लिए छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार इस प्रकार के अचानक छापे कितने बार मारे गये और गत तीन वर्षों में वर्षवार इन दो फर्मों द्वारा कुल कितना बिक्री कर बचाया गया है ; और

(ग) इस मामले से संबंद्ध दोषी लोगों के विरुद्ध क्या सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रूस के पास भुगतान-शेष के रूप में रुपयों की जमा राशि

1016. **श्री जो० ना० हजारिका :** **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री अजमल खां : **श्री गु० च० नायक :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री दे० अमात : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस सरकार ने मास्को में हाल में हुई भारत-सोवियत वार्ता के दौरान विदेश सचिव द्वारा रूस से किए गए इस भारतीय प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया है कि उसके खातों में भुगतान-शेष के रूप में बढ़ती हुई रुपए की भारी जमा राशि को विशिष्ट विकास निधि के रूप में भारत के पास रहने दिया जाए ;

(ख) इस जमा राशि में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस राशि को किन परियोजनाओं पर व्यय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेश सचिव ने, मास्को के अपने हाल के दौरे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। इसलिए इसके बारे में सोवियत प्रतिक्रिया का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ख) सोवियत खाते में रकम इसलिए रखी जाती है कि दैनिक कार्यों के खर्च को पूरा किया जा सके। पर, इस समय, सोवियत खाते में कोई बड़ी रकम जमा नहीं है। सामान्य

बैंक-पद्धति के अनुसार खातों के लेन-देन और उनमें जमा शेष रकमों का ब्योरा नहीं बताया जाता ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बेलाडिला में लौह अयस्क के निक्षेप के अनुमान

1017. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलाडिला क्षेत्र में 30000, मीटरिक लाख टन लौह अयस्क होने का अनुमान था जो घटकर 6,000 लाख मीटरिक टन रह गया है ;

(ख) किरिबुरु क्षेत्र से निकलने वाला अधिकांश अयस्क 'फाइन्स' के रूप में होगा और उसे बोकारो इस्पात कारखाने को भेजने से पूर्व 'पैलेट्स' के रूप में तैयार करना पड़ेगा और इसका पहले अनुमान नहीं लगाया गया था ;

(ग) क्या वह इस बात से सहमत है कि यदि लौह अयस्क निक्षेपों की मात्रा और किस्म के बारे में अनुमान इस भांति पूर्णतः परिवर्तित हो जाएंगे तो लौह अयस्क के निर्यात के बारे में किए गए दीर्घावधि समझौतों और नए इस्पात कारखानों की स्थापना पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक हो, तो ऐसे अनुमान तैयार करने के लिए उत्तरदायी अभिकरणों की तकनीकी योग्यता में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) बेलाडिला क्षेत्र के 16 निक्षेपों के भूतल लक्षणों की त्वरित जांच के आधार पर उपलब्ध राशियों के पहिले तैयार किए गए प्रारम्भिक अनुमान 36000 लाख मैट्रिक टन लौह अयस कथे। पश्चातवर्ती व्यधन तथा प्रवेश मार्ग द्वारा गहन समन्वेषण के परिणामस्वरूप पांच निक्षेपों में 6,710 लाख मैट्रिक टन लौह अयस्क का अनुमान है । विस्तृत रूप से समन्वेषित दो निक्षेपों में 820 लाख मैट्रिक टन अयस्क होने की आशा है । शेष नौ निक्षेपों में अभी विस्तृत समन्वेषण किया जाना है ।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र को जब आपूर्ति प्रारम्भ होगी जब पिंड एवं सूक्ष्म का अनुपात लगभग 40.60 होगा । इस्पात संयंत्र द्वारा उपयोग के लिए सूक्ष्मों का संपुंजन किया जाना होगा, न कि पेलेटीकरण ।

(ग) और (घ). निर्यात के लिए वर्तमान वचनबद्धताओं तथा स्वदेशी इस्पात संयंत्रों की भावी आवश्यकताओं के लिए भी बेलाडिला में उपलब्ध राशियां क्योंकि पर्याप्त से अधिक है अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में कोयले की निकासी

1018. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार के उपक्रम दुर्गापुर-प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में गत तीन वर्षों में निकाले गए कोक की प्रतिवर्ष मात्रा और मूल्य क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में बेचे गए कोक की वर्षवार मात्रा तथा मूल्य क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षो में निर्यात किए गए कोक की वर्षवार मात्रा तथा मूल्य क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों का वर्षवार कोक का उत्पादन मूल्य क्या है ; और

(ङ) (1) भारत में कोक की सप्लाई से प्रति टन कितना मूल्य प्राप्त हुआ (2) गत 10 वर्षों में निर्यात द्वारा वर्षवार प्रतिटन कितनी कीमत प्राप्त हुई और इस अवधि में जो लाभ अथवा हानि हुई उसकी वर्षवार राशि क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स के संधारण अधीक्षक के विरुद्ध आरोप

1019. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :

क्या **पेट्रोलियम लथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम दुर्गापुर प्रोजेक्ट के संधारण अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं ;

(ख) क्या इन आरोपों की अब एक समिति द्वारा जांच की जा रही है और यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या आरोप है ;

(ग) जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(घ) जांच के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ङ) जांच पूरी होने तक यदि इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

पोलैण्ड के सलाहकारों के परामर्श से विशाखापत्तनम में जिंक स्मैल्टर के परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना

1020. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वामित्व वाले हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का एक दल विशाखापत्तनम में एक नया जिंक स्मैल्टर लगाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने हेतु पोलैण्ड के सलाहकार के साथ बात-चीत करने पोलैण्ड गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा क्या निर्णय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां । विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पोलैंड के मैसर्स सेन्ट्रोजेप के साथ की गई संविदा की शर्तों के अनुसार संक्रियात्मक एवं पूंजीगत लागतों के आक्कलन हेतु आधार सामग्री के संबंध में पोलैंड की पार्टी के साथ विचार-विमर्श करने और विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट पूर्ण करने के लिये परामर्शदाताओं को समर्थ बनाने हेतु संयंत्र-अर्थव्यवस्था पर भी विचार-विमर्श करने के लिये हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधिकारियों के एक दल ने जून 1970 में पोलैंड का दौरा किया । विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने में पोलैंड के अभिकरण द्वारा भारतीय उपकरण एवं दक्षता का अधिकतम उपयोग अभिनिश्चित करना इस दौरे का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था । विचार-विमर्शों के दौरान, लागतों के आक्कलन के लिए आधार सामग्री तथा आयात किए जाने वाले उपकरणों अथवा स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त किए जाने वाले उपकरणों की प्रारम्भिक वर्गीकरण सूची का निर्धारण किया गया था । अगस्त 1970 के अन्त तक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने की सम्भावना है और तब ही इसकी आर्थिक उपादेयता सहित प्रायोजना के पूर्ण ब्योरे उपलब्ध होंगे ।

जीवन बीमा निगम द्वारा विदेशी औद्योगिक कम्पनियों का वित्त पोषण

1021. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने विदेशी राष्ट्रकों द्वारा नियन्त्रित औद्योगिक कम्पनियों का वित्तपोषण किया है ;

(ख) क्या ये कम्पनियां बड़े औद्योगिक गृहों के वर्गीकरण के अन्तर्गत आती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक लाइसेन्स नीति का उल्लंघन करने के लिये जीवन बीमा निगम के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जीवन बीमा निगम की पूंजी, ऐसी बहुत सी औद्योगिक कम्पनियों में लगी हुई है जिनमें अधिकांश हिस्से विदेशियों के हैं औद्योगिक लाइसेन्स नीति संबंधी जांच समिति की रिपोर्ट में इन औद्योगिक

कम्पनियों में से कुछ कम्पनियां अपेक्षतया अधिक बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बद्ध कम्पनियों के रूप में तथा कुछ कम्पनियां बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बद्ध कम्पनियों के रूप में दिखाई गई हैं इस प्रकार पूंजी लगाने से जीवन बीमा निगम द्वारा औद्योगिक लाइसेन्स नीति के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जहां कहीं भी पूंजी निवेश, वित्तीय सहायता के रूप में किया गया था वहां जीवन बीमा निगम ने इस बात का ध्यान रखा कि जिस प्रयोजन के लिये धन की व्यवस्था की जा रही है उसे इन्डस्ट्रीज (डी० एंड० आर०) अधिनियम के अधीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त है। जहां तक बाजार में हिस्से खरीद कर लगाई गई पूंजी का संबंध है, संबंधित कम्पनियों को किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता और इस प्रकार के लेन-देन का उद्देश्य केवल जीवन बीमा निगम के निवेश किये जाने योग्य साधनों के लिये उपयुक्त निकास की व्यवस्था करना था। ये सभी निवेश, जीवन बीमा निगम पर लागू होने वाले बीमा अधिनियम की धारा 27-ए के अधीन निर्धारित कानूनी व्यवस्था के अनुरूप हैं।

आयकर तथा धन-कर के कुल आय से बढ़ जाने का निहितार्थ

1022. **श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रस्थापना की जांच की है कि आयकर तथा धन-कर की कुल राशि के किसी वर्ष के लिए कुल आय से बढ़ जाने का निहितार्थ अनुच्छेद 19 के प्रतिकूल सम्पत्ति जब्त करना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि यदि कुल आय से कर की अधिक राशि को ब्याज की नामजद दर पर ऋण के रूप में सरकार को भुगतान करने की अनुमति दी जाये, तो जब्ती की सम्भावना कम हो जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में आय तथा धन के कुछ स्तरों से ऊपर आयकर तथा धन-कर का सम्मिलित भार एक वर्ष की कुल आय से अधिक हो जाता है। फिर भी सरकार को यह सलाह दी गई है कि इन दो करों का आधार अलग-अलग होने के कारण इस तथ्य मात्र से ही इनकी संवैधानिक मान्यता कम नहीं हो सकती।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

Loss suffered by Coromandal Fertilizers Limited

1023. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the capital invested in the Coromandal Fertilizers Limited ;

(b) whether Government have enquired into the causes of the loss amounting to Rs. 62·38 lakhs sustained by the said Company in 1968 and 1969 and if so, the details thereof ; and

(c) the remedial measures adopted by the said Company in order to earn Rs. 494.30 lakhs during the period from October, 1968 to December, 1969 ?

The Mininster of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The capital of the Company as on 31. 12. 1969 was :

(i) Share Capital :	Rs. 9,58,20,100
(ii) Loan (long term) :	Rs. 36,73,02,100
	Rs. 46,31,22,200

(b) No.

(c) The figure of Rs. 494·30 lakhs represents gross profit before charging depreciation of Rs. 556·68 lakhs for the period October, 1968-December, 1969. After deducting depreciation the Company made a loss of Rs. 62·38 lakhs.

बैंकों द्वारा भारतीय निर्यातकों को विशिष्ट प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराना

1024. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश बैंक, नेशनल एण्ड ग्रिण्डेलेज-भारतीय निर्यातकों को विशिष्ट प्रकार की सेवायें उपलब्ध करने के उद्देश्य से एक पृथक विभाग बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जैसा 12 जून, 1970 के स्टेट्समैन में छपा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जून, 1970 में नेशनल ऐण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड ने इस बात का संकेत दिया था कि वह इस देश से पूंजीगत माल के निर्यात के लिए वित्त सम्बन्धी सुविधाएं दे सकता है। किन्तु, इसके बाद, बैंक ने अभी तक प्रस्तावित योजना का कोई ब्योरा नहीं दिया है।

House Rent Allowance for Government Employees

1025. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had on the 20th May, 1970 raised the ceiling of Government employees drawing pay more than 399 to Rs. 620/- for House Rent Allowance purposes while the minimum of 12.50 was fixed as City Compensatory Allowance payable to Government Employees and in the case of allottees, deductions on account of House Rent were made in accordance with recommendations of the Second Pay Commission ;

(b) if so, the reasons for fixing the limit for the City Compensatory Allowance and making deductions on account of House Rent at the rate of ten per cent in the case of class IV employees only ;

(c) whether the limit of the City Compensatory Allowance and House Rent has been fixed according to the recommendations of the Second Pay Commission and if so, the reasons for not giving annual increments and dearness allowance to those employees who are drawing more than Rs. 110 as pay ; and

(d) whether Government propose to reconsider their decision in regard to class IV employees so that they may not be put to any loss ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A Statement was made in Parliament by the Minister of State in the Ministry of Finance on the 20th May, 1970, conveying the decision of Government to raise the pay limit

from Rs. 500/- to Rs. 620/- (inclusive of dearness pay) for the purpose of grant of house rent allowance to Central Government servants without production of rent receipts. No reference was made to City Compensatory Allowance in that Statement.

The minimum of Rs. 12·50 per month admissible as City Compensatory Allowance to Government employees drawing pay of Rs. 150 and above in 'A' class cities is based on the recommendations of the Second Pay Commission. After merger of a part of dearness allowance with pay, city compensatory allowance is calculated on pay including dearness pay, thereby entitling the employees drawing even less than Rs. 150/- as basic pay, to increased amounts of City Compensatory Allowance. Employees, including Class IV employees, drawing pay less than Rs. 220/- (inclusive of dearness pay) are required to pay as house rent for Government accommodation only 7½% (and not 10%) of emoluments or the standard rent of the accommodation, whichever is less.

(c) and (d). The rates of House Rent Allowance and Compensatory (City) Allowance currently in force are more liberal than those recommended by the Second Pay Commission. It is not correct to say that persons drawing more than Rs. 110/- as pay are not drawing any dearness allowance. They are also allowed increases in dearness allowance as and when such increases are sanctioned.

It is also not correct to say that employees drawing more than Rs. 110/- p. m. are not allowed increments. They are, in fact, allowed increments till they reach the maximum of the scale of the post. Orders have also been passed recently granting one **ad hoc** increment to such of the Class III and Class IV employees who have been stagnating for two years or more at the maximum of their scales of pay.

The emoluments of all categories of Government employees are now being reviewed by Third Pay Commission which has been set up recently.

विश्व बैंक कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा ट्रैक्टरों का आयात

1026. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री चक्रपाणि :
श्री के० रमानी :
श्री नम्बियार :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार का विचार विश्व बैंक कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत अगले दस वर्षों में 8,000 ट्रैक्टरों का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ऋण योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य और रूमानिया के ट्रैक्टरों की तुलना में अमरीका से आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों की कीमत क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार ने 24 जून, 1970 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, पंजाब की एक कृषि ऋण प्रायोजना के लिये, जिसके अन्तर्गत 8,000 ट्रैक्टर और कृषि सम्बन्धी अन्य मशीनें प्राप्त की जानी हैं, 2.75 करोड़ अमरीकी डालरों (20.63 करोड़ रुपये) के एक ऋण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये ।

(ख) संक्षिप्त ब्योरा, संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3821/70]**

(ग) ट्रैक्टर विश्व बैंक के सदस्य देशों (जनवादी जर्मन गणराज्य और रूमानिया को छोड़कर) और स्विट्जरलैण्ड के उन सम्भरकों से आयात किये जायेंगे, जिन्होंने उस तारीख से पहले जब उपकरणों आदि के भाव (कोटेशन) पूछे जायंगे, भारत में ट्रैक्टर-निर्माण की सुविधाओं की स्थापना कर रखी हो अथवा भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये भारत सरकार से आवश्यक अनुमति ले रखी हो। चूंकि भाव अभी पूछे जाने हैं, इसलिये इस समय मूल्यों की परस्पर तुलना करना सम्भव नहीं है।

1970-71 में ट्रैक्टरों के आयात के लिये आन्ध्र प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता

1027. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री वेंकटस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक आन्ध्र प्रदेश के चालू वित्तीय वर्ष में ट्रैक्टरों के आयात के लिये सहायता दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने ट्रैक्टर आयात किये जायेंगे, और उनका मूल्य कुल कितना होगा ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इसके लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृत ले ली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश की एक कृषि ऋण-प्रायोजना के प्रस्ताव पर विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बातचीत करती रही है। इस सम्बन्ध में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ख) जिस प्रायोजना के प्रस्ताव पर भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच बातचीत चल रही है उसके अनुसार कृषि पुनर्वित निगम उन ऋणों के लिये पुनर्वित की व्यवस्था करेगा जो भूमि का विकास करने, लघु सिंचाई की व्यवस्था करने और खेती के उपकरण प्राप्त करने के लिये, जिनमें 3,000 ट्रैक्टर भी शामिल हैं, किसानों को दिये जायंगे।

(ग) यह प्रायोजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई थी और भारत सरकार, अपने अभिकरणों द्वारा इसकी जांच कराने के बाद, इसके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बातचीत कर रही है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये एक केन्द्रीय एकक की स्थापना

1028. **श्री जो० ना० हजारिका :**
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के

लिये जो केन्द्रीय एकक स्थापित किया जा रहा है, उसके कार्यों का ब्योरा क्या है ;

(ख) खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) अपमिश्रण के लिये अपराधी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उस एकक को क्या अधिकार दिये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय एकक मुख्यतः अन्तर नगर-पालिका और अन्तर्राज्यीय अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9 में विहित कार्य करेगा और राज्य सरकारों का तकनीकी-मार्गदर्शन करने में सहायता देगा । उक्त एकक के अन्य कार्य होंगे :

(1) खाद्य-पदार्थ तैयार करने वाले बड़े एककों का निरीक्षण, नमूने लेना और अपराधियों पर अभियोग चलाना ;

(2) खाद्य अपमिश्रण के मामलों के सम्बन्ध में जनता से आने वाली तात्कालिक शिकायतों को निबटाना ;

(3) राज्य सरकारों के और स्थानीय निकायों के खाद्य निरीक्षकों के कार्य को संदर्शित करना और उसमें तालमेल बनाये रखना एवं उन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का सही अर्थ लगाने समझने में मदद देना ;

(4) खाद्य पदार्थों का विश्लेषण कार्य शुरू करने के लिये खाद्य प्रयोगशालाओं को सबल बनाने में राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता देना ; और

(5) ऐसे अन्य कार्य करना जो कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन सौंपे जायें ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही कठोर बना लिया गया है और उक्त अधिनियम को समुचित रूप में प्रवृत्त करने के लिये राज्यों को कहा गया है ।

(ग) केन्द्रीय एकक के खाद्य निरीक्षकों को खाद्य पदार्थों का निर्माण, वितरण, प्रदर्शन या विक्रय करने वाले स्थानों का निरीक्षण करने का, निर्माताओं, वितरकों, थोक विक्रेताओं और फुटकर व्यापारियों से नमूने लेने का तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के अधीन दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों पर अभियोग चलाने का अधिकार दिया जायेगा ।

भारत और मारिशस के बीच यात्रा पर प्रतिबन्धों में ढील देना

1029. **श्री म० सुदर्शनम् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और मारिशस के बीच यात्रा पर प्रतिबन्धों में ढील देने का कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने मारिशस की यात्रा करने पर लगे प्रतिबन्धों को ढीला बनाने का निश्चय किया है। इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रेस नोट की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है। इसके अलावा और कोई करार नहीं किया गया है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3822/70]**

कलकत्ता के लिये मैट्रोपोलिटन बोर्ड की स्थापना

1030. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर की गन्दी बस्तियों की सफाई, परिवहन, मलवहन तथा सड़कों के लिये तीन करोड़ रुपये की योजना की क्रियान्विति के लिये कलकत्ता में मैट्रोपोलिटन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के कब तक बन जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) "कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार अधिनियम, 1970" के नाम से हाल ही में एक राष्ट्रपति का अधिनियम बनाया गया है जिसमें कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार कहा जाने वाला एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय स्थापित करने की व्यवस्था है। इस प्राधिकार का कार्य जलपूर्ति, कूड़ा-कचरे का निपटान, परिवहन, गन्दी बस्तियों की सफाई, मल तथा नालियों आदि सहित, कलकत्ता महानगर क्षेत्र के विकास के लिये, विभिन्न योजना और परियोजना बनाना, उनमें तालमेल रखना, उनका पर्यवेक्षण और उनके लिये धन उपलब्ध कराना होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसके लिये 156 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

(ख) जैसी कि अधिनियम में व्यवस्था है पश्चिम बंगाल सरकार, उपर्युक्त प्राधिकार को शीघ्र ही गठित करने के लिये कदम उठा रही है।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिये स्थानों की कमी

1031. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिये स्थानों की कमी है, हालांकि भारत में डाक्टरों की अत्यधिक आवश्यकता है ;

(ख) इस सत्र में कितने विद्यार्थियों को चिकित्सा संस्थाओं में स्थान नहीं मिल सकेगा ; और

(ग) क्या इस कमी का कारण यह है कि भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्र अधिक स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये आवश्यक स्थानों की तुलना में उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) देश के 95 कालेजों में प्रवेश के लिये इस समय लगभग 11,800 स्थान हैं। अभ्यर्थियों की संख्या प्राप्त स्थानों से बहुत अधिक है। अभ्यर्थियों की ठीक संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा संस्थाओं में विदेशी छात्रों को बहुत ही कम सीटें दी जाती हैं। 1970-71 में एम० बी० बी० एस० में 131 तथा प्री-मेडिकल में 20 विदेशी छात्रों को सीटें दी गईं।

Enquiry about Property Held by Smt. Aruna Asaf Ali

1032. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Bureau of Investigation had been conducting an enquiry into the sources of income and the property of Smt. Aruna Asaf Ali of Delhi and if so, the progress made so far in this regard and the information obtained as a result of the enquiry ; and

(b) the extent of truth in the news-item and the figures published in the 'Current' dated 6th June, 1970 in this connection and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The C. B. I. has not been conducting any enquiries into the sources of income and property of Smt. Aruna Asaf Ali, but the Income-tax Officer is making enquiries on this subject.

(b) A large number of questions have already been replied to and specific information on certain points has been furnished. In the article published in the "Current" facts and inference have been mixed up. It would not be possible to furnish information regarding what is published in newspapers. However, if information on specific points is sought, the same can be furnished.

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत के रिजर्व बैंक के कार्य-संचालन के बारे में की गई सिफारिशें

1033. **श्री धीरेश्वर कलिता :**		**श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :		**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत के रिजर्व बैंक के कार्य संचालन के बारे में दी गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यचालन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते हुये, विचार किया जा रहा है ।

नगरीय सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के अन्तरिम प्रस्ताव

1034. **श्री धीरेश्वर कलिता : श्री झारखंडे राय : श्री ईश्वर रेड्डी : श्री सरजू पांडेय :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्तावित नमूना विधान को अन्तिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार नगरीय सम्पत्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अन्तरिम प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय विचाराधीन अन्तरिम प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). सरकार ने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता का अनुमोदन किया है राज्य सरकारों के परामर्श से एक उपयुक्त योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यह विषय राज्य-सूची में आता है और केन्द्रीय कानून, संविधान के अनुच्छेद 252 में की गई परिकल्पना के अनुरूप ही केवल सम्भव है। फिलहाल, यह कह सकना संभव नहीं है कि अधिकतम सीमा क्या होगी, न यह कि योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ।

डीजल में मिट्टी के तेल का मिलाया जाना

1035. **श्री धीरेश्वर कलिता : श्री सरजू पांडेय : डा० रानेन सेन : श्री चन्द्रिका प्रसाद : श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारतीव पेट्रोलियम संस्थान ने यह अनुमान लगाया है कि देश में मिट्टी के तेल के कुछ उत्पादन के 15 प्रतिशत का प्रयोग डीजल के साथ मिलने में किया जाता है ; **और**

(ख) यदि हां, तो डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने एक बहुत सीमित सर्वेक्षण से अनुमान लगाया है कि मिट्टी के तेल का प्रयोग एच० एस० डी० के रूप में किया जा रहा है ।

(ख) निवारक उपाय अपनाने की दृष्टि से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी तेल कम्पनियों की तेल-शोधक क्षमता का विस्तार

1036. **श्री धीरेश्वर कलिता : डा० रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन् : श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है कि विदेशी तेल कम्पनियों की तेल-शोधक क्षमता को बढ़ाने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में काम कर रही भारतीय बैंकों की शाखायें

1037. **श्री नम्बियार : श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री वि० कु० मोडक : श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बैंकों की कुल कितनी शाखाएं विदेशों में काम कर रही हैं ;

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में इन बैंकों को कुल कितना लाभ हुआ है ; और

(ग) वर्ष 1968-69 तक इन बैंकों की कुल आस्तियां और दायित्व कितने थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेशों में (पाकिस्तान को छोड़कर) भारतीय बैंकों के 64 कार्यालय चल रहे हैं। इनमें से एक कार्यालय को, जो नाइजेरिया में चल रहा था, अगस्त, 1969 से सम्बद्ध राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थानीय तौर पर निगमित सहायक बैंक कार्यालय में तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में से दो बैंकों के पांच कार्यालयों को 1 नवम्बर, 1969 से उक्त दो बैंकों के स्थानीय तौर पर निगमित सहायक बैंक कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया था। 30 अप्रैल, 1970 से यूगांडा सरकार ने इन दो सहायक बैंकों के 60 प्रतिशत शेयर अपने हाथ में ले लिये हैं।

(ख) इन विदेशी शाखाओं द्वारा कमाये गये शुद्ध लाभ का व्योरा इस प्रकार है :–

(लाख रुपयों में)

	कैलेण्डर वर्ष		
	1966	1967	1968 के लिये
वर्ष का शुद्ध लाभ (करों, कर्मचारियों को बोनस और उपदान के लिये व्यवस्था करने के बाद)	1,54	1,04	1,60

(ग) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की परिसम्पत्तियां और देनदारियां नीचे दी गई हैं :—

	(लाख रुपयों में)	
	कुल देनदारियां	**कुल परिसम्पत्तियां**
27-12-1968 को	21084.72	21084.72
26-12-1969 को	21454.60	21454.60

ईरान और कुवेत से आयातित तरल अमोनिया का तुलानात्मक मूल्य

1038. **श्री नम्बियार :** **श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री भगवान दास :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने तरल अमोनिया का, जो यहां के उर्वरक कारखानों के उपयोग के लिये खरीदीं जाती है, मूल्य कम करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय ईरान उसका क्या मूल्य लेता है और उसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या कुवेत सरकार ट्रांबे उर्वरक कारखाने के लिये अमोनिया ईरान के मूल्यों की तुलना में 75 सेंट कम में देने के लिये सहमत हो गई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं । ईरान की नेशनल पेट्रो-कैमिकल कम्पनी के साथ बातचीत के दौरान, भारतीय तेल निगम ने भारत में उर्वरक संयंत्रों के प्रयोग के लिये अमोनिया की कीमत में कमी करवा ली है ।

(ख) तथा (ग). सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम की 1972 से 1978 तक की अवधि के दौरान ईरान की नेशनल पेट्रो-कैमिकल कम्पनी से एक मिलियन मीटरी टन अमोनिया और कुवेत की पेट्रो-कैमिकल इंडस्ट्रीज कम्पनी से 5,00,000 मीटरी टन अमोनिया खरीदने की अनुमति दे दी है । यह बात बताना जनहित में नहीं है कि निगम ईरान और कुवेत से अमोनिया किस कीमत पर खरीदेगा । जहां तक ज्ञात है, अमोनिया के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं है ।

सिंदरी और भारतीय उर्वरक निगम के अन्य एककों के कर्मचारियों द्वारा उर्वरक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का अस्वीकार किया जाना

1039. **श्री नम्बियार :** **श्री गणेश घोष :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंदरी उर्वरक कारखाने तथा भारतीय उर्वरक निगम के

अन्य एककों के कर्मचारियों ने, उर्वरक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) (क) जी हां।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के एककों/प्रभागों के कर्मचारियों को, मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के स्वीकार न होने का मुख्य कारण यह था कि मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत वेतनमान सामान्यतः निगम के वर्तमान वेतन-मानों की तुलना में कम थे; यद्यपि मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गन कर्मचारियों की निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिकर के रूप में अधिकतर मंहगाई भत्ते की व्यवस्था थी।

(ग) हाल ही में भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी, नंगल और गोरखपुर एककों तथा आयोजन एंव विकास प्रभाग के मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ एक समझौता किया है। करार की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

(i) वर्तमान वेतनमान लागू रहेंगे। इन वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जायेगा यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों का तीसरा वेतन आयोग ऐसा करता है;

(ii) भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धक मंहगाई भत्ते में वृद्धियां उसी प्रकार देंगे; जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को समय-समय पर देगी;

(iii) 1-3-1970 से न्यूनतम मजदूरी 170 रुपये प्रतिमास दी जायेगी।

मद्रास पत्तन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रत्नों का पकड़ा जाना

1040. **श्री नम्बियार**　　　　**श्री गणेश घोष :**
श्री अ० कु० गोपालन :　　　　**श्री के० रमानी :**
श्री प० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैगोन से आने वाले एक दम्पत्ति से सीमा शुल्क अधिकारियों ने मद्रास पत्तन पर लाखों रुपये के मूल्यों की विदेशी मुद्रा और हजारों रुपये के रत्न पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क अधिकारियों को उनसे कुल कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा और रत्न मिले हैं;

(ग) क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). 7-2-70 को सीमा शुल्क कर्मचारियों ने सैगौन से हवाई जहाज द्वारा मद्रास पहुंचे एक यात्री तथा उसकी पत्नी

से लगभग 65,543 रुपये मूल्य के हीरे, हीरे जड़े जेवरात तथा अन्य वस्तुएं पकड़ीं। उनके पास से कोई विदेशी मुद्रा बरामद नहीं हुई थी। परन्तु, यात्री के पास कुछ दस्तावेज पाये गये थे, जिनका प्रथम दृष्टया सम्बन्ध विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन से है। दोनों यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ा गया। पकड़े गये माल को पूर्णतः जब्त किया गया और उनमें से प्रत्येक पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 20,000/-रुपये का दण्ड लगाया गया। आगे जांच-पड़ताल चल रही है और उन दोनों के खिलाफ इस्तेगासे की कार्यवाही करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

नगरीय सम्पत्ति का अर्जन

1041. **श्री दण्डपाणि :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन : **श्री सामिनाथन :**
श्री मयावन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पांच सचिवों के दल ने नगरीय सम्पत्ति के अर्जन के बारे में अपनी सिफारिशें दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) प्रश्न का संकेत संभवतः नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा से है। यदि ऐसा है, तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) कार्यकारी टोली की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) नगरीय सम्पत्ति अधिकार की अधिकतम सीमा पर पांबंदी होनी चाहिये।

(ii) निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक सम्पत्ति के हस्तान्तरण को नियंत्रित किया जाना चाहिये।

(iii) निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक सम्पत्ति को, सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अनिवार्यरूप से अर्जन करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

(iv) यह वांछनीय है कि संसद समस्त देश के लिए व्यापक कानून बनाये और इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए और सर्व-सम्मति ली जाए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य

1042. **श्री दण्डपाणि :** **श्री मयावन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री कोलाई बिरुआ :**
श्री नारायणन : **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री मु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 और 26 जून, 1970 को सरकारी उपक्रमों के निदेशकों

और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की दो दिन की बैठक इस बात पर विचार करने के लिये हुई थी कि 4000 करोड़ रुपये के विनियोजन वाले सरकारी उपक्रमों के काम और लाभ में सुधार कैसे लाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) इस समय देश में जो सरकारी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं, उनके काम में सुधार के लिये क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). माननीय सदस्य संभवतः, वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी उपक्रमों के निदेशक-मंडलों में मनोनीत किये गये निदेशकों के 25 और 26 मई, 1970 को हुए उस सम्मेलन का उल्लेख कर रहे हैं जो सरकारी उपक्रमों के सामने जाने वाली कुछ सामान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और उनका विश्लेषण करने के लिए आयोजित किया गया था ताकि इन समस्याओं का सामाधान करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। तद्यपि इस सम्मेलन में कोई खास निर्णय नहीं लिये गये तथापि सुदृढ़ और कुशल वित्तीय व्यवस्था लागू करने, क्षमता का बेहतर उपयोग करने, विस्तृत प्रायोजना रिपोर्टों और सम्भाव्यता अध्ययनों के स्तर में सुधार करने, सामग्री-प्रबन्ध लागू करने और आवश्यकतानुसार व्यय पर नियंत्रण रखने आदि के संबंध में कुछ सुझाव दिये गये थे।

पश्चिम जर्मनी से सहायता

1043. **श्री दंडपाणि :** **श्री सामीनाथन् :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मयावन :**
श्री नारायणन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी ने भारत को अमरीका से भी अधिक सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी जर्मनी 1970-71 के लिये कितनी सहायता देने के लिये सहमत हुआ है और यह सहायता अमरीका द्वारा दी जाने वाली सहायता से कितनी अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

लघु उद्योग क्षेत्र पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रभाव का अध्ययन

1044. **श्री दण्डपाणि :** **डा० रानेन सेन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री जनार्दनन :**
श्री नारायणन : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री मयावन : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री कोलाई बिरुआ : **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री निहाल सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लागू की गई नई मूल्य निर्धारण पद्धति के

फलस्वरूप छोटे पैमाने के भेषज तथा औषधि निर्माताओं के समक्ष कठिनाइयों को समाप्त करने हेतु उपाय करने के लिये सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल ने क्या उपाय सुझाये हैं;

(ग) नई मूल्य निर्धारण पद्धति के लागू करने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार और लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन के लिये बढ़े हुए मूल्य नियत करने पर भी विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जहां तक छोटे स्तर के औषधि एककों का सम्बन्ध है, सरकार ने (i) पुनरीक्षित मूल्य सूचि और उससे सम्बन्धित गणना प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है, और (ii) ऐसे औषधि निर्माताओं को जिनकी वार्षिक बिक्री 5 लाख से अधिक नहीं है, विस्तृत गणना प्रस्तुत करने से औषधि अधिनियम 1970 के पैरा 9 की व्यवस्था से छूट दे दी गयी है। इससे आगे कोई भी आवश्यक कार्यवाही अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही की जायगी।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधन नहीं है।

मैसूर राज्य के कुदेरमुख क्षेत्र में कच्चे लोहे के भण्डार पाया जाना

1045. **श्री नारायणन :**
श्री दण्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन :
श्री मयावन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतत्वीय सर्वेक्षकों ने मैसूर राज्य के कुदेरमुख क्षेत्र में लौह अयस्क के भण्डार पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना लौह अयस्क पाया गया है;

(ग) क्या यह भी पाया गया है कि पैलेटों के रूप में अयस्क उत्पन्न करना बहुत लाभप्रद होगा; और

(घ) क्या अध्ययन नियत समय से पहले पूरा हो गया था और मई, 1970 में मंत्रालय को दे दिया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इन निक्षेपों में 11000 लाख मट्रिक टन से अधिक अयस्क है, जिसमें से 6000 लाख मैट्रिक टन औसतन 39 प्रतिशत लोहांश विश्लेषण के साथ सिथिल अपक्षीण रूप में है।

(ग) 67 प्रतिशत लौह मात्रा के साथ संकेन्द्रक प्राप्त करने के लिये सूक्ष्मों के रूप में अयस्क चुम्बकीय प्रथक्करण के द्वारा परिष्कृत की जा सकती है। सिन्टर भरण के रूप में उपयोग हेतु संकेन्द्रक अति सूक्ष्म होंगे। तथापि, पेलेट्स के लिये उनका उपयोग हो सकता है। हाल ही में पूरे किये गये तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन के रूप में अयस्क का निर्यात प्रस्तावित है और पेलेट्स का उत्पादन बाद की अवस्था पर अतिरिक्त सम्भाव्यता के रूप में सोचा गया है।

(घ) जी, हां।

बैंकों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबन्ध

1046. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन :
श्री दंडपाणि :
श्री कोलाई बरुआ :
श्री नारायणन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ये अनुदेश दिये हैं कि वे जुलाई, 1970 से ब्याज की दर 0.5 प्रतिशत और बढ़ा दें, और ऋण कम दें ;

(ख) यदि हां, तो रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किन कारणों से किया है ;

(ग) लोगों को दिये गये सभी प्रकार के ऋणों के परिणामस्वरूप ऋण की राशि में पर्याप्त वृद्धि करने में यह निर्णय कहां तक सहायक होगा ; और

(घ) इस निर्णय से मूल्य-बृद्धि पर दबाव में किस हद तक कमी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पहली जुलाई, 1970 से अग्रिमों पर अपनी ब्याज की दरें बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई हिदायत नहीं दी गयी है। परन्तु रिजर्व बैंक ने कुछ संवेदनशील जिन्सों जैसे वनस्पति तेलों और तेलहनों, अनाज, देशी रुई और कपास के बदले दिये जाने वाले अग्रिमों पर 21 जनवरी, 1970 से कम से कम 10 प्रतिशत की ब्याज दर तय की थी। 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा रकमों वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सभी विदेशी बैंकों द्वारा अग्रिमों पर लिये जाने वाले ब्याज की $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत की अधिकतम दर की सीमा को रिजर्व बैंक ने उसी तारीख से हटा लिया था और बैंकों को अग्रिमों पर अपने विचार के अनुसार उचित दर से ब्याज लेने की छूट दे दी गयी थी परन्तु उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये विशेष निदेशों का पालन करना होता था, जैसे कि निर्यात के मामले में 6 प्रतिशत दर की अधिकतम सीमा अब भी लागू है। बाद में, 28 अप्रैल, 1970 से बनस्पति तेलों, तेलहनों और देशी रुई और कपास के बदले दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज की दर बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दी गयी थी। यह कदम उपर्युक्त जिन्सों के मूल्यों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और कमी वाली जिन्सों की सट्टेबाजी के लिये

जमाखोरी को रोकने के लिये उठाए गये थे। फिर भी, बैंकों को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तथा उत्पादनशील कार्यों में लगे सभी उद्यमकर्ताओं की वास्तविक ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की छूट है।

(घ) उपर्युक्त उपायों से और रिजर्व बैंक द्वारा उससे पुनर्वित्त की प्राप्ति और अधिक मंहगी बनाने के लिये उठाये गये कदमों से, आशा है, सिट्टेबाजी के लिये जमाखोरी को रोकने और उससे मूल्यों में स्थायित्व लाने में सहायता मिलेगी।

गर्भ निरोध के नये साधन

1047. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रकार के नये गर्भ निरोधक साधनों की, जिनके फलस्वरूप देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम में क्रान्ति आ जाने की संभावना है, क्षमता पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के निषकर्षों के परिणाम क्या हैं ; और

(ख) नये गर्भ निरोधकों की विशेष बातें क्या हैं और उन्हें कब से प्रयोग में लाया जायगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). नये तरीके विकास और मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। परिणामों को अभी अन्तिमरूप नहीं दिया गया है। इन तरीकों के व्यापक प्रयोग के लिए केवल तभी विचार किया जायगा जब उनकी जांच और प्रभाव का ब्योरा उपलब्ध हो जाएगा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, द्वारा परीक्षण किये जा रहे नये तरीकों का ब्योरा निम्नलिखित है :

1. **हारमोनल गर्भ निरोधक :** ये अभी तक एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टिन्स के सम्मिलित रूप में दिये गये हैं और कुछ वर्षों से चिकित्सा के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं। इन योगिकों को देने के अन्य तरीके इस प्रकार हैं :

(1) **महीने में एक गोली :** इस प्रयोग में काफी समय तक असर करने वाला एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टोजेन का सम्मिलित मिश्रण दिया जाता है जो कि स्त्रियों में मासिक अंड-डिम्ब को बनने से रोकता है।

(2) **महीने में एक इंजेक्शन :** अंड-डिम्ब विरोधक (एन्टीओवुलेटरी) इसमें काफी समय तक असर करने वाला एस्ट्रोजेन/प्रोजेस्टोजेन का मिश्रण रहता है।

(3) **माइक्रोडोज प्रोजेस्टोजेन :** दैनिक एक गोली खाई जाती है या यही औषधि (प्रोजेस्टोजेन) खाल के नीचे सूई से प्रवेश कर दी जाती है। (साईलिस्टिक इम्पलन्ट) जिससे की नियमितरूप से न्यून मात्रा में औषधि शरीर में दैनिक प्रवेश कर सके।

(4) **प्रोजेस्टोजेन का डिपो इंजेक्शन** : हर तीसरे महीने और/या छठे महीने लगाया जाता है।

(5) **सम्भोग के बाद प्रयोग किये जाने वाले गर्भ निरोधक** : इसमें स्टैरायडल यौगिक भी शामिल हैं जैसे एस्ट्रोजेन्स।

2. **प्रोस्टेग्लैन्डिन्स** : अभी तक 16 प्रोस्टेग्लैन्डिन्स के बारे में मालूम हो सका है और यह आशा की जाती है कि इनमें से कुछेक का जननक्षमता को नियमित करने, गर्भ रोकने और शिशु जन्म तथा प्रारम्भिक अवस्था में गर्भपात करने के लिये प्रयोग किया जा सकेगा।

3. **गर्भ निवारण औषध** : यह एक देशी औषध है। जानवरों पर परीक्षण से इसमें गर्भ निरोध की कुछ क्षमता पाई गई है।

4. **डाइफीनिल कम्पाउन्ड्स** : डाइफीनिल प्रोप्रिओफेनोनेस तथा अन्य सम्बद्ध यौगिक गर्भनिरोधक क्षमता वाले यौगिक हैं जो यदि सफल हुए तो जनन क्षमता रोकने वाले यौगिकों में अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।

5. केले के बीजों के सत के बारे में यह कहा जाता है कि इनका गर्भनिरोधक असर होता है।

6. **लूप** : लूप के आकार, डिजायन या सामग्री के सम्बन्ध में अनेक संशोधनों पर अभी-अभी परीक्षण किये जा रहे हैं। सिलीकोन, स्टेनलैस स्टील के बने हुए लूप भी इनमें शामिल हैं जिसमें लूप बाहर न निकलने के लिये एक स्प्रिग लगी होती है। तांबे की एक 'टी' आकार के लूप में जांच करने पर गर्भनिरोधक की अतिरिक्त क्षमता पाई गई है। 'कोरोल', एक अन्य किस्म के लूप की भी अभी परीक्षा की जा रही है।

7. **फेलोपियन नलियों के रास्ते को रोकना जिससे कि वह दुबारा बाद में खुल जाय** : ऐसा एक तरल पदार्थ (सिलीकोन पोलीमर) के द्वारा किया जाता है जोकि शरीर के तापमान पर सख्त (वल्केनाइज) हो जाता है और रुकावट का काम करता है। इसके बारे में जांच की जा रही है। यह तरीका यदि सफल हो गया तो महिलाओं की नालियों को शल्य चिकित्सा से रोकने की प्रणाली में क्रान्ति ले आएगा।

8. **नलिका बंधन की शल्यक्रिया को और आसान करना** : अनेक स्त्रीरोग विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

9. शुक्राणु प्रवेश के सामान्य शरीर क्रिया की प्रणालियों में बाधा डालने, अंड बिम्ब को नलिका द्वारा गर्भाशय में प्रवेश करना, ब्लास्टोसिस्ट का जीव विज्ञान, कार्पस ल्यूटियम के कार्यों के तरीकों की अभी सक्रिय जांच की जा रही है।

10. **शुक्राणु एन्टीजन से रक्षण** : इसका उद्देश्य महिला के गर्भाशय में जनन क्षमता प्राप्त करने से शुक्राणुओं को रोकना है।

ख. पुरुषों के प्रयोग के लिए

1. **स्टेरायडल और नौन-स्टेरायडल औषधियों का विकास** : जो कि पुरुषों में शुक्राणुओं का बनना रोके और उनकी काम इच्छा को कम न होने दे।

2. प्रयोगों या शुक्राणु एन्टीजनों से रक्षण करना जो अस्थायीरूप से शुक्राणु बनना रोकेगा।

3. **शुक्रवाहिनी नालिका को दुबारा खुल जाने के लिए रुकावट डालना** : इसके लिए अनेक विदेशी सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है जिसमें शरीर तापमान पर नली जोड़ने वाला सिलिकोन भी शामिल है।

4. **शुक्र वाहिनी नालिका के दुबारा खुल जाने के लिए बांधने के बारे में-** शल्य आपरेशन में संशोधन करने के लिए इसकी अभी जांच की जा रही है। इससे नली को फिर से जोड़ने में काफी सुधार हो जाएगा।

दिल्ली में चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा स्थानों की कमी

1048. **श्री एस० एम० कृष्ण : डा० सुशीला नैयर :**
श्री मु० अ० खान : श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष दिल्ली में चिकित्सा विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा स्थानों की कमी है और अधिकांश विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिला ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां, 50 लाख जनसंख्या के लिये एक मेडिकल कालेज के राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार, दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में मेडिकल कालेजों और उनमें उपलब्ध सीटों की व्यवस्था पर्याप्त है। तथापि, दिल्ली के प्रो-मेडिकल प्रथम श्रेणी छात्रों की सहायता के लिये लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में 10 सीटें बढ़ा दी गई हैं और मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। उत्तरोक्त स्थिति इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

दिल्ली के छात्र देश के अन्य भागों में उन छः मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये प्रतियोगी परीक्षा में भी बैठ सकते हैं जो अखिल भारतीय आधार पर छात्रों को दाखिल करते हैं।

वायु दूषण नियंत्रण पर विधेयक

1049. **श्री एस० एम० कृष्ण : श्री ओमप्रकाश त्यागी :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : श्रीमती इला पाल चौधरी :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु दूषण नियंत्रण पर विधेयक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) समिति के निदेश पद क्या हैं ; और

(घ) समिति कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को दे देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। समिति 19 मई, 1970 को अधिसूचित की गई।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :

1. श्री ए० के० राय, सलाहकार (ज० स्वा० ई०), केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन, स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रालय, (स्वास्थ्य विभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली	...	अध्यक्ष
2. डा० एम० एन० राव, निदेशक, अखिल भारतीय, स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य, कलकत्ता।	...	सदस्य
3. डा० एम० एन० गुप्त, निदेशक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।	...	सदस्य
4. श्री वी० वी० श्रीवेकर (एस० ई०) स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।	...	सदस्य
5. केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र, धनबाद का एक प्रतिनिधि	...	सदस्य
6. केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई का एक प्रतिनिधि	...	सदस्य
7. श्री जे० एम० दवे, उपनिदेशक, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	...	सदस्य-सचिव

समिति ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह आवश्यक समझे सहयोजित कर सकती है।

(ग) समिति के निदेश-पद इस प्रकार होंगे :

(क) देश में वायु दूषण के बारे में पहले से उपलब्ध सामग्री को एकत्र करना और उसका समन्वय करना।

(ख) देश में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वायु दूषण के बारे में पहले किये गये कार्य का अध्ययन करना ।

(ग) हवा में वायु दूषण के विभिन्न संघटकों से होने वाले दूषण की अधिकतम सह्य मात्रा के मानक निर्धारित करना ।

(घ) हवा के नमूने लेने तथा उनके विश्लेषण की विधियां तथा साधन तैयार करना ।

(ङ) वायु मण्डलीय दूषण की रोक-थाम के लिये कार्य संहित और नियमावली तैयार करना ।

(च) अन्य देशों में मौजूद वायु दूषण विषयक अधिनियमों का अध्ययन करना और भारत के लिये वायु दूषण नियंत्रण विधेयक का एक प्रारूप तैयार करना ।

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट छः महीने की अवधि में प्रस्तुत कर देगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पशु बीमा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव

1050. **श्री झारखंडे राय :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **वित्त** मंत्री 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8415 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु बीमा योजना तैयार करने के मामले पर जीवन बीमा निगम ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). मामले की जांच की जा रही है ।

उर्वरक ऋण गारंटी निगम स्थापित करना

1051. **श्री झारखंडे राय :** **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री सरजू पांडेय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उर्वरक ऋण गारंटी निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) निगम के कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार उक्त प्रस्ताव की अभी जांच कर रही है ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

आवास मंत्रियों का जयपुर में सम्मेलन

1052. **श्री रा० बरुआ :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री शिवकुमार शास्त्री :**
श्री राम चरण : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री दे० अमात :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आवास तथा इससे सम्बन्धित अन्य समस्याओं को हल करने के बारे में अब तक हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन हाल ही में उदयपुर में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें दी गईं और क्या सरकार ने उन सिफारिशों के बारे में विचार किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) ग्रामीण आवास के इंचार्ज राज्यों के मंत्रियों की और उसके पश्चात, निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग से सम्बद्ध सलाहकार समिति के संसद सदस्यों के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति में सुधार के उपायों पर विचार करने के लिये 20 जुलाई, 1970 को जयपुर में एक बैठक हुई।

(ख) उपर्युक्त बैठक से जो निष्कर्ष निकले, वे संलग्न अनुबन्ध में दिये गये हैं। सरकार द्वारा अभी इन पर विचार किया जाना है।

विवरण

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रम, विशेषकर, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए आवास स्थानों की व्यवस्था और उनके लिये मकान निर्माण, प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार द्वारा भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को बिना मूल्य के (या नाम मात्र लागत पर) वास-स्थान उपलब्ध करने के लिये अपने साधनों में से अपेक्षित भूमि अर्जन की जानी चाहिये।

(ख) साधनों की कमी और समस्या के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, अल्प साधनों को समस्त राज्य में फैलाने के बजाय, ग्रामीण आवास कार्यक्रम चयनात्मक दृष्टि के आधार पर आरम्भ किये जायें। ग्रामीण आवास का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये, प्रत्येक राज्य को प्रत्येक एक करोड़ जनसंख्या के लिये, एक जिले का चयन करना चाहिये। राज्य सरकारें आदि, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रत्येक एक जिले का चयन कर सकती हैं, जिसकी जनसंख्या एक करोड़ से कम हो।

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिए 75 प्रतिशत अपेक्षित व्यय, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध किया जाना चाहिए और शेष 25 प्रतिशत

राज्य सरकारों द्वारा स्वयं वहन किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिये, दी जाने वाली सहायता के प्रश्न, यदि कोई हो, पर बाद में विचार किया जा सकता है।

(घ) राज्य सरकारों को सरकारी तथा अन्य भूमि की उपलब्धता और अपेक्षित आवास स्थानों की संख्या, निर्माण किये जाने वाले मकानों की संख्या और इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित निधियों का निर्धारण चुने हुए जिलों के सर्वेक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। इन भवनों के निर्माण के लिये विशिष्टियों के अपनाये जाने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के बारे में ब्योरा, केन्द्रीय निर्माण आवास और नगर विकास विभाग को सितम्बर, 1970 तक भेजा जाना चाहिये ताकि मामले पर आगे उचित आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(च) परिकल्पित विस्तृत कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह आवश्यक होगा कि वित्त के अतिरिक्त सांस्थानिक साधनों के संघटन पर विचार किया जाय। इस पर आगे विचार किये जाने की आवश्यकता होगी।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से दवाइयों की बिक्री करने के सम्बन्ध में सुझाव

1053. **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली दवाइयों की चोर बाजारी को रोकने के उद्देश्य से दवाइयों की बिक्री करने के लिये उचित दर की दुकानें स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं। इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले सरकार स्थिति को देखना चाहती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में तेल के संसाधनों का पता लगाने के लिये एक सलाहकार फर्म को आमंत्रित करने का प्रस्ताव

1055. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के संसाधनों का सही अनुमान लगाने तथा तेल क्षेत्रों से तेल निकालने की इष्टतम दर निर्धारित करने तथा इस सन्बन्ध में विशेषज्ञों की सलाह लेने के

लिये एक विश्वविख्यात सलाहकार फर्म को आमंत्रित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है तथा विचाराधीन फर्म का नाम क्या है;

(ग) प्रस्तावित फर्म को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के साथ प्रस्ताव पर कितना खर्च होगा; और

(घ) इसको कब तक अन्तिमरूप दिये जाने तथा कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है तथा फर्म लगभग कितनी अवधि में अपना कार्य पूरा कर लेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (घ). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आसाम तथा गुजरात स्थित क्षेत्रों के भण्डारों का अनुमान लगाने और उत्पादन की इष्टतम दरों का निर्धारण करने के लिये डल्लस (यू० एस० ए०) के मैसर्स डीगोलयर एण्ड मैकनाटन का परामर्श लिये जाने का प्रस्ताव है।

कम्पनी के विशेषज्ञ, जिसके भारत में शीघ्र ही पहुंचने की आशा है, के साथ बातचीत करने के बाद विचारार्थ विषय, अध्ययन के स्वरूप और आकार को अन्तिमरूप दिया जायगा।

अध्ययन के व्यय और अवधि का हिसाब बाद में लगाया जायेगा।

दक्षिण गुजरात के गैस क्षेत्रों से गैस उत्पादन करने और उसका प्रयोग करने के लिये योजना

1056. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अंकलेश्वर, खम्बात की खाड़ी तथा दक्षिण गुजरात के अन्य छोटे गैस क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली गैस का उत्पादन करने और उसका प्रयोग करने के लिये 15 वर्ष की अवधि की एक समेकित योजना तैयार की है जो सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को अन्तिमरूप कब दिया जायेगा तथा उसे कब लागू किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है :

(i) अंकलेश्वर और खम्भात क्षेत्रों तथा कोसम्बा, आलपद और हाजीरा के छोटे क्षेत्रों को जोड़ने के लिये एक गैस-ग्रिड।

(ii) अंकलेश्वर से सम्मिलित गैस के उडाव का निवारण, और

(iii) ईंधन के रूप में गैस के प्रयोग में उत्तरोतर कमी और सम्भरण माल के रूप में उसके प्रयोग को बढ़ाना।

(ग) इस समय योजना सरकार के विचाराधीन है।

Number of Beds in Government Hospitals in Delhi

1057. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Chandrika Prasad :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Shardanand :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Devindar Singh Garcha :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of beds provided in Government hospitals in Delhi and the average per bed in respect of permanent residents of Delhi as also of those who come from outside Delhi ; and

(b) the effective steps taken during the last three years to meet the increasing rush of patients in the hospitals and the result achieved and the future plan during the next three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The total number of beds provided in Central Government and Delhi State Hospitals in Delhi as on the 1st January, 1970 was 5122. In Delhi hospitals, beds are not distributed/divided between permanent residents of Delhi and those who come from outside Delhi. The general bed—population ratio in Delhi was 2.42 to 1000 at the beginning of the Fourth Plan which is far above the national bed—population ratio of 49 to 1000.

(b) During 1967 the total bed strength of all the hospitals in Delhi was about 8,000 beds. At the end of 1969 the total bed strength in the various hospstals in Delhi, including private nursing homes and private hospitals was 9000 beds (approx.)

Proposals for opening new hospitals and dispensaries and adding beds to the existing hospitals are given below :

1. A 16-bed hospital was commissioned in the New Police Line during the year 1969-70.
2. The Joshi Memorial Hospital has been taken over by the Delhi Administration during the current financial year and will be commissioned shortly with 30 beds.
3. Five 100-bed new hospitals in different parts of the Union Territory of Delhi during the Fourth Five Year Plan are proposed to be set up.
4. An emergency ward of 150 beds is proposed to be opened in the Irwin Hospital.
5. 170 beds will be added in the hospital for mental disease, Shahdara during the year 1970-71.
6. 983 beds are proposed to be added in the various hospitals run by the Municipal Corporation of Delhi.
7. 92 beds are proposed to be added in the G. B. Pant Hospital, New Delhi.
8. The New Delhi Municipal Committee propose to increase the number of beds in its hospital to 100 beds during the next three years.
9. 20 beds are proposed to be added in the Safdarjang Hospital for emergency patients.
10. 120 beds are proposed to be added in the Willingdon Hospital.

11. The Employees State Insurance Corporation which provides Medical care to the industrial workers and their families are constructing one 250-bed hospital. The construction is expected to be completed.

Reported News of Removal/Resignation of former Manager of London Branch of Central Bank of India

1058. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Sharda Nand :** **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Jaggannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the reports published in the Times and the Guardian, London, to the effect that according to the Statements of Ministers of State Government of India, the General Manager of London Branch of the Central Bank had removed the Manager, Shri Patel from service ;

(b) whether the attention of Governments has also been drawn to the press reports to the effect that the General Manager of Bombay Head Office,who was sent to conduct an enquiry into the matter, had told the British Press Correspondents that Shri Patel had resigned his post ; and

(c) the factual position in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government has seen reports published in the Times and the Guardian of the 20th May, 1970. Both the reports have stated that Shri Patel was "relieved of his duties" according to the Statements made by the Ministers of State for Finance in Parliament.

(b) Government has seen press reports that have appeared in some Indian newspapers regarding statements made by Shri D. V. Taneja, Manager at the Headquarters Office of the Central Bank of India (not the General Manager) to press correspondents in London to the effect that Sami Patel had tendered his resignation.

(c) The factual position was stated in the identical statements made in the two Houses by the Ministers of State on the 19th May, 1970 in reply to the Calling Attention Notices. It will be noticed from the Statement that it was stated that the General Manager relieved Shri Sami Patel of his duties. Further on in the Statements it was stated, that Shri Sami Patel had tendered his resignation and was relieved of his duties on the 26th March, 1970.

Disbursement of Pension to Government Employees through Post Offices

1059. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Sharda Nand :** **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that after retirement, pension to P & T and Defence employees, is disbursed through Communication Department (Post Offices) ;

(b) Whether it is also a fact that pension to other Government employees is disbursed through the treasury ;

(c) Whether any scheme is under consideration to make disbursement of pension through the post offices in the case of those Government employees also who now get disbursement of their pensions through the treasury, and

(d) If so, when, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Certain categories of P & T employees and Indian Military pensioners (and their families) residing in Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Delhi draw their pensions through post offices. Other pensions are disbursed through the Treasuries.

(c) and (d). The proposal regarding disbursement of pensions through Post Offices to other Government employees has been considered but was not pursued due to practical difficulties in implementing it. The Administrative Reforms Commission who had considered this suggestion also felt that the handing over of the responsibility for the disbursement of pensions generally to the Post Offices is not a feasible proposition. The main difficulties anticipated are :—

(1) additional expenditure to Government in making these arrangements will be sizeable ;

(2) the payment of pensions relating to all Departments through Post Offices will create accounting difficulties in the matter of inter departmental settlement, considering the number of transanctions involved ;

(3) the Post Offices may face difficulties in establishing the identity of the pensioners or in checking and verifying the factual position regarding them.

प्रति जीवाणु परियोजना ऋषिकेश के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोप

1060. **श्री मु० अ० खान :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति जीवाणु परियोजना, ऋषिकेश के कुछ उच्च अधिकारियों के, जिन में 1966 में तत्कालीन परियोजना प्रशासक भी शामिल है, विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विचाराधीन थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1967 में केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जिनमें प्रतिजीवाणु परियोजना, ऋषिकेश के तत्कालीन परियोजना प्रशासक शामिल थे, कई आरोपों की जांच की थी।

(ख) सम्बद्ध आरोपों में एक निकासी एजेन्ट का पक्षपात और पर्यविक्षण की कमी थी जिससे परियोजना के हितों पर कुप्रभाव पड़ा। इन आरोपों की विस्तृत जांच से पता चला कि बिलों के भुगतान सम्बन्धी कार्य विधिक में त्रुटियां थी और कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं था।

(ग) इन कमियों को समाप्त करने के लिये क्रिया विधि खामियो की जांच की जा रही है।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

1061. **श्री मु० अ० खान :**　　**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :　　**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री 18 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में प्रवेश प्राप्त करने के लिये इस वर्ष प्रवेश से पूर्व एक प्रतियोगिता परीक्षा हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कालेज में प्रवेश के लिये प्रवेश से पूर्व परीक्षा करने सम्बन्धी निर्णय को सरकार कब क्रियान्वित करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी तक इस परीक्षा को आयोजित करने के लिये ब्यौरा तैयार नहीं किया है। कार्यान्वित करने का प्रश्न तभी उठेगा जबकि विश्वविद्यालय इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लेगा।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

1063. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास, नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिये, 1.64 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की है;

(ख) क्या उक्त धनराशि के उपयोग के लिये सरकार ने कोई योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली के लिये चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में स्वास्थ्य हेतु 7 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। योजना आयोग द्वारा अभी तक कोई अतिरिक्त परिव्यय मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र से सहायक उद्योगों, वर्कशापों तथा छापेखानों का स्थानान्तरण

1064. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस समय कनाट प्लेस के क्षेत्र में स्थित सहायक उद्योगों, वर्कशापों और छापेखानों को नई दिल्ली में सुपर बाजार के पीछे एक स्थान पर स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार इस योजना के पक्ष में नहीं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना में सुपर बाजार के पीछे, रेलवे लाइन के साथ, 7.43 एकड़ का एक प्लाट, उन उद्योगों को वैकल्पिक वास देने के लिये जो क्षेत्र के वर्तमान उद्योगों के अनुरूप नहीं हैं, को फ्लैटेड फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग). जैसा कि उत्तर के भाग (क) में बताया गया है, क्षेत्रीय योजना सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित है।

(घ) पुनर्विचार के बाद, सरकार ने निम्नलिखित कारणों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को, क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'फ्लेटिड फैक्ट्रीज' से 'व्यावसायिक' में परिवर्तन करने की वांछनीयता पर विचार करने का सुझाव दिया था :

(1) फ्लेटेड फैक्ट्रियां छोटे दूकानदारों और दस्तकारों के लिये हैं, जो कनाट प्लेस जैसे केन्द्रीय स्थित और व्यवहार कुशल व्यावसायिक क्षेत्र में ऊंची दर के किराये नहीं दे सकते। फ्लेटेड फैक्ट्रियों के स्वामी फैक्ट्री सहित रिहायशी वास की तरह रहने के आदी हैं जिससे इस क्षेत्र की शान्ति भंग होगी।

(2) फ्लेटेड फैक्ट्रियों को उस क्षेत्र में बनाने की तरजीह देनी चाहिये जहां पर नगर की जनसंख्या को भेजा जाना है और न कि कनाट प्लेस क्षेत्र में, क्योंकि फ्लेटेड फैक्ट्रियों की स्थापना से सफाई, यातयात के जमाव आदि की समस्याओं से स्थिति गंभीर हो जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंखा रोड, दिल्ली पर निम्न आय वर्ग के लिये बनाये गये मकान

1065. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंखा रोड पर स्थित जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने मकान एलाट किये जा चुके हैं ;

(ग) क्या उस कालोनी में सरकार ने लोगों के लिये पर्याप्त नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग के लिये मकान बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिये एक ठोस योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) 1749

(ख) 1145।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार जल सप्लाई, भूमि-गत नालियां, सड़कें और बरसाती पानी की नालियों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंखा रोड के ब्लाक 'ए' और 'बी' में बिजली लगाने का काम और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था प्रगति पर है। जहां कहीं मकान बन गये हैं, घरेलू कनेक्शन दे दिये गये हैं। 'सी' और 'डी' ब्लाक में बिजली लगाने का काम दिल्ली विद्युत सप्लाई उपक्रम द्वारा शीघ्र ही आरंभ किये जाने की आशा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस वर्ष के दौरान निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये 4,550 रिहायशी एककों के निर्माण का कार्य आरंभ किये जाने की योजना है।

दिल्ली में भूमिगत जलाशयों का निर्माण

1066. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में राजौरी गार्डन तथा रामलीला मैदान में भूमि-गत जलाशयों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो दोनों जलाशयों की क्षमता कितनी-कितनी होगी;

(ग) इन पर अलग-अलग कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) जलाशयों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इन दो जलाशयों की भण्डार क्षमता तथा लागत निम्न प्रकार से होगी :

(1) **रजौरी गार्डन—**

(क) भण्डार क्षमता	—	45 लाख गैलन
(ख) लागत	—	12.50 लाख रुपये

(2) **रामलीला ग्राउण्ड—**

(क) भण्डार क्षमता	—	50 लाख गैलन
(ख) लागत	—	15 लाख रुपये

(घ) इन दो जलाशयों का निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1971 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

मालवीय नगर नई दिल्ली में गन्दे पानी की सप्लाई

1067. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री न० रा० देवघरे :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली जल सम्भरण उपक्रम जून, 1970 में 20 दिन से अधिक समय तक दक्षिण दिल्ली के कुछ क्षेत्रों, विशेषकर मालवीय नगर के नलों में गन्दे पानी की सप्लाई करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसा दिल्ली जल सम्भरण उपक्रम द्वारा उक्त इलाके में पानी के दबाव में सुधार करने के लिए हाल ही में प्राप्त किये गए बूस्टर पम्प को चालू किये जाने के बाद हुआ ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

मालवीय नगर के अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में पानी के जोर में वृद्धि करने के लिये वहां एक बूस्टर पम्पिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। इस पम्पिंग स्टेशन को 2 जून, 1970 को चालू किया गया था। मुख्य नल में पानी का जोर बढ़ जाने तथा कुछ ब्लाकों की ओर पानी के बहाव के रूप में तबदीली कर देने से पाइप लाइन में जमी हुई पपड़ी उखड़ गई और इसके फलस्वरूप नलकों में गंदले पानी के आने की शिकायतें मिलीं। कुछ समय के लिए नलकों को खुला छोड़ देने से पानी साफ हो जाता है जब कभी किसी वर्तमान मुख्य नल में पानी का जोर बढ़ जाता है तो आमतौर पर ऐसा हो जाता है।

इन शिकायतों के मिलने के तुरन्त बाद ही दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने विभिन्न स्थलों पर पानी की जांच की तनिक गंदला दिखाई देने के सिवाय पानी बिल्कुल ठीक पाया गया। वितरण नलों को विभिन्न स्थानों पर पानी छोड़ कर साफ कर दिया गया था तथा आगे सफाई के लिये पानी से अतिरिक्त घर्णण किये गए।

भारतीय माल की नेपाल को तस्करी

1068. **श्री दिनकर देसाई :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि ऐसी वस्तुओं के जिनका भारत से ले जाना और नेपाल से भारत लाना निषिद्ध है, लाने तथा ले जाने की रोकथाम के लिये भारत-नेपाल सीमा पर उसके कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह सच है कि इलाहाबाद, पटना और पश्चिम बंगाल के सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं ने सरकार के पास इस आशय के प्रस्ताव भेजे कि भारत-नेपाल सीमा पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाये जिससे नेपाल से भारत और भारत से नेपाल को अन्य देशों के माल के तस्कर व्यापार को रोका जा सके। भारत सरकार ने मई, 1970 में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकारी कर्मचारी मंजूर किए हैं :—

1. सहायक समाहर्ता	4
2. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक	10
3. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक	135
4. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उप-निरीक्षक	61
5. सिपाही	279
6. ड्राइवर	9

आसनसोल के निकट स्थित सल्टोस कोयला खान का बन्द किया जाना

1069. **श्री कं० हालदर :** **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री गणेश घोष :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री मोहम्मद इस्माइल :**
श्री जि० मो० विश्वास : **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
डा० रानेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल के निकट स्थित सल्टोस कोयला खान हाल ही में बन्द हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) कोयला खान के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी प्रभावित हुए ; और

(घ) उक्त खान को फिर से खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) असुरक्षित कार्यकरण परिस्थितियां ।

(ग) 852

(घ) खान सुरक्षा के महानिदेशक ने यह पाया है कि इस खान में और आगे खनन-संक्रिया संकटास्पद और गंभीर एवं भयानक परिणामों से परिपूर्ण है । इस दृष्टि से इस कोयला खान को पुनः खोलने का प्रश्न अब उत्पन्न नहीं होता है ।

दिल्ली के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को दिये गये ऋण

1070. **श्री सूरज भान :** **श्री शारदानन्द :**
श्री वंश नारायण सिंह : **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र में 30 जून, 1970 तक उद्योगों, व्यापार, रिक्शा वालों, तांगा वालों, डाक्टरों, कृषकों, स्कूटर वालों और जूते बनाने वालों को अलग-अलग कितना-कितना ऋण दिया;

(ख) गत वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध ऋण लेने में भ्रष्टाचार, परेशानी आदि को जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ग) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों का प्रतिशत निर्धारित क्यों नहीं किया है ; और

(घ) छोटे लोगों को ऋण दिये जाने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को गत छः महीनों में

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा सरकार द्वारा दिये गये आदेशों और हिदायतों का ब्यौरा क्या है; और इन हिदायतों पर कहां तक अमल किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संघीय राज्य क्षेत्र, दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों, छोटे व्यापारियों, सड़क परिवहन-चालकों आदि को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के जून, 1970 के अन्तिम शुक्रवार अर्थात् 26 जून, 1970 तक के आंकड़े संलग्न अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

(ख) पिछले एक वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की 174 शिकायतें मिली हैं । इनमें से 125 शिकायतों की जांच-पड़ताल कर ली गई है और 49 शिकायतों की जांच की जा रही है । 4 कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप ठीक साबित हुए और उन्हें नौकरो से हटा दिया गया ।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह बता दिया है कि छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, छोटे सड़क परिवहन चालकों और आत्म-नियोजित व्यक्तियों आदि जैसे कमजोर और अब तक अपेक्षित वर्गों को उदारतापूर्वक ऋण दिया जाय । लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में कोई प्रतिशत निर्धारित करना सम्भव नहीं ।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है राष्ट्रीयकृत बैंकों पर छोटे लोगों की अधिक से अधिक सहायता करने के लिये जोर दिया गया है । रिजर्व बैंक ने अभिरक्षकों को कहा कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि छोटे ऋणकर्ताओं से अग्रिमों के प्रस्ताव प्राप्त करने में बैंकों के कर्मचारियों द्वारा किसी तरह रुकावट नहीं पैदा की जानी चाहिए और उन्हें ऐसी भूलों के लिये दण्ड न दिया जाय जो किसी दुर्भावना से न की गई हों । बैंकों को मशविरा दिया गया है कि वे इस प्रकार दिये गये ऋणों से सम्बद्ध महीने भर की सूचना आन्तरिक प्रबन्ध समितियों के सामने रखा करें ताकि वे समितियां ऊपर बताये गये क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में की गई प्रगति पर निगरानी रख सकें । बैंकों के निदेशक मण्डलों को भी चाहिये कि वे इस प्रकार से दिये जाने वाले ऋणों पर निगरानी रखें । बैंक उन्हें दिये गये मशविरे के अनुसार काम कर रहे हैं ।

विवरण

संघीय राज्य क्षेत्र, दिल्ली में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों, व्यापारियों आदि को जून, 1970 के अन्तिम शुक्रवार (26-6-70) तक दिये गये ऋणों का ब्यौरा :

(लाख रुपयों में)

ऋण कर्ताओं की श्रेणी	खातों की संख्या	कुल स्वीकृत सीमा	कुल बकाया रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उद्योग (छोटे पैमाने के)	1685	1486.86	874.28

(1)	(2)	(3)	(4)
2. व्यापारी (छोटे व्यापारी)	2171	611.23	376.01
3. सड़क परिवहन चालक, रिक्शावालों, टांगेवालों, स्कूटर वालों आदि सहित	131	8.65	7.42
4. डाक्टर	44	8.40	6.93
5. किसान	1132	201.25	138.40
6. जूते बनाने वाले	16	0.31	0.27
जोड़ ..	5179	2316.70	1403.31

टिप्पणी— ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों के लिये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का सर्वेक्षण

1071. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नगर आयोजकों ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि वह भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को राष्ट्रीय संसाधनों के लिये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का विस्तार से सर्वेक्षण करने के आदेश दे ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के नगर-योजनाकारों की ओर से सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अन्वेषण कर रही है।

Memorial for Swami Shardhanand and Guru Teg Bahadur

1072. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal for the construction of another memorial of Swami Shardhanand and also a memorial of Guru Teg Bahadur has been sent by Delhi Administration to the Government for sanctioning the funds ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the time by which a final decision will be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) Yes, Sir. A proposal for a grant-in-aid for Swami Shardhanand's memorial, and another for a grant-in-aid for memorial for Guru Teg Bahadur and others have been received recently from the Delhi Administration.

(b) The proposals are under consideration. As the matter has to be considered in detail in consultation with the concerned Ministries, it is not possible to state the time which will be taken before a final decision is reached.

सरकारी उपक्रमों द्वारा अतिथि-गृहों तथा मनोरंजन पर व्यय

1073. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में देश में विभिन्न सरकारी उपक्रमों ने मनोरंजन और अतिथि-गृहों पर कितनी राशि व्यय की ; और

(ख) इस बारे में व्यर्थ व्यय को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास, सभी सरकारी उद्यमों द्वारा आतिथ्य और अतिथि-गृहों पर किये जाने वाले व्यय के संबंध में विस्तृत सूचना नहीं है क्योंकि ये मामले सरकारी उद्यमों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासन के अन्तर्गत आते हैं। सभी सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में इन ब्योरों के एकत्रित करने में जितना परिश्रम करना पड़ेगा, उससे निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे। तथापि, कुछ अध्ययनों के अनुसार 19 बड़े-बड़े सरकारी उद्यमों द्वारा पिछले तीन वर्षों में आतिथ्य पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

1966-67	14.34 लाख रुपये
1967-68	19.06 ,, ,,
1968-69	23.48 ,, ,,

अतिथि-गृहों पर व्यय के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली में सरकारी उद्यमों के अतिथि-गृहों पर 1966-67 और 1967-68 में क्रमशः 3.58 लाख रुपया और 3.87 लाख रुपया खर्च किया गया।

सरकार ने, सरकारी उद्यमों को आतिथ्य व्यय के सम्बन्ध में अत्यधिक मितव्ययिता बरतने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर दिये हैं। उद्यमों को, सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद आतिथ्य सम्बन्धी व्यय निश्चित करके वार्षिक बजट के अनुसार व्यय करने और समय-समय पर निदेशक-मण्डलों के सामने इस सम्बन्ध में व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। उद्यमों को, आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करने तथा आतिथ्य पर व्यय के सम्बन्ध में सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजने के लिये भी कहा गया है।

जहां तक अतिथि-गृहों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आवास की संयुक्त व्यवस्था करके खर्च घटाने अथवा उन मामलों में ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिनमें होटल-आवास जैसी वैकल्पिक व्यवस्था पर कम खर्च आता हो।

जीवन बीमा निगम द्वारा एकत्रित प्रीमियम की राशि

1074. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में केरल से प्रीमियम के रूप में कितनी राशि एकत्रित की गई ; और

(ख) उक्त वर्षों में जीवन बीमा निगम ने केरल में कितनी राशि लगायी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(रुपये लाख में)

	1967-68	1968-69	1969-70
(क) वसूल किया गया प्रीमियम	5,67.25	6,82.41	6,45.20
(ख) निवेश की गयी रकम	3,60.89	5,53.77	7,07.58

केरल के कोजीकोड जिले में लौह-अयस्क निक्षेपों के सम्बन्ध में भूतत्वीय सर्वेक्षण

1075. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में लौह-अयस्क निक्षेपों के सम्बन्ध में भू-तत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) लौह-अयस्क निक्षेपों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था, केरल के कोजिकोड जिले में लौह-अयस्क निक्षेपों का विस्तृत अन्वेषण कर रही है। चेरूप्पा निक्षेप में अन्वेषण पूर्ण कर लिए गये हैं। इन अन्वेषणों के परिणामस्वरूप चेरूप्पा निक्षेप में 30.7 प्रतिशत लौह मात्रा के साथ अनाक्सीकृत मैगनेटाइट की 74.8 लाख मैट्रिक टन संकेतित एवं अनुमानित उपलभ्य राशियां सिद्ध की गई हैं। जिले में अन्य निक्षेपों पर अन्वेषण प्रगति पर हैं।

(ग) क्षेत्र में अन्वेषणों के पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही समुपयोजन के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

संभरकों की एक जाली फर्म द्वारा खेतरी कापर प्रोजेक्ट को धोखा देना

1076. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संभरकों की एक जाली फर्म द्वारा एक झूठी और नकली रेलवे रसीद प्रस्तुत करने पर खेतरी कापर प्रोजेक्ट ने इस वर्ष के आरम्भ में अथवा गत वर्ष के अन्तिम महीनों में किसी समय 89,000 रुपये का भुगतान किया था और रेलवे रसीद के अन्तर्गत आने वाला माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) निर्देश संभवतया सितम्बर 1968 और मई 1969 के दौरान मैसर्स सिंघानियां इंडस्ट्रियल कम्पनी को एम० एस० प्लेट्स, चैनेल्स, एंगिल्स, नट्स तथा बोल्टों आदि के लिये 1,60,059.25 रुपयों के मूल्य के चार आपूर्ति आदेशों की ओर है। विभिन्न आदेशों के अनुपालन में भेजे गये माल के मूल्य के 90 प्रतिशत के लिये बैंक के जरिये प्रेषण दस्तावेज खेतड़ी तांबा प्रायोजना में जुलाई, 1969 में प्राप्त हुए थे और दस्तावेजों के सामान्य रीति से बैंक के जरिए प्रस्तुत करने पर अदायगियां कर दी गई थीं। कुल 1,28,176.59 रुपये के मूल्य की 11 रेलवे रसीदें और माल रसीदें प्राप्त हुई थीं और अदायगियां की गई थीं। इनमें से तीन माल रसीदों का माल (मूल्य 21,562.31 रुपये) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। शेष पांच रेलवे रसीदों और 3 माल रसीदों के प्रेषण प्राप्त हुए थे परन्तु उनमें सारवान कमियां देखी गयीं।

(ख) प्रारम्भिक जांचों से पता चला है कि प्रेषणों में कमियां तथा अप्राप्तता के कारण सम्भरक की ओर से संदिग्ध धोखादेही थी। मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने वाहकों अर्थात्, रेलवे, राजस्थान परिवहन अभिकरण, कलकत्ता और एक्सप्रेस रोड केरियर, कलकत्ता के विरुद्ध अपना दावा उठाया गया है। वाहकों और सम्भरकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। सम्भरक द्वारा रेलवे को संदिग्ध धोखादेही की जांच के लिए रेल विभाग ने विशेष पुलिस संस्था, कलकत्ता और जयपुर को मामला सुपुर्द कर दिया है।

औषधि उद्योग में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग

1077. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय औषधि उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र अपनी लाइसेंस प्राप्त अधिष्ठापित क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उपयोग कर रहा है और औसतन 17-25 प्रतिशत प्रति वर्ष लाभ अर्जित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूरी क्षमता का उपयोग

सुनिश्चित करने के लिये और औषधियों के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं । मुख्य औषध मद्दों के मूल विनिर्माण के लिये क्षमताओं का उपयोग स्तर सामान्यतः ऊंचा है ; लगभग 75 प्रतिशत तक औषधियों और भेषजों के उचित विक्रय मूल्यों पर टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बिक्री पर लाभ सीमान्त 11.4 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के बीच है ।

(ख) कच्चे माल के आयात के लिये ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स उद्योग एक अग्रता प्राप्त उद्योग है और इन सामग्रियों की आवश्यकताएं संपूर्ति आधार पर पूरी की जाती है । इसके अलावा विनिर्माण करने वाले एककों को, जिनका उत्पादन, क्षमता की तुलना में कम है, वर्तमान लाइसेन्सिग अवधि में वास्तविक खपत से अधिक कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जायेगी ताकि ऐसे एकक लाइसेन्सकृत क्षमता पर कार्य कर सके ।

रिक्शावालों, स्कूटर वालों और छोटे कारीगरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता

1078. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रिक्शावालों, स्कूटरवालों, छोटे कारीगरों तथा अन्य कारीगरों की संख्या कितनी है जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से दो अवधियों में अर्थात् बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम को रद्द घोषित किये जाने के पूर्व तथा बैंकों के पुनः राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है और उन्हें कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) उनसे किस प्रकार की गारंटी मांगी गई थी और क्या वह उपलब्ध थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रिक्शावालों और स्कूटर वालों को दिये जाने वाले ऋणों के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते पर उन्हें एक मद अर्थात् टैक्सी, स्कूटर और आटोरिक्शा चालकों और किश्तियां तथा बजरे आदि चलानेवाले व्यक्ति नामक शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है । इसी तरह छोटे कारीगरों को दिये जाने वाले ऋणों के आंकड़ें अलग से उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें एक मद अर्थात् "व्यावसायिक और आत्म-नियोजित व्यक्ति" नामक शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंक, प्रत्येक महीने के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार ऋणों के आंकड़े रखते हैं । इसलिये माननीय सदस्य ने जिस अवधि की सूचना मांगी है उस अवधि को सूचना देना सम्भव नहीं है । पर जुलाई 1969, फरवरी, 1970 और मई, 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक दिये गये ऋण खातों की संख्या और बकाया ऋणों की रकमों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जो सूचना उपलब्ध है वह अनुबन्ध में दी गयी है । उच्चतम न्यायालय ने 10 फरवरी, 1970 को अपना फैसला सुनाया था और 14 फरवरी, 1970 को

चौदह बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। संलग्न अनुबन्ध में दिये गये फरवरी, 1970 के आंकड़े मोटे तौर पर इन तारीखों से सम्बन्धित हैं।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि प्रत्येक मामले में कितनी जमानत मांगी गयी थी और वह जमानत दी गयी थी या नहीं। किन्तु जिस गाड़ी/उपकरण/कर्मशाला/संयंत्र/मशीनों के हिस्से/कच्चे माल की खरीद के लिये ऋणकर्ताओं को वित्त दिया जाता है उसे उन्हें दृष्टि-बन्धक, गिरवी या रहन रखना पड़ता है। जिस मामले में आवश्यक होता है उसमें तीसरी पार्टियों की गारंटी या जीवन बीमा की समपार्श्विक जमानत ली जाती है। युक्तियुक्त मामलों में उचित मात्रा में बेजमानती ऋण भी मंजूर किये जाते हैं।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सड़क परिवहन चालकों तथा आत्म-नियोजित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों का विवरण

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	सड़क परिवहन चालक अर्थात् टैक्सी, स्कूटर और आटो-रिक्शा चालक तथा किश्तियां और बजरे चलाने वाले व्यक्ति		व्यावसायिक और आत्म-नियोजित व्यक्ति	
	खातों की संख्या	बकाया रकम (लाख रुपयों में)	खातों की संख्या	बकाया रकम (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. जुलाई 1969*	674	49.61	7598	188.95
2. फरवरी, 1970*	2247	177.35	19244	398.57
(1) की तुलना में				
(2) में हुई वृद्धि	1573	127.74	11646	209.62
3. मई, 1970	3495**	269.30**	25001	563.51
(2) की तुलना में				
(3) में हुई वृद्धि	1248	91.495	5757	164.94

* इसमें सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और पंजाब नेशनल बैंक से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जिसके बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

** इसमें, सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर को सहायता

1079. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, जम्मू तथा कश्मीर राज्य को कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) सहायता किन प्रयोजनों के लिये दी गई थी और प्रत्येक प्रयोजन के लिये वर्षवार कितनी राशि दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने सहायता का उचित ढंग से उपयोग किया है ;

(घ) क्या लोक लेखा समिति ने इन खातों का कभी परीक्षण किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार के लेखों की जांच राज्य की लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है जिसके मन्तव्यों और जिसकी टीका-टिप्पणी का स्पष्टीकरण राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों को देना होता है ।

विवरण

जम्मू और कश्मीर राज्य को विभिन्न प्रयोजनों के लिये 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्योरा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायक अनुदान	आयोजनागत प्रायोजनाओं के लिये सहायता			आयोजना भिन्न प्रयोजनों के लिये सहायता			
		ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	
1967-68	6.57	17.58	4.96	22.54	3.77	9.18	11.95	42.06
1968-69	6.57	17.08	5.12	22.20	4.92	11.33	16.25	45.02
1969-70	16.81	15.53	7.93	23.46	57.90	5.53	63.43	103.70

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं ।

Loan to Madhya Pradesh for giving Relief to Scarcity-Hit-Areas

1080. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have demanded grants and loans from the Central Government for providing relief in the scarcity hit areas in that State ;

(b) if so, the amount of grant and loan asked, for the purpose ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Government of Madhya Pradesh have reported that the failure of rains in certain parts of the State in 1969 has necessitated the taking up of relief measures which would have to be continued upto October, 1970 and requested for an assessment of the requirement of funds for relief measures by a Central team of officers. Accordingly, a Central team of officers will be discussing the matter with the officials of the State Government shortly.

Recovery of Smuggled Goods

1081. **Shri Hukum Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officers of the Customs Department had recovered watches, gold and straps valued at about Rs. 1.50 crores from the boats near the Juhu coast in Bombay in the later half of May, 1970 ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them by the Government ; and

(c) the international monetary value of the goods recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). On the night of 22nd May, 1970 officers of the Directorate of Revenue Intelligence, Bombay Unit, seized the following goods from two tonies at Juhu Koliwada :

	Value at the market rate Rs. (lakhs)	**Value at the international monetary rate Rs. (lakhs)**
Gold	95	41
Watches Watch straps and watch parts.	6	

No arrests have so far been made.

Seizure of Smuggled Silk and Luxury Goods

1082. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in May, 1970, the anti-smuggling squad of Bombay had recovered huge quantities of silk and luxury goods ; and

(b) if so, the value of the material recovered, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The anti-smuggling squad at Bombay seized the following luxury goods during May, 1970 :—

Articles	Value (Rupees in lakhs)
Synthetic yarn and fabrics and metallic yarn.	17
Watches	28
Blades	3
Misc. goods including cosmetics, spices, transistor, tape recorders, tapes, fountainpens, lenses, etc.	3

4 peesons were arrested. Further investigation is in progress.

Smuggling of Pig Hair

1083. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4498 on the 30th March, 1970 regarding smuggling of pig hair and state the progress made in regard to the action taken by Government so far ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : The attention of the Government of Nepal was once again drawn during the Indo-Nepal Trade Talks held in June, 1970, to the diversion of Indian goods including bristles to third countries. The question of imposing export trade control restrictions on the export of bristles to Nepal is being examined by the Government. The case against the officer suspected of indulging in corrupt practices is under investigation by the U. P. State Police C. I. D. as the officer belongs to the State Police Department.

Worker Shot Dead in Fertilizer Factory, Gorakhpur

1086. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Kasto Singh, a member of the executive Committee of the Fertilizer Factory Labour Union, Gorakhpur, was shot dead by pistol fire at 6 A. M. on the 1st May, 1970 ;

(b) whether it is also a fact that factionalism among the officers of the said factory was also one of the factors culminating in this murder ; and

(c) if so, the action taken in this connection so far and names, designations and addresses of persons involved in the case ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Shri Kasto Singh died as a result of injuries by fire arms.

(b) No.

(c) Does not arise,

परिवार नियोजन अभियान में ढील

1087. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन अभियान में ढील आ गई है और 1969-70 में इस अभियान में विशेष रूप से ढील आ गई है ;

(ख) प्राधिकारियों के विचार से प्रति 1000 जन्म दर क्या होनी चाहिये ; और

(ग) क्या बढ़ती हुई जन्म संख्या से उत्पन्न खराब स्थिति का मुकाबला करने के लिये गर्भ-पात को वैध घोषित करने को इसके लिये सबसे उत्तम उपाय समझा जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी जागरूकता और ग्रह्यता, दोनों, वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों जैसे लूप, नसबन्दी और प्रचलित गर्भनिरोधकों को अपनाने वालों की संख्या गत चार वर्षों में इस प्रकार रही :—

1966-67	22.60 लाख
1967-68	29.90 लाख
1968-69	31.00 लाख
1969-70	35.00 लाख (प्रत्याशित)

(ख) वर्ष 1973-74 तक जन्म दर को 39 प्रति हजार से कम कर 32 और आगामी 5 से 7 सालों में उसे 25 तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

(ग) जी नहीं।

नई दिल्ली में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निवास क्षेत्र के लिये नई योजना बनाना तथा उसका विकास करना

1088. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज पथ, नई दिल्ली और उसके आस-पास क्षेत्र के लिये जिसमें देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निवास-स्थान हैं नई योजना बनाने तथा उसका विकास करने के बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां।

(ख) 22 मई, 1970 को स्थापित की गई एक विशेषज्ञ समिति को, इस क्षेत्र के पुनर्विकास का प्रश्न सौंप दिया गया है। समिति को अपना कार्य तीन मास में पूरा करने के लिये कहा गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच किये जाने के बाद, सरकार मामले पर आगे विचार करेगी।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिये एशिया फाउन्डेशन द्वारा धन की व्यवस्था

1089. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने एशिया फाउन्डेशन से धनराशि लेना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या उक्त समेकित संस्थान द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एक विदेशी संगठन से धनराशि स्वीकार करना उचित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, हां। एशिया फाउन्डेशन से जून, 1966 तक 2,35,100 रु० की राशि प्राप्त हुई थी, उसके बाद कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) संस्था ने एशिया फाउन्डेशन से धन स्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लक्ष्य

1090. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की अमीन :
श्री धी० ना० देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लक्ष्यों का ब्योरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितने डाक्टर उपलब्ध हैं और क्या डाक्टरों की आवश्यकता में कोई कमी हुई है ; और

(घ) क्या डाक्टरों की कमी का परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ेगा यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	लक्ष्य
लूप	66 लाख
नसबन्दी	1 करोड़ 50 लाख
प्रचलित गर्भनिरोधक के उपयोक्ता	24 लाख (वर्ष 1969-70 के लिये) वर्ष 1973-74 के दौरान इसे एक करोड़ 70 लाख तक बढ़ा दिया जायेगा ।

(ख) और (ग). परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करने के लिये वर्तमान समय में 7,700 डाक्टरों की आवश्यकता है। उनमें से लगभग 3,100 डाक्टर कार्यरत हैं और 4,600 डाक्टरों की अभी कमी बनी हुई है। इसमें से 3,600 डाक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता है ।

(घ) इस कमी से परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कोई गम्भीर बाधा पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इसको पूरा करने के लिये जब तक यह कमी और पूरी न हो जाय तब तक कार्यक्रम की आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा करने के लिये अनेक उपाय अपनाये गये हैं । मुख्यत: महिला डाक्टरों की कमी है । इसलिये उपलब्ध महिला डाक्टरों द्वारा चालित सचल सेवा का दूर-दूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिये विस्तार कर दिया गया है ।

भारत सरकार ने डाक्टरों, जिनमें महिला डाक्टर भी शामिल हैं, की कमी को पूरा करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :–

(1) देश में मेडिकल कालेजों की संख्या और उसके फलस्वरूप उनकी प्रवेश क्षमता बढ़ा दी गई है । वर्तमान में 95 मेडिकल कालेज हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 11,500 है । आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मेडिकल कालेजों की संख्या 103 हो जायेगी जिनकी प्रवेश क्षमता 13,600 होगी ।

(2) चिकित्सा छात्राओं को 100 रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति इस शर्त पर दी जाती है कि वे परीक्षा पास करने के पश्चात् उतने समय तक परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य करेंगी जितने समय तक उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की है ।

(3) डाक्टरों की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कमी महसूस करते हुये राज्यों में कार्य करने के लिये आकर्षक वेतन के सहित डाक्टरों का एक केन्द्रीय परिवार नियोजन दल गठित किया गया है ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये डाक्टरों को आकर्षित करने हेतु आवासीय और कार्य करने की सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के विचार से नगरीय क्षेत्रों के डाक्टरों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिये सभी जिलों में सचल सेवा एकांश स्थापित किये गये हैं।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सेवा शिविर आयोजित किये जाते हैं जहां विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं के डाक्टरों की सहायता प्राप्त की जाती है।

(7) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रेरणा और सेवा सम्बन्धी कार्य करने के इच्छुक निजी चिकित्सा व्यवसाइयों, जिनमें होम्योपैथी और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायी भी शामिल हैं, के सहयोग के लिये सूची तैयार की जा रही है।

(8) अनुभवी और इच्छुक नर्सों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के पश्चात जहां सम्भव होता है, डाक्टरों के निरीक्षण में लूप पहनाने के लिये उपयोग किया जा रहा है।

आय-कर कार्यालयों में कार्य करने की परिस्थितियां

1091. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर अधिकारियों को उपलब्ध फर्नीचर इत्यादि तथा सुविधाएं सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में बहुत कम हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि आय-कर कार्यालयों में करदाताओं के बैठने का स्थान अथवा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो क्या इस स्थिति में सुधार करने के कुछ उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता लाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये, आय-कर अधिकारियों को जो कार्यालय उपस्कर तथा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वे कुल मिलाकर उचित समझी गई हैं।

(ख) अधिकांश स्थानों पर आय-कर निर्धारितियों के लिये बैठने के स्थान की व्यवस्थाएं तथा अन्य सुविधाएं विद्यमान हैं। विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है तथा कुछ स्थानों पर उपयुक्त अतिरिक्त स्थान तत्काल उपलब्ध नहीं हैं जिससे पहले जो सुविधाएं प्रदान की गई थीं, उन्हें अब पर्याप्त नहीं समझा जाता। इन कठिनाइयों को दूर करने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गय ऋणों की वसूली

1092. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि लघु उद्योग और बेरोजगार इन्जीनियरों को कितना ऋण दिया है ;और

(ख) ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बेरोजगार इन्जीनियरों को मंजूर किये गये अग्रिमों के ब्योरे अलग से उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु इनको सामान्यतः आत्म-नियोजित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों के आंकड़ों में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जून, 1969 के अन्तिम शुक्रवार को (जो 14 मुख्य भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण किये जाने की तारीख से मोटेतौर पर मेल खाता है) और मई, 1970 के अन्तिम शुक्रवार को (जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) कृषि और लघु-उद्योग तथा आत्म-नियोजित व्यक्तियों को दिये गये अग्रिमों के खातों की संख्या और अग्रिमों की बकाया रकमें नीचे दी गई हैं :–

अग्रिमों की बकाया रकमें

(लाख रुपयों में)

	जून, 69 के अन्तिम शुकवार को		मई, 1970 के अन्तिम शुक्रवार को	
	खातों की संख्या	बकाया रकमें	खातों की संख्या	बकाया रकमें
1. कृषि (किसानों को प्रत्यक्ष सहायता)	134849	2696.0	343789	9180.5
2. लघु उद्योग	36301	14844.8	56234	20390.9
3. आत्म-नियोजित व्यक्ति	422	33.1	24950	565.7

(ख) बैंक अपने आप को इस विषय में सन्तुष्ट कर लेते हैं कि उधार लेने वाले की आवश्यकताएं वास्तविक हैं और वे देय रकमों की वापसी निश्चित समय पर कर सकने की स्थिति में होंगे। बैंक समय-समय पर दौरे करके और अन्य अनुवर्ती उपायों के द्वारा इस बात को सुनिश्चित भी कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में बैंक खड़ी फसल या मशीनों के दृष्टि-बन्धक तथा भूमि और अन्य सम्पत्ति के बन्धक तीसरी पार्टी की गारन्टी आदि के रूप में प्रति-भूतियां ले लेते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, दिल्ली के कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

1093. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत के क्षेत्रीय निदेशक के कश्मीरी गेट, दिल्ली, स्थित कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी से राजपत्रित अधिकारियों तक की श्रेणी-वार संख्या क्या है तथा उपर्युक्त श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत के क्षेत्रीय निदेशक के कश्मीरी गेट, दिल्ली स्थित कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को पर्याप्त आरक्षण नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां कार्य कर रहे इन श्रेणियों के कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई है जबकि वे कई वर्षों से पदोन्नति के अधिकारी थे, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इनके आरक्षित कोटे को कब तक भर लिया जायेगा तथा जो पदोन्नति के अधिकारी हैं, उन्हें कब तक पदोन्नत कर दिया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) :—

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या जो इन जातियों के हैं :—		
	सामान्य जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत	1	—	—
बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के निजी सचिव	1	—	—
सहायक क्षेत्रीय निदेशक	3	—	—
मुख्य लिपिक	1	—	—
जिला संगठनकर्त्ता	12	1	—
उच्च श्रेणी के लिपिक	3	—	—
आशुलिपिक	1	—	—
निचली श्रेणी के लिपिक	5	3	—
आपरेटर	1	—	—
ड्राइवर	1	—	—
दफ्तरी	2	—	—
चपरासी	9	2	—
चौकीदार	—	1	—

(ख) जी हां । जिला संगठनकर्त्ता, आशुलिपिक तथा निचली श्रेणी के लिपिक के खाली पदों के सम्बन्ध में कमी है । 1963 में जिला संगठनकर्त्ता का एक पद जो अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिये आरक्षित था, अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति द्वारा नहीं भरा जा सका क्योंकि रोजगार कार्यालय अन्य स्रोतों से ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका इसलिये इस पद पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार की नियुक्ति कर दी गई । यह आरक्षित पद आगे भी कायम रखा गया, पर फिर 1965 में यह पद खाली होने पर उस पर अनुकम्पा के आधार पर सामान्य जातियों के उम्मीदवार की नियुक्ति की गई ।

1964 में निचली श्रेणी के लिपिक का एक पद, जो अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिये आरक्षित था, अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार की नियुक्ति द्वारा नहीं भरा जा सका क्योंकि रोजगार कार्यालय या अन्य स्रोतों से इन जातियों का कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका । यह पद ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति द्वारा भरा गया जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का नहीं था ।

1966 में आशुलिपिक का एक पद, जो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिये आरक्षित था, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार की नियुक्ति द्वारा नहीं भरा जा सका क्योंकि रोजगार कार्यालय से ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका। इसलिये इस पद पर अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति की गई, क्योंकि यह एक ही रिक्त पद था। जुलाई, 1970 से भी, 1964 से आगे कायम रखा गया, निचली श्रेणी के लिपिक का एक रिक्त पद सामान्य जातियों के एक उम्मीदवार की नियुक्ति द्वारा भरा गया, क्योंकि उस समय यह एक ही रिक्त पद था।

अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिये जो पद आरक्षित रखे गये हैं और वे इन्हीं जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्तियों द्वारा भरे जायंगे।

(ग) जी नहीं। क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत, दिल्ली के कार्यालय में, 1963 में से ऐसे 6 पद रिक्त हुये जो पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते थे। पर सहायक क्षेत्रीय निदेशक के केवल तीन रिक्त पद पदोन्नति द्वारा भरे गये और बाकी तीन रिक्त पद स्थानान्तरण के द्वारा भरे गये। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये पद आरक्षित रखने के आदेश उस समय पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू नहीं होते थे।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने के लिये आरक्षित रखे गये रिक्त पद आगे कायम रखे जायंगे और जब आगे चलकर भरती की जायगी तब इन पर इन्हीं जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की जायगी।

कैंसर की रोकथाम के बारे में टैक्सास में हुई अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता

1094. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और निर्माण आवास, तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोष्ठी के रूप में चर्चा करके कैंसर को रोकने के साधनों का पता लगाने के लिए मई, 1970 में टैक्सास में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता सप्ताह के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी इस वार्ता में भाग लिया था और यदि हां, तो हमारे प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त वार्ता में भारत ने भाग नहीं लिया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस रोग को रोकने सम्बन्धी उपायों पर हुई वार्ता के निष्कर्ष मंगवाए हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इन वार्ताओं से लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). चूंकि भारत कैंसर निरोधी अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है अतः इन वार्ताओं में भारत से किसी सरकारी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तथापि अपनी-अपनी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक भारतीय वैज्ञानिकों ने इस कांग्रेस में भाग लिया। निस्सन्देह वे लोग इस कांग्रेस में चर्चित अनुसन्धान कार्यक्रमों पर आगे कार्य करेंगे। सरकार द्वारा पोषित चित्तरन्जन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे अनुवर्ती कार्यवाही के लिए उस वार्ता की कार्यवाहियों को मंगवा लें।

बहुप्रयोजनीय संस्थाओं की स्थापना

1095. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में गांवों में बैंकों की शाखाएं स्थापित करने के प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से ऋण, सप्लाई तथा विपणन सम्बन्धी व्यापार करने के लिए बहुप्रयोजनीय संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उक्त संस्थाओं की स्थापना किन-किन राज्यों में की जाएगी और प्रत्येक राज्य में वे संस्थाएं कितनी-कितनी संख्या में स्थापित की जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा हामीदारी वाली राशि

1096. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री मोहम्मद इस्माइल :**
श्री प० गोपालन : **श्री के० रमानी :**
श्री भगवान दास :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम और भारत के औद्योगिक विकास बैंक की हामीदारी वाली राशि का 50 प्रतिशत से अधिक भाग एकाधिकार नियंत्रित व्यापार में लगाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी वित्तीय संस्थाओं की हामीदारी वाली राशि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). प्रश्न में उल्लिखित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी स्थापना के समय से लेकर 31 मार्च, 1970 तक, सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक लाइसेन्स नीति विषयक जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ठ II में उल्लिखित 73 व्यापारिक समूहों से सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा

जारी की गई पूंजी के सम्बन्ध में दी गई हामीदारियों के आंकड़े और हामीदारियों के वचनों के अनुसरण में खरीदे गए शेयरों / ऋणपत्रों की रकमों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस विवरण को देखने से पता चलेगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के मामले में, यह सहायता उनके द्वारा सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी गयी हामीदारी सम्बन्धी कुल सहायता के 50 प्रतिशत से कम बैठती है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के मामले में यह प्रतिशत 50 प्रतिशत से कुछ अधिक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मामले में, जो निवेश करने वाली संस्था है। हामीदारी सम्बन्धी स्वीकृत सहायता 65.47 प्रतिशत और वस्तुतः लिए गये शेयरों / ऋण पत्रों की रकम 67.34 प्रतिशत बैठती है।

विवरण

मार्च, 1970 के अन्त में विद्यमान स्थिति का विवरण

(लाख रुपयों में)

वित्तीय संस्था का नाम	स्वीकृत हामीदारी-सहायता की रकम			हामीदारी सम्बन्धी वचनों के अनुसरण में वास्तविक रूप से लिये गये शेयरों/ऋण-पत्रों की रकम		
	सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान	एकाधिकार वादी समूह	2 के प्रति 3 का प्रतिशत	सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान	एकाधिकार-वादी समूह	5 के प्रति 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (जुलाई 1964 से 31-3-70 तक)	4091.05	2678.30	65.47	3693.26	2487.19	67.34
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (जुलाई 1948 से 31-3-70 तक)	2591.94	1254.70	48.40	1973.64	914.90	46.35
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड (जनवरी 1955 से 31-3-70 तक)	5100.00	2699.00	52.9	2819.00	1433.00	50.8
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (जुलाई 1964 से 31-3-70 तक)	2306.40	1032.20	44.8	1461.10	645.70	44.20
जोड़ ...	14089.39	7664.20	54.39	9947.00	5480.79	55.15

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा फालतू उत्पादों के निर्यात के बारे में की गई कथित अनियमितताएं

1097. **श्री ई० के० नायनार : श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री पी० राममूर्ति : श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा फालतू उत्पादों के निर्यात के बारे में की गई कई अनियमितताओं का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेहरान के एक बैंक में श्रीमती लीला मेनन का डालरों में बैंक लेखा

1098. **श्री ई० के० नायनार : श्री भगवान दास**
श्री वि० कु० मोडक : श्री के० एम० अब्राहम :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की एक सहायक संस्था हाइड्रो, कार्बन (प्राइवेट) लिमिटेड की रेजीडेंट प्रतिनिधि श्रीमती लीला मेनन ने भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना तेहरान के एक गैर-सरकारी बैंक में डालरों में लेखा खोला हुआ है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करवाई है ;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बताया है कि उन्हें श्रीमती लीला मेनन का, भारत में पहले से ही अथवा भारत में वापिस आने के बाद, एक प्राइवेट बैंक में कोई डालरों का बैंक लेखा चालू रखने की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं की "अंडरराइटिंग"

1099. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री के० रमानी :**
श्री प० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं की "अंडरराइटिंग" केवल कुछ राज्यों में ही होती है ; और

(ख) यदि हां, तो संस्थानिक "अंडरराइटिंग" का राज्य-वार विश्लेषण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख). संलग्न विवरण 1 में, सरकारी क्षेत्र की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अपनी स्थापना के समय से लेकर 30 जून, 1970 तक, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा जारी की गई पूंजी के सम्बन्ध में, दी गई हामीदारियों के आंकड़े और दी गयी हामीदारियों के वचनों के अनुसरण में वस्तुतः लिए गए शेयरों/ऋण-पत्रों की रकमें राज्यवार दी गई हैं ।

विवरण-II भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में, जो गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है, उसकी स्थापना के समय से लेकर 30 जून, 1970 तक के इसी प्रकार के आंकड़े राज्यवार दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3823/70]**

इन विवरणों को देखने से पता चलेगा कि इन संस्थाओं के हामीदारियों से सम्बन्धित क्रियाकलाप केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं है, हालांकि विभिन्न राज्यों के बीच कुछ असमानताएं हैं जिनका कारण यह है कि विभिन्न राज्यों में औद्योगिक क्रियाकलाप और उसके परिणामस्वरूप हामीदारी के लिए पैदा होने वाली मांग भिन्न-भिन्न है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बारे में हामीदारी के रूप में दी गई सहायता के ऐसे ही आंकड़े इकट्ठें किए जा रहे हैं और सभा की मेज पर रख दिए जाएंगे ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों की बैठक में बाद की कार्यवाही के सम्बन्ध में किये गये निर्णय

1100. **श्री अदिचन :**
श्री दे० अमात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जुलाई 1970 को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों की एक बैठक बुलाई गई थी ; और

(ख) उस बैठक में बाद की कार्यवाही के सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए और उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). वित्त मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की एक बैठक 22 जुलाई, 1970 को बुलाई थी। बैठक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विनिमय किया गया जिनमें प्रमुख थे—जमा की रकमें जुटाना, नेता बैंक योजना, समाज के कमजोर वर्गों को उधार देना, और भर्ती तथा प्रशिक्षण रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने और मूल्यों में स्थिरता लाने के बारे में बैंकों की भूमिका के सम्बन्ध में भी विचार किया गया। बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह निर्णय किया गया कि विभिन्न बैंकों की ऋण योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और विषय में एक-समान मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाय। एक दूसरी समिति भी नियुक्त की जायगी जो समाज के सम्पन्न वर्गों के मुकाबले कमजोर वर्गों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की एक योजना का ब्योरा तैयार करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके दोनों समितियों का गठन करने के बारे में कार्रवाई की जा रही है। विचार-विमर्श के दौरान कई और सुझाव दिये गये और रिजर्व बैंक के परामर्श से इन पर विचार किया जा रहा है।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा मिर्जापुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना

1101. **श्री मंगलाथुमाडम :**
श्री दे० अमात :
श्री विश्वम्भरन् :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मिर्जापुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को एक आशय-पत्र जारी किया था ;

(ख) क्या यह पत्र उस अवधि में जारी किया गया था जब दत्त समिति बिड़ला बन्धुओं को दिए गए लाइसेन्सों के सम्बन्ध में जांच कर रही थी ; और

(ग) यदि हां, तो आशय-पत्र को जारी करने की वास्तविक तिथि क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). मिर्जापुर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान अलुमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड को 13.11.1967 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। आशय-पत्र में कुछ शर्तें रखी गई थीं जो परियोजना के लिए औद्योगिक लाइसेन्स पर विचार किए जाने से पहले पूरी की जानी थी। क्योंकि शर्तें उचित समय के भीतर पूरी नहीं की गई, सरकार ने कम्पनी को जून, 1970 में सूचित कर दिया था कि उन्हें दिया गया आशय-पत्र व्यपगत हो गया है।

काले धन का श्वेत धन में बदला जाना

1102. **श्री सीताराम केसरी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यापारी जिनके पास काला धन है, अपने धन को लाटरी के इनामों के माध्यम से श्वेत धन में बदल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) काले धन को लाटरी-इनामों के जरिये श्वेत धन में बदलने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। लेकिन लेखा बाह्य धन को शब्द-पहेलियों में प्राप्त इनाम-राशि में बदलने के लिये किये गये प्रयास के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ख) जी, हां। शब्द पहेलियों के बारे में जांच चल रही है।

(ग) जांच-पड़ताल जारी है।

अलीपुर तथा बम्बई की टकसालों के कर्मचारियों के बीच भेदभाव

1103. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अलीपुर तथा बम्बई टकसालों के कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों तथा विशेषाधिकारों में विद्यमान भेदभाव को दूर करने के मामले पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कलकत्ता में अलीपुर स्थित टकसाल के कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों के बारे में अनेक अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सम्भवतः प्रश्न का संकेत अलीपुर और बम्बई स्थित टकसालों के कुछ गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घन्टे से अधिक काम करने पर दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की दरों में अन्तर की ओर है। यह अन्तर, बम्बई स्थित टकसाल के कर्मचारियों पर बम्बई दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने के कारण उत्पन्न हुआ है जबकि पश्चिम बंगाल राज्य के तत्समान कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दोनों टकसालों के बीच एकरूपता लाने का कोई प्रयास व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि सरकार के ऐसे अन्य कई विभाग हैं जिनकी ऐसी ही स्थिति है।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7687 के उत्तर में एक विवरण सभा की मेज पर रखा गया था।

पश्चिम बंगाल के बाढ़-पीड़ित लोगों को दिए गए ऋण माफ करना

1104. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के बाढ़ ग्रस्त-क्षेत्रों के बहुत से लोग बाढ़ सम्बन्धी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या सरकार उन व्यक्तियों को बाढ़ सम्बन्धी ऋण माफ करने पर विचार कर रही है जो उनका भुगतान नहीं कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि "बाढ़ सम्बन्धी ऋण" नामक ऋणों की कोई अलग श्रेणी नहीं है। प्रश्न का सम्बन्ध सम्भवतः बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को, कृषि, पशुओं और उर्वरकों आदि की खरीद जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों से है।

राज्य सरकार, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को दिये गये ऋणों की आम माफी के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। फिर भी, ऐसी माफी के लिये व्यक्तिगत रूप से दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर उपयुक्त अधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन की अवधि में पश्चिम बंगाल में राज्य के राजस्व की हानि

1105. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के समय एक और औद्योगिक विवादों, हड़तालों, तालाबन्दी, बन्धों के कारण और दूसरी ओर धान को जबरदस्ती जब्त कर लेने के कारण राज्य के राजस्व की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्य को कितनी वित्तीय हानि हुई थी;

(ग) क्या उसी अवधि में पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति खराब होने के कारण राज्य का व्यय बढ़ गया था ;

(घ) यदि हां, तो कितना व्यय बढ़ा था; और

(ङ) गत संयुक्त मोर्चा सरकार के समय राज्य के राजस्व की हानि के कारण क्या थे और उसकी राशि कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

बम्बई तथा कलकत्ता में बैरलों की सप्लाई करने वालों को भुगतान करते समय बीजकों की पुष्टि करने में असफल रहने के लिये इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1106. **श्री समर गुह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 2 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राक्कलन समिति द्वारा अपने 86वें प्रतिवेदन में हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड के विरुद्ध की गई टिप्पणियों के फलस्वरूप इडियन आयल

कारपोरेशन द्वारा उक्त कम्पनी के विरुद्ध जिसने समिति के निष्कर्षों के अनुसार सरकार को लाखों रुपयों का धोखा दिया है, क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या प्राक्कलन समिति द्वारा अपने 86 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार ने लेखा तथा वित्त विभाग के अधिकारियों तथा बम्बई और कलकत्ता के बैरल सप्लाई करने वालों को बीजकों की पुष्टि किये बिना जैसा कि टैन्डर संख्या ओ० पी०/टेन-7.65 के क्रयादेशों में दिया गया है, भुगतान करने में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय तेल निगम ने हिन्द ग्लैवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० के विरुद्ध बम्बई के उच्च न्यायालय में कानूनी कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है। मामला न्यायाधीन है।

(ख) से (घ). मामला विचाराधीन है।

उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी

1107. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 18 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लदाई कार्यों को स्थानान्तरित कर गरहरा यार्ड में किसी वैकल्पिक स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव इस बीच संयुक्त रूप से तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की सप्लाई की नवीनतम स्थिति के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र की गई है और क्या हानि तथा सप्लाई स्थगित करने की मांग के कारणों का पता लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और सप्लाई स्थगित करने की मांग करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा०-चह्वाण) : (क) और (ख). जब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक लदान कार्य को इस वर्ष के अन्त तक गरहरा यार्ड से बरौनी शोधनशाला को स्थानान्तरित करने का विचार किया गया है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से हाल ही में हुई बातचीत के पश्चात भारतीय तेल निगम ने यह सूचना दी है कि मई तथा जून, 1970 में मिट्टी के तेल की कमी होने की कोई शिकायत नहीं थी। स्थानीय विनियम और रेलवे रसीदों के बहुत अधिक सूत्र हो जाने तथा मांग

बढ़ने की आशा से अत्यधिक सप्लाई करने के कारण कुछ व्यापारियों के पास मार्च और अप्रैल में बहुत माल एकत्र हो गया था। जिन व्यक्तियों ने सप्लाई स्थगित करने के लिये कहा था उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं।

तस्करी की जालसाजी में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के आचरण की जांच

1108. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री राम किशन गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री 18 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी की जालसाजी में अन्तर्ग्रस्त कथित अधिकारियों के आचरण की जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस अधिकारी को एक विदेशी राष्ट्रिक के साथ सम्बन्ध होने और उनके तस्कर व्यापार जालचक्र में ग्रस्त होने के आरोप के बारे में राजस्व गुप्तचर तथा जांच-पड़ताल के महानिदेशक को जांच करने के लिये कहा गया था। महानिदेशक ने जांच पड़ताल पूरी कर लेने पर, 20 जुलाई, 1970 को रिपोर्ट पेश कर दी है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ता के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

1109. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने सिल्वर रिफाइनरी कलकत्ता के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में प्रधान मंत्री को, जो कि उस समय उस मंत्रालय की भारसाधक थीं, एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने रिफाइनरी के कर्मचारियों के प्रतिनिधि-मण्डल को मई, 1970 में यह आश्वासन दिया था कि उनकी कठिनाइयों पर, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो संसद् सदस्यों द्वारा दिये गये ज्ञापन तथा कर्मचारियों की शिकायतों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). चांदी शोधक कारखाने के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का एक शिष्ट-मण्डल मई, 1970 में एक संसद् सदस्य के नेतृत्व में प्रधान मंत्री से मिला था। कारखाने के कर्मचारियों द्वारा सितम्बर, 1967 को

कलकत्ते में प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन की एक प्रति उनको दी गयी थी। ज्ञापन में शामिल मांगे इस प्रकार थीं :

(i) चान्दी शोधक कारखाने के कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाय ; और

(ii) चान्दी शोधक कारखाने को ताम्बा शोधक कारखाने में बदल दिया जाय।

शिष्टमंडल को बता दिया गया था कि चांदी शोधक कारखाने को ताम्बा शोधक कारखाने में बदलना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होगा। वर्तमान शोधक कारखाने में उत्पादित चांदी का और शोधन करने के उद्देश्य से अलीपुर टकसाल के अहाते में दूसरा शोधक कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है। यदि इसे क्रियान्वित किया गया तो वर्तमान शोधक कारखाने के बन्द हो जाने के बाद इस कारखाने के कुछ मजदूरों को उसमें खपा लेना सम्भव हो जायगा। अलीपुर टकसाल में खाली होने वाले कुछ पदों को नहीं भरा जा रहा है जिसका उद्देश्य है कि शोधक कारखाने के कर्मचारियों के फालतू हो जाने पर, जहां तक सम्भव हो, उन्हें नौकरी दी जा सके। इन सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थायी पदों के निर्माण और शोधक कारखाने के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये नियमों में कुछ ढील देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

लन्दन स्थित एक भारतीय बैंक के साथ धोखाधड़ी का कथित षडयंत्र

1110. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1970 के "पैट्रियाट" में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि संसद् के भूतपूर्व सदस्य श्री एच० वी० कामथ को लन्दन स्थित एक भारतीय बैंक के साथ धोखाधड़ी के तथाकथित षडयंत्र के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई थी उसे वह उन्होंने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो श्री कामथ द्वारा दी गई सूचना का पाठ क्या है ;

(ग) उन दोनों अधिकारियों को लिखे गये पत्रों की तारीखें क्या हैं ; और

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सरकार ने वह समाचार देखा है जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय जांच कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उस विभाग के किसी अधिकारी को श्री एच० वी० कामथ का कोई पत्र नहीं मिला है। सरकार को वित्त मंत्रालय के ऐसे किसी अधिकारी का पता नहीं है जिसे इस प्रकार का पत्र मिला हो।

विकास बैंक

1111. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंशधारियों को दी जाने वाली मुआवजों की राशि से तथा उनके परामर्श से विकास बैंक स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तान्तरण) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा मुआवजा उन 14 भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों को न कि उन कम्पनियों के शेयरधारियों को दिया जाना था जिनके उपक्रमों को अभिगृहित करके, इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित सम्बद्ध नये बैंकों को हस्तान्तरित कर दिया गया था।

इन 14 कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी को उसके द्वारा चुने गये विकल्प के अनुसार देय मुआवजें की राशि कानून के अन्तर्गत निश्चित समय पर तथा निर्धारित कार्य-प्रणाली के अनुसार अदा कर दी गयी हैं। चूंकि ये कम्पनियां ऐसी हैं जो समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित की गयी हैं, इसलिये कानून के अन्तर्गत, शेयरधारियों को इस बात का निर्णय करने का पूरा-पूरा अधिकार है कि सम्बद्ध बैंकिंग कम्पनियों को प्राप्त मुआवजे की रकम किसी रीति से उपयोग में लाएं।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियां प्राप्त मुआवजे की राशि से विकास बैंक स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर रही हैं। किन्तु सरकार ने अभी इस विषय में कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं किया है।

बरौनी उर्वरक परियोजना के निर्माण के लिये अर्जित की गई भूमि के लिये मुआवजे का भुगतान

1112. **श्री प० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक परियोजना के निकट के ग्रामवासियों को सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण के लिये अर्जित की गई भूमि के लिये उचित मुआवजा नहीं दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ग्रामवासियों की दयनीय शिकायतों पर, कि उनको भूमि के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां ; तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) यह सच नहीं है कि ग्रामवासियों को उर्वरक कारखाने के लिये अर्जित की गई उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। वास्तव में, भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की गई मुआवजे की रकम में राज्य सरकार ने काफी वृद्धि कर दी थी और इसे भारतीय उर्वरक निगम ने मान लिया था। राज्य सरकार के

निर्णय के अनुसार भारतीय उर्वरक निगम ने मुआवजे की रकम स्थानीय खजाने में जमा करवा दी थी।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में पीलिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति

1113. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के बड़े क्षेत्र में और विशेष कर धरम नगर टाउन, राधापुर, लाल्चर, पानीसागर, चन्द्रपुर, पदमपुर, उतकली, सनीचेरा, रगना, हल्फलोंग तथा अन्य गांवों में पीने के पानी तथा अन्य पानी की वर्षों से भारी कमी रहती है तथा इसके परिणामस्वरूप ये क्षेत्र पीलिया तथा अन्य महामारियों से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के शुद्ध अनुमान के अनुसार त्रिपुरा में पेय जल की कितनी कमी है, प्रभावित गांवों तथा कस्बों के नाम क्या हैं तथा उनकी जनसंख्या कितनी है; और

(ग) इन क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान कराने के लिये यदि कोई योजनायें बनाई गई हैं तो उनका ब्योरा क्या है तथा 1969-70 में इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्थाएं की गई थीं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). त्रिपुरा सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा की जनसंख्या और अस्पतालों में पलंगों का अनुपात

1114. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे अस्पतालों में पलंगों की संख्या कितनी है तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये कम हैं अथवा अधिक हैं ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन आंकड़ों के अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचने की क्या सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1968-69 में त्रिपुरा में पलंग और आबादी का अनुपात 0.50 पलंग प्रति हजार व्यक्ति था जो कि 0.49 प्रति हजार के अखिल भारतीय औसत से अच्छा मेल खाता है। वर्ष 1968-69 में राज्यों/संघीय क्षेत्रों में पलंग आबादी के अनुपात सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक त्रिपुरा संघीय क्षेत्र में पलंगों की कुल संख्या 1444 हो जाने की आशा है जिससे अनुपात 0.72 पलंग प्रति हजार आबादी हो जायेगा। यह चौथी योजना अवधि के अन्त तक के पूर्वानुमानित राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर होगा।

विवरण

राज्य सरकार संघीय क्षेत्र का नाम	1968-69 के दौरान पलंग—आबादी अनुपात प्रति हजार आबादी
1. आन्ध्र प्रदेश	0.45
2. असम	0.44
3. बिहार	0.26
4. गुजरात	0.43
5. जम्मू तथा काश्मीर	1.00
6. केरल	0.92
7. मध्य प्रदेश	0.38
8. तामिलनाडू	0.70
9. महाराष्ट्र	0.68
10. मैसूर	0.85
11. नागालैण्ड	2.23
12. उड़ीसा	0.38
13. पंजाब	0.77
14. राजस्थान	0.51
15. उत्तर प्रदेश	0.39
16. पश्चिम बंगाल	0.90
17. हरियाणा	0.56
18. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	5.73
19. दिल्ली	2.50
20. हिमाचल प्रदेश	1.08
21. मणिपुर	0.88
22. पांडेचेरी	3.00
23. त्रिपुरा	0.50
24. लक्ष द्विव, मिनिकाय तथा अमानि द्विव द्वीप समूह	4.44
25. गोआ, दमन तथा द्विव	—
26. नेफा	2.81
27. चण्डीगढ़	1.00
28. दादरा तथा नगर हवेली	0.62

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

1115. **डा० रानेन सेन : श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री इसहाक साम्भली : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्थ-समूह के सदस्यों के उपयोग के लिए भारतीय अर्थ-व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन में निर्यात के लिये नकद राज-सहायता की पद्धति को उचित नहीं बताया है तथा आयात स्थानापन्न के लिये आवश्यकता से अधिक उत्सुकता की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उल्लिखित रिपोर्ट और इसी प्रकार की अन्य रिपोर्टों को सामान्यतः विश्व बैंक द्वारा 'प्रतिबन्धित' प्रलेख समझा जाता है जिनको न तो प्रकाशित किया जाता है और न ही उनमें दी गई सामग्री को विश्व बैंक के विचारों के इस रूप में उद्धृत किया जा सकता है। रिपोर्ट की विषय-वार वस्तु के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

(ख) सरकार समझती है कि उसके द्वारा निर्यात प्रोत्साहन और आयात-प्रतिस्थापन के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं वे वांछनीय और आवश्यक हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अन्तरिम बोर्डों के निदेशकों को नामांकित किया जाना

1116. **श्री मधु लिमये :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत जो योजना बनाई जाने वाली थी क्या सरकार ने उसको अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) इसे संसद् के समक्ष कब प्रस्तुत किया जायगा ;

(ग) निदेशकों के अन्तरिम बोर्डों को कब तक नामांकित किया जायगा ;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तिम निदेशक मण्डल में बैंक कर्मचारियों, जमाकर्ताओं किसानों, कारीगरों आदि के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के बारे में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अधीन बनायी जाने वाली योजना को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यह योजना यथाशीघ्र संसद् के सामने प्रस्तुत कर दी जायगी ।

(ग) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पहले निदेशक मण्डलों का गठन 18 जुलाई, 1970 को कर दिया गया था।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 (3) के अन्तर्गत, उस योजना के अन्तर्गत, जिसका ब्योरा अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है, गठित निदेशक-मण्डलों में ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल किया जायगा।

महाराष्ट्र में पनवेल के आरगैनिक कैमीकल्स परियोजना को पूरा करने में धीमी प्रगति

1117. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य में पनवेल स्थित आरगैनिक कैमीकल्स परियोजना में धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) परियोजना में उत्पादन होना कब आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) परियोजना के पूरे होने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) पहले संयंत्र अर्थात एसीटेनिलाइड में उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड, मेटामिनोफीनोल एनिलिन, हाइड्रोजन तथा बी० एच० सी० संयंत्रों को इस वर्ष में शुरू हो जाने की आशा है।

(ग) देश में संतोषजनक ढंग से प्राप्त न होने वाली प्रक्रियायें तथा संयंत्र और उपकरण की खरीद और इसके बाद विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय करारों के लिये बातचीत को अन्तिमरूप देने में विलम्ब हुआ था।

कोयाली तेलशोधक कारखाने में कृत्रिम रबर का निर्माण करने की अनुमति

1118. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी द्वारा सिर्थटिक प्लांट के प्रबन्ध को अकार्य-कुशल ढंग से किये जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोयाली तेलशोधक कारखाने में किसी गैर-सरकारी पार्टी को कृतिम रबर बनाने की अनुमति न दी जाये ; और

(ख) कोयाली और बरौनी (बिहार) के इन कारखानों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) और (ख). सरकार ने सरकारी क्षेत्र में आगामी संश्लिष्ट रबर यूनिट की स्थापना का

निर्णय किया है, बशर्ते कि इसके लिए आर्थिक व्यवस्था सन्तोषपूर्वक आंकित हो। संश्लिष्ट रबरों की किस्मों की भावी आवश्यकताओं तथा उनके प्रयोगों को आंकने और अपेक्षित सुविधाओं की स्थापना के लिए लागत का भी अनुमान लगाने के लिए, एक सम्भाव्य अध्ययन किया जा रहा है। ड्राफ्ट रिपोर्ट की जांच की गई है और अन्तिम रिपोर्ट के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। भारतीय पेट्रो-रसायन निगम द्वारा गुजरात नेफा भंजक के एक अनुप्रवाही एकक के रूप में संश्लिष्ट रबर के निर्माण की सुविधाएं स्थापित की जायेंगी। चौथी योजना में एक संश्लिष्ट रबर संयंत्र के स्थापना की व्यवस्था है। चौथी योजना के दौरान बरौनी में एक संश्लिष्ट रबर की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Outstanding Amount of Indian's Foreign Debt

1119. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of foreign loans outstanding against Government of India as on the 1st April, 1970 ;

(b) the amount of loan along with interest repaid by Government to each country during the years 1968-69 and 1969-70 ; and

(c) the amount of foreign loan to be repaid during the year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The total amount of foreign loans outstanding against the Government of India as on the 1st April, 1970 was Rs. 6,683.31 crores.

(b) A statement is enclosed.

(c) A sum of Rs. 185.77 crores is likely to be paid by the Government of India by way of repayment of principal on foreign loans during 1970-71. Interest payment is estimated as Rs. 165.54 crores for the same period.

Statement

Rs. Crores.

Country	**Payments made during 1968-69**		**Payments made during 1969-70**	
Source	Principal	Interest	Principal	Interest
(A) Loans repayable in foreign currency				
1. Austria	0.66	0.49	0.81	0.46
2. Belgium	—	0.08	—	0.12
3. Canada	0.51	2.34	1.71	2.75
4. Denmark	—	0.06	—	0.07
5. Federal Republic of Germany	27.94	18.28	25.83	19.48
6. France	0.80	0.36	0.89	0.57
7. Italy	—	0.03	—	0.03
8. Japan	1.39	12.75	3.57	14.40
9. Netherlands	—	0.93	—	1.05
10. Sweden	—	0.06	—	0.09
11. Switzerland	0.75	1.32	1.73	1.37
12. United Kingdom	23.14	14.58	24.83	13.37
13. United States of America	22.35	19.79	21.83	22.98
14. Kuwait	4.34	0.88	4.34	0.67
15. Bahrain	0.71	0.27	0.71	0.22
16. Qatar	3.52	0.42	0.94	0.51
17. I. B. R. D.	8.74	14.54	9.87	14.83
18. I. D. A.	—	4.65	—	5.53
Total : A-Loans repayable in foreign currency	94.85	91.83	97.06	98.50

Contd.

Country Source	Payments made during 1968-69 Principal	Interest	Payments made during 1969-70 Principal	Interest
(B) Loans repayable through export of goods				
1. Czechoslovakia	4.57	1.15	4.99	1.31
2. Poland	1.90	0.67	1.90	0.45
3. U.S.S.R.	40.58	10.18	50.35	9.99
4. Yugoslavia	2.12	0.58	3.46	0.55
Total : B–Loans repayable through the export of goods	49.17	12.58	60.70	12.30
(C) Loans repayable in Rupees				
1. Denmark	0.15	0.01	0.15	0.04
2. U.S.A.				
(i) Other than PL 480 Rupee Loans	21.46	10.88	21.21	11.59
(ii) P. L. 480 Rupee Loans	2.04	30.78	3.16	32.83
Total : C–Loans repayable in Rupees	23.65	41.67	24.52	44.46
Grand Total : (A)+(B) +(C)	167.67	146.08	182.28	155.26

Note : (1) The figures given above and also in the reply are expressed in terms of the current per value of the rupee, irrespective of the dates of drawal or of repayments except in the case of interest where the figures represent the amounts actually paid from time to time. They are based on the latest data available.

(2) Debt relief obtained in the form of postponement or reduction of instalments of debt servicing payments have been taken into account.

Allotment of Five Types of Quarters to Government Employees and Officers

1120. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the present position regarding the allotment of five types of quarters on priority basis, separately ;

(b) the number of quarters of all the five types allotted during the last three years, separately ;

(c) the number of quarters in each type allotted out-of-turn among them as also the basis of such allotment ;

(d) the progress made during the last three years to reduce the number of persons who are to be allotted quarters ; and

(e) the time by which residential accommodation would be made available to all the employees and the officers ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) At present there is a ban on the receipt of fresh applications for allotment of accommodation on out-of-turn basis on medical grounds. However, a very limited percentage of vacancies has been set aside to accommodate such pending unsatisfied sanctions made in the past. In exceptional cases of extreme hardship *ad-hoc* allotments are being made keeping in view the totality of circumstances in each case.

(b) and (c). A statement is attached.

(d) During the last three years 11,204 residential units in types I-V in Delhi/New Delhi have been allotted. Out of these, 1,812 new residential units in types II-V were completed and allotted and the remaining 9,392 became available out of the normal vacancies in these types.

(e) The construction of general pool accommodation is being undertaken in a phased programme subject to the availability of funds and developed land, etc. Within the available resources Government is trying its best to provide additional units in the general pool as expeditiously as possible. It cannot be said when allotment can be made to all such employees. However, during the Fourth Five Year Plan period there is a proposal to construct 8121 residential units in the general pool in Delhi/New Delhi in types I-V.

Statement

Statement showing the total number of quarters in types I to V in the general pool in Delhi/New Delhi allotted during the last three years (from 1st May, 1967 to 30th April, 1970) and the number out of them allotted on out-of turn/ ad-hoc basis.

Types.	Total number of residences allotted.	Allettments made on out-of-turn/ad-hoc basis				TOTAL
		On medical grounds.	to near relations of retired/deceased Government Officers	to personal staff of Ministers/ Deputy Ministers, etc.	on account of vacation of other pool's accommodation or for accommodation to be vacated in Public interest or on compassionate grounds.	
1	2	3	4	5	6	7
I	2,913	53	123	13	44	233
II	3,867	460	254	25	105	844
III	1,554	60	43	15	28	146
IV	1,361	67	11	22	21	121
V	1,509	20	7	25	61	113
Grand total	11,204	660	438	100	259	1,457

Survey of Uttar Pradesh for Petrol

1121. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether any survey was conducted by the Ministry in or about 1953-54 of any area in Gonda, Basti and Gorakhpur districts of Uttar Pradesh;

(b) if so, whether the survey was conducted on the basis of prospects of finding petroleum there;

(c) if so, the result of the survey; and

(d) whether Government propose to implement the scheme in view of backwardness of the people in this area?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). No survey was carried out in 1953-54. But surveys were carried out by the Oil and Natural Gas Commission between 1956 and 1965 in Basti, Gonda and Gorakhpur areas to investigate into the prospects of finding Petroleum there.

(c) The surveys did not lead to the discovery of structures favourable for occurrence of petroleum.

(d). In view of the results of the surveys carried out already no exploration work is proposed to be undertaken in the areas.

Houses Owned by Former and Present Union Ministers

1122. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number and location of houses valuing more than Rs. 50,000/- each owned by the former as well as the present Union Ministers, their sons and spouses along with full details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): The information is not readily available. In respect of Ministers no longer in office, it does not appear practicable to collect the particulars. Up-to-date information regarding present Ministers is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

हैदराबाद स्थित रिजर्व बैंक आफ इंडिया की शाखा के कर्मचारियों द्वारा मैनेजर की मारपीट

1123. **श्री लखन लाल कपूर**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की शाखा के कर्मचारियों के एक ग्रुप ने मैनेजर को उसके चेम्बर में दो घंटे के लिए बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा मैनेजर के कार्यालय का घेराव किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) मैनेजर को इस बन्दीकरण से कब मुक्त किया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ, हैदराबाद ने 16 मार्च, 1970 के अपने पत्र के माध्यम से, भारतीय रिजर्व

बैंक हैदराबाद के प्रबन्धक को अपनी मांगों के विषय में हड़ताल करने का नोटिस दिया था। उक्त संघ ने जो मांगें पेश की थीं, उनमें ये बातें शामिल थीं :—बैंक की इमारत के उप-भवन 'ए' में वातानुकूलन की व्यवस्था, आन्ध्र बैंक की इमारत में स्थित बैंक के कार्यालय की कैंटीन के लिये स्थान की व्यवस्था, 9 अगस्त, 1968 को तथा 22 अक्तूबर, 1969 को बिजली बन्द हो जाने के कारण रोकड़ विभाग के जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय के बाद काम किया था उनको समयोपरि भत्ते की अदायगी और संघ के एक पदाधिकारी की छुट्टी की नामंजूरी। इस सम्बन्ध में प्रादेशिक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) ने 2 अप्रैल, 1970 को समझौता के लिये कार्यवाही शुरू की। 23 मई, 1970 को, दिन में लगभग पौने दो बजे तीसरी श्रेणी के कुछ कर्मचारियों और चौथी श्रेणी के कामगरों के समूह ने रिजर्व बैंक, हैदराबाद के प्रबन्धक का घेराव किया और उससे यह मांग की कि वह संघ के मांग-पत्र का निपटारा शीघ्र ही करे। कर्मचारियों ने लगभग 4 बजे शाम को घेराव तब समाप्त किया जब प्रबन्धक इस बात के लिये सहमत हो गया कि वह पन्द्रह दिनों के अन्दर मांग के सम्बन्ध में संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा। बाद में, पहली जून, 1970 को रिजर्व बैंक के प्रबन्धक और संघ की स्थानीय शाखा के बीच समझौता हो गया।

उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को बैंकों द्वारा ऋण देने के नये लक्ष्य निश्चित करने के सम्बन्ध में निर्णय

1124. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने छोटे उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को ऋण देने के सम्बन्ध में सभी बैंकों के लिए नये लक्ष्य निश्चित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित करने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने, छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों को ऋण देने के लिये कोई नये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं किन्तु बैंकों से आग्रहपूर्वक कहा गया है कि वे छोटे उद्योगपतियों और खुदरा व्यापारियों तथा अर्थ-व्यवस्था के उपेक्षित अन्य क्षेत्रों को अधिक ऋण दें।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) में बताई गई बातों को देखते हुए ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

1125. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1970 के करार द्वारा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की शेष मांगें पूरी कर दी गई हैं ;

(ख) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा किये गये देशव्यापी आन्दोलन के पश्चात उनके दृष्टिकोण पर विचार किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या करार की एक प्रतिलिपि सभापटल पर प्रस्तुत की जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों तथा श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली चार यूनियनों के बीच द्विपक्षीय समझौता-वार्ता के परिणामतः, कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 20 जून, 1970 को दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किये गये। उक्त समझौते को इस प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया कि न्यायाधिकरण उक्त समझौते की शर्तों के अनुसार पंच निर्णय देने की कृपा करे। न्यायाधिकरण के पंचनिर्णय भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित होते ही समझौते की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी जायगी।

हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा तेल कम्पनियों की बैरलों की सप्लाई

1126. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अन्य तेल कम्पनियों तथा ग्राहकों को बैरलों की सप्लाई के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इससे आगे सरकार को और कितना समय चाहिये और ऐसी असाधारण देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) फर्म ने सूचना इस शर्त पर दी है कि इसे प्रकाशित या प्रकट नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसा करना उनके व्यापारिक हितों के प्रतिकूल होगा। भारतीय तेल निगम द्वारा फर्म के विरुद्ध बम्बई हाई कोर्ट में शुरू की गई कानूनी कार्यवाही के लंबन के दौरान ब्यौरे बताना उचित भी नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि निकलवाना

1128. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि निकलवाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) निर्धारित राशि से अधिक राशि निकालने को पूर्णतः समाप्त करने के क्या प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 25 जुलाई, 1970 की स्थिति के अनुसार, चार राज्यों ने रिजर्व बैंक से निर्धारित राशि से अधिक राशि (ओवर-ड्राफ्ट) ले रखी थी। इन राज्यों के नाम और ओवर-ड्राफ्ट की रकमें इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	20.23
असम	1.98
केरल	3.97
राजस्थान	4.88

(ख) ओवर-ड्राफ्ट की रकमों में, विभिन्न कारणों से प्रतिदिन घट-बढ़ होती रहती है और राज्य सरकारों के लिये सर्वदा यह सम्भव नहीं है कि वे ओवर-ड्राफ्ट की रकमें लेना बिलकुल बन्द कर दें। भारत सरकार सदा इस बात के लिये आतुर रहती है कि राज्य सरकारें बार-बार ओवर-ड्राफ्ट का सहारा न लें जो कि उन्हें अपने उपलब्ध साधनों से अधिक खर्च की व्यवस्था करने के लिए लेना पड़ता है। जिन राज्यों ने ओवर-ड्राफ्ट की रकम ले रखी है उन राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे बजट सम्बन्धी अपनी स्थिति का शीघ्र ही पुनरीक्षण करें और अपने आयोजनागत परिव्यय तथा आयोजना-भिन्न परिव्यय के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन करें ताकि वर्ष के अन्त में उनके नाम कोई ओवर-ड्राफ्ट की रकम बाकी न रहे।

विदेशों में राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक

1129. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों की राष्ट्रीयकरण कर दिया है ;

(ख) उन भारतीय बैंकों के नाम क्या हैं जो विदेशों की बैंक राष्ट्रीयकरण योजना में शामिल हैं ; और

(ग) क्या सरकार विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के बारे में सोच रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जिन देशों ने अपने राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

देश	बैंक का नाम	जिस दिन राष्ट्रीयकरण किया गया
बर्मा	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, युनाइटेड कमर्शल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया।	23-2-1963
तंजानिया	बैंक आफ इन्डिया, बैंक आफ बड़ौदा,	6-2-1967
अदन	बैंक आफ इन्डिया	17-11-1969

उपर्युक्त के अलावा, 30 अप्रैल, 1970 से युगांडा की सरकार ने बैंक आफ बड़ौदा और बैंक आफ इन्डिया की स्थानीय रूप से नियमित दो सहायक संस्थाओं के 60 प्रतिशत शेयर अपने हाथ में ले लिये हैं।

परिवार नियोजन संचार तथा कार्य अनुसंधान कार्यक्रम

1130. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिवार नियोजन संचार तथा कार्य अनुसन्धान कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाती है और यदि हां, तो कार्यक्रम के व्यय का कितना प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है;

(ख) यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था और इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार का कोई प्रशासकीय नियन्त्रण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार इस अनुसन्धान कार्यक्रम का सम्पूर्ण खर्च वहन करती है।

(ख) यह कार्यक्रम जनवरी, 1962 में शुरू किया गया था। इस कार्य के लिए केरल विश्वविद्यालय को मार्च, 1970 के अन्त तक सहाय्यानुदान के रूप में 7,33,203 रुपये की धनराशि दी गई है।

(ग) अनुसन्धान केन्द्र ने नौ रिपोर्टें/लेख प्रकाशित किए हैं। एक और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(घ) परियोजना का प्रशासनिक नियन्त्रण केरल विश्वविद्यालय के अधीन है जिसे इसकी क्रियान्विति का कार्य सौंप दिया गया है। तथापि जनविद्या और संचार क्रिया अनुसन्धान समिति द्वारा इस परियोजना की वार्षिक संवीक्षा की जाती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं।

बम्बई और मद्रास में इण्डियन ओवरसीज बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1131. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में इण्डियन ओवरसीज बैंक के सभी कर्मचारियों ने बम्बई और मद्रास में अनिश्चित काल के लिये हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) जनता के लिये पुनः सामान्य सेवाएं दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इण्डियन ओवरसीज बैंक के विभिन्न केन्द्रों में (जिनमें बम्बई और मद्रास के केन्द्र शामिल हैं) कर्मचारियों ने, बैंक के प्रबन्धकों द्वारा दिल्ली मुख्यालय के एक अधिकारी के विरुद्ध 6 मई, 1970 को उसके अभिकथित उपद्रवी आचरण के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने तथा 18 मई, 1970 से उस अधिकारी को निलम्बित किये जाने के विरोध में 18 मई, 1970 की प्रात: से हड़ताल शुरू की थी। केन्द्रीय समझौता तन्त्र ने विवाद मिटाने के लिए मध्यस्थता की कार्रवाई तत्काल प्रारम्भ कर दी थी। कर्मचारियों ने 27 मई 1970 को हड़ताल वापस ले ली थी।

भारत में श्रमिक वर्ग की आय के बारे में पूर्वी जर्मनी के अर्थशास्त्रियों का कथित वक्तव्य

1132. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी जर्मनी के दो अर्थशास्त्रियों के वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि भारतीय श्रमिक वर्ग की वास्तविक आय कम हो गई है;

(ख) क्या पूर्वी जर्मनी के इन दो अर्थशास्त्र विशेषज्ञों ने भारत में आर्थिक समस्याओं का कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो वे भारत में कितनी अवधि तक रहे; और

(घ) उन्होंने यह अध्ययन कैसे किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ). जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के पहली जुलाई, 1970 के ट्रेड रिप्रेजेन्टेशन बुलेटिन में भारत विषयक एक पुस्तक के बारे में संक्षिप्त सूचना दी गई है जोकि पूर्वी जर्मनी के दो लेखकों द्वारा हाल ही में बर्लिन में प्रकाशित की गयी थी। इस सूचना के अनुसार इन लेखकों का मत है कि आने वाले वर्षों में भारतीय श्रमिक वर्ग की वास्तविक आय में कमी होने की सम्भावना है। चूंकि इन लेखकों ने व्यक्तिगतरूप में भारत का दौरा किया था इसलिये उनके द्वारा किये गये अध्ययन के बारे में सरकार को कोई सूचना उपलब्ध नहीं की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

1133. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, 19 जुलाई, 1969 और 30 जून, 1970 के बीच खोले गये कुल 1,150 नये कार्यालयों में से देहाती केन्द्रों में अर्थात् 10,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर 745 नये कार्यालय खोले हैं।

आस्ट्रिया के साथ ऋण सम्बन्धी करार

1134. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा आस्ट्रिया के बीच हाल में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अनुसार भारत को ऋण-राहत के लिये 15 लाख डालर का नया ऋण दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित प्रत्येक देश द्वारा अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है और ऋण-राहत के लिये इसका उपयोग कहां तक दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और इसका परिशोधन 25 वर्ष की अवधि में किया जाएगा, जिसमें प्रारम्भिक स्थगन-काल के 7 वर्ष भी शामिल हैं ।

(ग) 197 0-71 के लिये किये गये सहायता करारों का विवरण

(लाख डालरों में)

देश/संस्था का नाम	कुल सहायता	कुल सहायता में शामिल ऋण-परिशोधन संबंधी राहत की रकम
आस्ट्रिया	15.00*	15.00
कनाडा	165.30	8.00
जापान	324.10	254.10
ब्रिटेन	180.00	180.00
संयुक्त राज्य अमेरिका	362.60	87.30
अन्तर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक	550.00	150.00
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	1375.00	—
जोड़ :	2972.00†	694.40
(करोड़ रुपये में)	222.9	52.08

*इसके अलावा, 24 जुलाई, 1968 को किये गये एक त्रिवर्षीय करार के अन्तर्गत 1970-71 के लिये, ब्याज संबंधी राहत के रूप में 5.00 लाख डालर की रकम भी उपलब्ध है ।

†यह रकम 1970-71 के लिये 24-7-1970 तक किये गये करारों की रकम की द्योतक है । आस्ट्रिया को छोड़कर उपर्युक्त सभी देशों के साथ और कुछ अन्य देशों के साथ, जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है, वर्ष के दौरान और करार किये जाने की सम्भावना है । चालू वर्ष के लिये 640 करोड़ रुपये (8530 लाख डालर) की सहायता मिलने की आशा है ।

हरिजन बस्ती, नई दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों की विषम परिस्थिति

1135. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांधी जी की नई दिल्ली की हरिजन बस्ती के पीछे बसी मजदूर बस्ती में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों की विषम परिस्थिति का पता है;

(ख) गत वर्ष नागरिक सुविधा देने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) कुल जनसंख्या कितनी है तथा नलकों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार उन्हें वहीं पर पुनर्वास देने के लिये सहमत होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) स्थिति में कोई बिगाड़ नहीं हुआ है। इसके विपरीत, नई दिल्ली नगरपालिका ने, इस क्षेत्र के झुग्गी-निवासियों के रहने की दशा में काफी सुधार होने की सूचना दी है।

(ख) 45,200 रुपये।

(ग) लगभग 8,000 की जनसंख्या के लिए 30 पानी के नल हैं।

(घ) जी, नहीं ।

News Item Regarding Medicines Manufactured by IDPL

1136. **Shri Mirtyunjay Prasad**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the comments on page I of the 'March of the Nation' dated the 20th June, 1970 under the heading "Russia doesn't mind poisoning us to make a fast Rouble" regarding medicines manufactured by IDPL; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) Yes.

(b) The news item has used material from the 46th Report of Public Undertakings Committee, on the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. and Government are taking suitable action on the recommendations of the Committee, in consultation with the company.

Closure of Business Other Than Life Insurance and General Insurance by L.I.C.

1137. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether it is a fact that the Life Insurance Corporation of India has decided to close their business other than Life Insurance and General Insurance?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): The Life Insurance Corporation has stopped transacting general Insurance with the public confining itself to business from the Public sector.

Restriction on Use of L.S.D. and Other Harmful Drugs

1138. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the names of places where Health or Medical Research Institute are working to examine the undesirable and harmful side effects and violent reactions due to the use in small or large doses for protracted periods of newly discovered effective drugs in foreign countries; and

(b) whether any warning has been issued to doctors and common people as a result of their research carried on, on the use of L.S.D., different varieties of Tranquilizers, anti-histamins, antibiotics, saccharine or other artificial sweetners, chloro-tetra cycline group of drugs, cortisone group of drugs, sleeping pills, pain killers, etc. and the restrictions imposed on their use?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No new drug is permitted to be marketted unless Government are satisfied that the drug is safe and efficacious. For ensuring safety and efficacy, clinical trials with new drugs, wherever necessary, are carried out in this country at selected places on the advice of experts and under the supervision of competent personnel.

So far as Government are aware, there are no medical research institutes engaged in experimental research on the undesirable and harmful side effects and violent reactions due to the use, over protracted periods, of newly-discovered drugs.

(b) Does not arise. However, suitable cautionary notes on the side-effects of drugs, the limitations on their use and the precautions to be taken while administering them are incorporated in package inserts and promotional literature relating to new drugs, wherever necessary.

Income-Tax on Amount Received as a Result of Lottery Prize

1139. **Shri Mirtyunjay Prasad**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Income-tax is charged on income from Government or other lotteries and whether Wealth-tax is charged from the same year in which a person's assets amount to more than Rupees one lakh after including the prize money from lotteries and if not, the year from which such tax is payable; and

(b) the number of new millionaires in the entire country as a result of the prize money received from the purchase of Government lottery tickets up to 31st July, 1970 and the number of existing millionaires who got prizes worth more than Rs. one lakh?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Income-tax is not charged on the prize money received from Government or other lotteries, it being a receipt of a casual and non-recurring nature, and hence exempt from income-tax under section 10 (3) of the Income-tax Act, 1961, in the hands of the recipient.

Wealth-tax is charged on the net wealth of a person as on the valuation date, i.e. the last date of the accounting year. Therefore, if the prize money received by a person during the accounting year, together with his other assets laible to wealth-tax, exceeds the maximum amount not liable to wealth-tax, as on the valuation date, he will be chargeable to wealth-tax in respect of that very year. If, however, the prize money or any part of it is converted by the person concerned, before the valuation date, into assets which are not chargeable to wealth-tax, such assets will naturally not be liable to wealth-tax.

(b) It is presumed that the Honourable Member wishes to obtain information about the number of persons in the entire country who received prize money of Rs. 1 lakh and more upto

31st July, 1970. The information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the House as soon as it is collected.

As regards the number of existing millionaires, who got prizes worth more than Rs. 1 lakh, the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the House as soon as it is collected.

बम्बई के नारंग बन्धुओं की सम्पत्ति

1140. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बम्बई में श्री मनु नारंग तथा श्री रामु नारंग द्वारा अर्जित की गई विभिन्न सम्पत्तियों तथा व्यवसायों के बारे में सरकार को विस्तृत जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारंग बन्धुओं की कुल सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस समय कोई जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). नारंग बन्धुओं द्वारा सम्पत्तियां अर्जित किये जाने और उनके कुल धन के संबंध में कर-निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल की इस स्थिति में ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

कर्मचारियों के गृह-निर्माण के लिए देना बैंक की रिजर्व निधि

1141. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देना बैंक के पास कर्मचारियों के गृह-निर्माण के लिये 50 लाख रुपये से भी अधिक की रिजर्व निधि है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब से अप्रयुक्त पड़ी है;

(ग) क्या सरकार को देना बैंक के कर्मचारियों की सहकारी गृह निर्माण समितियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने गृह-निर्माण के लिये सहायता मांगी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बैंक के प्रबन्धकों को यह कहने का है कि वह कर्मचारियों को अपेक्षित धन दे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बैंक के पास अपने मुनाफों से निर्मित कोई प्रारक्षित निधि है। 29 मार्च, 1967 को बैंक के शेयर-धारियों की सामान्य वार्षिक सभा में, बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष ने बैंक के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित करने के सम्बन्ध में, बैंक के निदेशक-मंडल के निश्चय की घोषणा की थी। लेकिन देना बैंक द्वारा, ऋण देने से सम्बन्धित विस्तृत नियम और विनियम 31 मार्च, 1970 को मंजूर किये गये थे। तीन आवासन समितियों को, जिनकी योजनाओं की कुल लागत 11.46 लाख रुपया थी, जमीन की खरीद के लिए

बैंक द्वारा कुल मिला कर 3.31 लाख रुपये के प्रारम्भिक ऋणों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, बैंक को अन्य आवासन समितियों के, जिनका निर्माण अभी किया जाना है, 12 लाख रुपये के ऋणों के प्रार्थनापत्रों पर विचार कर रहा है।

(ग) सरकार को देना बैंक कर्मचारी सहकारी समिति, (देना बैंक एम्पलाईज कोआपरेटिव सोसाइटी), कालीना रोड, कुरला, बम्बई से एक अभ्यावेदन मिला है।

(घ) बैंक ऋण देने से सम्बन्धित विस्तृत नियम और विनियम अन्तिम रूप से तैयार कर चुका है और उसने समितियों को ऋण देना शुरू कर दिया है। यह काम बैंक के निदेशक-मंडल का है कि वह बैंक के कर्मचारियों से मकान बनाने के प्रयोजनों के लिए ऋण के लिए प्राप्त अनुरोधों पर, उनकी पात्रता के आधार पर फैसला करे।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में जनता का जमा किया गया धन

1142. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों के पास लोगों का कुल कितना धन है ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी ऐसी कम्पनियों का परिसमापन हुआ है जिसके पास लोगों का ऐसा धन था तथा उनके पास लोगों का कितना धन जमा था;

(ग) जमा राशि का कितनी कम्पनियों ने भुगतान नहीं किया और उसमें कुल कितनी राशि अन्तर्निहित है; और

(घ) इन कम्पनियों में अपना धन गंवाने से नागरिकों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). दिसम्बर 1969 के अन्त तक की सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 111-ख के अन्तर्गत, गैर-सरकारी क्षेत्र की गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा की रकमों के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिये हैं। इनका उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि ऐसी कम्पनियां अपने कार्यकलापों का वित्त-पोषण करने के लिये स्वस्थ परम्पराओं का अनुसरण करें। ऐसा विनियम, गैर-बैंकिंग कम्पनियों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाये रखने में योग देकर, केवल अप्रत्यक्ष रूप से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा कर सकता है। चूंकि जमाकर्ता द्वारा धन का जमा करना और गैर-बैंकिंग कम्पनी द्वारा उसे स्वीकार करना, दो पार्टियों के बीच एक प्रकार का करार होता है, इसलिये किसी जमाकर्ता के लिये सम्बन्धित कम्पनी से अपना धन वापस लेने का एक मात्र उपाय उसके खिलाफ दिवानी मुकदमा दायर करना रह जाता है। सरकार के पास, कम्पनी को अदायगी करने का आदेश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

श्री आर० के० सोनी द्वारा आय-कर तथा धनकर की अदायगी

1143. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० के० मशीन टूल्स, आर० के० वूल कोम्बर्स, अनिल वूल कोम्बर्स, कबीर वूलन मिल्स, कुमार वूलन मिल्स,

बेदी वूलन मिल्स, के० एस० आर० वूलन मिल्स, आर० के० वूल एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज के मालिक श्री आर० के० सोनी ने गत तीन वर्षों में कुल कितना आय कर तथा सम्पत्ति कर अदा किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है **[ग्रन्थालय में रखा गय देखिये । संख्या एल०टी० 3824/70]**

मीठापुर तथा गोवा उर्वरक परियोजना के मामलों को एकाधिकार आयोग के पास भेजना

1144. **श्री देवेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीठापुर-गुजरात स्थित टाटा फर्टिलाइजर्स तथा गोवा में स्थित बिड़ला फर्टिलाइजर्स के मामले मत प्रकट करने के लिये एकाधिकार आयोग के पास भेजे जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). मीठापुर में उर्वरक कारखाने के लिये मैसर्स टाटा कैमिकल्स को जारी किये गये आशय पत्र में दी गई शर्तों में से एक शर्त यह है कि कम्पनी को 1. 6. 1970 को लागू हुये मोनोपलीज एण्ड रेस्ट्रिकटिव ट्रेड प्रैकटिसिज एक्ट के अन्तर्गत अनुमति लेनी होगी। गोवा उर्वरक परियोजना के लिये औद्योगिक लाइसेंस 12-12-1966 को अर्थात मोनोपलीज एण्ड रेस्ट्रिकटिव ट्रेड प्रैकटिसिज एक्ट के 1-6-1970 के लागू होने से पहले, दिया गया था। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कि क्या मोनोपलीज एण्ड रेस्ट्रिकटिव ट्रेड प्रैकटिसिज एक्ट के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू होंगे।

जनरल अस्पताल, मनीपुर में कान, नाक, गला (ई० एन० टी०) विशेषज्ञ तथा विकलांग विद्या (अर्थोपेडीस) के सर्जन की नियुक्ति

1145. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनरल अस्पताल, मनीपुर में कान, नाक, गला विशेषज्ञ तथा विकलांग विद्या सर्जन को नियुक्ति का प्रबन्ध कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन विशेषज्ञों की नियुक्ति में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को जनरल अस्पताल, मनीपुर में कान, नाक, गला विशेषज्ञ तथा कैंसर के इलाज के लिये उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). कान, नाक, और गला विशेषज्ञ के पद का

नियुक्ति-प्रस्ताव 1-9-69 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत एक उम्मीदवार को भेजा गया था। तथापि, उसने अभी तक कार्य-भार ग्रहण नहीं किया है और नियुक्त-प्रस्ताव को रद्द करने तथा आयोग के माध्यम से अन्य उम्मीदवार की भर्ती होने तक रिक्त स्थान की पूर्ति तदर्थ आधार पर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

विकलांग-विज्ञान शल्य-चिकित्सक के किसी रिक्त पद को मणिपुर सरकार द्वारा भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। इस विषय में उन्हें लिखा गया है।

कैंसर के उपचार के लिये सुविधाओं की कमी संबंधी कोई पत्र मणिपुर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय में मणिपुर सरकार के परामर्श से उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। उन्हें इस विषय में लिख भी दिया गया है।

मनीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग से छटनी किये गये कर्मकार

1146. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में मनीपुर लोक निर्माण विभाग से कितने कर्मकारों की छटनी की गई तथा उनकी छटनी की तिथि क्या है ;

(ख) क्या छटनी किये गये कर्मकारों को छटनी के समय छटनी मुआवजा दिया गया था ;

(ग) छटनी की इस लहर के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या मनीपुर सरकार उन्हें पुनः रोजगार देने के लिये कोई उपाय कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). छटनी किये गये कर्मकारों की संख्या 112 है। उनकी छटनी की तारीख के बारे में और उनके मुआवजे की अदायगी की स्थिति के सम्बन्ध में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) छटनी का कारण मणिपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग से चूराचन्दपुर तिपाई-मुख मार्ग का सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरण तथा तत्पश्चात् कार्य में हुई कमी थी।

(घ) और (ङ). भविष्य में जब कोई रिक्त होगी तो छटनी किये गये व्यक्तियों को तरजीह दी जायेगी।

मनीपुर के लिये एम० बी० बी० एस० की सीटें

1147. **श्री एम मेघचन्द्र: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के लिये वर्ष 1970-71 में एम० बी० बी० एस० की कुल कितनी सीटें अलाट की गई हैं ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्र से इस वर्ष और अधिक सीटें निर्धारित करने के लिये कहा है ; और

(ग) प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आरक्षित एम० बी० बी० एस० की सीटों के वितरण के बारे में मनीपुर सरकार द्वारा क्या कसौटी अपनाई जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) संघ-शासित क्षेत्र मणिपुर को 1970-71 के दौरान 26 एम० बी० बी० एस० की सीटें दी गई हैं।

(ख) जी, हां। मणिपुर सरकार ने इस वर्ष 50 सीटें मांगी थीं जब कि पिछले वर्ष उन्होंने 20 एम० बी० बी० एस० सीटों के लिये ही निवेदन किया था।

(ग) मणिपुर सरकार द्वारा आरक्षित एम० बी० बी० एस० सीटों के वितरण के निम्नलिखित आधार हैं :

(1) प्रो-मेडीकल/इन्टरमीडियेट साइन्स मेडिकल ग्रुप या समकक्ष परीक्षा में चार अनिवार्य विषयों नामतः अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जैविकी में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिये, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के मामले में यह प्रतिशत 45% तक हो।

(2) चयन का आधार योग्यता है जिसका निर्धारण अर्हक-परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन-शास्त्र और जैविकी में उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांकों से किया जाता है। योग्यता निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाये जाते हैं :

(क) मेडिकल ग्रुप के एक या अधिक विषयों समेत बी० एस० सी० प्रथम श्रेणी उम्मीदवार को इन्टर साइन्स/प्रो-मेडिकल अर्हता प्राप्त छात्र के बजाय वरीयता दी जाय :

(ख) बी० एस० सी० द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा इन्टर साइंस/प्रो-मेडिकल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आंकी जानी चाहिए।

(ग) इन्टर साइन्स/प्रो-मेडिकल छात्रों की पात्रता उनके यूनिवर्सिटी/बोर्ड के अंकों के आधार पर आंकी जाये।

(घ) अर्हता-परीक्षा दूसरे प्रयत्न में पास करने वाले उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करते समय 2% अंक कम कर दिये जाने चाहिये।

(ङ) उक्त परीक्षा दो से अधिक प्रयत्नों में पास करने वाले उम्मीदवारों के चयन के प्रश्न पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(3) सीटों का वितरण करते समय सम्बन्धित मेडिकल कालेजों की, जिनमें कि इन चुने हुए उम्मीदवारों को भेजा जाना है, प्रवेश अपेक्षाएं भी विशेषतः न्यूनतम और अधिकतम आयु जहां-कहीं ऐसा विहित हो और प्रवेश हेतु प्राप्तांकों की न्यूनतम प्रतिशतता ध्यान में रखी जाती है।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारी कर्मचारियों का स्थायीकरण

1148. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कितने कार्यभारी कर्मचारियों को आज तक स्थाई बनाया गया है तथा कितने कर्मचारियों को स्थाईवत घोषित किया गया है ;

(ख) यदि उत्तर नकारात्मक है, तो कार्यभारी कर्मचारियों को स्थाई बनाने में असाधारण देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) मनीपुर लोक निर्माण विभाग और दो इलैक्ट्रिसिटी डिवीजन में ऐसे कितने कार्यभारी कर्मचारी हैं जो आठ वर्ष और इससे अधिक की अवधि से सेवा में हैं ; और

(घ) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग के अस्थाई कार्यभारी कर्मचारियों को मृत्यु उपदान दिया गया है जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अस्थाई कार्यभारी कर्मचारियों को मिलता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) किसी कर्मचारी की पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि कार्य प्रभावित स्थापना में अर्ध स्थायी की व्यवस्था नहीं है, अतएव किसी को भी अर्थ स्थायी घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) क्योंकि कर्मकारों की सेवा पंजी पूरी नहीं थी, पुष्टीकरण का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। मणीपुर सरकार द्वारा सेवा पंजी की जांच और उनके पूरे करने के लिए एक तदर्थ समिति की स्थापना की गई है। ज्यों ही यह कार्य पूरा हो जायेगा, कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पहले स्वीकृत किए गए स्थाई पदों में वारियता के अनुसार पुष्टि कर दी जाएगी।

(ग) 406।

(घ) जी, नहीं।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारी कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

1149. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार के अधीन मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारी कर्मचारियों को अब तक वही वेतनमान तथा महंगाई भत्ते दिये जाते हैं जो मनीपुर (वेतन पुनरीक्षण) नियमों के अन्तर्गत उनके नियमित समकक्षियों को दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमित कर्मचारियों को अब तक दिया गया 20 रुपये का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मनीपुर सरकार के कार्यभारी कर्मचारियों को भी दिया गया है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उपर्युक्त कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

Demand for Interim Relief by A.I.R.F. and N.R.W.U.

1150. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the All India Railwaymen's Federation and the Northern Railway Workers Union have demanded Rs. 70/- and Rs. 60/- respectively as interim relief; and

(b) if so, the reaction of the Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes Sir. In their Memoranda submitted to the Third Pay Commission on 'interim relief' the All India Railwaymen's Federation have recommended an interim relief of Rs. 70/- per month for all employees, while the Northern Railway Workers Union have recommended an interim relief of Rs. 70/- for employees drawing pay upto Rs. 350/- per month and at 20% of pay for others.

(b) Government would await the recommendations of the Third Pay Commission in this regard.

Loans Advanced to Farmers for Agricultural Purposes in Bihar

1151. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the district-wise details of the loans advanced to farmers for agricultural purposes by the branches of the nationalised banks in Bihar;

(b) the district-wise details of the loans advanced for the development of small industries; and

(c) the district-wise number of the applications pending till June, 1970?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Application to Coal Wage Board Award to Workers of Sulphur Mines at Amjhore

1152. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Coal Wage Board Award has not been made applicable to workers of sulphur mine at Amjhore; if so, the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that about two years back the then Commissioner for Labour, Government of Bihar, was appointed as an arbitrator to determine the wages, etc. of the workers of the said mine;

(c) if so, whether it is further a fact that he has not so far given any decision as a result of which there is great resentment among the workers; and

(d) if so, the reasons for the delay and the action Government propose to take in this matter as also the time by which the said action is likely to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) Yes, Sir. The Government of India in its resolution dated 10.8.1962, had set up a Wage Board specifically for the Coal Mining Industry, and, as such, the question of making the Award of the Wage Board applicable to the workers of the Pyrite mines at Amjhore does not arise.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). Although the Arbitrator took various steps in respect of Arbitration, he has expressed his inability to conduct further arbitration proceedings owing to his subsequent transfer to another post. However, at the time of referring the dispute on wages to arbitration, the Management had granted an ad hoc increase of 25% of the basic wage to be adjusted against the final arbitration award, which continues to be in force. Yet, the daily rated workers went on strike on 4th June, 1970, demanding inter alia 40% wage rise by way of interim relief. The Management has been negotiating with workers representative and also made an offer for final settlement, which was rejected by the workers. Finally, on 29th July, 1970 the strike has been called off at the intervention of the Chief Minister of Bihar, both parties agreeing to refer the dispute afresh for arbitration and giving a suitable interim relief.

Charter of Demands Adopted by Indian Mine Workers Federation

1153. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Fourth Conference of Indian Mine Workers Federation was held from 13th to 15th June, 1970 at Korba;

(b) whether a seven-point Charter of Demands was sent to Government as adopted in the said Conference;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) A Conference of Indian Mine Workers Federation was held from 13th to 15th June at Rajhara and not at Korba.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

झुग्गी झोंपड़ी के स्वामित्व पर मतभेद

1154. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी झोंपड़ी के स्वामित्व के सम्बन्ध में अब भी एक और सरकार तथा दूसरी ओर दिल्ली प्रशासन, नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के बीच मतभेद चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो झुग्गी झोंपड़ियों के रहने वालों के भविष्य के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को 99 वर्ष के पट्टे पर किराया-खरीद आधार पर प्लाटों के आवंटन का प्रस्ताव किया है। तथापि, निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग से सम्बद्ध संसद् सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया है कि झुग्गी-झोंपड़ी के अनधिवासियों को आवंटित प्लाट 30 वर्ष के पट्टे पर दिये जाएं जिनका नवीनकरण किया जा सके और प्लाटों के हस्तान्तरण पर पाबन्दी हो। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1155. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जीवन बीमा निगम की सहायक कम्पनी है और क्या कम्पनी सरकारी क्षेत्र में सामान्य बीमा व्यवसाय कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के असन्तोष को दूर करने के लिये पदोन्नति के बारे में युक्तियुक्त नीति न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) पदोन्नतियां सामान्यतः वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती हैं। लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग के संघों ने एक ऐसी मांग प्रस्तुत की है जिसे वे अधिक निष्पक्ष आधार मानते हैं। इस सम्बन्ध में दो संघों अर्थात आल इंडिया इन्श्योरेंस एम्प्लाईज एसोसियेशन तथा आल इण्डिया फैडरेशन आफ आरियेण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के साथ 5 और 6 मई, 1970 को विचार-विमर्श किया गया। आगे विचार-विमर्श अगस्त, 1970 के अन्त में होना निश्चित हुआ है।

झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के निवासियों द्वारा प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के सामने धरना

1156. **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने 8 जुलाई, 1970 को प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के सामने धरना दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ; और

(ग) उनको पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां।

(ख) झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को स्वामित्व अधिकार, बस्तियों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था, उसी स्थान पर बहुमंजिले मकानों में पुनर्वास, दिल्ली प्रशासन को उदार अनुदान देना आदि।

(ग) 30 वर्षों पर पट्टे के नवीकरण किए जाने वाले प्लाटों को किराया-खरीद के आधार पर दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। पीने का पानी, सामुदायिक शौचनालय, स्मार्क मार्ग, खुली नालियों और सड़क की रोशनी जैसी मूल सुविधाएं झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में पहले ही उपलब्ध कर दी गई हैं। पार्कों, विद्यालयों, और औषधालयों की व्यवस्था भी की जा रही है। सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। अनधिवासित स्थानों पर उन्हीं अनधिवासियों का पुनर्वास हमेशा सम्भाव्य नहीं होता है। झुग्गी-झोंपड़ी हटाये जाने के लिये दिल्ली प्रशासन को पर्याप्त निधियां दी जाती हैं।

आय-कर सम्बन्धी लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

1157. **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति के 100वें प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें समिति ने सरकार से कहा है कि वह आय के अधिक निर्धारण को निरुत्साहित करे और तलाशी लेने के आदेश देते समय उचित नियमों का पालन करे ; और

(ख) यदि हां, तो लोक लेखा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) (i) अधि-निर्धारण को रोकने के बारे में सरकारी लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिश के सम्बन्ध में मंत्रालय ने जो कार्यवाही की थी उसकी रिपोर्ट उक्त समिति को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 12 नवम्बर, 1969 को फा० सं० 17/35/69 आयकर (लेखा-परीक्षा) के अन्तर्गत दे दी गई थी जो समिति की 100वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 115-120 में उद्धृत की गई है। उपर्युक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.54 से 1.56 में समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि न्यायाधिकरणों तथा अदालतों द्वारा दिये गये फैसलों को देखते हुए सरकार को अधि-कर निर्धारण के मामलों का अध्ययन करना चाहिए। एतद्नुसार, अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्तों के आदेशों के सम्बन्ध में पहले ही किये गये मार्गदर्शी अध्ययन की भांति, सरकार ने मार्गदर्शी अध्ययन आरम्भ किया है।

(ii) सरकारी लेखा समिति ने अपनी 100वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.57 से 1.60 में इसका इतमीनान करने के लिये आतुरता व्यक्त की है कि तलाशियां लेने तथा अभिग्रहण के आदेश देने के मामले में आयकर विभाग के अधिकारियों की शक्तियां निश्चित रूप से स्पष्ट की

जानी चाहिये। उसने यह भी सुझाव दिया है कि यदि इस मामले में विधान पारित करना उपयुक्त नहीं समझा जाय तो सरकार को, तलाशियों के आदेश देने के मामले में उचित प्रतिमानों के पालन किये जाने के लिये, आयकर आयुक्तों को कम से कम कार्यकारी आदेश तो जारी करने ही चाहिये। सरकार ने छोटे-छोटे मामलों में तथा उन मामलों में जहां सूचना की विश्वसनीयता में सन्देह की गुंजाइश हो, तलाशियां नहीं लेने के सम्बन्ध में पहले हो उपयुक्त आदेश जारी कर दिये हैं।

दिल्ली वृहत् योजना

1158. **श्री बलराज मधोक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली वृहत् योजना में परिवर्तन किये हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कालोनियों के क्या नाम हैं जिनको नियमित किया गया है अथवा करने का विचार है और जिन्हें वृहत् योजना में ले लिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मजूरी बोर्ड में वृद्धि के सम्बन्ध में इण्डियन बैंक एसोसिएशन और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ में बातचीत

1159. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन बैंक एसोसिएशन ने मजूरी में वृद्धि आदि के लिये 30 दिसम्बर, 1969 को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के साथ बातचीत आरम्भ की थी ;

(ख) क्या उसी समय स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके मजदूर संघों में बातचीत चल रही थी ;

(ग) क्या इण्डियन बैंक एसोसिएशन को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के साथ ऐसा समझौता हो जाने की आशा थी जिसका आदान-प्रदान के आधार पर सिब्बन्दी खर्च पर लगभग 8 प्रतिशत का प्रभाव पड़ता ;

(घ) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया को उक्त बातों से सूचित रखा गया था तथा फिर भी इसने अपने मजदूर संघों के साथ ऊंची शर्तों पर समझौता करना पसन्द किया ; और

(ङ) क्या इण्डियन बैंक एसोसिएशन के लिये ऐसी शर्तें मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था जिससे कर्मचारियों को इसके बदले में कुछ बैंकों की सिब्बन्दी लागत में 25 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों सहित सभी बैंक कर्मचारियों के वेतन मान और सेवा की अन्य शर्तें, एक ओर बैंक प्रबन्धकों की प्रतिनिधि संस्था भारतीय बैंक संघ (इण्डियन बैंकस एसोसिएशन) और दूसरी ओर बैंक के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघों के बीच 19 अक्टूबर, 1966 को हुए द्विपक्षीय समझौते द्वारा शासित होती थीं। इस समझौते की अवधि 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त हो गई थी। जनवरी, 1969 में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (आल इण्डिया बैंक एम्प्लायज एसोसिएशन) ने 1966 के द्विपक्षीय समझौते में सुधार करने की मांग की। मई, 1969 से भारतीय बैंक संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के बीच कई बैठकें हुई और 30 दिसम्बर, 1969 को दोनों पार्टियों के बीच बड़ी तत्परता से बातचीत शुरू हुई। भारतीय स्टेट बैंक ने वेतन-मानों के सम्बन्ध में 29 जुलाई, 1967 को अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (आल इण्डिया स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ फेडरेशन) के साथ एक करार किया और यह करार 31 दिसम्बर, 1968 तक लागू रहना था। दिसम्बर, 1968 में संघ ने करार में कुछ संशोधन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कहा और तदनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने, बातचीत द्वारा समझौता करने के उद्देश्य से संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू की। भारतीय बैंक संघ और भारतीय स्टेट बैंक संघ और भारतीय स्टेट बैंक जिन संघों के साथ बातचीत कर रहे थे उनके साथ होने वाली बातचीत की सामान्य प्रवृत्ति के बारे में एक दूसरे को सूचित करते रहे। चूंकि बातचीत लम्बी अवधि तक चलती रही और समझौता कई मुद्दों पर किया जाना था और जब तक पार्टियों ने सभी बकाया मुद्दों पर बातचीत न कर ली और वित्तीय दृष्टि से प्रभावपूर्ण सभी विषयों के सम्बन्ध में समझौता न कर लिया था, पार्टियां प्रत्येक बातचीत में लगातार मत बदलती रही थीं, इसलिये, यह ठीक ठीक बताना कठिन होगा कि किसी विशेष समय इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ा होगा। 24 फरवरी, 1970 को, संघ के साथ समझौता हो जाने पर, भारतीय स्टेट बैंक ने संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर कर दिये क्योंकि बैंक का विचार था कि संघ के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के कार्य को और स्थगित करना वांछनीय नहीं होगा। इस करार की शर्तों के अनुसार स्टेट. बैंक का अनुमान था कि पंचाट से प्रभावित कर्मचारियों के वेतन बिल में लगभग 5.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो जायगी। अप्रैल-मई, 1970 के दौरान, 'क' श्रेणी के बैंकों के सम्बन्ध में, जिनमें 14 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं, संशोधित वेतनमानों और अन्य मामलों के बारे में भारतीय बैंक संघ के साथ अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का कुछ मामलों में समझौता हो गया था। बाकी के कुछ मामलों में भारतीय बैंक संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के बीच बातचीत अब भी जारी है। जब तक कि भारतीय बैंक संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के बीच औपचारिक करार नहीं हो जाता तब तक यह ठीक-ठीक बताना कठिन होगा कि वेतन-मानों के संशोधन और अन्य मामलों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक पर कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। वेतन में संशोधन के सम्बन्ध में भारतीय बैंक संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के बीच हाल में हुए समझौते के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बैंक कर्मचारी संघ के साथ आगे बातचीत

की थी और स्टेट बैंक के कामगार कर्मचारियों के वेतन में और वृद्धि करने के सम्बन्ध में समझौता कर लिया है और भारतीय स्टेट बैंक के अनुमान के अनुसार, इस प्रकार की गई अतिरिक्त वृद्धि सहित कामगर कर्मचारियों के प्रतिष्ठान व्यय में कुल मिलाकर 10.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जायगी। फिर भी, वर्तमान संकेतों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी भी बैंक को भी 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यय करना नहीं पड़ेगा।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

1160. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी है जिससे इसके कर्मचारी वर्ग सम्बन्धी व्यय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने हाल ही में यह मांग की है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन उनको भी दिया जाये और यदि यह मांग स्वीकार कर ली गई तो जीवन बीमा निगम को अपने वेतन बिल में प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार और वहन करना पड़ेगा ;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ इन्डिया के कर्मचारियों को उसी तरह के कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं और स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा हाल में वेतन में वृद्धि करने से प्रतिक्रिया को एक श्रृंखला पैदा हो जायेगी जैसा कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा की गई मांग से सिद्ध होता है ; और

(घ) उनका ऐसी एकतरफा कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय राज्य बैंक और उसके कर्मचारी संघ के बीच, कामगरों के वेतन में संशोधन के प्रश्न पर एक समझौता हुआ है जिससे कामगरों के प्रतिष्ठान व्यय में लगभग 10.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(ख) श्रम मंत्रालय ने, जीवन बीमा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र अधिनिर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज दिया था। उस समय जबकि विवाद न्यायाधिकरण के पास था, प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच 20 जून, 1970 को न्यायाधिकरण के बाहर एक समझौता हो गया। उसी समझौते के कागजात न्यायाधिकरण के सम्मुख पेश करते हुए यह प्रार्थना की गयी कि न्यायाधिकरण उक्त समझौते के अनुसार अपना फैसला दे दे। इस समझौते के परिणामस्वरूप, माननीय सदस्य द्वारा अनुमानित 10 करोड़ रुपये के आस-पास व्यय होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) और (घ). 31-12-68 को कामगरों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी समझौता समाप्त हो जाने पर, भारतीय राज्य बैंक के लिये, अपने ही मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ अर्थात् भारतीय राज्य बैंक कर्मचारी संघ के साथ बातचीत शुरू करना आवश्यक हो गया था। प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघों के बीच, सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों की

वेतन दरें तथा नौकरी की अन्य शर्तें तय हो गई हैं। ऐसे विभिन्न सरकारी उपक्रमों के बीच हमेशा एकरूपता रहना सम्भव नहीं है जो एक ही क्षेत्र में अथवा एक जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं किन्तु जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संगठनात्मक स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे मामलों में जो कि सामूहिक सौदेबाजी के विषय हैं सरकार का सीधा हस्तक्षेप न तो सम्भव है और न ही वांछनीय।

औषधियों के मूल्यों में कमी का जनसाधारण पर प्रभाव

1161. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अधिसूचित 17 आवश्यक औषधियों के मूल्य में कमी करने का एक उद्देश्य जनसाधारण पर चिकित्सा सम्बन्धी बिलों का भार कम करना था ;

(ख) क्या उपरोक्त कार्यवाही से जनसाधारण को होने वाले लाभ का कम से कम मोटेतौर पर अनुमान लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा अध्ययन करने के आदेश दिये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या उन निष्कर्षों को सभा के समक्ष रखा जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत 17 अत्यावश्यक औषधियों के मूल्य अधिसूचित किये गये थे। इस आदेश में अन्य प्रचुर औषधियों के मूल्यों को न बढ़ने देने और उसमें निर्धारित सूत्र के अनुसार फारमूलेशन्स के मूल्यों के पुनः निर्धारण की भी व्यवस्था है। इस मूल्य नियन्त्रण नीति का एक उद्देश्य है कि जनसाधारण को उचित मूल्यों पर औषधियां तथा भेषज उपलब्ध कराये जाएं और नियन्त्रण आदेश को इस प्रकार बताया गया है कि यह उद्देश्य प्राप्त हो सके। मूल्य नियन्त्रण पहली अगस्त, 1970 से लागू होगा। मूल्य नियन्त्रण के परिणामस्वरूप जनसाधारण को पहुंचने वाले लाभ का अनुमान लगाने के लिये कोई अध्ययन नहीं किया गया है और न ही इस समय ऐसा करना सम्भव है। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा, जिन पर अधिकांशत: विदेशी स्वामित्व है, बेची जा रही अत्यावश्यक औषध फारमूलेशन्स के मूल्य काफी कम हो जायेंगे।

(ग) इस समय किसी अध्ययन का आदेश नहीं दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विटामिन, खनिज प्रोटीन वाली ताकत की दवाइयों के मूल्य वृद्धि पर रोक

1162. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन औषधियों तथा रसायनों से, जिनके मूल्यों को हाल ही में नियन्त्रित किया गया है, युक्त नुस्खों के अतिरिक्त अधिकांश मामलों में रोगियों को विटामिन, खनिज, प्रोटीन वाली ताकत की दवाइयां भी देनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या सरकार यह पता लगायेगी कि क्या अधिकांश निर्माताओं ने हाल ही में ताकत की दवाइयों के मूल्यों में काफी वृद्धि की है, या नहीं की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है कि ताकत की दवाइयों आदि के मामले में मूल्य वृद्धि कुछ अत्यावश्यक औषधियों और दवाइयों के मूल्य में की गई कमी से होने वाले लाभों को निरर्थक न कर दे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) बलवर्धक दवाइयों का नुस्खा तैयार करना चिकित्सक का काम है। जहां तक मूल्य नियन्त्रण का सम्बन्ध है, औषधियुक्त बलवर्धक दवाइयां औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के सीमान्तर्गत है।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि बलवर्धक दवाइयों की कीमतें बहुत बढ़ा दी गई है। संशोधित मूल्य 1 अगस्त, 1970 से लागू होंगे, और पुनरीक्षित मूल्य सूत्रियां प्राप्त होने के बाद ही स्थिति का पता लगेगा।

(ग) आगामी उपाय अपनाने से पहले सरकार परिस्थिति की देख-भाल रखेगी।

हैजे से हुई मौतें

1163. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, वर्ष 1969 में तथा जून, 1970 तक हैजे से कितनी मौतें हुई हैं ; और

(ख) इस मामले में राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की और केन्द्र द्वारा प्रभावित राज्यों को इस सम्बन्ध में दी गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार हैजे से होने वाली मौतों की संख्या 1969 में 4076 तथा जनवरी से जून, 1970 की अवधि में 1516 थी। राज्यवार ब्योरा विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3825/70]**

(ख) रोग को फैलने से रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा आवश्यक निरोधी उपाय बरते गये थे जो इस प्रकार हैं :

(1) रोगियों की तुरन्त सूचना देना, उन्हें पृथक करना तथा उनकी व्यवस्था करना ;

(2) संक्रमित स्थानों का रोगाणु मुक्त करना ;

(3) संक्रमित तथा रोग के फैलने की आशंका वाले क्षेत्रों में हैजा निरोधी टीके लगाना ;

(4) पानी का क्लोरिनीकरण ;

(5) पर्यावरणिक सफाई में सुधार जिसमें खाद्य पदार्थों को स्वच्छ रखना और मक्खी निरोधी उपाय सम्मिलित हैं ;

(6) रोगियों के सम्पर्क में रहने वालों का रोगरोधी उपचार ; और

(7) स्वास्थ्य शिक्षा ।

प्रभावित राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी गई जो इस प्रकार है :

(1) राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में चार केन्द्रीय अन्वेषण दल भेजे गये तथा केन्द्रीय अधिकारियों ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का दौरा किया ।

(2) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के सहयोग से चिकित्सा अधिकारियों के लिये हैजा सम्बन्धी अनुस्थिति ज्ञान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई तथा जहां कहीं आवश्यक समझा गया प्रशिक्षण में सहायता देने के लिये विशेषज्ञों को भेजा गया । 1969 के दौरान 8 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 1970 के दौरान (जुलाई के अन्त तक) 8 पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई ; आन्ध्र प्रदेश में दो, असम में एक, बिहार में एक, महाराष्ट्र में एक, मैसूर में दो, उड़ीसा में दो, तमिल नाडु में चार तथा पश्चिम बंगाल में तीन ।

(3) हैजा सम्बन्धी तकनीकी सूचना राज्य सरकारों को भेजी गई ।

(4) असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली, मणिपुर एवं त्रिपुरा के संघ शासित क्षेत्रों में पदार्थों के प्रयोगशाला परीक्षणों की सुविधाओं की व्यवस्था की गई ।

(5) असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैजा वैक्सीन रोगाणुनाशक दवाओं और अनिवार्य औषधियों की तत्काल पूर्ति की व्यवस्था की गई ।

(6) उज्जैन (मध्य प्रदेश) के सिंहस्थ मेले तथा पुरी (उड़ीसा) के रथोत्सव में टीका लगाने के लिये जैट-गन इन्जैक्टरों की व्यवस्था की गई ।

(7) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के महामारी सम्बन्धी सूचना के आंकड़े दिये गये और प्राकृतिक प्रकोपों जैसे बाढ़ एवं सूखा तथा अखिल भारतीय महत्व मेलों और उत्सवों के अवसर पर हैजा संनिरीक्षण का कार्य बढ़ा दिया गया ।

हैजा नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये 1969-70 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई :

राज्य का नाम	**1969-70 के दौरान दी गई सहायता (रु० लाखों में)**
1. आन्ध्र प्रदेश	0.43
2. बिहार	1.83
3. महाराष्ट्र	1.20
4. मैसूर	0.06
5. उड़ीसा	1.39
6. तमिलनाडु	0.86
7. पश्चिम बंगाल	1.70
8. उत्तर प्रदेश	0.90

तारा सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि का आवंटन

1164. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारा सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि का आवंटन करने में कहां तक प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सभा में उक्त समिति को दक्षिण दिल्ली में भूमि देने का दृढ़ वचन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इससे हटने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) समिति को शाहदरा क्षेत्र में भूमि पेश की गई थी। इसने पेशकश स्वीकार नहीं की तथा यह दक्षिण-दिल्ली में भूमि के लिए आग्रह कर रही है। समिति के प्रतिनिधियों के साथ मामले पर शीघ्र ही आगे विचार-विमर्श किया जाना है।

(ख) 1968 में लोक सभा में, एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार्यता मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री ने यह बताया था कि सरकार ने समिति को आर० के० पुरम् के दक्षिण में, मुनीरका ग्राम के निकट भूमि देने का निर्णय किया था। यह उत्तर, समिति द्वारा दी गई सूचना पर आधारित था। तब, इस मंत्रालय से परामर्श नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

1165. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धन किसानों और अन्य निम्न समुदायों के लोगों में धन का वितरण करने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 14 जुलाई, 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी, 30 जून, 1970 को मैसूर राज्य में 457 शाखाएं थीं। ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गरीब किसानों और पिछड़े हुए समुदायों को कितने रकम के ऋण दिये जाने की सम्भावना है।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाये गये अनुमान के अनुसार चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के अन्त में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये गये ऋण की बकाया रकम लगभग 250 करोड़ रुपये होगी। अनुमान है कि इसमें से अधिकांश रकम गरीब किसानों को

मिलेगी। जहां तक पिछड़े हुए समुदायों को अग्रिम देने का सम्बन्ध है बैंक अग्रिम की रकम किसी विशेष समुदाय के लिए, निर्धारित नहीं की जाती। फिर भी, समाज के गरीब तबकों को ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बनायी गयी विभिन्न योजनाओं से, आशा है, पिछड़े समुदायों के लोग भी अधिकाधिक बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु ऐसे ऋण की राशि के सम्बन्ध में अनुमान लगाना सम्भव नहीं हैं।

शेख अब्दुल्ला द्वारा आय-कर और धन-कर के विवरण दायर करना

1166. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर तथा धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत शेख अब्दुल्ला को नोटिस दिये जाने के बावजूद उन्होंने आय-कर और धन-कर के विवरण दायर नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शेख अब्दुल्ला ने आय-कर विवरण दायर न करने के क्या कारण दिए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) आय-कर तथा धन-कर अधिनियमों के अधीन शेख अब्दुल्ला को जारी किये गये नोटिस कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के संबंध में हैं। संबंधित आयकर अधिकारी इस बात की जांच-पड़ताल कर रहा है कि क्या शेख अब्दुल्ला की कोई कर लगने योग्य आय अथवा शुद्ध धन था या नहीं जांच पूरी होने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा।

(ग) लिखित रूप में कोई कारण नहीं बताये गये हैं।

प्लास्टिक की ट्यूबों तथा चादरों पर उत्पादन शुल्क

1167. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्लास्टिक ट्यूबों और चादरों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में उद्योगों ने रोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अपने निर्णय को बदलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पोलीथीन ले-फ्लैट ट्यूबिंग, शीटों, शीटिंग तथा फिल्मों पर 1-5-1970 से उत्पादन शुल्क लगाने का सरकार ने निर्णय किया; जिनको इस तारीख से पहले शुल्क से छूट मिली हुई थी। परन्तु प्रभावित उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद 17-7-1970 से पूर्वस्थिति दुबारा बहाल की गयी है।

बहु-मंजिली आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट द्वारा योगदान

1168. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित गृह निर्माण निगम द्वारा बहु-मंजिली आवासीय इमारतों के निर्माण

की गति बढ़ाने के लिये जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट ने 1970-71 में धन देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कितना धन दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में अभी तक कोई औपचारिक करार नहीं हुए हैं, लेकिन यदि हाल में स्थापित किये गये आवास तथा नगर विकास वित्त निगम की तरफ से कोई प्रस्ताव किये जाएंगे तो जोवन बीमा निगम तथा भारत के यूनिट ट्रस्ट की ओर से सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि तत्सम्बन्धी शर्तें स्वीकार किये जाने योग्य हों ।

कोलार सोना खनन उपक्रम का खान तथा धातु विभाग में हस्तांतरण

1169. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोलार सोना खनन उपक्रम के कार्य को एक लाभप्रद संगठन के रूप में खान तथा धातु विभाग को हस्तांतरित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). ऐसा पता चला है कि हाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने इस बारे में एक सिफारिश पर विचार किया है । इस विषय में समिति से औपचारिक-पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है । इससे प्राप्त हो जाने के बाद मामले की जांच की जायगी ।

Rise in Prices Following the Appointment of pay Commission

1170. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of all the consumer goods have gone up following the appointment of Pay Commission ;

(b) whether it is also a fact that a demand is being made in private institutions for the enhanced pay-scales in the light of the hope being entertained by the Central Government employees to get increased pay-scales ; and

(c) whether it is also a fact that the prices of consumer goods are shooting up on account of these reasons ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. While prices of articles like foodgrains, fruits and vegetables and milk and milk products have been subject to some normal seasonal pressure, prices of non-food consumer goods like matches, kerosene oil, cloth etc. have remained steady since the appointment of Third Pay Commission was announced on April 23, 1970.

(b) The Government has no specific information.

(c) Does not arise.

Separate Ministry for Collection of Taxes

1171. **Shri Bhola Nath Master**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of tax that remains outstanding against the assessees every year;

(b) whether a former Auditor-General has advised for the creation of a separate Ministry for full collection of taxes and to prevent the accumulation of tax arrears; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Arrears of Income-tax outstanding against the assessees for the last three years are given below:—

Year	Amount outstanding (in crores of rupees)
1967-68	374.52
1968-69	435.49
1969-70	513.73

(b) No such proposal has been received by the Government.

(c) Does not arise.

Alleged Discrimination in Grant of Agencies for Petrol Pumps

1172. **Shri Bhola Nath Master**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry in an advertisement has offered to give agencies for 200 petrol pumps and out of them only 50 petrol pumps have been earmarked for the Northern India, whereas its population is much more; and

(b) if so, whether Government would look into this matter?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) No.

(b) Does not arise in view of (a) above.

पेन्शनधारियों को महंगाई भत्ता

1173. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 200 रुपये तक मासिक पेन्शन पाने वाले लोगों को कितने प्रतिशत तदर्थ वृद्धि दी गई है तथा उसी वेतनमान वाले सेवा कर रहे कर्मचारियों को दिये जा रहे महंगाई भत्ते की समानान्तर प्रतिशतता क्या है;

(ख) यदि महंगाई भत्ते की अदायगी का औचित्य मुद्रास्फीति के कारण होने वाली हानि

को पूरा करने से है, तो फिर सरकार सेवा कर रहे तथा सेवानिवृत कर्मचारियों में परस्पर भेद को कैसे उचित मानती है;

(ग) इस स्वीकृत वृद्धि से कुल कितनी धनराशि देनी पड़ेगी और यदि वृद्धि 25 रुपये हो तो यह राशि कितनी होती;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को भी सुझाव दिया है कि वह अपने पेन्शनरों को इतनी ही वृद्धियां दे और यदि हां, तो क्या कुछ राज्य यह उत्तर देती है कि यह उत्तरदायित्व तो केन्द्र सरकार का है क्योंकि मुद्रास्फीति की जिम्मेवार तो केन्द्र सरकार ही है; और

(ङ) राज्यों में पेन्शनरों के मध्य व्याप्त असंतोष को देखते हुए केन्द्र सरकार ऐसी वृद्धियों का एक अंश वहन करने के लिये राज्य सरकारों को क्यों उत्साह देती है जो वे स्वेच्छा से करती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें सूचना दी गई है ।

(ख) सेवारत सरकारी कर्मचारियों की स्थिति पेंशनरों की स्थिति से भिन्न है.। सिद्धान्ततः पेंशनर महंगाई भत्ते सहित वैसी ही रियायतें पाने के हकदार नहीं हैं, जो सेवारत कर्मचारियों को दी जाती हैं ।

(ग) 1963 में मंजूर की गई एतदर्थ वृद्धि की लागत प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ रुपये आंकी गई थी तथा 1 सितम्बर, 1969 से एतदर्थ वृद्धि के रूप में 10 रुपये प्रति माह के हिसाब से की गयी वृद्धि की लागत प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपये आंकी गई थी । यदि एतदर्थ वृद्धि में 10 रुपये प्रति माह के बजाय 25 रुपये प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त वृद्धि की गयी होती तो अतिरिक्त लागत प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये के लगभग होती ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) राज्य सरकारों के पेंशनरों को एतदर्थ वृद्धि की मंजूरी का मामला पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है तथा इसमें केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

पेंशन की रकम	एतदर्थ वृद्धि	प्रतिशत-अनुपात	वेतन	महंगाई-भत्ता	प्रतिशत अनुपात
1	2	3	4	5	6
(क) 30 रु० प्रति माह तक मिलने वाली पेंशन ।	15 रु०	60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	70 रुपये तथा उससे ऊपर किन्तु 110 रुपये से नीचे	71 रु०	101 प्रतिशत से 65 प्रतिशत
(ख) 30 रु० से अधिक किन्तु 75 रुपये प्रति माह से ऊपर नहीं मिलने वाली पेंशन ।	17.50 रु०	56 प्रतिशत से 25 प्रतिशत	110 रु० तथा उससे ऊपर किन्तु 150 रु० से नीचे	98 रु०	89 प्रतिशत से 66 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
(ग) 75 रुपये से ऊपर किन्तु 200 रुपये प्रति माह से ऊपर नहीं मिलने वाली पेंशन ।	20 रु०	26 प्रतिशत से 10 प्रति-शत	150 रु० तथा उससे ऊपर किन्तु 210 रु० से नीचे	122 रु०	81 प्रतिशत से 58 प्रति-शत
(घ) 200 रु० से ऊपर किन्तु 219 रु० प्रति माह से ऊपर नहीं मिलने वाली पेंशन ।	1 रु० से 19 रु०	9 प्रतिशत से 0.5 प्रति-शत	210 रु० तथा उससे ऊपर किन्तु 220 रुपये से नीचे	146 रु०	69 प्रतिशत से 66 प्रति-शत

शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों की कमी

1174. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर सीमा कर निवारक अधिकारियों की कम संख्या होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की जांच करने में कुछ दिनों से काफी विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यात्रियों के यातायात में वृद्धि के कारण कई अवसरों पर विद्यमान हवाई सीमा-शुल्क कर्मचारी वर्ग पर्याप्त पाया जाता है । लेकिन इस सम्बन्ध में लगने वाले विलम्ब से बचने के लिए जब कभी आवश्यक होता है तथा यात्रियों की शीघ्र निकासी का इतमीनान करने के लिए कर्मचारी वर्ग की समुचित व्यवस्था की जाती है ।

(ख) शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर कर्मचारी वर्ग की संख्या में वृद्धि की जा रही है ।

आवास सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएं

1175. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आम लोगों की आवास सम्बन्धी समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1969-70 में कौन-सी योजना चलाई थी जिससे उनको लाभ हुआ था और 1970-71 के लिए कौन-सी नई योजनाएं बनाई गई हैं और उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) जीवन बीमा निगम ने "अपना घर बनाइये" योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1970 तक कितना धन दिया है ;

(ग) कितने व्यक्तियों को 1 लाख रुपये से अधिक ऋण दिया गया और उनको कितना धन ऋण के रूप में दिया गया तथा कितने व्यक्तियों को 1 लाख रुपए तक ऋण दिया गया तथा उनको कुल कितना धन दिया गया ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को उन स्थानों पर लागू करने का है जहां कि जनसंख्या 10,000 है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जीवन बीमा निगम की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत मकान बनाने के लिए ऋण मंजूर किये जाते हैं। वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में कोई नई योजनाएं चालू नहीं की गई।

(ख) 14.31 करोड़ रुपये।

(ग) "अपना घर बनाओ" योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा केवल एक लाख रुपए तक सीमित है। इस योजना के अन्तर्गत 5238 व्यक्तियों को इस रकम तक के ऋण मंजूर किये गये हैं।

(घ) इस योजना को और अधिक केन्द्रों में लागू करने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम विचार कर सकता है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए स्थान

1176. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को अपने कार्यालयों के लिए दिल्ली और नई दिल्ली में कितने वर्ग फीट में कितने कुर्सी क्षेत्रफल की आवश्यकता है ;

(ख) सरकार के पास इस समय कितना क्षेत्र उपलब्ध है, कितने में निर्माण-कार्य चल रहा है और वर्ष 1970-71 में अतिरिक्त भवनों के निर्माण के लिए कुल कितना धन नियत किया गया है ;

(ग) सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में लिए गए भवनों का प्रति वर्गफीट कितना किराया दे रही है और 1970 में यह भवन किस दर पर लिए गए हैं ;

(घ) सरकारी भवनों की प्रति वर्गफीट, जिसमें जमीन की लागत शामिल है, की कुल लागत कितनी है और क्या सरकार ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) 65.75 लाख वर्ग फीट (फर्शी क्षेत्रफल न कि कुर्सी क्षेत्रफल)।

(ख) सरकार के पास अब उपलब्ध क्षेत्र, 57.93 लाख वर्ग फीट है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

	लाख वर्ग फीट
(i) सरकारी स्वामित्व के भवन	39.16
(ii) पट्टे पर/अधिगृहीत	4.53
(iii) अस्थाई हटमेंट	14.24
कुल :	57.93

शेष मांग : 65.75—57.93—7.82 लाख वर्ग फीट यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से शेष मांग 7.82 लाख वर्ग फीट है, किन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अस्थाई भवनों (हटमेंटों, बैरक, आदि) को जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है शीघ्र गिराया जाना है, और पट्टे/अधिगृहीत भवनों को शीघ्र या देर से विमुक्त करना है, कार्यालयों की वास्तविक शेष मांग, जिसे पूरा किया जाना है लगभग 26.59 लाख वर्ग फीट बनती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल निर्माणाधीन वास और निर्माण के लिये प्रस्तावित वास का क्षेत्रफल 5.39 लाख वर्ग फीट है । 1970-71 के वर्ष के दौरान निर्माण के लिए निर्धारित कुल राशि 48,00,000 रुपये है।

(ग) गैर-सरकारी वास के लिये अदा किया गया किराया 0.25 पैसे से 0.45 पैसे प्रति वर्ग फीट के बीच है जो भवनों की विशिष्टियों पर निर्भर है । तथापि, व्यवसायिक/अर्थ-व्यवसायिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा किराए पर लिए वास का किराया प्रति मास 0.50 पैसे और 2.00 प्रति वर्ग फीट के बीच है।

(घ) और (ङ). कुल लागत 33 रुपए से 35 रुपए प्रति वर्ग फीट आती है जिसमें वातानुकूलित की लागत और भूमि की लागत शामिल नहीं है । विभिन्न बस्तियों में भूमि की लागत प्रथक-प्रथक होगी।

आगे निर्माण इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अतिरिक्त निधियों पर निर्भर करता है।

देश में मेडिकल कालेज

1177. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 तथा 1970-71 में देश में मेडिकल कालेजों में कुल कितने स्थान उपलब्ध थे और वर्ष 1971-72 में कितने स्थानों की व्यवस्था करने का विचार है ;

(ख) इस समय देश में कितने डाक्टरों की आवश्यकता है ;

(ग) देश में कितने अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं ;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई विशेष योजना/कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने अथवा वर्तमान मेडिकल कालेजों में स्थानों की संख्या बढ़ाने का है, यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश के मेडिकल कालेजों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 1969 में 11,800 तथा 1970-71 में 11,850 होने का अनुमान लगाया गया है । तथापि, 1971-72 के दौरान उपलब्ध सीटों की संख्या नये मेडिकल कालेजों की संख्या पर निर्भर करेगी जो कि इस अवधि के दौरान उन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाएंगे जिनको कालेज आवंटित किए गए हैं सीटों की उपलब्धि वर्तमान चिकित्सा कालेजों की संभाव्य प्रवेश क्षमता के विस्तार पर भी निर्भर करेगी ।

(ख) चौथी योजना अवधि के अन्त तक 1 : 3500 के डाक्टर-आबादी अनुपात को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा योजना समिति (मुदालियर समिति) 1961, ने सिफारिश की है, अपेक्षित डाक्टरों की कुल संख्या 1,70,870 होने का अनुमान है । मेडिकल कालेजों से उत्तीर्ण होने वाले डाक्टरों की सम्भावित संख्या तथा मृत्यु और सेवानिवृति आदि के कारण कम होने वाली डाक्टरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 1973-74 के अन्त तक लगभग 1,37,930 डाक्टर उपलब्ध हो सकेंगे, इससे डाक्टर और जनसंख्या का अनुपात लगभग 1:4300 हो जाएगा । इस अनुपात के अनुसार वर्तमान समय में डाक्टरों की कमी है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन अस्पतालों में कुल मिलाकर डाक्टर अपेक्षित संख्या में मौजूद है । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अस्पतालों के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्भवतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभिप्रेत है । 31-3-70 को 417 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के थे ।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्राम सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय बरते गये हैं । अथवा उन पर विचार किया जा रहा है :

(1) डाक्टरों और विशेषज्ञों की सेवा निवृति की आयु बढ़ाने और/अथवा सेवा निवृत्ति के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति करना ।

(2) ग्राम क्षेत्रों में काम करने के लिये डाक्टरों को विशेष रियायत और भत्ते देना साथ ही ग्राम क्षेत्रों में कार्य करने के लिये उनकी टाल-मटोल प्रवृति को रोकना ।

(3) जहां कहीं आवश्यक हो अंश-कालिक आधार पर प्राइवेट चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करना ।

(4) कठिनाई वाले खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विशिष्ट रूप से विकास करने के लिये धन की व्यवस्था करने के हेतु परिवार नियोजन विभाग में एक योजना पर विचार किया जा रहा है ताकि वहां सुगम्य सड़कों, पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था हो सके ।

(5) कठिनाई वाले ग्राम क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने के आकर्षित करने हेतु डाक्टरों को प्रतिमास 150 रुपये का प्रोत्साहन देने विषयक एक योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(6) भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर डाला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले डाक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे तात्कालिक और प्रभावकारी कार्यवाही करें।

(7) ग्राम केन्द्रों में पेय जल की, स्वच्छ शौचालय और सुगम मार्गों की पर्याप्त सुविधाओं युक्त आवास एवं कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था करना।

(8) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए वाहन की व्यवस्था करना।

(9) दक्षता-रोध पार करने अथवा पदोन्नति देने से पूर्व ग्राम क्षेत्रों में काम करने की न्यूनतम अवधि का निर्धारण करना।

(10) ग्राम क्षेत्रों में काम करने के बदले भारत और विदेशों में पुनश्चर्या, स्नातकोत्तर शिक्षा तथा संस्थानों का दौरा करने का अवसर प्रदान करना।

(ङ) वार्षिक प्रवेश क्षमता को 11,500 से 1973-74 तक बढ़ाकर 13,000 करने की दृष्टि से चौथी पंचवर्षीय योजना में दस नये चिकित्सा कालेज खोलने की व्यवस्था है। दो कालेज पहले ही खोले जा चुके हैं।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा तैयार की गई नई औषधियां

1178. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कौन सी नई औषधियां तैयार की गई हैं तथा इस सम्बन्ध में वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 से क्या सुधार हुआ है ;

(ख) वर्ष 1967-68 में लोक-सभा में दिये गये आश्वासन के अनुसार इस कम्पनी के सुधार के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कम्पनी सम्भवतः कब तक अपना घाटा पूरा कर लेगी, कब तक इसकी सारी मशीनें कार्य करना आरम्भ कर देंगी तथा इसकी आगामी योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1968-69 और 1969-70 के दौरान संश्लिष्ट औषध संयंत्र में चार उत्पादों (विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, फोलिक एसिड और टी० सी० सी०) और प्रतिजीवाणु संयंत्र में चार उत्पादों (सोड पेनिसिलीन, प्रोक पेनिसिलीन, टेट्रासाइक्लीन

एच सी एल और आक्सी टेट्रासाइक्लीन एच सी एल) का उत्पादन चालू हुआ। इन औषधियों और एण्टीवायोटिक्स के उत्पादन टेक्नालोजीस के स्थिरीकरण के साथ उनके उत्पादन में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है।

(ख) कम्पनी ने विभिन्न तकनीकी और अन्य समस्याओं को, जो नये भेषज संयंत्रों के परिचालन और स्थिरीकरण चरण में अन्तर्निहित है, जानने तथा हल करने में लगातार प्रगति हुई है। एण्टीबायोटिक्स प्लांट में अनुर्वरता और स्वष्टता से सम्बन्धित समस्याएं लगभग हल हो गई हैं। लेकिन मुख्य समस्या अनियत बिजली सप्लाई की है। बिजली की नियत तथा अबाध सप्लाई के लिये यू० पी० एस० ई० बोर्ड के समक्ष लाया गया है। संश्लिष्ट औषध संयंत्र ने अधिकांश रूप में अपने सारे उत्पाद स्थिरीकृत कर लिये हैं। संयंत्र, अब, स्थापित क्षमता के लगभग 70 प्रतिशत पर कार्य कर रहा है और इसके आगामी 2-3 महीनों में स्थापित क्षमता के 80-90 प्रतिशत के उत्पादन स्तर पर पहुंचने की आशा है। सर्जिकल इन्स्ट्रमेंण्ट्स प्लांट अब तक आर्डरों की कमी के कारण हानिग्रस्त था। रूस से 22 लाख रुपए के मूल्य के निर्यात आर्डर को शामिल करते हुए कुछ आर्डर्स प्राप्त किये गये हैं, जिनसे प्लांट के लगभग 4 महीनों के लिये व्यस्त रहने की सम्भावना है। निकट भविष्य में अधिक आर्डर्स प्राप्त होने की आशा है।

(ग) 1971-72 वर्ष के अन्त तक कम्पनी के ब्रेक-इवन पाइनट (Break even point) तक पहुंचने की आशा है। इतना पहले यह बताना कठिन है कि घाटे कब पूरे होंगे। परन्तु निर्धारित क्षमताओं को उपलब्ध करने के अलावा, कम्पनी ने मार्जिनल उपकरणों के योग के साथ अपने कुछ उत्पादों के विस्तार तथा पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर्गत नई दवाइयों के उत्पादन का आयोजन किया है। इन उपायों से उत्पादन लागतों में कमी और संयंत्रों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने की आशा है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के सभी उपक्रमों द्वारा उत्पादित/निर्मित वस्तुओं का निर्यात

1179. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 के दौरान मंत्रालय के सभी सरकारी उपक्रमों में उत्पादित/निर्मित कौन-कौन सी वस्तुओं का और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में उन वस्तुओं के निर्यात के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) किन-किन वस्तुओं की विदेशों में भारी प्रतिस्पर्धा है और सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) सरकार ने निर्यात का प्रतिशत दर बढ़ाने के लिये क्या कार्यक्रम बनाये हैं और उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जाएगी।

संसद् सदस्यों को मकान बनाने के लिए प्लाटों का आवंटन

1180. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 23 फरवरी, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों को दिल्ली में प्लाट अलाट करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा हाल ही में दिया गया वक्तव्य देखा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इनका औपचारिक आवंटन कब तक किया जाएगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मामले पर मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ चर्चा की गई है । संसद् सदस्यों से प्राप्त प्लाटों के आवंटन के अनुरोध, दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज दिये गये हैं । आरम्भ में अधिकरण द्वारा 25 संसद् सदस्यों को प्लाटों की पेशकश की गई थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न विकास योजनाओं में ज्यों ही प्लाट उपलब्ध हो जाएंगे, आगे आवंटन किये जाएंगे ।

जीवन बीमा निगम की निधि को कल्याणकारी योजनाओं में लगाना

1181. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की निधियों को कल्याणकारी योजनाओं में लगाने के भावी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नई योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यद्यपि अभी तक किन्हीं नई योजनाओं के बारे में निर्णय नहीं किया गया है तो भी 1969-70 की तुलना में 1970-71 के पूंजी निवेश कार्यक्रम में विद्यमान कल्याण योजनाओं के लिए, जैसे कि जलपूर्ति तथा मल-व्यवस्था योजनाओं के निमित्त नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले ऋण विद्युत् बोर्डों को दिये जाने वाले ऋण, गृह-निर्माणार्थ दिये जाने वाले ऋण आदि के लिये अपेक्षतया अधिक बड़ी रकमों की व्यवस्था की गई है ।

कम लागत के मकान बनाने सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

1182. **श्री क० प्र० सिंह देव : श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वि० कु० मोडक :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कम लागत के मकान बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने भवन-निर्माण की गति में तीव्रता प्राप्त करने के लिये पूर्व-विरचना के अपनाने की सिफारिश की है । भारत के छः बड़े शहरों में भवन-घटक के उत्पादन के लिये फैक्ट्रियों की स्थापना की सिफारिश करने के अतिरिक्त, इसने यह सिफारिश की है कि बड़े पैमाने के पूर्व-विरचित मकानों के उत्पादन के लिये बम्बई और दिल्ली, प्रत्येक में एक-एक फैक्ट्री की स्थापना की जाए । परम्परागत भवन निर्माण, तकनीकियों, अनुसंधान और विकास-कार्य, भवन सामग्री के साधनों में वृद्धि, भवन-निर्माण उद्योग के संगठित करने और आवास और भवन-निर्माण उद्योग में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण में सुधार के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं ।

(ग) अभी कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं ; विभिन्न सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

बन्दर शाहपुर के स्थान पर स्थापित होने वाली अमोनिया परियोजना प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के बारे में भारत तथा ईरान के बीच मतभेद

1183. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व बन्दर शाहपुर के स्थान पर स्थापित होने वाली अमोनिया परियोजना एक संयुक्त उद्यम के बारे में जिसके लिये गत फरवरी में एक करार पर हस्ताक्षर हुये थे, ईरान के साथ गम्भीर मतभेद हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो मतभेदों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या वे मतभेद दूर हो गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिये ईरान सरकार और भारत सहमत हो गये हैं। एक संयुक्त कार्यकारी दल ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट पर दोनों सरकारें अभी विचार कर रही हैं।

Gratuity Scheme for Agents of Life Insurance Corporation

1184. **Shri Deven Sen :**
Shri D. R. Parmar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government would introduce gratuity scheme for the Agents of Life Insurance Corporation ;

(b) if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A proposal for payment of retirement benefits to Agents whose performances have been consistently good over a period of years is at present under the consideration of the L. I. C.

आनन्द बाजार पत्रिका लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा आय-कर की अदायगी

1185. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक, मैसर्ज आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता तथा उक्त कम्पनी के प्रत्येक निदेशक की निगमित कर तथा आय-कर के प्रयोजन के लिये वर्षवार कुल कितनी आय निर्धारित की गई ;

(ख) 1966-67 से 1969-70 तक उक्त कम्पनी तथा उक्त कम्पनी के प्रत्येक निदेशक ने वर्ष-वार कुल कितना निगमित कर तथा आय-कर देना था ;

(ग) वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक उक्त कम्पनी तथा इसके प्रत्येक निदेशक ने वर्ष-वार वास्तव में कुल कितना निगमित कर तथा आय-कर अदा किया ;

(घ) मार्च, 1970 के अन्त में इनकी और निगमित कर तथा आय-कर की कितनी धन-राशि बकाया थी ; और

(ङ) क्या न वसूल किये गये कर की कुछ राशि को सरकार ने बट्टे-खाते में डाल दिया है यदि हां, तो कुल कितनी राशि बट्टे-खाते में डाली गई है और ऐसा किस आधार पर किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता पर कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से 1969-70 के सम्बन्ध में अभी कर निर्धारण नहीं किया गया है।

इस कम्पनी के चार निदेशक हैं जिनमें से केवल श्री अशोक कुमार सरकार के मामले में ही कर निर्धारण किया जाता है। इस मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 से बाद के कर निर्धारण अनिर्णीत पड़े हैं। अन्य निदेशक श्रीमती अलोक सरकार श्री अवीक सरकार तथा श्री अरूप सरकार हैं।

(ख) चूंकि कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से लेकर 1969-70 तक के कर निर्धारण पूरे नहीं किये गये हैं इसलिये कर की देनदारी अभी तक निश्चित नहीं की गई है।

(ग) अभी तक कोई भी कर निर्धारण पूरा नहीं किया गया है। फिर भी, अदा किये गये अग्रिम-कर तथा स्रोत पर काटे गये कर से सम्बन्धित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	अग्रिम कर	स्रोत पर काटा गया कर
	रु०	रु०
1. आनन्द बाजार पत्रिका		
1966-67	2,55,000	—
1967-68	66,000	—
1968-69	28,500	—
1969-70	—	—
2. अशोक कुमार सरकार		
1966-67	—	—
1967-68	2,180	38,355
1968-69	1,867	40,855
1969-70	2,747	17,531

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आनन्द बाजार पत्रिका तथा अशोक कुमार सरकार से सम्बन्धित कर निर्धारण अनिर्णीत पड़े हैं।

(ङ) जी, नहीं।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में विस्फोट तथा उसके फलस्वरूप उत्पादन में हानि

1186. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा दुर्गापुर में दिनांक 21 जून, 1970 को दिये गये एक वक्तव्य के अनुसार ट्राम्बे, कारखाने के हाल में हुये विस्फोट के कारण दो धाराओं में से एक के नष्ट हो जाने के बाद गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा ;

(ख) क्या इसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी हो गई ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। धाराओं (एन० एस० यू० साऊथ यूनिट) में से एक के नाइट्रोजन सवरबर यूनिट में 3 अप्रैल को 10.30 (पूर्वाह्न) के लगभग विस्फोट हुआ जिससे उपकरण तथा पाइप को नुक्सान पहुंचा था। बक्स की अब मरम्मत हो गई है और 18 जुलाई रात से इसे फिर से लाइन पर रख दिया गया है।

(ख) जी हां ? इस दुर्घटना के कारण अमोनिया के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हो गई।

(ग) 3 अप्रैल, जब दुर्घटना हुई थी, से 18 जुलाई तक, आपातिक मरम्मत समाप्त हुई थी, 28,210 मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में अमोनिया का कुल उत्पादन 14,126 मीटरी टन था।

आसाम के चाय बागानों तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच कथित संदेहपूर्ण आदान-प्रदान

1187. **श्री भगवान दास :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, जैसा कि 2 मई, 1970 के 'ब्लिट्ज' साप्ताहिक ने "आयल मिनिस्ट्री आर्डर्स सी० बी० आई० प्रोब इन्टू शौकिंग आयल एंड टी काकटेल स्केन्डल" शीर्षक से समाचार दिया है, उनके मंत्रालय ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और असम के कुछ चाय बागानों के मध्य दो संदेहपूर्ण आदान-प्रदान के मामलों की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सूचित किये गये उस आदान-प्रदान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नाजिरा चाय बागान की सम्पत्ति और लकवा के चाय बागान की कुछ भूमि खण्डों की खरीद से सम्बन्धित मामले विस्तृत जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिये गये हैं।

(ख) अन्तिम सौदे में, आयोग की एजेंसियों द्वारा अनुमानित कम कीमतों की तुलना में, नाजिरा चाय बागान के मालिकों को अदा की गई भूमि की कीमत 16 लाख रुपये दिखाई गई थी। जहां तक लकवा के चाय बागान के भूमि खण्डों का सम्बन्ध है, आयोग के प्रबन्धकों ने, मई, 1967 से अक्तूबर, 1967 के बीच, शिवसागर के एस० डी० ओ० के मूल मूल्यांकन के अनुसार, सौदे को अन्तिम रूप देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी। बाद में, रकम का भुगतान महा-प्रबन्धक ने किया था जिसे आयोग के मुख्यालय के प्राधिकरण के बगैर भुगतान करने के लिये कोई सौंपी गई शक्तियां नहीं मिली थीं।

(ग) सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से सम्बद्ध कागजात मंगवाये थे और मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने से पहले सौदों की जांच-पड़ताल की थी।

Beds in T. B. Haspital in Delhi

1188. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of beds available in the T. B. Hospitals in Delhi ;

(b) the number of patients refused admission each month in these hospitals due to non-availability of beds ; and

(c) the steps taken by Government to increase the number of beds in these hospitals ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a)

Name of Hospital	No. of beds
(i) Silver Jubilee TB Hospital	1,113
(ii) Mehrauli TB Hospital (another 60 beds are in the process of commission)	306
(iii) New Delhi TB Centre Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi (Observatory beds)	15
(iv) R. K. Mission TB Clinic, Karol Bagh, New Delhi. (Observatory beds)	28
Total	1,462

(b) No TB patient is refused admission. All emergency cases are provided immediate hospitalisation. The other TB cases are kept on the admission list after due consideration and approval by an Admission Board. The patients are admitted on the basis of this list. All cases soon after their diagnosis are provided with Anti-TB drugs under domiciliary treatment scheme.

The number of patients on the waiting list and admitted during the past 12 months is given below :—

	No. of TB patients on waiting list in each month (balance from previous month plus new diagnosed cases kept on admission list).	No. of TB patients admitted during each month.
July, 1969	1,208	541
August, 1969	1,325	506
September, 1969	1,389	525
October, 1969	1,431	550
November, 1969	1,276	459
December, 1969	1,184	505
January, 1970	1,062	468
February, 1970	916	424
March, 1970	879	464
April, 1970	853	444
May, 1970	856	488
June, 1970	972	423

(c) It has been tentatively proposed to establish 25 Isolation TB beds in Delhi, during the 4th Plan period.

The Municipal Corporation of Delhi also proposes to add the following number of beds in the under-mentioned TB Clinics :—

(i) Narela TB Clinic	22
(ii) Kilokari TB Clinic	52
(iii) Jhandewala TB Clinic	50

सामाजिक तथा निवारक औषध परीक्षा के स्तर को कम करना

1189. **श्री रवि राय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एम० सी० ए० ने सामाजिक तथा निवारक औषध परीक्षा के स्तर को अन्तिम एम० बी० बी० एस० परीक्षा से कम कर के तृतीय एम० बी० बी०- एस० परीक्षा कर देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि क्या आई० एम० सी० ए०- द्वारा ऐसा निर्णय किये जाने से पूर्व देश भर में सामाजिक तथा निवारक औषध (एस० पी० एम०) अध्यापकों से परामर्श किया गया था ;

(ग) आई० एम० सी० ए० में सामाजिक तथा निवारक औषध के कितने अध्यापकों पर प्रतिनिधित्व है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच की है कि क्या इस कार्यवाही से देश में आधार-भूत डाक्टर बनाने के उद्देश्य में बाधा पड़ेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित आई० एम० सी० ए० से क्या अभिप्रेत है । तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अधि-स्नातक और उप-स्नातक चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कतिपय सिफारिशें की थी । इन सिफारिशों में सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान की एक पृथक परीक्षा लेने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह विषय आयुर्विज्ञान विषय में समाविष्ट है और उसी के अन्तर्गत इसकी परीक्षा भी ली जाती है इन सिफारिशों की जांच करने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा नियुक्त एक पुनरीक्षण-समिति ने तृतीय एम० बी० बी० एस० परीक्षा के बजाय जो कि अन्तिम एम० बी० बी० एस० परीक्षा जैसी ही होती है, द्वितीय एम०बी० बी० एस० परीक्षा में सामुदायिक आयुर्विज्ञान (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान) में एक पृथक परीक्षा की सिफारिश की है । पुनरीक्षण-समिति की रिपोर्ट मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों, विशेषज्ञों संघों जिनमें भारतीय निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान संघ सम्मिलित है, को उनकी राय जानने के लिये परिचालित की गई थी । उनकी रायों पर पुनरीक्षण समिति द्वारा विचार किया जायेगा । पुनरीक्षण समिति की अन्तिम रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा परीक्षा के समक्ष उनके विचार-विमर्श हेतु रखी जायेगी । उसके बाद चिकित्सा परिषद् अपनी अन्तिम सिफारिशें भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ।

(ग) वर्तमान में भारतीय चिकित्सा परिषद् में सामाजिक तथा निरोधक आयुर्विज्ञान के चार व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें दो अध्यापक भी हैं।

(घ) चूंकि उक्त मामला अभी भारतीय चिकित्सा परिषद् के विचाराधीन है, इस अवस्था में यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत के रिजर्व बैंक की ऋण गारन्टी योजना

1190. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने ऋण गारन्टी योजना का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रिजर्व बैंक ने इसकी जांच करने के लिये एक परिपत्र जारी किया है कि क्या उसके द्वारा दिये गये सभी ऋण किसी समुचित मानदण्ड के आधार पर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण गारन्टी योजना की समीक्षा समय-समय पर की जाती रही है। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा इस की पिछली समीक्षा अप्रैल, 1969 में की गई थी। शर्तों को उदार बनाने की सिफारिशें करने के अलावा कार्यकारी दल ने सुझाव दिया कि गारंटी के लिये अलग-अलग प्रार्थना-पत्र दिये जाने की पद्धति समाप्त कर दी जाय और गारंटी स्वतः उपलब्ध करायी जाय किन्तु यह शर्त रहे कि प्रत्येक ऋणदाता-संस्था इस प्रयोजन के लिये गारंटी देने वाले संगठन के साथ एक करार करे। भारत सरकार ने सिफारिशों को मान लिया था और इसे पहली फरवरी, 1970 से लागू कर दिया गया था।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेलाडिला में पेलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना

1191. **श्री नाथूराम अहिरवार**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री गं० चं० दीक्षित :
श्री लखन लाल गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्तर में बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के समीप महीन लौह अयस्क के बृहत-निक्षेप हैं जिनका इस समय कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का विचार वहां सरकारी क्षेत्र में एक पेलेटाइजेशन संयंत्र स्थापित करने का है ताकि उक्त महीन लौह अयस्क का लाभ उठाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त संयंत्र को वहां सम्भवतः कितने समय तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिह चौधरी) : (क) से (ग). लौह अयस्क सूक्ष्मों के इस प्रकार के कोई निक्षेप नहीं हैं लेकिन बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 में, जहां जापान को निर्यात करने के लिये पिण्ड अयस्क के उत्पादन हेतु, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खान विकसित की गई है, लौह अयस्क के यंत्रीकृत खनन एवं प्रक्रियागत अनुक्रम में लौह अयस्क सूक्ष्मों को उत्पादित किया जाता है ।

बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 से उत्पादित लौह अयस्क सूक्ष्मों पर आधारित पेलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन किया है । आशा की जाती है कि सम्भाव्यता रिपोर्ट शीघ्र ही अभिप्राप्त हो जायेगी । सम्भाव्यता रिपोर्ट की जांच के उपरान्त ही संयंत्र की स्थापना पर निदेश का विनिश्चयन किया जा सकता है ।

पश्चिम बंगाल के आयकर अधिकारियों को प्राप्त हुई करापवंचन की शिकायतें

1192. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री 11 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल-II के आय कर आयुक्त को कम्पनियों के निदेशकों/प्रबन्धक निदेशकों द्वारा कर अपवंचन के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे मामलों में विलम्ब करने से विभागीय स्तर पर हेर-फेर के अवसर मिल सकते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी कोष के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). कोई परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ है । जांच-पड़ताल वरिष्ठ अधिकारियों की देख-रेख में की जा रही है और इस प्रकार की आशंका का कोई औचित्य नहीं है ।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये अधिवास प्रमाण-पत्र पेश करना

1193. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मेडिकल कलेजों में प्रवेश के लिये अधिवास प्रमाण-पत्र तथा यहां तक कि मत-सूची में अभिभावकों के क्रमांक तक पेश करने के लिये आग्रह किया जाता है ।

(ख) क्या स्वाधीनता के 23 वर्ष बाद भी प्रचलित इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता के लिये तथा ऊंची शिक्षा पाने वालों को समान अवसर देने के लिये उचित समझा जाता है ;

(ग) यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कारगर कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि 20 वर्ष से दिल्ली में रह रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों पर मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र देने को इस प्रक्रिया का बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप उन्हें दिल्ली से बाहर प्रवेश नहीं मिल पाता ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति को किस प्रकार ठीक करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) से (ग). इस समय देश के अधिकांश मेडिकल कालेजों में दाखिले अधिवास के आधार पर अथवा स्थानीय विश्वविद्यालयों या स्कूल बोर्डों से प्राप्त प्रवेश-पूर्व अर्हताओं के आधार पर किये जाते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद ने 1968 में श्रीनगर में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अधिवास का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री ने इस परिषद् की सिफारिशों को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेज दिया है। 6 और 7 जुलाई को नई दिल्ली में हुये चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया तथा सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि यदि अधिवास प्रतिबन्ध को पूरी तरह से हटाया जाना सम्भव न हो तो मेडिकल कालेजों में 50% सीटें पारस्परिक आधार पर बाहर से आने वाले छात्रों के लिये सुरक्षित रखी जांय। सम्मेलन की इन सिफारिशों पर 23 और 24 जुलाई, 1970 को औरंगाबाद में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्य-समिति की छठी बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

(घ) और (ङ). मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के अतिरिक्त दिल्ली में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे निम्नलिखित मेडिकल कालेजों में भी दाखिला ले सकते हैं जहां दाखिले अखिल भारतीय आधार पर किये जाते हैं :

मिश्रित एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिये :

1- जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी।
2- क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेल्लूर।
3- सेन्ट जोन्स मेडिकल कालेज, बंगलौर।

प्रथम एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिये :

1- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
2- लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली।
3- सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पूना।
4- महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान कालेज, सेवाग्राम।
5- आयुर्विज्ञान कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6- जे० एन० मेडिकल कालेज, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
7- क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना।

सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन

1194. **श्री उमानाथ :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का चयन प्रति वर्ष किया जाये तथा उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भेजा जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इससे पूर्व यह निर्णय किया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति सिविल अधिकारी या तो सिविल सेवा से त्यागपत्र दे या सम्बन्धित सरकारी उपक्रम में स्थायी रूप से कार्य करना स्वीकार करें अथवा फिर अपने पहले वाले संवर्ग में वापस चले जायें ; और

(घ) यदि हां, तो पूर्व निर्णय पर किस आधार को लेकर पुनर्विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). इस समय एक ऐसी योजना बनाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य प्रथम श्रेणी के सेवाओं के अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारियों को सरकारी उद्यमों में नियुक्त करना है ताकि वे इन उद्यमों में काम कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें। योजना का उद्देश्य यह है कि कुछ सरकारी अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों के कार्य का प्रशिक्षण दिया जाय जिसके तीन उद्देश्य हैं :

(i) इस प्रशिक्षण से सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी उपक्रमों से सरकारी सेवा में वापस आने के बाद सरकारी क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने और उनको सुलझाने में सहायता मिलेगी।

(ii) इनमें से कुछ सरकारी कर्मचारियों को, जो इस प्रशिक्षण के दौरान सफल सिद्ध होंगे, सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से खपाया जा सकेगा बशर्ते कि वे इसके लिये वे राजी हों। ऐसा महसूस किया जाता है कि सरकारी उद्यमों के मध्यवर्ती स्तर को इस तरह से सुदृढ़ बनाया जाना इन उद्यमों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

(iii) सरकारी क्षेत्र के कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उन नये सरकारी उपक्रमों में भेजा जा सकता है जिनकी स्थापना चौथी और पांचवी आयोजनाओं की अवधियों में की जायेगी।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।

(ग) जी हां। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में मौजूदा विचारधारा का इस सिद्धांत से कोई विरोध नहीं है कि यदि सरकारी कर्मचारी स्थायी रूप से सरकारी उद्यमों में काम करना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ने का विकल्प चुनना होगा।

Confirmation of Guards as Watchman in C. P. W. D.

1195. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Work, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Guards, working in C. P. W. D. were recruited for the posts of Guards in the grade of Rs. 75-1-85-2-95, but they have been confirmed as watchmen in the grade of Rs. 70-85 ; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) No, Sir. The category of Guard, which carried the same scale of pay as that of Chowkidar, had been merged with the latter category.

(b) Does not arise.

Grant of Overtime Allowance to Guards and Watchman of C. P. W. D.

1196. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that guards and watchmen working in the Central Public Works Department are put on duty for 12 hours and they are not given any over-time allowance or compensatory leave for this additional duty of 4 hours ;

(b) if so, whether Government propose to take steps to put them on duty for eight hours or for the grant of over-time allowance ; and

(c) if not, the reasons therefor especially when every Central Government employee performs eight hours duty.

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) to (c). There is no category of Guards in the C. P. W. D. However, 12 hours of duty per day have been prescribed for some Chowkidars the nature of whose duty includes periods of inaction. As these are their normal hours of work, the question of Overtime Allowance or compensatory leave for additional 4 hours of duty beyond 8 hours does not arise.

Removal of Gravel and Pebbles from Annexes of Flats in North and South Avenues New Delhi

1197. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the contractor in connivance with the concerned officers i. e. engineers etc. have saved thousands of rupees in the construction of the new annexes constructed recently on the back of the residences of the Members of Parrliament in North South Avenues, New Delhi and the gravel and pebbles have not been removed from the courtyard and have instead been dumped there under the earth as a result of which it is not possible to grow grass, flowers and vegetables there ;

(b) if so, whether Government propose to get the gravel and pebbles removed from the courtyards of the new annexes by the contractors concerned ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) The reply to the first part of the Question is in the negative. As regard the second part, it is a fact that in one or two cases, where the land was undulating and the small depressions had to be filled, the contractor has used building Malba to fill up the depressions and level the area. Levelling of the area was essential before handing over of the same to the residents. No payment for filling up of depressions or of levelling has been made to the contractors. There was no proposal of grassing the area in the beginnig. However, to meet the wishes of the residents, work of grassing has been taken up. Even the original soil in this area was unsuitable for grassing. Existing soil is being removed and replaced by sweet earth.

(b) and (c). Wherever mulba dumped by contractors is removed for grassing, the cost will be recovered from contractors' bills.

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश को लागू करने के बारे में औषध निर्माताओं से विचार-विमर्श का ब्योरा

1198. **श्री उमानाथ :** **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश को लागू करने के सम्बन्ध में औषध उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा औषध कम्पनियों को कोई आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वह आश्वासन क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां। सरकार और औषध उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श हुआ है जिसके दौरान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के कार्यान्वयन कई शंकाओं तथा कठिनाइयों को सरकार के सामने पेश किया गया। आवश्यक स्पष्टीकरण दिये गये और उद्योग तथा व्यापार को सरकार का सामान्यत: उद्देश्य बताया गया।

(ग) और (घ). सरकार ने औषध कम्पनियों को कोई आश्वासन नहीं दिया था, किन्तु उनको बताया गया कि सरकार (औषध) उद्योग से, आदेश के कार्यान्वयन में अनुभव होने वाली किसी वास्तविक कठिनाइयों के बारे में, विचार-विमर्श करने तथा उन्हें दूर करने के लिए तत्पर और इच्छुक है।

Loan to Power Loom Owners by Branch of State Bank at Burhanpur

1199. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Bank branch at Burhanpur after its nationalisation has been giving only Rs. 750/- as loan to the powerloom owners whereas in Maharashtra State, people in this trade have been given Rs. 2250 and now the Bank has discontinued advancing even a loan of Rs. 750/- ;

(b) if so, the reasons for this disparity and whether Government propose to remove it;

(c) whether it is also a fact that these people have sent many representations to the Central Government in this regard ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The State Bank of India advances loans to Powerloom units under its Liberalised Scheme for financing Small Scale Industries. The quantum of advances for working capital to the Powerloom units are sanctioned according to the needs of the units and not according to any fixed limits. Hence there is no question of any discrimination between the units located at different places. One of the difficulties of the State Bank in the financing of the Powerlooms in this area in a big way has been the fact that the majority of them are engaged in the manufacture of coloured sarees which is banned by the Textile Commissioner as this item is reserved for the Handloom sector. Some of the looms are also reported to be standing in benami holders' names.

The State Bank of India has recently introduced a scheme under which it will advance loans to power loom weavers, who are members of cooperative societies. Applications for financial assistance are entertained on the reccommendations of the cooperative societies. Upto 31st March 1970, the Burhanpur branch of State Bank had assisted 136 such units. The total limits sanctioned were Rs. 8.39 lakhs and the total amount outstanding as on the 31st March, 1970 was Rs. 2.04 lakhs.

(c) Yes, Sir.

(d) The position in regard to credit given to Powerloom owners by the State Bank of India has been indicated in the reply to parts (a) and (b). The State Bank would entertain requests for meeting the genuine requirments of Powerloom operators, provided they are not engaged in manufacturing banned items.

उत्तर प्रदेश में संरक्षित जल सप्लाई योजना पर धन लगाने में केन्द्र का अंशदान

1200. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 के लिये उत्तर प्रदेश के गांवों में संरक्षित जल सप्लाई योजना पर धन लगाने में केन्द्र सरकार का कितना अंशदान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): 1969-70 से आगे केन्द्रीय सहायता किसी खास योजना अथवा विकास शीर्ष के उल्लेख किये बिना समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं के लिये प्राथमिकता निर्धारित करना, धन का नियतन करना और उन्हें कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT
(Query)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, on a point of order. We have given notice of an adjournment motion regarding price rise. The Government have increased the prices of Soap, Dalda and Drugs. This is a serious matter. Here in Delhi....

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके लिये अनुमति नहीं दी है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : हमें आशा थी कि रुई व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति दी जायगी। उस समय आपने कहा था कि यह मामला अविश्वास प्रस्ताव के बाद लिया जा सकता है। हम प्रतीक्षा में रहे क्योंकि हमारा विचार था कि आप मामले पर विचार करेंगे। परन्तु आपने उसे अस्वीकृत कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में एक विनिर्णय है कि अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात पहले के सभी स्थगन प्रस्ताव व्यपगत हो जाते हैं। मैंने आपसे कार्यमंत्रणा समिति में आने के लिये कहा था, जिससे हम समय निकाल पाते।

श्री पीलु मोडी : पहले प्रस्ताव के व्यपगत हो जाने के कारण ही मैंने दूसरे प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसके पश्चात यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Should we leave for our House after the debate on no confidence motion is over ? Should we not take up new motions. If there is any problem. If the prices of the drugs go up, should we keep mum here in this House ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : No confidence motion has been defeated and the Government have increased the prices after that. We can ensure the Government for that. Disallowing of motions, by refering to no confidence motion is an injustice to the House.

अध्यक्ष महोदय : सदन के अपने नियम तथा परम्परायें हैं। यह मेरे द्वारा बनाया गया कोई व्यक्तिगत नियम नहीं है। इन नियमों का पालन करना होता है। इस विषय को कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा ताकि रुई व्यापार जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिये समय निकाला जा सके।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Would you admit a calling attention motion on price rise ?

MR. SPEAKER : I will admit that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Ask the Hon. Minister to make a statement. After that decide the time for discussion.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) Mr. Speaker, as you might be knowing, there were two points. One regarding the electoral rolls in Kerala and the other regarding the concentration of powers in Prime Minister, in no confidence motion. As regards other points you had assured to give a consideration to them after no confidence motion. You should consider these motions at least according to the assurances given by you.

MR. SPEAKER . I had not assured to admit an adjournment motion.

Shri Sheo Narayan (Basti) : I had asked you to allow a two hour discussion on price rise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ब्रिटेन की सरकार का दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की बिक्री पुनः आरम्भ करने का निर्णय

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : श्रीमान, मैं वैदेशिक कार्यमंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें,

"ब्रिटेन की सरकार का दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की बिक्री पुनः आरम्भ करने का निर्णय"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री पुन: शुरू करने की ब्रिटिश सरकार की मंशा की घोषणा से भारत सरकार को बहुत चिन्ता हो गई है। सरकार को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ब्रिटिश नीति के इस परिवर्तन का कुल मिलाकर यह असर होगा कि दक्षिण अफ्रीका में जातिवादी सरकार के हाथ और मजबूत होंगे और उस क्षेत्र में स्थिरता, शांति तथा सुरक्षा लाने के बजाए वहां विद्यमान तनाव और बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस परिवर्तन से अफ्रीका तथा एशिया के बहुत से देशों की सुरक्षा तथा उनके महत्वपूर्ण हितों पर बुरा असर पड़ेगा जिनमें से कुछ राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से संयुक्त राष्ट्र के उन प्रस्तावों की भी गम्भीर अवहेलना होगी जिनमें दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

2. अपनी इस मन्शा की घोषणा करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1955 के तथाकथित साइमन्सटाउन समझौते की दुहाई दी है जिसके अनुसार ब्रिटेन को दक्षिण अफ्रीका के चारों ओर के समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए साइमन्सटाउन और नौसैनिक अड्डे पर कतिपय सुविधाएं दी गई हैं। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में इस बात पर सहमति हुई थी कि वे अपनी अपनी समुद्री सेनाओं से समुद्री मार्गों की रक्षा में एक दूसरे को सहयोग देंगे। ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी ऐलेक डेगलेस होम ने 20 जुलाई को हाउस आफ कामन्स में कहा था "उक्त समझौते के उद्देश्य को हम कार्यरूप देना चाहते हैं और हमारा यह विश्वास है कि इस संदर्भ में हमें कतिपय सीमित वर्गों के ऐसे हथियारों को दक्षिण अफ्रीका को निर्यात करने की बात पर विचार करने के लिये तैयार रहना चाहिए जो कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नौसैनिक रक्षा के काम आते हों।"

3. दक्षिण अफ्रीका को हथियार देने की अपनी पहले की नीति पर आंशिकरूप से पुन: लौटने को न्यायोचित ठहराते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह दलील दी है कि "स्वेज नहर के बंद हो जाने के बाद जिन व्यापारिक मार्गों का महत्व बढ़ गया है" उनकी सुरक्षा के लिये व्यापक प्रतिरक्षा की आवश्यता है लेकिन इस विचित्र सामरिक सिद्धांत का वर्तमान सिचाई से कोई सरोकार नहीं है। इसमें ऐसे खतरे की बात सोची गई है जिसका अस्तित्व ही नहीं है तथा इस सच्चाई को उठाने की कोशिश की गई है कि ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार को हथियार देगा। असलियत यह है कि आज एक दक्षिण अफ्रीका ही अफ्रीका की एकमात्र सैनिक

शक्ति है जो अधुनातम हथियारों और प्रतिरक्षा उपस्करों से अच्छी तरह लैस है। दूसरों के मुकाबले उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक शक्ति से दक्षिण अफ्रीका सरकार अपने पड़ोसियों के लिये एक खतरा है न कि दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी उसके लिये। जहां तक उस अन्तर का प्रश्न है जो ब्रिटिश सरकार ने नौसैनिक प्रतिरक्षा के हथियारों और उपस्करों तथा जातीय पृथग्वासन की नीति के अमल में सहायता पहुंचाने के लिये हथियारों के बीच देखने की कोशिश की है इसे कोई मान नहीं सकता। हमारा यह विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका की सैनिक शक्ति में वृद्धि से उसे जातीय पृथग्वासन की अपनी नीति पर चलते रहने में ही बल मिल सकता है इससे तनाव और संघर्ष का एक नया तत्व भी अनिवार्यतः आ जाएगा। इस तरह से पड़ोसी अफ्रीकी देशों में तथा हिन्द महासागर के क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच शत्रुता तथा शीतयुद्ध बढ़ेगा।

4. सदन तो जानता ही है कि हम यह चाहते हैं कि हिन्द महासागर का क्षेत्र एक अमन चैन और शांति का क्षेत्र हो, जिसमें बड़े राष्ट्रों का संघर्ष न हो और जो सैनिक तथा नौसैनिक अड्डों से और अन्य प्रकार से सैनिक उपस्थित से पूर्णतः मुक्त हो। दक्षिण अफ्रीका को हथियार देना फिरशुरू कर देने से इस क्षेत्र में तनाव पैदा करने की ब्रिटिश सरकार की मन्शा पर हमें गम्भीर चिन्ता होना बड़ा स्वाभाविक है।

5. सदन निस्सन्देह इस ओर से अवगत है कि दक्षिण अफ्रीका को हथियार देने की ब्रिटिश सरकार की मन्शा की घोषणा से विश्व भर में बहुत निराशा और चिन्ता फैल गई है। विशेषरूप से अफ्रीका और एशिया के राष्ट्र मंडल देशों में। इस विषय पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के एक पत्र के उत्तर में हमारी प्रधान मंत्री पहले ही एक संदेश भेज चुकी हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका को हथियार देने की ब्रिटेन की मन्शा पर हमारी ओर से गंभीर चिन्ता और आशंका प्रकट की गई है।

6. सदन यह भी जानता है कि दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई के निषेध के विषय में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा अन्य बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या क्या प्रयास किये हैं। अभी हाल ही में सुरक्षा परिषद में जो बहस हुई थी उसमें भारत के स्थाई, प्रतिनिधि ने दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की घातक बंदी से सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानने और उन पर अमल करने के बारे में इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के दायित्वों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। 23 जुलाई, 1970 की सुरक्षा परिषद ने अपने पहले प्रस्तावों को फिर दोहराया और सभी राज्यों से कहा कि वे दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगा दें और ऐसा करने के लिये अपनी तरफ से कोई शर्त वगैरह न रखें। सदन को यह आश्वासन दिलाया जाता है कि वह समान विचारधारा वाले सभी देशों के साथ मिलकर यथाशक्ति इस बात की कोशिश कर रही है। विशेषकर एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ मिल कर कि ब्रिटिश सरकार दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई फिर शुरू न करे क्योंकि राष्ट्र मंडलीय और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष स्वयं ब्रिटेन का भी ऐसा न करने का दायित्व है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस विषय में केवल चिन्ता करने से काम नहीं चलेगा अपितु इस प्रकार के कार्य को समाप्त कराने के लिये एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। जातिभेद की

नीति समस्त मानवता के लिये शरमनाक है। रोडेशिया की स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा की ब्रिटेन द्वारा मौन स्वीकृत एक अपराध था जिसको दक्षिण अफ्रीका को पुनः शस्त्रों की बिक्री के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्रिटेन स्वेज नहर के पूर्व में अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना चाहता है। वह फारस की खाड़ी से अपनी सेना की वापसी के बारे में विचार कर रहे हैं तथा दक्षिण अफ्रीका को पुनः शस्त्रों की बिक्री आरम्भ करके फ्रांस का अनुकरण कर रहे हैं। अभी-अभी अमरीका के प्रतिरक्षा सचिव ने भी अपने 7वें बेड़े के युनिटों को हिन्द महासागर के क्षेत्र में जो इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया में हैं, स्थान्तरित करने के बारे में कहा है। हमें आशा है कि मंत्री महोदय अफ्रीका और एशिया में उत्तरी अटलांटिक संधि संघ के शस्त्रास्त्रों के प्रसार की ओर ध्यान देंगे क्योंकि यह इस विषय का महत्वपूर्ण पहलू है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये लड़ने वाले अफ्रीकी छापामारों के प्रति फ्रांसीसी शस्त्रों के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ में मोरिशस तथा सोमालीलैंड द्वारा आपत्ति उठाई गई है। ब्रिटिश समाचार-पत्रों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र खरीद रहा है। जम्बिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका इन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग जम्बिया तथा मेलागासी के विरुद्ध करेगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने इन देशों के राष्ट्रपतियों से सीधा सम्पर्क स्थापित किया है। क्या सरकार ने एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्र-मंडलीय देशों को एक साथ लेकर कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे ब्रिटेन की बढ़ती हुई जातिवादी नीति को चेतावनी दी जा सके? क्या सरकार मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर दृढ़ रहेगी। मैडम विन्ह के प्रति किये गये व्यवहार से हमें चिंता होने लगती है कि सरकार साम्राज्यवादियों के प्रभाव में है। इसीलिये हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की ऐसी गतिविधियों का दृढ़ निश्चय से विरोध किया जायगा।

श्री स्वर्ण सिंह : हम भी अन्य राष्ट्र मंडलीय देशों के साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं। दो या तीन देशों के अलावा अन्य सभी राष्ट्र मंडलीय देशों ने इसका विरोध किया है। शस्त्रास्त्रों की सप्लाई के विरुद्ध काफी विचार प्रकट किये गये हैं; अतः ब्रिटेन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इस बारे में हमारी नीति में कोई कमजोरी आने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम उन पहले देशों में से हैं जिन्होंने शस्त्रास्त्रों की सप्लाई के कार्य का कड़ा विरोध किया और राष्ट्र-मंडलीय देशों के सहयोग से हम ब्रिटिश सरकार के प्रति इस विरोध को जारी रखेंगे।

यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, स्वेज के पूर्वी क्षेत्रों के विषय में ब्रिटिश सरकार की वर्तमात नीति लेबर सरकार से भिन्न है। और हम इसके विरोधी हैं क्योंकि इससे सारे क्षेत्र में संकटपूर्ण तनाव की स्थिति पैदा हो जायगी। जहां तक ब्रिटिश सरकार को नोटिस देने का प्रश्न है, इस पर राष्ट्र मंडल के दूसरे सम्मेलन में अफ्रीका-एशियाई देशों से विचार-विमर्श किया जायगा। हमारे लिये इस प्रकार की कोई घोषणा करना उचित नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर कम से कम अफ्रीकी-एशियाई देशों के विचार जान लेने बहुत आवश्यक हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन की सरकार के नये निर्णय में चार महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले यह कि दक्षिण अफ्रीका सरकार की जाति भेद वाली नीति का समर्थन किया गया है। दूसरे यह कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये लड़ने वालों से लड़ाई जारी रखने के लिये दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की सहायता दी जाय। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का यह तात्पर्य सफल हो जायगा कि अफ्रीका में शेष सम्राज्यवादी प्रदेशों में स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वालों को दबाया जा सके।

इसका तीसरा महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि अफ्रीका के हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों में संकट उत्पन्न होगा। क्योंकि वहां आज भी अफ्रीका की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति है। दक्षिण अफ्रीका ने आगामी पांच वर्षों में प्रतिरक्षा पर 2000 करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया है।

भारत के लिये इसके क्या परिणाम होंगे ? मेरे विचार से दक्षिण अफ्रीका की दूरदर्शिता यह है कि वे भारतीय तथा अटलांटिक समुद्र पर अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री तथा अर्जेनटाइना की नौसेना के कमांडर-इन-चीफ द्वारा अपरिपूर्ण वक्तव्य दिये गये हैं। उनकी योजना यह है कि आज या कल भारत में कोई न कोई अच्छी सरकार आयेगी और हिन्द महासागर में भारत की ही सबसे बड़ी शक्ति होगी। इस शक्ति से निपटने के लिये ही उन देशों में वार्ताएं की जा रही हैं और यहां इस विचारधारा का मूल है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी गम्भीर परिस्थिति के लिये क्या प्रधानमंत्री का चिन्ता व्यक्त करना ही पर्याप्त है ? इस सम्बन्ध में सदन को तथा भारतवासियों की प्रतिक्रिया प्रधान मंत्री की चिन्ता से अधिक शक्तिशाली है। हमारी इच्छा है कि सरकार मामले पर गम्भीरता से विचार करे। क्या मंत्री महोदय हमें आश्वस्त करायेंगे कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, उससे कहीं अच्छी कार्यवाही भविष्य में की जायगी ? राष्ट्रमंडल के अफ्रीका-एशियाई देशों का सम्मेलन दिल्ली में करायें यदि इसके लिये समय है, तो क्या मंत्री महोदय ऐसा करेंगे ?

राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ देने के बारे में कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय के विचारों से सहमत हूं कि आज राष्ट्रमंडल का पहले वाला स्वरूप नहीं है, वहां आज अफ्रीकी-एशियाई देशों की प्रधानता है। यदि ऐसा है तो मंत्री महोदय क्या कोई ऐसा कदम उठायेंगे कि राष्ट्रमंडल से ब्रिटेन का बहिष्कार कर दिया जाय। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि राष्ट्रमंडल एशियाई तथा नये स्वतन्त्र हुये देशों के संगठन से बना रह सकता है। मंत्री महोदय के उत्तर देने से पहले मैं उन्हें अपने प्रश्न एकपक्षीय स्वतन्त्रा की घोषणा के विरुद्ध लड़ने वाले अफ्रीकी लोगों के लिये भारतीय सहायता के स्वरूप के लिये कई वर्ष पूर्व उनके द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या रोडेशिया के स्वाधीनता सेनानियों को केवल नैतिक समर्थन ही दिया जायगा अथवा उन्हें अस्त्र-शस्त्र भी उपलब्ध किये जायेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अस्त्र-शस्त्र भी उन्हें दिये जायेंगे। लेकिन इस आश्वासन का क्या परिणाम हुआ ? मैं आज उनसे इस बारे में स्पष्ट और दृढ़ आश्वासन चाहता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पिछली सरकार की अपेक्षा ब्रिटेन की वर्तमान सरकार की नीति में स्पष्टतः परिवर्तन हुआ है, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया का प्रश्न हो अथवा

स्वेज से पूर्व के सम्बन्ध में नीति का प्रश्न हो। इसी वजह से हम इसका विरोध करते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन की पिछली सरकार की नीति से भी हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि रोडेशिया की रंगभेद और जातिभेद की नीति अपनाने वाली सरकार के विरुद्ध उन्होंने सख्ती से प्रतिबन्ध नहीं लगाये। दक्षिण अफ्रीका को हथियार सप्लाई करने के उनके निर्णय के हम पूर्णतः विरुद्ध हैं। हम उनके इस अभिमत से भी सहमत नहीं हैं कि इन हथियारों का प्रयोग उनकी प्रतिरक्षा के लिए किया जायगा।

लुसाका में गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसमें कुछ ठोस-प्रस्तावों पर विचार किया जायगा। हम समान विचारधारा वाले देशों से सम्पर्क कर रहे हैं ताकि हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और अधिक दबाव डाल सकें।

राष्ट्रमंडल में अफ्रो-एशियाई देशों का बहुमत है। सिंगापुर अथवा अन्य किसी स्थान पर होने वाली मीटिंग में लिये गये निर्णय……

श्री नाथ पाई : आप पहल क्यों नहीं करते ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब लुसाका में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो यहां उसके आयोजन से कोई उपयोगी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सिंगापुर में जब सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो मेरे विचार में सिंगापुर इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि सम्मेलन का यहां आयोजन किया जाय। इन सब बातों को देखते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि अफ्रीकी-एशियाई देशों के सहयोग से हम ब्रिटिश सरकार पर पूरा-पूरा दबाव डालेंगे कि वह हथियार सप्लाई करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलिया बोर) : मैं वर्तमान विदेश मंत्री के हिन्द महासागर के बारे में दिये गये उन वक्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में दिये थे। पिछले एक या दो सालों से वे स्पष्टतः यह कहते रहे हैं कि हिन्द महासागर के किसी अन्य देश द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही पूर्णरूपेण भारत के हितों के प्रतिकूल है।

मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि अपने विस्तृत वक्तव्य में उन्होंने सर अलेक डगलस होम के संसद् में दिये गये वक्तव्य के महत्वपूर्ण अंश ,को कैसे नजरअन्दाज कर दिया। उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि "अफ्रीका होकर समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि यह नाटो से सम्बन्धित होना चाहिए। जब तक नाटो अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करता, तब तक इस समुद्री मार्ग का, केवल ब्रिटिश अथवा दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है…उन्होंने यह भी कहा कि हिन्द महासागर के निरीक्षण से चिन्तित होकर आस्ट्रेलिया अपनी नौसेना को कोकबर्न की ओर अग्रसर कर रहा है।"… भारत सरकार का यह कहना है कि वह हिन्द महासागर में रिक्तता की स्थिति को मान्यता नहीं देती और वह यह भी मानती है कि यह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव से मुक्त क्षेत्र रहेगा। बदली हुई परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

जाकन्डा रेलवे जाम्बिया और तन्जानिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रतीक है। इसको दृष्टि में रखते हुए, इस क्षेत्र में तनाव में वृद्धि होने की आशंका है और चीन आदि

शक्तियों को अपना आधार बनाने के लिए आमन्त्रण है। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं है। फ्रांस और बिटेन उस समय अनुपस्थित रहे। राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बावजूद 1946 से सहायता दिया जाना जारी है।

इस मामले में सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही किये जाने का विचार है ? उनका कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति न्येरेरे से विचार-विमर्श किया है परन्तु उस विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ? तन्जानिया राष्ट्रमंडल की सदस्यता से हटना चाहता है, क्या इस बारे में हमें सूचना दी गई है ?

मन्त्री महोदय ने सिंगापुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल सम्मेलन की चर्चा की। क्या यह सच है कि कुछ पूर्व अफ्रीकी देशों द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किये जाने की सम्भावना है अथवा इसे अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने की मांग की गई है ? हम इन अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं ?

हिन्द महासागर के बारे में हमारी नीति संकट में है। हिन्द महासागर को दो शक्ति केन्द्रों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ? राष्ट्रमंडल से हट जाने की चाल बार-बार नहीं चली जा सकती।

सर अलेक होम ने कहा है कि अपने वक्तव्य पर वह संसद की सहमति प्राप्त करेंगे और ऐसा होने में अभी तीन महीने का समय है। क्या इस बारे में हमें कोई सूचना दी गई है ? दक्षिण अफ्रीका की सरकार को हथियार सप्लाई करने के अपने वचन के बारे में ब्रिटिश सरकार का अब क्या रुख है ? इस अवसर पर हम निश्चितरूप से राष्ट्रमण्डल छोड़ने के लिये कह सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हिन्द महासागर में स्थिति के मूल्यांकन के बारे में भारत सरकार के दृष्टिकोण को समय-समय पर स्पष्ट किया जाता रहा है। यह सच है कि हिन्द महासागर क्षेत्र को महाशक्तियों के प्रभाव से और तनाव से मुक्त रखने की हमारी नीति पर अन्य राष्ट्रों को हथियार की सप्लाई किये जाने की कार्यवाही से आंच आती है। यही वजह है कि रंगभेद और जातिभेद की नीति अपनाने वाली दक्षिण अफ्रीका की सरकार को ब्रिटेन द्वारा हथियार सप्लाई करने के निर्णय का हमने घोर विरोध किया है।

इस बारे में दबाव डालने की कार्यवाही का जहां तक सम्बन्ध है, हम प्रत्येक माध्यम से यह दबाव डालना चाहते हैं। राष्ट्रसंघ, राष्ट्रमंडल, गुट-निरपेक्ष, देशों के सम्मेलन, ब्रिटेन के प्रति हमारे राजनयिक सम्बन्धों और राष्ट्रमंडल के अफ्रीकी-एशियाई देशों के साथ विचार-विमर्श करते समय यह दबाव की कार्यवाही जारी रखी जायेगी।

सिंगापुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल सम्मेलन के बारे में राष्ट्रमण्डल के महासचिव का सभी सदस्य देशों के साथ सम्पर्क है और मुझे सिंगापुर सम्मेलन आयोजित न होने के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

यह सच है कि तन्जानिया ने सूचना दी है कि अगर ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार सप्लाई करने के अपने निर्णय पर अमल किया, तो वह राष्ट्रमण्डल की सदस्यता छोड़ देगा। तन्जानिया, जाम्बिया और उगान्डा के तीनों राष्ट्रपतियों के मध्य विचार-विमर्श हुआ है और हमारा उनके साथ सम्पर्क है। इन सभी मामलों पर लुसाका में चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि हथियार सप्लाई करने से रोकने के लिए हम प्रत्येक प्रकार का दबाव डालते रहेंगे।

Shri Deven Sen (Asansol): Mr. Speaker, the changes and the deviation in the policies of U. K. Government are clear indication of the fact that it is joining hands with the recist Governments of South Africa and Rhodesia. The British Government want to enter in Indian ocean with the help of South African Government. The Conservative Party of Britain wants to enslave India once again and wants to revive imperialism. The Government of India should take up serious and concrete steps in this connection. We should boycott all type of Import-Export trade with Britain. We should go to attend the Conference at Lusaka with the proposal of leaving Commonwealh so that there may be greater faith in India among Afro-Asian countries.

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक उनके भाषण के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश सरकार पुनः अपना शासन स्थापित करने का स्वप्न देख रही है। यह तो उनका भ्रम है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि वह विश्व के परिवर्तनों से कैसे आंखें मूंद लेते हैं, वह यह कल्पना कैसे कर सकते हैं। भारत जैसे विश्व के बड़े लोकतन्त्रात्मक देश में पुनः साम्राज्यवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? हमें इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी चाहिये।

जहां तक उस देश के साथ समान व्यवहार अपनाने का प्रश्न है, हम अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ सम्पर्क बनाये हुये हैं। हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दबाव किस प्रकार डाला जा सकता है।

संसदीय सौध के शिलान्यास के बारे में
RE: FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY OF SANSADIYA SOUDHA

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे शाम को 6.30 बजे संसद् भवन की दूसरी इमारत संसदीय सौध के शिलान्यास समारोह में भाग लें। शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा होगा। हमें सभा को 5.30 बजे स्थगित करना पड़ेगा। सभा हम 5 बजे भी स्थगित कर देंगे परन्तु सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह वहां अवश्य पहुंचें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यसवन्तराव चह्वाण की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970

भाग 1 तथा 2 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-3810/70**]**

कोयला खान संरक्षण तथा सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नितिराज सिंह चौधरी): मैं कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1810 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राज्य पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लाभ के प्रयोजन के लिए भारत में कोयला धोने के कारखानों को भेजे जाने वाले कच्चे कोयले की उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 3811/70]

सीमा शुल्क अधिनियम, औद्योगिक वित्त निगम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 41वां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1032 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-3812/70**]**

(2) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 2/70 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में किये गये संशोधन दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 3813/70**]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 972, जो दिनांक 27 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 999, जो दिनांक 1 जुलाई, 1970 के भारत के राज-पत्र प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) असबाब (संशोधन) नियम, 1970 जो दिनांक 2 जुलाई, 1970 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1001 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-3814/70**]**

(4) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 802 से 809 तक, जो दिनांक 14 मई, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 869, जो दिनांक 2 जून, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 891, जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 899 तथा 900, जो दिनांक 8 जून, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 936 से 938 तक, जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० आर० 957, जो दिनांक 19 जून, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 969, जो दिनांक 25 जून, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 1031, जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी० एस० आर० 1060, जो दिनांक 17 जुलाई, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एन० टी० 3815/70]

सदस्य की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई

ARREST AND RELEASE ON BAIL OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे पुलिस निरीक्षक, मद्यनिषेध नियंत्रण, बम्बई, से दिनांक 1 अगस्त, 1970 का एक तार प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि श्री नन्द कुमार सोमानी, सदस्य, लोक सभा, को महाराष्ट्र खाद्यान आदेश, 1966 के खण्ड 4 के भंग करने के कारण, जो कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय है, 1 अगस्त, 1970 को 13.50 बजे ब्रूस स्ट्रीट, बम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 1 अगस्त, 1970 को 15.30 बजे व्यक्तिगत मुचलके पर मुकदमें की सुनवाई तक के लिए रिहा कर दिया गया ।

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं आयकर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958, तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

साक्ष्य

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958, तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

उड़ीसा में नये इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में याचिका
PETITION RE: SETTING UP OF A NEW STEEL PLANT IN ORISSA

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं उड़ीसा में नये इस्पास कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिस पर श्री बैधर सेठी तथा अन्य दो लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।

भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: INDO-GDR RELATIONS

वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के आपसी सम्बन्धों का मामला अनेक बार इस सभा में उठाया गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि दोनों देश महावाणिज्यदौत्य कार्यालयों की स्थापना के लिए राजी हो गये हैं।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों को मालूम है विगत कुछ वर्षों में जर्मन जनवादी गण-राज्य के साथ हमारे सम्बन्ध काफी सुदृढ़ हुए हैं। हमें अपने व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धों के विकास पर तथा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान-प्रदान पर विशेषरूप से सन्तोष है। अब वह स्थिति आ गई है जबकि आर्थिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के इस विकास की दृष्टि से वाणिज्यदौत्य सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। जर्मन जनवादी गणराज्य से हमारा सम्पर्क निरन्तर बना रहा है और इसी के फलस्वरूप हमने अन्ततः महावाणिज्यदौत्य के स्तर पर अपने सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है। दोनों ओर के तकनीकी प्रबन्ध पूरे होते ही इसे कार्यरूप दे दिया जायेगा।

जितने अधिक से अधिक क्षेत्रों में परस्पर लाभदायक सहयोग करना सम्भव हो सके, उसे प्रोत्साहन देना दोनों ही सरकारों के हित में होगा। हमें आशा है कि हमने जो भी कदम उठाये हैं, उनसे इस प्रक्रिया को जहां बल प्राप्त होगा, वहां सुविधाएं भी प्राप्त होंगी तथा दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकेंगी।

अभिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक
ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है।"

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह समय क्यों बढ़ाया जा रहा है। जब प्रथम बार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी समय यदि वे चाहते तो और अधिक समय की मांग कर सकते थे, प्रत्येक बार सभा से समय को बढ़ाने की मांग करना तो एक प्रथा सी बनती जा रही है। मेरे विचार से सभापति महोदय ने इसको अपेक्षित महत्व नहीं दिया अन्यथा इसमें समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कर्त्तव्य तो इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करना है। सभापति महोदय जब मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। सभी समितियों की यही बात है कि पहले वह अपने कार्य के समय को बढ़ाने की मांग करती हैं, फिर रेलवे पासों की मांग करती हैं। मैं उन्हें केवल निवेदन करूंगा कि वह ऐसा न किया करें। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen hours of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर तीन मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Three Minutes Past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यू० के० में भारतीय कुश्ती टीम के साथ दुर्व्यवहार के बारे में
RE : ILL-TREATMENT OF INDIAN WRESTLING TEAM TO U. K.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker, our Wrestling Team which went to Canada was given a very humiliating and insulting treatment. The Indian National Flag was not flown during march-past. It is most shocking, most alarming and most despicable. I will request the Education Minister to enquire into this incident and bring the defaulter to book.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री रणधीर सिंह की मांग का समर्थन करता हूं। हमारे पहलवानों ने बहुत सम्मानजनक कार्य किया है। उनके साथ ऐसे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती थी। शिक्षा मन्त्री इस विषय पर वक्तव्य दें।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में खाद्य तथा कृषि मन्त्री भी एक वक्तव्य दें। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तो यह कार्यवाही कभी नहीं करेंगे।

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक
CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पिछली बार मैं संविद श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कर रहा था। ठेकेदार लोग उन्हें काम की विभिन्न जगहों पर ले जाकर परेशान करते हैं। उदाहरणार्थ उड़ीसा के पुरी जिले में से एक ठेकेदार 200 श्रमिकों को जलपाईगुड़ी काम के लिए ले गया। वहां उन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया गया। और साथ ही उन्हें परेशान भी किया गया। अन्त में जब उन लोगों ने काम छोड़ने का फैसला कर लिया तो उनके विरुद्ध ठेकेदार ने मुकदमें चला दिये। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे संविद श्रमिकों की यही स्थिति है इसीलिए जब मन्त्री महोदय ने इस विषय पर विधेयक प्रस्तुत किया तो हमने उसका स्वागत किया। आपको आश्चर्य होगा कि संविद श्रमिकों से सम्बद्ध अब तक कितने अधिनियम बनाये जा चुके हैं परन्तु उनमें से अधिकांश को सच्चे अर्थों में क्रियान्वित नहीं किया गया।

पीने के पानी और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की जो व्यवस्था विधेयक में की गई है, उससे संविद श्रमिक लाभ उठा सकते हैं और यह एक अच्छी बात है। परन्तु आवास के सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमें यह भी पता है कि संविद श्रमिक को किन स्थितियों में काम करना पड़ता है और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है। अतः जहां वे कार्य करते हैं, वहीं पर उन्हें आवास देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार यह कहती है कि उनका उद्देश्य संविद श्रमिक प्रणाली को समाप्त करना है। लेकिन विधेयक में कहीं भी ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। अतः सरकार को इस ओर गम्भीरता से सोचना चाहिए और विधान में स्पष्टरूप से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

विधेयक में शिकायत दायर करने का अधिकार निरीक्षक को दिया गया है अथवा उसकी सहमति के अनुसार ही होना चाहिए। निरीक्षक जिस तरह से कार्य करते हैं, यह सभी को मालूम है। अतः शिकायत का अधिकार मजदूर संघों को भी दिया जाना चाहिए जबकि निरीक्षक के अतिरिक्त श्रमिक मजदूर संघ में संगठित होते हैं।

शिकायतें दायर करने की सीमा अवधि तीन महीने की है जो कि पर्याप्त नहीं है। कुछ कार्यस्थल ऐसे हैं, जहां अभी भी आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। अतः यह अवधि छः महीने तक बढ़ायी जानी चाहिए ताकि जो लोग ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इसकी सुविधा मिल सके और मजदूर संघ इस बारे में उनकी मदद कर सकें।

इस विधेयक की कमियों को दूर करके इसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री गांगुली ने जो कि अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संयुक्त समिति के सामने साक्ष्य के रूप में जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त अनादर सूचक है। उनके अनुसार आवश्यक परिस्थितियों के बिना विधान का बनाया जाना कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना है जिससे वास्तव में श्रमिकों को लाभ नहीं होता है। उनका रवैया पूर्णरूप से श्रमिक विरोधी है। अतः यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि विधेयक के विभिन्न उपबन्धों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाये।

रेलवे में लगभग 3 लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं। दक्षिण-पूर्व रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के बारे में गत दो वर्ष से संघर्ष जारी है और वे केवल 25 पैसे की वृद्धि ही देने को तैयार हैं, मानों हम दान मांग रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और इसे समुचित रूप से कार्यान्वित करेंगे।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : उपाध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि सरकार यहां संकीर्ण विचारधारा को लेकर आई है। प्रतिवेदन में कई विमति टिप्पण दिये गये हैं लेकिन सरकार ने उनमें से किसी को भी नहीं पढ़ा है।

विधेयक दोनों बातों में दोषपूर्ण है जिस प्रकार इस पर विचार हुआ है और जिस प्रकार यह बनाया गया है। संविद श्रमिक की स्पष्टरूप से व्याख्या नहीं की गई है। खण्ड 2 (ख) में दी गई "संविद श्रमिक" की परिभाषा दोषपूर्ण है। श्रमिकों को विभिन्न तरीकों से नियोजित करने को संविद श्रमिक कहा जाता है। यदि मुख्य नियोजक ठेके पर श्रमिक प्राप्त करता है तो हम इसे खण्ड 2 (ख) की परिभाषा के अनुसार संविद श्रमिक नहीं समझते हैं। इसे तभी हम संविद श्रमिक समझते हैं जबकि इसे एक ठेकेदार द्वारा काम में लगाया जाता है।

परिभाषा के अनुसार मुख्य नियोजक वाले ठेकेदार इसके अन्तर्गत आते हैं। लेकिन नियोजक के बिना ठेकेदार भी हो सकते हैं। वे स्वयं स्थाई अथवा नैमित्तिक श्रमिक रखने वाले ठेकेदार हो सकते हैं। उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। सरकार को न केवल इस समस्या पर विशेष स्थिति की दृष्टि से विचार करना चाहिए अपितु समूचे रूप से अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों से इसे समाप्त किया जाना चाहिए। दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस प्रणाली को बिलकुल ही समाप्त करने की जरूरत है। कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां इसे समाप्त करने की बजाय व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उनका भी यहां जिक्र नहीं किया गया है।

अमानवीय स्थितियां जिन उद्योगों में विद्यमान हैं, वहां भी इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे उद्योगों में श्रमिकों के लिये ठेकेदार कार्य की अच्छी स्थितियों की व्यवस्था भी नहीं करते हैं और ऐसा मुख्यतया खनन अथवा सड़कों के निर्माण कार्य में होता है। यह प्रायः सरकारी कार्य ही होता है। सरकार इसे जानती है और संविद श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए। इसकी अपेक्षा सरकार ने विनियमन विधेयक यह बताते हुए पेश किया है कि उसे उन्मूलन करने के अधिकार प्राप्त हैं। सरकार को अधिकार अपने हाथों में लेने की बजाय एक स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए और यह भी बता देना चाहिए कि किन क्षेत्रों से इसका उन्मूलन किया जा रहा है। सरकार स्वयं इसके लिए दोषी है। अतः सरकार को संविद श्रमिक की परिभाषा देने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए।

जम्मू और काश्मीर में भी इस विधेयक को लागू किया जायेगा, यह एक अच्छी बात है। जब मानवीय आधारों पर श्रमिक कानून पारित किये जाते हैं अथवा संविद श्रमिक के उत्सादन के बारे में कानून पारित किये जाते हैं तो जम्मू और काश्मीर राज्य को विशिष्टरूप से छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

विधेयक में तीन महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। एक उपबन्ध केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सलाहकार समिति बनाये जाने के बारे में है। इस सलाहकार समिति में केवल सरकारी सदस्य ही शामिल किये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के एककों में सरकार अधिक रुचि दिखा रही है। ऐसे सदस्यों को इस समिति में लेने की व्यवस्था नहीं की गई है जो सम्पूर्ण देश को समक्ष रख के समूचे मामले पर भली भांति अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करे। सलाहकार समिति के 17 सदस्यों में से इस निकाय में 13 या 14 सदस्य सरकार के अथवा सरकारी उपक्रमों में से हैं।

संविद श्रमिक जिसका उत्सादन करना है, इसमें लगभग 80 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में होंगे। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ऐसे व्यक्ति इस समिति में लिये जायें जो जनहित को ध्यान में रखते हों और सरकार के हाथ की कठपुतली न हों। सरकार को इस बारे में उपबन्ध करना चाहिए।

धारा 15 में अपील करने के लिए उपबन्ध है। परन्तु अपील किससे की जाये? अपील क्या सरकारी अधिकारी के बर्ताव के विरुद्ध सरकार से अपील की जाये? इस तरह से शिकायतों का निवारण नहीं हो सकता है। इस बारे में हमें संतुष्टि तभी होगी यदि न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक रूप की कोई संस्था स्थापित की जाये। इन अपीलों को सुनने के लिए इस प्रकार की अर्द्ध-न्यायिक संस्था सबसे अधिक उपयुक्त है। लेकिन यहां पर भी सरकार ने शक्तियां स्वयं ही संभाली हुई हैं।

खण्ड 31 में सरकार को शक्ति दी गई है जिससे वह यह घोषणा कर सकती है कि इस विधेयक में किन उपक्रमों, फर्मों या उद्योगों को छूट दी जाये। ऐसी स्थिति पर हम अच्छी तरह विचार कर सकते हैं कि सरकार किस सरकारी क्षेत्र को छूट दे सकती है न कि उसी वर्ग के कर्मचारियों को किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को। क्या यह गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में

भेद-भाव नहीं है ? ऐसे व्यवहार के प्रति क्या गारंटी है ? सरकार स्वयं इसके लिये दोषी है। इसके अपने विभागों में 80 प्रतिशत से अधिक संविद श्रमिक हैं। सरकार को कैसे यह निर्णय देना है कि किन उद्योगों को मुक्त किया जाये और किसे न किया जाये। यह सब बातें तब तक सम्भव नहीं हो सकती, जब तक हमारी कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है। इन सभी शक्तियों को सरकार के हाथ सौंपना उचित नहीं होगा। अतः इस विधेयक पर सहमति देने से पूर्व हम चाहते हैं कि इन दोषों को दूर कर दिया जाये।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): Contract labour system in our country is not good. At present the contractors are meting out inhuman treatment into the contract labour. Their main aim is to pay minimum to the contract labour and thus to earn maximum profits. Thus we find that under the contract labour system the labour class is too much exploited. At the cost of the labour, the big contractors are leading a luxurious life. The aim of this Bill is to stop this exploitation of the labourers. But the provisions contained in this Bill appear to be insufficient and it is doubtful whether the desired objects would be achieved. Moreover, the abolition of contract labour is not made permanent in the Bill.

The dignity of labour is not fully appreciated in our country and this leads to the path of violence. The plight of contract labour in our country is very miserable, because they find no opportunity to organise themselves and thus can not organise a union. We know under what conditions the contract labourers have to work. Therefore, strict measures should be adopted in the Bill where private owners take a contract and such contract labourers are discontinued before the period of 120 days because after the completion of 120 days, the rules of permanent labour will be applicable to them. This thing is also happening in Railways and Defence, which are under the Government. It is said that in the Railway, 3 lakhs workers are still temporary even after putting in service of ten to fifteen years, because their services are not continuous and due to break in service they are not getting the benefits which otherwise they would get if they are in service.

In the Bill the provision has been made for canteens and rest houses. It is not necessary. The important thing is to provide accommodation and medical facilities to the labourers. It is a hard fact that the labourers have to work under miserable conditions and they have no place to live. Therefore, some provision should be made to provide them with accommodation.

The labourers will not get any benefit if this Bill is not implemented in a proper way. Therefore, it should be ascertained that the officials responsible for the implementation of various provisions of the Bill, do it in a very sympathetic and proper way. It has also to be seen that no owner escapes from the provisions of this Bill.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Mr. Deputy Speaker, I support this Bill, but I would like to draw the attention of the Government to certain shortcomings in the Bill.

It is not understood that why the Government is not implementing this Bill in its own industries. There are many industries in puplic sector where contract labour system is in vogue and due to this practice the labourers are suffering. During last 20 years, we have passed several legislations with a view to provide certain amenities to the contract labour. Out of total number of the legislations passed, only 15 or 20 per cent have been implemented. As regard others, the implementation has been obstructed either by the proprietors or by the officers. I would like the Government to formulate an agency to enquire into the hinderences regarding proper implementation of passed legislations. This agency should also enquire the percentage of labourers and contractors to be benefited by such laws.

There is a provision in the bill, that is if more than 20 persons are working or have worked even for a day in any of the institutes, the provisions of the bill will be applicaple to such institutes. In this connection I would like to mention that certain industrialists with their malpractices, are deceiving the Government. They have actually employed a large number of people but they show a lesser number in order to have a safe guard against the provisions of the bill. The Government should take necessary steps to stop such malpractices.

It is really disgusting that in several Government departments full payments are not made to the casual workers and that they are retrenched, even after they have put in a long service. In Railway the position is very serious as a large number of workers who have put in twenty or fifteen years of service have been retrenched. This should be stopped.

In the coal industry a large number of workers came from Gorakhpur in Uttar Pradesh they have been asked to work for eleven months without payment. This kind of harassment should be done away with.

I would also like to suggest that there should be a scheme like that of Provident Fund for these labourers, that the money deposited gradually might be helpful at the time of their retirement since it is paid in lump sum at that time.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : हमारा देश ठेकेदारों के लिये स्वर्ग समझा जाता है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में ठेकेदार पनप रहे हैं और इन्हीं के कारण देश की प्रशासनिक गतिविधियों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पता नहीं यह विधेयक किस सीमा तक देश की स्थिति में सुधार कर पायेगा।

केन्द्र और राज्य स्तर पर जो परामर्श समितियां बनायी जाने वाली हैं, वे इसके उन दोषों तथा अनुचित प्रवृतियों को ठीक नहीं कर सकेंगी जो केन्द्र और राज्य सरकारों के स्तर पर पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, अंडमान और निकोबार द्वीपों में मानसून के आने पर कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है यद्यपि वे 20 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हों। उन्हें बताया जाता है कि मानसून के अन्त तक कोई कार्य नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का उदाहरण पेश करती है और राज्य सरकार उसका अनुसरण करती है तो कोई भी इस विधेयक के परिणामों के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो सकता। मंत्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिए। ठेका श्रम पद्धति को केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में जहां तक सम्भव हो सके, किस प्रकार समाप्त किया जायेगा।

इस विधेयक के अन्तर्गत जो संस्थायें स्थापित की गई हैं, उनसे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा जिसमें ठेकेदार पहले से ही लिप्त हैं। विधेयक के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि दोनों केन्द्र तथा राज्य सलाहकार समितियों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने वाले मनोनीत सदस्यों की संख्या मुख्य नियोजक और ठेकेदारों को प्रतिनिधित्व देने वाले मनोनीत व्यक्तियों से कम नहीं होगी।

परन्तु इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि विभिन्न ठेकेदारों और श्रमिक संघों की मांगों को नामजद करते समय ध्यान रखा जायगा। यदि सरकार इस विषय में बहुत ही गम्भीर है कि श्रमिकों की दशा में सुधार किया जायेगा तो हम सरकार के निश्चय पर विश्वास कर सकते हैं।

उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीड़ी उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को देश में सबसे कम वेतन दिया जाता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक कानून बनाया था तथा राज्य सरकारों ने भी कई कानून बनाये हैं परन्तु इन श्रमिकों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। सांविधिक उपबन्धों का नियोजकों द्वारा उल्लंघन किया गया है। वही हाल इस अधिनियम का भी होगा। अतः मंत्री महोदय को कर्मचारियों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में विशेष कदम उठाने चाहिये।

मैं इस बिचार से सहमत नहीं हूं कि ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने से कार्य की कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि होगी। यदि उनका विचार यह है कि ठेका श्रम को अनुमति देने से प्रबन्धकर्ता श्रमिकों का शोषण करके अधिक लाभ उठाते हैं तो आधुनिक युग में इस प्रकार की विचारधारा से कोई भी सहमत नहीं होगा। यदि श्रमिक धीरे काम करने की नीति अपनाते हैं तो श्रमिक नेताओं को उन्हें ऐसा न करने की सलाह देनी चाहिए और श्रमिकों को बताना चाहिये कि इस प्रकार के कार्य से देश के औद्योगिक विकास में बाधा पड़ती है।

अब देखना यह है कि सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के नियोजकों को उनके गैर कानूनी कार्यों के लिये किस प्रकार दण्ड देती है। मैं फिर यही बात कहता हूं कि जब तक मंत्री महोदय यह नहीं बताते कि रेलवे के $3\frac{1}{2}$ लाख सामयिक (casual) श्रमिकों के बारे में क्या कार्यवाही की जायगी तो इस विधेयक पर हमारी अनुमति भी बेकार सिद्ध होगी।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : समाजवाद के मुख्य सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उचित पारितोषिक मिलना चाहिए और सरकार को किसी भी व्यक्ति का शोषण न किये जाने के सम्बन्ध में पूर्ण आश्वासन देना चाहिये। इस विचार से भी तथा समाज की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करना शुभारम्भ है।

यदि विधेयक में ठेका श्रम पद्धति को पूर्णतया समाप्त करने की व्यवस्था की जाती तो यह प्रसन्नता का विषय होता। ठेका श्रम पद्धति को थोड़े से समय में समाप्त कर देना सम्भव नहीं होगा। कुछ संस्थानों में संविद श्रम को विनियमित करने तथा कुछ में समाप्त करने की व्यवस्था विधेयक में की गई है।

मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय कुछ ऐसी प्रक्रिया बन गई है कि नौकरशाही को शक्तिशाली बनाया जाता है। इस विधेयक में भी ऐसी हो प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है कि ठेकेदार को लाइसेंस देने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जो व्यवस्था की गई है, यदि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो भ्रष्टाचार के लिये रास्ता खुल सकता है। सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए।

श्रम मंत्रालय अपने कार्यों के लिये अन्य दूसरे मंत्रालयों पर निर्भर है। यह मंत्रालय स्वयं ही कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। पता नहीं इस स्थिति में कब परिवर्तन होगा ? श्रमिक

समस्याओं के अध्ययन के लिये जो एक समिति नियुक्त की गई थी, उसने देखा है कि निर्माण कार्य के लिये ठेका श्रम की व्यवस्था की जाती है परन्तु उन श्रमिकों को निर्माण श्रमिक दिखाया जाता है। गैर-सरकारी उद्योगों में ऐसी बातें चल रही हैं। मेरे विचार से भ्रष्ट नियोजक तथा ठेकेदार विधेयक के उपबन्धों का अनुसरण न करने का प्रयत्न करेंगे। अत: आवश्यकता इस बात पर विशेष ध्यान देने की है कि विधेयक के उपबन्धों को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है।

विधेयक के कई उपबन्धों का मनमाना अर्थ निकाला जा सकता है। एक आशंका यह भी उत्पन्न होती है कि कुछ नियोजक कई कारखानें लगा सकते हैं जो प्रत्यक्षरूप से उनके नियन्त्रण अधीन न हो सकें लेकिन उनके कुछ कर्मचारियों के नियन्त्रण के अधीन होंगे। वह इस प्रकार के कारखानों में केवल 19 मजदूर काम पर लगा सकता है, अत: हो सकता है कि इस कानून के उपबन्ध लागू न हों, क्योंकि उपबन्ध तभी लागू होंगे यदि 20 कर्मचारियों से वहां अधिक होंगे। लेकिन यदि वह भिन्न-भिन्न नियन्त्रण के अधीन 12 भिन्न खारखानों में 19 कर्मचारी काम पर लगाता है तो हो सकता है वह इस खण्ड का आश्रय लेकर सभी कार्य कर ले। इसलिये इस खण्ड को पूरी तरह से लागू किया जाय और इस पहलू की ओर अधिक सतर्कता और सावधानी बरती जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब भी ठेका पद्धति या ठेका श्रमिक का प्रश्न आता है तभी 21वें भारतीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय की याद आ जाती है, जहां मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था कि सबसे अच्छी बात यही है कि ठेका पद्धति को समाप्त कर दिया जाय। इस विधेयक में ठेका पद्धति को समाप्त करने वाली कोई बात नहीं है। श्रीकृष्ण मेनन के समय में भी इस बात को चुनौती दी गई थी कि ठेका श्रम विभागीय श्रम की अपेक्षा सस्ता है। उन्होंने विभागीय श्रम से जवानों के लिये अम्बाला के निकट कई मकान बनवाये जो ठेका श्रम की तुलता में बहुत सस्ते बने थे। इस विधेयक में अनियमित श्रम के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी ठेका श्रमिकों से किसी प्रकार भी अच्छी नही हैं। समाजवादी देश के लिये यह अच्छा नहीं है।

समान कार्य के लिये समान वेतन की मांग की गई है। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, हरिद्वार, त्रिचनापल्ली तथा हैदराबाद में क्या हो रहा है? वहां ऐसे कर्मचारी हैं जो 6 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके हैं परन्तु उन्हें अनियमित श्रमिकों के रूप में ही समझा जाता है और उन्हें 6 रुपये प्रति दिन दिया जाता है। इन श्रमिकों को चिकित्सा सुविधायें, सीमान्तक सुविधायें, उपदान अथवा भविष्य निधि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कहा गया है कि संविद पद्धति को एकदम बन्द नहीं करना चाहिए। इसकी सर्व प्रथम रेलवे या प्रतिरक्षा या कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों में आरम्भ किया जाना चाहिये। इस विधेयक में दृढ़ता तथा साहस से घोषित किया जाना चाहिये कि ठेका प्रणाली सरकारी क्षेत्र के एककों से समाप्त की जायेगी।

श्रमिकों की संख्या के विषय से सम्बन्धित उपबन्ध से काम नहीं चलेगा क्योंकि वे सदैव

ही 20 आदमियों से कम को नियुक्त करेंगे और इस प्रकार नियम के उपबन्ध उन पर लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार 120 दिनों के समय की सीमा का भी अनुचित लाभ उठाया जायगा।

बीस से अधिक मजदूर रखने से उन्हें कई श्रमिक कानूनों का पालन करना पड़ेगा। अत: वे 18-19 श्रमिक ही रखेंगे। यदि 120 दिन की सीमा रखी जाती है तो वे हर 118 दिन के बाद उन्हें सेवा से पृथक कर देंगे और एक दिन छोड़ कर पुन: नियुक्त कर देंगे। आयुध कारखानों में अंग्रेजों के जमाने में मजदूरों को हर वर्ष 31 मार्च के कार्य से पृथक कर दिया जाता था और 1, अप्रैल को पुन: नियुक्त कर लिया जाता था। परिणाम-स्वरूप 20-30 वर्ष की नौकरी के पश्चात भी वे अस्थायी बने रहते थे।

जब हमने उक्त व्यवस्था के विरुद्ध 1946 में अखिल-भारतीय स्तर पर हड़ताल करवाई-तो उन्हें नियमित बनाया गया।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने से सरकार को कोई हानि नहीं होती उन लोगों को कुछ सुविधाएं मिल जायंगी। उन्हें नौकरी से पृथक करने पर केवल एक महीने का नोटिस देना पड़ेगा। एक ही काम कर रहे व्यक्तियों को समान वेतन से आप इन्कार कैसे कर सकते हैं?

मेरा निवेदन है कि आप श्री नम्बियार के संशोधन को स्वीकार करें और अवधि को 120 दिन से घटाकर 90 दिन कर दें।

सैनिक अभियंता सेवा आदि विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य विभागीय श्रमिकों द्वारा किये जाएं। एक स्थान पर कार्य समाप्त होने पर मजदूरों को अन्य स्थानों में स्थानान्तरित किया जाये। सरकारी क्षेत्र की कुछ खानों में ठेका श्रम पद्धति आज भी जारी है। उसे पूर्णत: समाप्त करना चाहिए। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में इसी समय घोषणा करें। इक्कीसवें भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया था।

श्री स० दा० पाटिल (सांगली): मैं सरकार को, विधेयक के संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने के बाद शीघ्र ही रखने के लिये धन्यवाद देता हूं। विधेयक की धाराओं का विधेयक के उद्देश्यों को दृष्टि में रख कर आंका जाना चाहिए।

इस विधेयक का दोहरा उद्देश्य है। यह दूसरी पंच वर्षीय योजना में की गई सिफारिशों के अनुरूप है। ठेका श्रम पद्धति के अंतर्गत कितने श्रमिक हैं और इस पद्धति के निरन्तर उत्सादन में क्या प्रगति हुई है? जहां इस पद्धति का उत्सादन नहीं किया जा सकता वहां उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करना चाहिए।

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

स्पष्ट है कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने से पूर्व ही यह बात सिद्धान्त रूप से स्वीकृत थी कि ठेका श्रम पद्धति का सर्वथा उन्मूलन नहीं किया जायगा।

संयुक्त समिति ने इस सीमित उद्देश्य को दृष्टि में रख कर ही अपनी सिफारिशें दीं इसके लिये विभिन्न श्रमिक संघों, निजी और सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों और अनेक संस्थानों के सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ बातचीत के पश्चात् ही यह सिफारिशें तैयार की गई थी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि विधेयक जिस रूप में संयुक्त समिति के पास से आया है, वक्तव्य में दिये गये उद्देश्यों को पूरा करता है।

विधेयक के पहले चार अध्यायों में ठेका श्रम पद्धति के क्रमश: उत्सादन की चर्चा की गई है। पांचवें और छठे अध्याय में ठेका श्रमिकों की सेवा की शर्तों एवं अन्य सुविधाओं को विनियमित करने से सम्बन्ध रखते हैं। धारा 20 और 21 द्वारा प्रमुख नियोक्ता को श्रमिकों को वेतन तथा अन्य सुविधाएं देने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है।

विधेयक की धाराओं के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि यह अपने उद्देश्यों के अनुरूप ही है।

यह छोटा सा विधेयक है और यदि इसके पालन में दृढ़ता बरती गई तो श्रमिकों को न्याय मिल सकेगा, अन्यथा नहीं। अत: इसका दृढ़ता से पालन होना चाहिए।

श्री नम्बियार (त्रिरूचिरापल्लि): इस विधेयक द्वारा ठेका श्रमिक पद्धति के विनियमन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और उत्सादन की ओर कम।

मैंने तीसरी लोक सभा में भी ठेका श्रमिक पद्धति के उत्सादन का प्रस्ताव रखा था। यह उत्सादन इस लिए आवश्यक है क्योंकि ठेकेदार श्रमिकों और नियोक्ता के बीच का व्यक्ति है और उसे श्रमिकों के परिश्रम का लाभ उठाने का कोई हक नहीं।

मुख्य उद्देश्य उत्सादन होना चाहिए था। परन्तु सरकार विनियमन के नाम पर ठेका श्रमिक पद्धति को परिष्कृत रूप में बनाये रखना चाहती है, भले ही ऐसे कार्यों को समाजवाद का नाम दिया जाये।

सभी श्रमिक संघों ने एक मत से सर्व सम्मति से इस पद्धति का विरोध किया है। मैं संयुक्त समिति का सदस्य था। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि वह सभी प्रतिवेदनों को देखें। एक भी प्रतिवेदन में विनियमन की मांग नहीं की गई।

हमारे एक करोड़ जन शक्ति वाले देश में स्वतंत्रता के 20 वर्ष पश्चात भी यह बिचौलिये श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। सरकार यदि यह घोषणा करे कि पूर्ण उत्सादन उसका लक्ष्य है तो किन्हीं मामलों में अपवाद हो सकता है।

विधेयक के अध्यायों के विभिन्न शीर्षकों में उत्सादन का कहीं स्थान नहीं। उसका उल्लेख तो विधेयक के नाम में ही, श्रमिकों को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से, दिया गया है। इन्हीं कारणों से मैंने अपनी विमति व्यक्त की थी।

इस विधेयक में 20 से अधिक श्रमिक रखने वाले ठेकेदार के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। ठेका श्रमिक आयोग का अध्यक्ष मुख्य श्रमिक आयुक्त होगा जिसे कई अन्य कार्यों का निष्पादन करना होता है। उसके अतिरिक्त सरकार रेलवे, डाक व तार विभाग तथा प्रतिरक्षा विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी होंगे। यह बोर्ड निश्चित करेगा कि किस प्रकार के कार्य ठेका श्रमिक पद्धति के अन्तर्गत आयेंगे। श्री कुण्डू भी संयुक्त समिति के सदस्य थे और उन्होंने

भी अपनी लम्बी विमति लिखी थी । हमें आशा थी कि मंत्री महोदय संतोषजनक संशोधन प्रस्तुत करेंगे परन्तु उन्होंने कुछ और ही प्रस्ताव रखे हैं ।

रेलवे में स्थिति भिन्न है । वहां ठेकेदार तो नहीं हैं परन्तु शोषण का कार्य रेलवे करता है । अभी-अभी कानपुर से तार आया है कि 15 वर्ष से कार्य कर रहे 250 नैमित्तिक मजदूरों को नोटिस दे दिये गये । माननीय श्रम मंत्री को इसी समय घोषणा करनी चाहिये कि रेलवे में नैमितिक मजदूरी प्रथा समाप्त की जाती है ।

रेलवे में 3 लाख नैमितिक मजदूर हैं । निजी क्षेत्र में कोयला तथा बीड़ी आदि उद्योग में भी नैमितिक मजदूर रखे जाते हैं । यदि सरकार इस प्रथा को समाप्त करेगी तो अन्यत्र भी उसका उन्मूलन होगा ।

विधेयक खण्ड 31 द्वारा सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि किसी भी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों को, किसी भी अवधि के लिये प्रस्तावित विधेयक की परिधि से मुक्त रखा जा सकता है । मेरा दृढ़ मत है कि खण्ड 31 को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिए।

इसके लिये लाइसेंसिग और अपीली विभागों की स्थापना की जायेगी । हमारा अनुभव है कि इससे नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं के हित में कार्य होगा । इस प्रकार यह विधेयक व्यर्थ हो जाएगा ।

मुझे खेद है कि स्वतंत्रता के 23 वर्ष पश्चात हम सदन में इस विधेयक को रख रहे हैं और हम दावा करते हैं समाजवाद लाने का ।

Shri Deven Sen (Asansol) : We hoped that the bill which the Government would bring forward this time would abolish the system of contract labour. But our hopes have gone vain. Even the title of the bill indicates that Government is confused in the matter. If there is going to be abolition what for regulation ? And if the Government stands for regulation then what is the necessity for abolition ?

I have worked in coal mines for 20 years and on many occasions. I was beaten by the contractors. My definition of a contractor is :

"Combination of all the vices is a contractor". In our coal field they practise all sorts of evils. They even maintain their army. Reforms cannot be brought about in the system. It can, however, be abolished.

It is mentioned in clause 10 that contract labour system can be abolished. But so man conditions have been given in the bill that abolition cannot take place.

Clause 31 specifically gives powers to the Government to exempt any establishment or class of establishments from the provisions of the proposed Act.

Clause 1 (5) (a) contains :

"It shall not apply to establishments in which work only of an intermittent or casual nature is performed."

It has been stated there that the Act shall not apply to casual labour. At present there are 3 lakhs casual labourers in the Railways. In the collieries there is no difference between casual labour and contract labour. Both are outside the purview of laws. Both are not paid fully in accordance with the rates specified by Wage Boards. Their cases are also not considered for the grant of leave, gratutity, provident fund.

There is provision for Central Board and State Boards. The Central Board shall consist of a Chairman to be appointed by Central Government and the Chief Labour Commissioner (Central) and members not exceeding seventeen but not less than eleven as the Central Government may nominate to represent the Government, the Railways, the coal mining industry, mining industry, the contracts, the workmen and any other interests. Such a board would never abolish contract labour system.

I was a member of the joint committee appointed to look into this Bill. The members from Government side were in majority. They are not progressive. We wanted the number of workers that could be left out side the purview of the proposed Act to be not more than ten. Our efforts, however, could not find favour with the Government members.

We are in a fix. We can neither support the Bill nor oppose it. The Hon. Minister may please find a way out of this difficulty.

The provison of registration and licensing as contained in the bill will give rise to favouritism and consequently to corruption.

The penalties provided for in the bill are insignificant. These contractors are very rich and such small fine will have no effect on them.

Shri Hem Raj (Kangra): Mr. Chairman, I welcome the Contract Labour Bill, which has been brought forward with a view to abolish and regulate the system of Contract Labour. Its objectives are : progressive abolition of the system and improvement in service conditions of the Contract Labour ; to undertake the studies to ascertain the extent of the problem of labour. This Bill is an other step towards socialism for which the Ministry deserves appreciation. But no provision has been made regarding decasulisation which was proposed in the Second Five Year Plan. The Government should have brought casual labour within the ambit of this Bill. As pointed out by the previous Speaker, the services of those workers who had been working as Casual Labourers in the Bhakra Dam project for about 15 years, were terminated after the completion of the Dam and they were not provided alternative employment, although a number of similar construction works were going on in the country.

It is being provided in sub-claused 5 (b) that "if a question arises, whether work performed in an establishment is of an intermittent or casual nature, the appropriate Government shall decide the question after consultation with the Central Board or State Board, as the case may be, and its decision will be final. It has further been provided that workers representatives will also be consulted. I suggest that in such Boards workers should have majority and they should be elected members instead of nominated members by the concerned Government. Only elected Members can be bold enough to express an independent opinion.

Further, it is also being provided that in case there is any complaint, it will be lodged by the Inspector. The result will be that those who can bribe the Inspector will get their problem solved within no time. The employers will develop their contacts with the Inspector and it is the poor labour who will become a victim of their dual cruelty. It is therefore, necessary that some provision should be made under which workers' unions may be permitted to make a complaint themselves. At the same time I have moved an amendment to the effect that the restriction under which certain establishments might be exempted from the application of this Act, should be laid down in the rules to be framed by the Government. This amendment should be accepted by the Government.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : सभापति महोदय, यह ठीक है कि हम प्रवर समिति के सदस्य थे और हमने विधेयक पर विचार करते समय उसमें कुछ संशोधन करने का प्रयत्न किया

परन्तु मुझे खेद है कि हम उसमें सफल नहीं हो सके। मैंने अपने विमित टिप्पण में यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तुत विधेयक से संविद श्रमिकों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इस विधेयक का एक अपना इतिहास है। बहुत से औद्योगिक और श्रमिक सम्मेलनों में यह मांग की गई थी कि संविद श्रमिक व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में यह मत व्यक्त किया था कि उन संस्थानों में जहां नियमित रूप से कार्य होता है। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये। परन्तु प्रस्तुत विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा संविद श्रमिक व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में विभिन्न समितियों और आयोगों के प्रतिवेदनों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर पुनः विचार कर इसमें भारी परिवर्तन किये जाने चाहिये अथवा इस सभा में या प्रवर समिति में इस विधेयक से सम्बद्ध जो भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जायेगा तो, श्री पीलु मोदी जैसे व्यक्तियों को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि सरकार का समाजवाद का नारा केवल एक आडम्बर है और इससे संविद श्रमिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को भी वास्तव में कोई लाभ हो सकेगा।

यहां मुझे संविद श्रमिक की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चय ही एक घृणित व्यवस्था है। परन्तु यह व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है और मेरे स्वतन्त्रता दल के जो मित्र हैं वह इसके पक्ष में भी हैं। इन्होंने परोक्ष रूप से विधेयक के खण्ड 31 का समर्थन किया है।

जहां तक विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का प्रश्न है खण्ड 1 (4) (क) में कहा गया है कि इस विधेयक के उपबन्ध उन स्थापनाओं पर लागू नहीं होंगे जिनमें कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 20 से कम है। इसका परिणाम यह होगा कि प्रस्तुत विधेयक के पारित होते ही विभिन्न संस्थाएं बंट जायेगी। अलग से ऐसी स्थापनायें और कम्पनियां बना ली जायेंगी जिनमें कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 20 से कम होगी। इसके फलस्वरूप श्रमिक विभाग का कार्य तो बढ़ जायेगा परन्तु श्रमिक को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा आज स्वचालित मशीनों के युग में 20 से कम मजदूरों को रखने की शर्त का कोई महत्व नहीं है। अतः श्रमिकों की संख्या के साथ-साथ उत्पादन क्षमता और मुनाफे की कोई शर्त रखना अधिक सार्थक होगा क्योंकि कुछ ऐसे कारखाने हैं जहां मजदूर तो कम हैं परन्तु उनका उत्पादन तथा मुनाफा बहुत अधिक है। किन्तु वे मजदूरों की सेवा शर्तों की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न बाहरी मजदूरों के बारे में है। बाहरी मजदूरों से बड़े अमानवीय ढंग से कार्य करवाया जाता है। नागपुर में हमने बीड़ी मजदूरों को देखा। एक छोटे से अन्धकारपूर्ण कमरे में जहां केवल एक ही बल्ब जल रहा था उसमें 500,600 औरतें काम कर रही थीं। उनके साथ बच्चे भी थे। इन लोगों को कम से कम 10 घंटे कार्य करने के बाद 75 या 80 पैसे मजदूरी दी जाती है। यह कितनी घृणित बात है। परन्तु प्रस्तुत विधेयक के अनुबंध में खंड

2 (छ) (1) बाहरी मजदूर की जो परिभाषा दी गई है उसके अन्तर्गत इस प्रकार के मजदूर नहीं आते। विधेयक में ऐसी व्यवस्था केवल कुछ बड़े-बड़े बीड़ी निर्माताओं जौहरियों और हौजरी वालों को खुश करने के लिये की गई है। सरकार उन्हें असन्तुष्ट नहीं करना चाहती। परन्तु यह व्यवस्था बिलकुल श्रमिक विरोधी है और इसमें परिवर्तन होना चाहिये।

प्रस्तुत विधेयक के अनुबंधों में खण्ड 10 और 31 का विशेष महत्व है। खंड 10 के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति दी जा रही है कि वह अधिसूचना जारी करके किसी भी स्थापना को विधेयक के कार्य क्षेत्र से मुक्त कर सकती है। खंड 31 के अन्तर्गत सरकार को उक्त अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी जा रही है। सरकार के पास इस प्रकार की शक्तियां विधेयक के पारित होने के बाद निश्चय ही घातक सिद्ध होंगी। इससे कई विवाद खड़े हो जायेंगे। और इन्हें उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में ले जाया जायगा। क्या श्रमिकों के पास भला वकील करने के लिए इतना धन होगा? न उनके पास धन होगा, न वह वकील करेंगे और अन्ततः वे हार जायेंगे और परिणाम यह होगा कि इस विधेयक से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। अतः सरकार को विधेयक पर पुनः विचार करना चाहिये। यदि सरकार को विचार करने के लिए समय कम मिला है तो अध्यक्ष की सहमति और सभा के सहयोग से और अधिक समय दिया जा सकता है। इमारतों का निर्माण-कार्यों तथा खानों में कार्य करने वाले 70 से 73 प्रतिशत मजदूर संविद श्रमिक होते हैं। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार 23 लाख मजदूर देश में विभिन्न निर्माण-कार्यों में लगे हुए हैं। इन लोगों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। इन्हें कुछ काल के लिए किराये पर लेकर ठोकर मार दी जाती है। यही स्थिति निर्माण-कार्यों में कुशल कर्मचारियों की है। जब इन लोगों के खून पसीने से कोई परियोजनापूर्ण हो जाती है तो इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। इनकी झुग्गियां गिरा दी जाती है। विधेयक में इन लोगों के हितो की रक्षा के लिए तथा उनकी कार्य शर्तों में सुधार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। फिर भला इस विधेयक से लाभ किसे होगा?

रेलवे मंत्री जरा अपने रेलवे संगठनों की ओर ध्यान से देखें। रेलवे में 30 लाख के करीब मजदूर काम करते हैं। न्यूनतम मंजूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों को कुछ सुरक्षा अवश्य प्रदान की गई है परन्तु गत कितने वर्षों से मजदूरों के न्यूनतम मजूरी में कोई बढोत्तरी नहीं की गई। रेलवे वालों का कहना है जब तक राज्य सरकार इन श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण नहीं करती, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यदि राज्य सरकार इस कार्य को नहीं करती तो भला श्रमिक बेचारे का क्या दोष है? वह क्या करेगा? राष्ट्रीय श्रमिक आयोग ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि सरकार ने 1949 में श्रमिकों के सम्बन्ध में केवल नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य दिया था उसके बाद उनकी दशा सुधारने के लिये कुछ नहीं किया गया। सरकार की नीति आज भी वही है। जो 1949 में थी। इस के बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिये।

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Chairman, this Bill is not complete and perhaps the Minister also knows it. But under the present circumstances we should be contented with it. As stated by my Hon. friend, Shri Nambiar, we can still fight for it. But what will be the use? The select committee has got more Government members and even in this House, ruling party has got the majority. So no amendment however genuine it may be is likely to be accepted if moved by opposition parties. That is why we have to be contented.

I may say that it is of no use to make a legislation unless it is implemented in letter and spirit. The Government must ensure that once a legislation is passed by Parliament it must be implemented.

Today structural engineering is increasing day by day. The structural engineering works are being carried or not only on the banks of rivers, and seas but also in hilly areas, plains and deserts by big campanies like "Hindustan Constructions", "Cooper Company" etc. Besides there is mining industry also. The workers of such establishments are not benefited by General Labour Laws. I request, that separate legislation should be made for the workers working in mining industries and structural engineering works. There are good labour laws in Goa but they are not being implemented properly because Goa is a union territory and it is Governed by Central Officers who have no first hand knowledge of the conditions prevailing there. It is therefore requested that attention should be paid towards the mine workers of Goa in orders to improve their working conditions.

I would request the Hon. Minister that there should be majoritiy of the representative of labourers in the Advisory Boards. So that these Boards are in a position to safeguard the interests of the workers.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Speaker, Sir, whatever be their advantages, it is certain that the use of tractors and other machines has adversely affected the agricultural labourers.

Mr. Speaker, Sir, whether the Bill is passed or not, but one thing is quite clear that there is no co-ordination between labour and capital in India. No respect is givin to labourer in India. Unless co-ordination between labour and capital is established, India will not be able to make any progress. Japan has made tremendous progress because there is no differences in the status of a labourer and a capitalist. There proper respect is given to the worker. It is therefore necessary that we should also give proper respect to the worker here. Only then we will be able to make any development.

So long as the C.P.I. (M), C.P.I., and the D.M.K. parties are supporting the Government, the present Government will remain in power. They are not going to bother what Shri Banerjee and my friends of D. M. K. say and what their principles are.

Shri S. M. Banerjee : But they do not give false evidence in the Supreme Court.... **(Interruptions)**.

Shri Abdul Ghani Dar : You have made a reference to the Supreme Court.**

Mr. Chairman : It is not proper on your part to make a reference to the Supreme Court. Please withdraw your words otherwise they will be expunged and they will not go on record.

Shri Abdul Ghani Dar : I have got no objection to withdraw them. But since he made a reference, I had to answer it.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : Not only about Supreme Court but the Hon. Member has also stated.**

That should also be expunged.

Shri Abdul Ghani Dar : You may expunge it, but please listen to me. I want to point out to the Government that they need not bother about the welfare of the labour and

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

there is no point in bringing forward a bill which has been criticised by all and sundry including the representatives of workers. We are simply required to confer on the workers the same rights as are being enjoyed by us including Indiraji and capitalists like Tata and Birla.

Shri S. M. Banerji (Kanpur): Mr. Speaker, Sir, I want to give a personal Explanation.

Mr. Chairman: For that purpose please give in writing to the Speaker.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब श्री अब्दुल गनी दार बोल रहे थे और मैंने उन्हें टोका था तो उन्होंने ऐसी बात कही जो मेरे तथा सभा के लिये अपमानजनक है। आपने आदेश दिया कि ये बातें कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएंगी। इस पर मैंने वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहा था परन्तु आपने उसकी अनुमति नहीं दी। मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बिना लिखे आप वैयक्तिक स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी बातों को कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : अध्यक्ष महोदय, संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) विधेयक की चर्चा में 15 सदस्यों ने भाग लिया। कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि सरकार का इरादा क्या है? मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का इरादा संविद श्रमिक व्यवस्था को समाप्त करने का है। खंड 10 में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ शर्तों पर संविद श्रमिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया जायेगा। खण्ड 10 (2) में 4 शर्तें दी गई हैं। यह आवश्यक नहीं है, कि इन चारों शर्तों के पूरा होने पर ही संविद श्रमिक व्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा। इनमें से किसी एक ही शर्त के पूरा होने पर संविद श्रमिक व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। ये चार शर्तें उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में दी गई हैं। अतः स्पष्ट है कि सरकार संविद श्रमिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। परन्तु संयुक्त समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं विधेयक में कुछ संशोधन किये गये थे, जिनको संयुक्त समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने कहा कि यह विधेयक उन उद्योगों पर लागू नहीं किया जाना चाहिये जो आन्तरायिक प्रकार के हैं अथवा मौसमी हैं और जिनमें केवल कुछ ही दिन काम होता है। इस सम्बन्ध में समिति ने यह भी कहा है इस प्रयोजन के लिये किसी संस्था में उस कार्य को आन्तरायिक प्रकार का नहीं माना जायेगा यदि वह पिछले 12 महीनों में 120 से अधिक दिन न किया गया हो और यदि वह मौसमी कार्य हो और वह एक वर्ष में 60 से अधिक दिन न किया गया हो। यह शर्त सरकार ने संयुक्त समिति के समक्ष पेश नहीं की थी। हमने इस शर्त को स्वीकार किया है और इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जहां हमने अनुभव किया है कि कई कठिनाइयों के कारण संविद श्रमिक व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, वहां हमने सोचा कि ऐसी स्थिति में संविद श्रमिकों को कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिये। श्रमिकों की आवास स्थिति तथा उनके काम की शर्तें बहुत ही शोचनीय हैं। श्रमिकों के कार्य की शर्तें, कार्य के घण्टे, वेतन आदि को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाये, इस बारे में विधेयक के खण्डों में उपबन्ध किया जा रहा है।

यह विधेयक उन संस्थाओं पर लागू होगा जिसमें 20 या 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यह संख्या 10 होनी चाहिये। परन्तु यदि संख्या 20 से घटा कर 10 कर दी जायेगी तो हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जायेगी कि विधेयक में दिये गये उपबन्धों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये। विधान बनाने तथा सुविधाओं का उपबन्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा, यदि उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। फिर भी, खण्ड 1 (4) (ख) में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि यह विधेयक उस प्रत्येक ठकेदार पर लागू होगा, जिसने पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 20 या 20 से अधिक श्रमिक रखे हैं या रखता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 4 अगस्त, 1970/13 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 4, 1970/Sravana 13, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—14-1-71—340